[2018] 4 एस. सी. आर *1*

कल्पना मेहता और अन्य

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2012 की लिखित याचिका *(*सिविल*)* संख्या *558)*

मई *09,2018*

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर, ए. के. सिकरी,

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और अशोक भूषण, जे. जे.*]*

जनहित याचिकाः

भारतीय संविधान कला। *32* और *136*-संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट-संसदीय कार्यवाही और उसके विशेषाधिकार पर भरोसा-न्यायिक समीक्षा का दायरा

ह्यूमन पैपिलोमा वायरस *(*एच. पी. वी.*)* टीके के नैदानिक परीक्षणों में अनियमितताएं-भारतीय औषधि महानियंत्रक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा की गई कार्रवाई का औचित्य

टीके की मंजूरी-तथ्यों पर, एच. पी. वी. टीके द्वारा निर्मित

महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकने के लिए दवा कंपनी

द्वारा टीकाकरण के रूप में टीके का प्रयोग

युवा किशोरियों पर गुजरात और आंध्र प्रदेश सरकार-लड़कियों की असामयिक मृत्यु-अनियमितताएं और स्वास्थ्य जोखिम

स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा इंगित एच. पी. वी. टीका-की नियुक्ति कथित मामलों की जांच करेगी संसदीय स्थायी समिति

अनियमितताएं-सरकारी विभागों, आई. सी. एम. आर., एन. जी. ओ. और दवा कंपनियों की विभिन्न कमियों और खामियों का संकेत देने वाली *72* वीं और *81* वीं स्थायी समिति की रिपोर्ट-इसके बाद नैदानिक परीक्षणों में अनियमितताओं को चुनौती देने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा रिट याचिका दायर की गई-याचिकाकर्ताओं द्वारा संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पर रिलायंस ने रखा-भारत संघ का मामला कि रिपोर्टों को न तो इस अदालत द्वारा देखा जा सकता है और न ही उन पर भरोसा किया जा सकता है-दो द्वारा तैयार किए गए प्रश्न-संविधान पीठ के संदर्भ के लिए न्यायाधीशों की पीठ

क्या इस न्यायालय के समक्ष दायर मुकदमे में या तो यू/आर्ट्स। *32* या *136,* न्यायालय की रिपोर्ट का उल्लेख कर सकता है और उस पर भरोसा कर सकता है

संसदीय स्थायी समिति; और क्या ऐसी रिपोर्ट को संदर्भ के उद्देश्य से देखा जा सकता है-आयोजितः जिज्ञासा के अनुसारः या तो यू/आर्ट्स द्वारा दायर मुकदमे में। *32* या *136,* संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है, हालांकि, रिपोर्ट को अदालत में बाधित या चुनौती नहीं दी जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कलाएँ। *32* , *136* और *105*-संसदीय स्थायी रिपोर्ट

पैपिलोमा वायरस *(*एच. पी. वी.*)* टीका-संदर्भ और उस पर निर्भरता इस न्यायालय द्वारा-आयोजितः सीजेआई दीपक मिश्रा के अनुसारः *(* अपने लिए और

खानविलकर, जे.*):* वैधानिक प्रावधान की व्याख्या के लिए संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सहायता ली जा सकती है-संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है। *57 (4)* साक्ष्य अधिनियम और यह अधिनियम की धारा *74* के तहत स्वीकार्य है-एक मुकदमे में यू/आर्ट। *32* या कला। *136* , यह न्यायालय संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले सकता है, हालांकि, यह

कानून की अदालत में बाधित या चुनौती नहीं दी जा सकती है-जहां

तथ्य विवादास्पद है, याचिकाकर्ता हमेशा कई स्रोतों से तथ्य एकत्र कर सकता है और शपथ पत्र के माध्यम से ऐसे तथ्य प्रस्तुत कर सकता है, और न्यायालय स्वतंत्र निर्णय के माध्यम से अपना निर्णय दे सकता है।

सार्वजनिक डोमेन में होने की रिपोर्ट उचित टिप्पणियों को आमंत्रित कर सकती है और

नागरिकों की आलोचना-पर चंद्रचूड़, जे. *(*अपने और सीकरी, जे. के लिए*):* संसदीय स्थायी रिपोर्ट पर भरोसा

समिति को यू/आर्ट की कार्यवाही में रखा जा सकता है। *32* या कला। *136* – रिपोर्ट के प्रकाशन पर, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान इसका संदर्भ कार्यवाही संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होगी-रिपोर्ट की वैधता पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है-संसद के समक्ष कार्यवाही के दौरान जो कहा गया है, उसके लिए किसी भी संसद सदस्य या व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

समिति-जब न्यायालय के समक्ष मामला विवादास्पद हो जाता है।

न्यायालय द्वारा तथ्य का निष्कर्ष न्यायिक कार्यवाही में प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए-*(*अशोक भूषण, जे के अनुसार*):* संसद के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पूरी तरह से संरक्षण के दायरे में विस्तारित यू/आर्ट। *105* और उन्हें संसद या किसी समिति में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है-रिपोर्टों के प्रकाशन की न केवल अनुमति दी जा रही है, बल्कि इसकी अनुमति भी दी जा रही है।

संसद द्वारा प्रोत्साहित और प्रकाशन पर इसका उपयोग किया जा सकता है

संसद और विधानमंडलों की कार्यवाहियों की। *57 (4)* – संसदीय समिति की रिपोर्टों पर ध्यान देने के लिए भरोसा किया जा सकता है घटना या इतिहास हालांकि, किसी भी पक्ष को संसदीय समिति की रिपोर्ट पर 'सवाल' या 'महाभियोग' करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-साक्ष्य में संसदीय समिति की रिपोर्ट की स्वीकार्यता का मतलब यह नहीं है कि

रिपोर्ट में बताए गए तथ्य साबित होते हैं-जब तथ्यों के मुद्दे न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए आते हैं, तो न्यायालय को अपने समक्ष लाए गए साक्ष्य और सामग्री के आधार पर मुद्दों पर निर्णय लेना होता है।

कल्पना मेहता बनाम। भारत का संघ

कलाएँ। *105* , *118* , *194* , *121* , *122* और *212*-संसदीय विशेषाधिकार-संसद के सदनों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि।

और उसके सदस्यों और समितियों का-प्रकाशन

संसदीय कार्यवाही-समझाया गया।

संसदीय कार्यवाही और संसदीय विशेषाधिकार -

न्यायिक समीक्षा का दायरा-समझाया गया।

संसदीय स्थायी समितियों की भूमिका, प्रासंगिकता और

महत्व-समझाया गया।

संसदीय स्थायी समितियाँ-संसदीय

इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में समितियाँ-भूमिका और जिम्मेदारी बताई गई।

मूलभूत तत्व-संविधान की सर्वोच्चता, संवैधानिक सीमाएँ, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति न्यायिक समीक्षा, संविधान की व्याख्या,

मौलिक अधिकार और अन्य संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या

प्रावधान-का विश्लेषण।

साक्ष्य अधिनियम, *1872*-एस। *57 (4)* – संसद की कार्यवाही

अधिनियम की प्रयोज्यता-वे तथ्य जिनके बारे में न्यायालय को न्यायिक निर्णय लेना चाहिए

नोटिस-आयोजितः एस के तहत। *57 (4)* , संसद और विधानमंडल की कार्यवाही की प्रक्रिया, जो किसी भी कानून के तहत स्थापित की गई है, वे तथ्य हैं जिनके बारे में

न्यायालय द्वारा न्यायिक नोटिस लिया जाएगा-संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पर न्यायिक रूप से ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि ऐसी रिपोर्ट एस के दायरे में आती है। *57 (7)* – संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना एक सार्वजनिक दस्तावेज है, इसलिए यह यू/एस द्वारा स्वीकार्य है। *74* अधिनियम से।

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः सीजेआई दीपक मिश्रा के अनुसारः *(* अपने और खानविलकर के लिए, जे।*)*

1. संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को किसी वैधानिक प्रावधान की व्याख्या के उद्देश्य से लिया जा सकता है।

जहाँ भी यह इतना आवश्यक है और इसे इस रूप में भी नोट किया जा सकता है

एक ऐतिहासिक तथ्य का अस्तित्व। न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है

साक्ष्य अधिनियम की धारा *57 (4)* के तहत संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट और यह अधिनियम की धारा *74* के तहत स्वीकार्य है।

अधिनियम ने कहा। अनुच्छेद *32* या अनुच्छेद के तहत दायर मुकदमे में

136 संविधान के अनुसार, यह न्यायालय रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले सकता है

संसदीय स्थायी समिति। हालाँकि, रिपोर्ट *[2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय में बाधा या चुनौती नहीं दी जा सकती है। जहाँ तथ्य विवादास्पद है, याचिकाकर्ता हमेशा कई स्रोतों से तथ्य एकत्र कर सकता है और शपथ पत्र के माध्यम से ऐसे तथ्य प्रस्तुत कर सकता है, और न्यायालय स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय दे सकता है। न्यायनिर्णयन। संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के कारण नागरिकों से उचित टिप्पणियां और आलोचना आमंत्रित की जा सकती है क्योंकि ऐसी स्थिति में, नागरिक वास्तव में संसद के किसी भी सदस्य पर संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन के खतरे को आमंत्रित करने के लिए टिप्पणी नहीं करते हैं। *[* पैरा *138] [121-*सी-जी*]*

संविधान की सर्वोच्चता

2. भारत का संविधान सर्वोच्च मौलिक कानून है और सभी कानूनों को संविधान के अनुरूप या उसके अनुरूप होना चाहिए। संवैधानिक प्रावधानों में कहा गया है कि

विधायिका और कार्यपालिका के कार्यकरण के लिए शर्तें और यह निर्धारित करना कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम दुभाषिया है। सभी वैधानिक कानूनों को मौलिक कानून, यानी संविधान के अनुरूप होना आवश्यक है। तीन शाखाओं, अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पदाधिकारी अपना अधिकार और अधिकार क्षेत्र प्राप्त करते हैं -

संविधान। यह कानून बनाने की शक्ति के प्रयोग में है

संविधान सभा कि संविधान को नियंत्रित किया गया है। अनुच्छेद *14,19* और *21* उन मूलभूत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कानून के शासन का आधार हैं। ये हैं सिद्धांत

संवैधानिकता जो कानून के शासन और शक्तियों के पृथक्करण के अलावा न्यायिक समीक्षा का आधार बनती है। इस प्रकार, राज्य के तीनों अंग संवैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत से बंधे हैं और सभी संविधान के ढांचे द्वारा

शासित हैं। संविधान संवैधानिक उल्लंघन को स्वीकार नहीं करता है। सर्वोच्चता और इस तरह सीमा निर्धारित की जाती है। *[* पारस *13,15,16] [63-*बी-सी*; 64-*डी-ई*]*

केरल *[1973]* पूरक। एस. सी. आर *1: (1973) 4* एस. सी. सी. *225;* राजस्थान राज्य और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य
[1978] 1 एस. सी. आर *1: (1977) 3* एस. सी. सी. *592;* आई आर कोएल्हो बनाम। तमिलनाडु राज्य *[2007] 1* एस. सी. आर. *706: (2007) 2* एससीसी *1*

- संदर्भित किया गया।

कल्पना मेहता बनाम। भारत का संघ

विधायिका पर संवैधानिक सीमाएँ

3. संसद या राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति संवैधानिक सीमा की अवधारणा से बंधी होती है। यह समझना आवश्यक है कि वास्तव में इसका क्या अर्थ है

संवैधानिक सीमा। संविधान के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने की शक्ति सौंपी गई है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि संवैधानिक सीमा का उल्लंघन होता है, तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को संवैधानिक न्यायालयों द्वारा अधिकार से बाहर घोषित किया जाना चाहिए। वह शक्ति संविधान के तहत न्यायालयों को प्रदान की गई है और इसलिए, शब्दावली-संवैधानिक संप्रभुता का उपयोग किया जाता है। यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि कानून का शासन

हमारे संविधान का मूल और यह कानून के शासन का सार है कि राज्य द्वारा शक्ति का प्रयोग, चाहे वह विधायिका हो या कार्यपालिका या कोई अन्य प्राधिकरण, संवैधानिक सीमाओं के भीतर। *[* पारस *17,20] [64-*एफ*; 66-*ई एफ*]*

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। अनवर अली सरकार *[1952]* एससीआर *284:* ए. आई. आर. *1952* एससी *75;* के. सी. गजपति नारायण देव बनाम

उड़ीसा राज्य *[1954]* एस. सी. आर. *1:* ए. आई. आर. *1953* एस. सी. *375;* दीप चंद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य *[1959]* पूरक। *2* एस. सी. आर *8:* ए. आई. आर. *1959* एस. सी. *648;* बिनॉय विश्वम बनाम। भारत संघ और अन्य *(2017) 7* एस. सी. सी. *59-*संदर्भित।

रानी वी. बुरा *(1878)* एल. आर. *5* आई. ए. *178;* अटॉर्नी-ओंटारियो के लिए जनरल बनाम। अटॉर्नी-कनाडा के लिए जनरल *(1912)* एसी

571 संदर्भित किया गया।

" कूली द्वारा *"*संवैधानिक सीमा*" (*आठवीं संस्करण।

खंड *I)-*संदर्भित।
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत

4. संवैधानिक सीमा की अवधारणा का एक पहलू है

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। जब लोकतंत्र, संविधान से निकलने वाली आवश्यक नैतिकता, पर्यावरण, सामाजिक हित को बनाए रखने आदि जैसे कुछ क्षेत्रों में नागरिकों का हित और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से संबंधित मामलों में जनता को सूचना के अधिकार या जानने के अधिकार के साथ सशक्त बनाना शामिल हो तो शक्तियों के विभाजन के क्षेत्र में वास्तव में कोई संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं हो सकता है।

[2018] 4 एस. सी. आर. हो सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कई उदाहरण जहाँ इस न्यायालय ने निर्देश जारी किए हैं

कार्यपालिका और मौलिक अधिकारों की सुविधा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और कभी-कभी वैधानिक अधिकारों के वास्तविकरण और फलीभूत करने के लिए दिशा-निर्देश भी तैयार किए। *[* पैरा *27] [70* बी-डी*]*

श्रीमती. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण और एक अन्य *(1975)* पूरक। एससीसी *1: [1976]* एस. सी. आर. *347;* केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य *[1973]* पूरक।

एस. सी. सी. *538;* मनसुखलाल विट्ठलदास चौहान बनाम। गुजरात राज्य *[1997] 3* पूरक। एससीआर *705: (1997) 7* एससीसी *622;* फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य
वी. भारत संघ *2003* ए. आई. आर. *1344: (2003) 4* एससीसी *289: [2003] 2* एस. सी. आर. *1085;* महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम रघुनाथ गजानन वैनगंकर *2004* ए. आई. आर. *4264:*

[2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. *365;* संभागीय प्रबंधक, अरावली गोल्फ क्लब और एक अन्य वी. चंदर हास और

एक और *[2007] 12* एससीआर *1084: (2008) 1* एस. सी. सी. *683;* आसिफ हमीद और अन्य बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य *[1989] 3* एस. सी. आर. *19: (1989) 2* पूरक। एस. सी. सी. *364;* आई. आर. कोएल्हो बनाम। तमिलनाडु राज्य *[2007] 1* एस. सी. आर. *706:*

(2007) 2 एस. सी. सी. *1*-संदर्भित।

न्यायिक समीक्षा की शक्ति

5.1 वर्तमान के स्वीकृत मूल्यों को ध्यान में रखते हुए शक्ति के प्रयोग से संबंधित न्यायालय पर भारी जिम्मेदारी रखी गई है। एक जैविक साधन के लिए न्यायालय को संविधान की भावना से शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। प्रणोदन

संविधान का तत्व प्राप्ति का आदेश देता है

मूल्यों। व्याख्यात्मक प्रक्रिया की महत्वाकांक्षी गतिशीलता भी यही उम्मीद करती है। इस न्यायालय के पास संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने की संवैधानिक शक्ति और अधिकार है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करने की बहुत पवित्रता है क्योंकि संवैधानिक न्यायालय के पास कल्पना मेहता बनाम है।

किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति यदि इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विधायिका की क्षमता में कमी है - संविधान में दिए गए विधान या यदि कोई प्रावधान किसी भी मौलिक अधिकार या किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसके खिलाफ चलता है या यदि कोई प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना है। *[* पारस *28-29] [71-C-E]*

5.2 जब न्यायिक समीक्षा पर चर्चा की जाती है, तो यह भी आवश्यक है

न्यायिक संयम की अवधारणा के प्रति जीवित रहना। न्यायिक समीक्षा का कर्तव्य जो संविधान ने न्यायपालिका को दिया है, वह निर्बाध नहीं है; यह न्यायिक संयम की अवधारणा के भीतर आता है। न्यायिक संयम के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि न्यायाधीशों को अपनी शक्ति की परिभाषित सीमाओं के भीतर रहते हुए मामलों का फैसला करना चाहिए। न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार किसी भी कानून या संविधान के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करें। *[* पैरा *30] [71-*एफ-जी*]*

भारत संघ और एक अन्य *v.* रघुबीर सिंह *(*मृत*)*

एलआर द्वारा। आदि। *[1989] 3* एस. सी. आर. *316: (1989) 2* एस. सी. सी. *754;* एस. सी. चंद्रा और अन्य बनाम। झारखंड राज्य और

अन्य *[2007] 9* एससीआर *130: (2007) 8* एस. सी. सी. *279;* सुरेश सेठ बनाम कॉम. , इंदौर नगर निगम। और अन्य *(2005) 13* एस. सी. सी. *287;* उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ बनाम। भारत संघ और एक अन्य *[1989]*

3 एस. सी. आर. *488 (1989) 4* एस. सी. सी. *187;* जनगणना आयुक्त और अन्य बनाम। आर. कृष्णमूर्ति *[2014] 11* एससीआर *463: (2015) 2* एस. सी. सी. *796;* प्रीमियम ग्रेनाइट और एक अन्य वी। टी. एन. और अन्य राज्य *[1994] 1* एस. सी. आर. *579: (1994) 2* एससीसी *691;* एम. पी. ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड अदर वी. एम. पी. और अन्य का राज्य *[1997] 1* पूरक। एससीआर *671: (1997) 7* एस. सी. सी. *592;* मध्य प्रदेश राज्य बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन और एक और *[2011] 6* एससीआर *443: (2011) 7* एस. सी. सी. *639;* पंजाब राज्य और अन्य बनाम। राम लुभाया बग्गा और अन्य *[1998] 1* एससीआर *1120: (1998) 4* एससीसी

117 - संदर्भित किया गया।

5.3 न्यायिक प्रतिबंध ऐसा नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए कि यह न्यायिक त्याग और न्यायिक निष्क्रियता के बराबर हो। न्यायपालिका उस गंभीर कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकती जो संविधान ने अपने कंधों पर रखा है, यानी संविधान के भाग *III* के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए।

संवैधानिक न्यायालय मौलिक होने पर गुमनामी में नहीं बैठ सकते हैं।

व्यक्तियों के अधिकार दांव पर हैं। संविधान ने अवैध कार्यों के खिलाफ बचाव करने के लिए संवैधानिक न्यायालयों की कल्पना की है

व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण। द.

संविधान ने अपने तत्वावधान में संवैधानिक न्यायालयों को व्यापक शक्तियों से लैस किया है, जिनका उपयोग न्यायालयों को बिना किसी हिचकिचाहट या आशंका के करना चाहिए, जब व्यक्तियों के मौलिक अधिकार खतरे में हों। *[* पैरा *33] [73-*बी-डी*]*

विरेन्द्र सिंह और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *1954* ए. आई. आर *447: [1955]* एससीआर *415-* संदर्भित को।

5.4 मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते हुए,

संवैधानिक न्यायालयों को याद रखना चाहिए कि जब भी

अवसर आता है, अदालतों को जीवंत भावना और जोश का संचार करने के उद्देश्य से एक उदार दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है ताकि मौलिक अधिकारों को नुकसान न पहुंचे। जब ऐसा कहा जाता है, तो यह नहीं समझा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते हुए, संवैधानिक

न्यायालयों को पूर्ववर्ती सिद्धांत से पूरी तरह अलग होना चाहिए। लेकिन यह संवैधानिक न्यायालयों का दायित्व है कि वे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करें।

संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्ति। इस तरह का दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद *32* के मामले में अधिक उत्साह के साथ लागू होता है जिसे "संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है - उसका दिल। "अनुच्छेद *32* को विशेष दर्जा प्राप्त है और इसलिए, अनुच्छेद *32* के तहत मामलों में प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना इस न्यायालय का दायित्व है। यह संविधान के तहत इस न्यायालय के कर्तव्य के अनुरूप होगा, यानी व्यक्तियों के अपरिहार्य मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करना। *[* पारस *34-35] [73* एफ; *74-*ए-बी*]*

के. एस. श्रीनिवासन बनाम भारत संघ *1958* ए. आई. आर *419: [1958]* एस. सी. आर. *1295-* संदर्भित।

6. संविधान एक जैविक दस्तावेज होने के कारण, इसकी निरंतर व्याख्या की अनुमति है। संविधान की सर्वोच्चता समय के साथ विकसित राष्ट्रीय राजनीति में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक है। संविधान की व्याख्या कल्पना मेहता बनाम।

भारत का संघ

यह एक कठिन कार्य है। ऐसा करते समय, संवैधानिक न्यायालयों को न केवल समय के साथ अपने स्वयं के अनुभव, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संधियों को ध्यान में रखना आवश्यक है, बल्कि लचीलेपन के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए। समय बीतने के साथ, व्याख्यात्मक प्रक्रिया व्यापक हो गई है। इसे अधिकारों के क्षेत्र को व्यापक बनाने और नागरिकों की वैध अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संवैधानिक सर्वोच्चता का दावा करने के लिए ईंट दर ईंट बनाया गया है। संविधान के शब्दों को अर्थपूर्ण अर्थ व्यक्त करने के लिए जीवन प्रदान किया

गया है। व्याख्या की प्रक्रिया को वर्तमान पीढ़ी के मूल्यों और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए और इसके दो पहलू हैं, अर्थात् निर्माण की प्रक्रिया और खोज। किसी संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करते समय, किसी को उसमें प्रयुक्त भाषा के अक्षर, भावना और उद्देश्य और संवैधानिक मौन या प्रतिबंधों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए जो निम्नलिखित हैं - खोज करने योग्य। दायरा और खोज का संबंध संवैधानिक निहितार्थ के सिद्धांत से है। इसके अलावा,

संविधान के प्रावधान की व्याख्यात्मक प्रक्रिया भी है उद्देश्य को स्पष्ट करने और संविधान के संदेश को व्यक्त करने की आवश्यकता है जो संविधान के लिए आंतरिक है। *[* पारस *38 40] [75-*एफ-जी; *76-*बी, जी; *77-*ए*]*

एस. आर. बोम्मई और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य *[1994] 2* एस. सी. आर. *644: (1994) 3* एस. सी. सी. *1;* जी. वी. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक अन्य *v.* आयकर अधिकारी और एक अन्य *[2011] 3* एस. सी. आर. *366: (2011) 4* एस. सी. सी. *36;* भारत संघ बनाम। नवीन जिंदल और एक अन्य *[2004] 1* एससीआर *1038: (2004) 2* एससीसी *510;* के. एस. पुट्टास्वामी और एक अन्य वी. भारत संघ और अन्य *(2017) 10* एस. सी. सी. *1;* उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम। भारत संघ *[1993] 2* सप्लीमेंट। एससीआर *659: (1993) 4* एस. सी. सी. *441* संदर्भित है।

मौलिक अधिकारों की व्याख्याः

7. प्रारंभिक वर्षों में, संविधान के लागू होने के बाद, न्यायालय ने प्रत्येक मौलिक अधिकार को अलग और विशिष्ट माना।

इसके अलावा, प्रतिबंधात्मक व्याख्या का नियम लागू किया गया था। आकृति संकीर्ण और सीमित थी। धारणा तब बदल गई जब न्यायालय ने कानून की शाब्दिक वैधता के बजाय कानून के कारण होने वाली वास्तविक हानि पर ध्यान केंद्रित किया। संविधान और, विशेष रूप से, जो मौलिक *[2018] 4* एस. सी. आर. की रक्षा करता है और जिसे मजबूत करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए राज्य के सभी व्यक्तियों को हकदार होना है, उन्हें एक उदार और उद्देश्यपूर्ण निर्माण दिया जाना है। न्यायालय को संविधान की व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए कि

यह नागरिकों को उनके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का पूरा लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। *[* पैरा *41] [77-*बी-सी; *78-*सी-डी*]*

ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. *1950* एस. सी. *27: [1950]* एससीआर *88;* आईआर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य *[2007] 1* एससीआर *706 (2007) 2* एससीसी *1;* रुस्तम कावासजी कूपर

वी. भारत संघ *(1970) 1* एस. सी. सी. *248;* सकल पेपर्स *(*पी*)* लिमिटेड *v.* भारत संघ *[1962] 3* एस. सी. आर. *842:* ए. आई. आर. *1962* एस. सी. *305;* शंभू नाथ सरकार बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य *[1974] 1* एस. सी. आर. *1: (1973) 1* एस. सी. सी. *856;* हरधन साहा बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य *[1975] 3* एस. सी. सी. *198: [1975] 1* एससीआर *778;* खुदीराम दास बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

[1975] 2 एस. सी. आर. *832: (1975) 2* एस. सी. सी. *81;* मेनका गांधी बनाम। भारत संघ और एक अन्य *[1978] 1* एस. सी. सी. *248;* एम. नागराज और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य *[2006] 7* सप्लीमेंट। एससीआर *336*

: (2006) 8 एस. सी. सी. *212*-संदर्भित।

अन्य संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या

मौलिक अधिकार लेकिन संवैधानिक शासन के लिए मौलिक हैं और न्यायालय का कर्तव्य उल्लंघन नहीं करना है संवैधानिक सीमाएँ। चिंता की बात नहीं है

ऐसे संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डालते हैं। चिंता कुछ प्रावधानों की व्याख्या के साथ है जो संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित हैं और कुछ अनुच्छेदों में संविधान द्वारा क्या संरक्षित है। यह स्थिति संसद की स्थायी रिपोर्टों पर भरोसा करने के लिए न्यायालय की भूमिका के संदर्भ में सामने आई है।

अनुच्छेद *105* और *122* में निहित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में समितियाँ। *[* पैरा *50] [81*-सी-डी*]*

बी. आर. कपूर बनाम टी. एन. राज्य और एक अन्य *[2001] 3* पूरक। एससीआर *191: (2001) 7* एस. सी. सी. *211;* केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य *[1973]* पूरक। एस. सी. आर *1: (1973) 4* एस. सी. सी. *225;* मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य *[1981] 1* एस. सी. आर. *206: (1980) 3* एस. सी. सी. *625;* कल्पना मेहता बनाम

भारत का संघ

मनोज नरूला बनाम। भारत संघ *[2014] 9* एस. सी. आर. *965: (2014) 9* एस. सी. सी. *1;* कुलदिप नायर और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य *[2006] 5* पूरक। एस. सी. आर *1: (2006) 7* एस. सी. सी. *1;* जी. नारायणस्वामी बनाम। जी. पन्नीरसेल्वम और
अन्य *[1973] 1* एससीआर *172: (1972) 3* एस. सी. सी. *717;* भारत संघ बनाम। संकलचंद हिमतलाल सेठ और एक अन्य

[1978] 1 एससीआर *423: (1977) 4* एस. सी. सी. *193* संदर्भित है।

मेलबर्न निगम बनाम। राष्ट्रमंडल *[1947] 74* सी. एल. आर. *31 (*ऑस्ट*);* ऑस्ट्रेलियाई राजधानी टेलीविजन पीटीवाई। लिमिटेड और अन्य और न्यू साउथ वेल्स राज्य बनाम। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल और एक अन्य *[*राजनीतिक विज्ञापन मामला*] [1992] 177* सी. एल. आर. *106 (*ऑस्ट*);* मैसाचुसेट्स बॉन्डिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। संयुक्त राज्य *352* यू. एस. *128 (1956);* आर. ई. मेगारी, 'ए सेकंड'

मिसेलनी-एट-लॉ *'(*स्टीवंस, लंदन, *1973),* पृष्ठ *152 -*

संदर्भित किया गया।

संसदीय समितियों की भूमिका पर एक दृष्टिकोण

9. संसदीय समिति प्रणालियाँ अपने बुनियादी कार्यों को करने के लिए संसदों के एक रचनात्मक तरीके के रूप में उभरी हैं।

वे कानून और निरीक्षण के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। कई संसदों में, विधेयकों, प्रस्तावों और विशिष्ट मुद्दों पर मामलों को बहस के लिए विशिष्ट समितियों को भेजा जाता है और

सरकारी प्रशासन या प्रदर्शन। प्रभावी समितियाँ किसी दिए गए नीतिगत क्षेत्र में विशेषज्ञता की एक डिग्री विकसित की है, अक्सर निरंतर भागीदारी और स्थिर सदस्यता के माध्यम से। *[* पारस *58-59] [84-*ई-एच*] [2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समिति प्रणाली में प्रवेशः स्टेट कमेटी असाइनमेंट्स, रोनाल्ड डी. हेडलंड, राजनीतिक; रिसर्च क्वार्टरली, वॉल्यूम। *42* , अंक *4,* पृ. *597-625 ;* वुडरो विल्सन, *"*कांग्रेसनल गवर्नमेंट*", 1885,* ने जे. सी. ओ. सी. की अंतिम रिपोर्ट में उद्धृत किया, *(*बाल्टीमोर, द जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी प्रेस, *1981)* पी। *69 ;* राष्ट्रीय लोकतांत्रिक

अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए संस्थान, संसद

संगठनः जून *1995* में मैंगोची, मलावी में समितियों और पार्टी व्हिप एन. डी. आई. कार्यशाला की भूमिका

(वाशिंगटन नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, *1995); "*एन इंट्रोडक्शन टू द प्रोसीजर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स*";* हंसार्ड, तीसरी श्रृंखला, *Vol.235 (1877)* पी। *1478 ; "* समिति प्रणाली का विकास

भारत के केंद्रीय विधानमंडल में *1920-1947 "-*

संदर्भित किया गया।

भारत में संसदीय समितियाँ

10. संविधान के संस्थापकों ने माना कि एक संसदीय प्रणाली प्रभावी ढंग से जवाब देगी

हमारी विविधता के साथ-साथ असंख्य सामाजिक-आर्थिक कारकों से उत्पन्न होने वाली समस्याएं जिनका देश सामना कर रहा था। उस उद्देश्य के साथ, स्थापित राजनीतिक प्रणाली में, संसद को प्रमुखता दी गई थी, वह अंग जो सीधे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और उनके प्रति जवाबदेह है। आधुनिक समय में संसद के कार्य न केवल विविध और जटिल प्रकृति के हैं, बल्कि मात्रा में भी काफी हैं और इसका समय सीमित है। इसलिए, यह अपने समक्ष आने वाले सभी विधायी और अन्य मामलों पर बारीकी से विचार नहीं कर सकता है। इसलिए, इसके कामकाज का एक बड़ा हिस्सा सदन की समितियों में किया जाता है जिन्हें संसदीय के रूप में जाना जाता है।

सदन या अध्यक्ष को उसकी रिपोर्ट। अंग्रेजी परंपराओं पर आधारित, भारतीय संसद की समिति प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। संसदीय लोकतंत्र में भूमिका। *[* पारस *70,73-74] [89-B C; 90-F-H]* कल्पना मेहता बनाम।

लोक में प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियम

11. इन समितियों के कामकाज पर बारीकी से नज़र डालने से इस तथ्य का पता चलता है कि समिति प्रणाली को इस प्रकार बनाया गया है - संसद सदस्यों *(*एम. पी.*)* को रक्षा, विदेश मामलों, उद्योग और वाणिज्य, कृषि, स्वास्थ्य और वित्त सहित सरकारी कार्यों की पूरी श्रृंखला के बारे में जानकारी देना। वे पेशकश करते हैं

संसद के सदस्यों को लोकतंत्र की गतिशीलता को समझने और समझने का अवसर। संसद के सदस्य संसदीय कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं -

संसद सदस्यों को स्वयं को शिक्षित करने और संसदीय प्रणाली को मजबूत करने और शासन में सुधार के लिए विचारों का योगदान करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। द. समिति प्रणाली संसद सदस्यों की अधिक जिम्मेदारियों को निभाने और उनके क्षितिज को व्यापक बनाने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। *[*पैरा *76]*

भारतीय संविधान के तहत संसदीय विशेषाधिकार

12.1 संविधान का अनुच्छेद *105* प्रासंगिक है -

संसदीय समिति की स्थिति और भारतीय विषय-वस्तु में उसे मिलने वाले विशेषाधिकारों को समझें। अनुच्छेद *105* के उप-अनुच्छेद *(2)* में स्पष्ट रूप से यह अभिधारणा दी गई है कि संसद के किसी भी सदस्य को किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा - उन्होंने समिति में जो कुछ भी कहा है। विधायिका के पटल पर सदस्यों के लिए उपलब्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* के तहत नागरिकों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता से काफी अलग है। संसद के सदस्यों को सदन के अंदर जो कुछ भी बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद *105 (4)* में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि खंड *(1), (2)* और *(3)* के प्रावधान उन व्यक्तियों के संबंध में लागू होंगे, जिन्हें इस संविधान के आधार पर बोलने का अधिकार है, और

अन्यथा संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में भाग लेना जैसा कि वे संसद के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। इस प्रकार, पूर्ण है

संवैधानिक संरक्षण। अनुच्छेद *118* में प्रावधान है कि संसद का प्रत्येक सदन इस संविधान के प्रावधानों, इसकी प्रक्रिया और *[2018] 4* एस. सी. आर. के संचालन के अधीन रहते हुए विनियमन के लिए नियम बना सकता है।

उसका व्यवसाय। संविधान में सीधे तौर पर जो कहा गया है, उसके अलावा संसद को संविधान द्वारा अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने में सक्षम बनाया गया है। *[*पारस *86-87] [96-G; 97-A, F-H; 98-A-B]*

12.2 संविधान के अनुच्छेद *105* को दोनों में भाषा के रूप में संविधान के अनुच्छेद *194* के साथ उत्परिवर्तन के रूप में पढ़ा जाता है।

अनुच्छेद समान हैं, सिवाय इसके कि अनुच्छेद *105* में "संसद" शब्द का उपयोग किया गया है जबकि अनुच्छेद *194* में "विधानमंडल" शब्दों का उपयोग किया गया है। एक राज्य का "। इसलिए, इनमें से एक लेख की व्याख्या हमेशा दूसरे पर लागू होगी और इसके विपरीत। *[* पैरा *88] [98* सी*]*

उत्तर प्रदेश विधानसभा मामला *[1964* का विशेष संदर्भ संख्या *1] 1965* ए. आई. आर. *745: [1965]* एस. सी. आर. *413;* राजा राम पाल बनाम

माननीय अध्यक्ष, लोकसभा और अन्य *[2007] 1*

एससीआर *317: (2007) 3* एस. सी. सी. *184*-संदर्भित।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी, *6* था संस्करण। *, 1990 , 9.1197 ;* कानून, विशेषाधिकार, कार्यवाही और संसद के उपयोग पर एर्स्किन मे का ग्रंथ, *(*लेक्सिस नेक्सिस, *24* वां संस्करण। *, 209 ; " -—*

संदर्भित किया गया।
संसदीय कार्यवाहियों की न्यायिक समीक्षा और

विशेषाधिकार *13.* संविधान के अनुच्छेद *121* और *122* अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे वास्तव में प्रतिबंधों को बताने के लिए हैं।

दोनों संस्थानों पर संविधान द्वारा अधिरोपित। संवैधानिक न्यायालयों को नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधायिका की कार्रवाई की वैधता की जांच करने से नहीं रोका जाता है; कि अनुच्छेद *105 (3)* के तहत संसदीय कार्यवाही के लिए कोई पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं है; कि विधायिका द्वारा विशेषाधिकार के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप न्यायिक जांच हो सकती है, हालांकि प्रतिबंधों के अधीन

अनुच्छेद *122* जैसे अन्य संवैधानिक प्रावधानों में निहित

और *212;* कि अनुच्छेद *122 (1)* और अनुच्छेद *212 (1)* विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता को प्रश्न में बुलाए जाने से रोकते हैं।

केवल प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर किसी न्यायालय में, और वे कार्यवाहियाँ जो मूल या घोर अवैधता या असंवैधानिकता के कारण दूषित हो सकती हैं, उनसे संरक्षित नहीं हैं। न्यायिक जांच। *[* पारस *101,102,105] [104*-जी; *108*-डी-एफ*]*

हैमिल्टन बनाम। अल फ़ायद *[2001] 1* एसी *395;* वेलेस्ली बनाम।

ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट *[1831]* एंग आर *809:*

(1831) 2 रस कल्पना मेहता बनाम। भारत का संघ

& मेरा *239: (1831) 39* ई. आर. *538;* न्यू ब्रंसविक ब्रॉडकास्टिंग कं. नोवा स्कोटिया *(*विधानसभा के अध्यक्ष*) [1993] 1* एससीआर *319;* हार्वे बनाम। न्यू ब्रंसविक *(*अटॉर्नी जनरल*) [1996] 2* एससीआर *876;* ब्रैडलॉफ बनाम। गोसेट *(1884) 12* क्यू. बी. डी. *271 (*डी*)*-संदर्भित

को।

सर विलियम होल्ड्सवर्थ द्वारा अंग्रेजी कानून का इतिहास
- संदर्भित किया गया।

बाहरी सहायता के रूप में संसदीय कार्यवाही पर निर्भरता

14.1 रिपोर्ट या भाषणों को उसमें बताए गए उद्देश्यों के लिए संदर्भित किया गया है या संदर्भित नहीं किया गया है और जब

कानून का अर्थ स्पष्ट या अस्पष्ट नहीं है, विधायिका के इरादे का पता लगाने के लिए उन परिस्थितियों पर गौर किया जा सकता है जिनके कारण कानून पारित हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाती हैं और प्रासंगिक हो जाती हैं क्योंकि

वे एक विधान की प्रारंभिक प्रक्रिया से पहले होते हैं। *[* पैरा *112] [111-*एफ-जी*]*

14.2 न्यायालय की रिपोर्ट की सहायता ले सकता है

वैधानिक प्रावधानों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सराहना करने के उद्देश्य से संसदीय समिति और यह समिति की रिपोर्ट या संसद के सदन में मंत्री के भाषण को भी संदर्भित कर सकती है यदि किसी अधिनियम के प्रावधान में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या विसंगति है। इसके अलावा, यह काफी स्पष्ट है कि संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट या अन्य संसदीय समितियों की रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा किन अवसरों और स्थितियों पर ध्यान दिया जा सकता है और किस लिए। उद्देश्य। वैधानिक प्रावधान के अर्थ की व्याख्या करने के उद्देश्य से उसी पर भरोसा करना जहां यह अस्पष्ट है और

अस्पष्ट या, उस मामले के लिए, अधिनियमित कानून की पृष्ठभूमि की सराहना करना इस उद्देश्य के लिए इसे संदर्भित करने से काफी अलग है।

चुनौती, एक विवाद और, यदि कोई प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, तो न्यायालय, इस प्रकार परिस्थितियों को उसी पर शासन करने के लिए बुलाया जाएगा। *[* पैरा *117] [113-*ई-जी*]*

आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले *[1984] 2* एस. सी. आर. *495: (1984) 2* एस. सी. सी. *183;* पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ

1963 एयर *1241: [1964]* एससीआर *371;* के. पी. वर्गीज बनाम

आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम और एक अन्य *[1982] [2018] 4* एस. सी. आर.

1 एससीआर *629: (1981) 4* एस. सी. सी. *173;* डॉ. रमेश यशवंत

प्रभू वी. प्रभाकर काशीनाथ कुंटे और अन्य

[1995] 6 पूरक। एससीआर *371: (1996) 1* एससीसी *130;* नोवार्टिस एजी बनाम। भारत संघ और अन्य *[2013] 13* एस. सी. आर. *148: (2013) 6* एस. सी. सी. *1;* मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य *v.* दादाभॉय की न्यू चिरिमिरी पोनरी हिल कोलियरी कंपनी।
प्रा. लिमिटेड *[1972] 2* एससीआर *609: (1972) 1* एस. सी. सी. *298;* भारत संघ बनाम। स्टील स्टॉक होल्डर्स सिंडिकेट, पूना *[1976] 3* एससीआर *504: (1976) 3* एस. सी. सी. *108;* सुराना स्टील्स प्रा. लिमिटेड वी. डी. आयकर आयुक्त और अन्य *[1999] 2* एस. सी. आर. *589: (1999) 4* एस. सी. सी. *307;* अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत संघ और अन्य *[2008] 4* एस. सी. आर. *1: (2008) 6* एस. सी. सी. *1;* अतिरिक्त आयकर आयुक्त, गुजरात बनाम। सूरत आर्ट सिल्क क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, सूरत *[1980] 2* एससीआर *77: (1980) 2* एस. सी. सी. *31;* धरम दत्त और अन्य बनाम। भारत संघ और

अन्य *[2003] 6* पूरक। एस. सी. आर. *151: (2004) 1* एस. सी. सी. *712;* कुलदिप नायर और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य

[2006] 5 पूरक। एस. सी. आर *1: (2006) 7* एससीसी *1*-संदर्भित

को। काली मिर्च वी।
हार्ट *[1992]* यूकेएचएल *3: [1993]* एसी *593:*

[1992] 3 डब्ल्यूएलआर *1032;* आर. वी. वसील *[1981] 1* एस. सी. आर. *469,121* डी. एल. आर. *(3* डी*) 41;* पुनः मुद्रास्फीति विरोधी अधिनियम *(*कनाडा*) [1976] 2* एस. सी. आर. *373,68* डी. एल. आर. *(3* डी*) 452*-निर्दिष्ट।

साक्ष्य अधिनियम की धारा *57 (4)* *15.1*
शब्दों का प्रयोग करके साक्ष्य अधिनियम की धारा *57*

"न्यायालयों पर उक्त तथ्यों का न्यायिक संज्ञान लेने का दायित्व डालता है। धारा *57,* उप-धारा *(4)* एक दायित्व निर्धारित करती है। संसद की कार्यवाहियों की न्यायिक सूचना लेने के लिए न्यायालयों पर। संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट आई सामने

सार्वजनिक क्षेत्र एक सार्वजनिक दस्तावेज है। इसलिए, यह अधिनियम की धारा *74* के तहत स्वीकार्य है और अधिनियम की धारा *57 (4)* के तहत परिकल्पित ऐसे दस्तावेज़ का न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है। उक्त दस्तावेज़ को रिकॉर्ड में लिया जा सकता है। यदि कोई वैधानिक प्रावधान अस्पष्ट, अस्पष्ट या असंगत है तो उसे समझने और उसकी सराहना करने में सहायता ली जा सकती है। इसकी सहायता भी ली जा सकती है

इस बात की सराहना करें कि विधायी अधिनियम किस शरारत से बचने का इरादा रखता है। इसके अतिरिक्त, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कल्पना मेहता बनाम हो सकता है।

भारत का संघ

रिपोर्ट पर एक निष्पक्ष टिप्पणी हो और एक नागरिक अपने तरीके से रिपोर्ट में जो कहा गया है, उसके संबंध में आलोचना कर सकता है। नागरिकों को निष्पक्ष टिप्पणी के अधिकार की गारंटी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए संवैधानिक मानकों के भीतर अनुमत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है। निष्पक्षता टिप्पणियाँ सार्वजनिक चिंता को दर्शाती हैं और इसलिए, ऐसी टिप्पणियों को अपवाद नहीं माना जा सकता है। यह जनमत और धारणा पर छोड़ दिया जाता है जिस पर लोकतंत्र के महान स्तंभ को और मजबूत किया जाता है। और ऐसी सभी परिस्थितियों में संसदीय विशेषाधिकार का सवाल ही नहीं उठेगा। *[* पारस *121,123] [115-*बी एफ*]*

एकमात्र न्यासी लोक शिक्षा न्यास बनाम। आयकर आयुक्त, मैसूर *[1976] 1* एस. सी. आर. *461: (1976) 1* एससीसी

254 - संदर्भित किया गया।

15.2 तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता रिपोर्ट की सामग्री पर भरोसा करने और एक प्रतियोगिता आमंत्रित करने का इरादा रखते हैं। ऐसी स्थिति में, न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह प्रत्यर्थियों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप सुनवाई का अवसर प्रदान करे। यह, बदले में, एक बहुत ही अजीब स्थिति को जन्म देगा क्योंकि उत्तरदाताओं के पास हमेशा छोड़ दिया जाएगा

संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में व्यक्त राय और उसमें बताए गए तथ्यों को या तो बिना किसी विवाद के स्वीकार करने का विकल्प; या संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की राय और बताए गए तथ्यों की शुद्धता को चुनौती देना। उसमें। पूर्व परिदृश्य में, उत्तरदाताओं को कम से कम एक असमान और नुकसानदेह स्थिति में रखा जाएगा। यह बाद के परिदृश्य में है कि अदालत को रिपोर्ट में बताए गए विवादास्पद तथ्यों पर निर्णय लेने के लिए बुलाया जाएगा। एर्गो,

और संभवतः, न्यायालय को ऐसा करने से बचना चाहिए। यह कहना एक बात है कि रिपोर्ट एक सार्वजनिक दस्तावेज होने के नाते स्वीकार्य है। साक्ष्य में, लेकिन एक चुनौती की अनुमति देना काफी अलग है। *[* पैरा *124] [115-*ए-सी*; 116-*ए-सी*]*

15.3 संसद के बीच एक आंतरिक अंतर है

ऐसी कार्यवाहियाँ जो किसी मंत्री के बयान या किसी अधिनियम के उद्देश्य को उजागर करने के लिए संसद में बनाए गए किसी विधेयक के प्रस्तावक के बयान या उस मामले के लिए एक संसदीय समिति की रिपोर्ट की प्रकृति की हों, जो इस अधिनियम से पहले अस्तित्व में आई थी।

एक कानून का अधिनियमन और "तथ्य" का एक विवादास्पद/परस्पर विरोधी मामला *[2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है। यह वह है

पूर्व श्रेणी के अंतर्गत आने वाली संसदीय कार्यवाहियां, जिनमें से न्यायालयों को धारा *57,* उप-धारा *(4)* के तहत न्यायिक नोटिस लेने का आदेश दिया गया है, जबकि बाद की श्रेणी के लिए -

संसदीय कार्यवाही, प्रतिस्पर्धी की सच्चाई

ऐसी कार्यवाहियों के दौरान बताए गए तथ्य के मामले को कानून द्वारा ज्ञात तरीके से साबित करना होगा। *[* पैरा *125] [116-*डी-ई*]*

15.4 संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का न्यायिक संज्ञान लेना केवल इस हद तक हो सकता है कि ऐसी रिपोर्ट

मौजूद है। उक्त रिपोर्ट को वैधानिक प्रावधान को समझने के लिए सहायता ली जा सकती है जहाँ भी इसे इतना आवश्यक महसूस किया जाता है या लिया जा सकता है एक ऐतिहासिक तथ्य का संज्ञान जो एक प्रतियोगिता से अलग है। "प्रतिस्पर्धा" शब्द का अर्थ है, न्यायालय में प्रतिकूल दावे का बचाव करना; विरोध करना, विरोध करना या विवाद करना; जीतने का प्रयास करना या

पकड़ना; विरोध करना, मुकदमा करना, सवाल पूछना, बचाव करने के लिए चुनौती देना। यह "प्रतियोगिता" शब्द का अर्थ होने के कारण, रिपोर्ट के तथ्यात्मक अंक पर इस पर निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करने को नकार दिया जाना चाहिए। *[* पैरा *127] [116-*जी-एच*; 117-*ए*]*

ब्लैक लॉ डिक्शनरी-संदर्भित।

संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का संदर्भ

16.1 एक पक्ष हमेशा रिकॉर्ड पर सामग्री पर अपने मामले को स्थापित कर सकता है और न्यायालय स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है

संसदीय समिति की रिपोर्ट को चुनौती दिए बिना विवाद। ऐसा इसलिए सोचा जाता है क्योंकि न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए। यह तब अधिक होता है जब इस मुद्दे में एक मौलिक अधिकार शामिल नहीं होता है जो संसदीय कार्रवाई से प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में, न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत की अवधारणा को उचित सम्मान के साथ निपटाया जाता है - संवैधानिक विवेक। स्व-विकसित न्यायिक संयम की धारणा और न्यायशास्त्र की प्रगति के विचार को एक स्पष्ट संतुलन के लिए जोड़ा जाना चाहिए। यह निर्धारित करने के लिए कोई स्ट्रैट-जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि न्यायिक संयम और न्यायिक क्या है।

प्रगतिवाद। कभी-कभी, न्यायालयों के लिए एक ऐसे मार्ग की अवधारणा बनाने की आवश्यकता होती है जो एक बुद्धिमान मध्य मार्ग हो सकता है। बीच का। इन दोनों विचारों के बीच का मार्ग न्यायिक जुड़ाव की अवधारणा है ताकि न्यायिक संयम की अवधारणा न हो।

न्यायिक त्याग या न्यायिक निष्क्रियता का रंग।

न्यायिक कल्पना मेहता बनाम। भारत का संघ

संलिप्तता के लिए आवश्यक है कि न्यायालय अपने संवैधानिक अधिकार को बनाए रखें

टिके रहें। इस प्रकार, जब तक न्यायालय का निर्णय न्यायिक जुड़ाव के सिद्धांत के अनुसार प्रगतिशील है, दृष्टिकोण संवैधानिक न्यायालयों द्वारा कर्तव्य का उचित निर्वहन सुनिश्चित करना होगा ताकि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नागरिकों के अपरिहार्य अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। न्यायालय अन्याय को कोई जगह देने या अनुमति न देने के अपने कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकता है।

एक सिद्धांत के लिए वास्तविक स्थान जिसमें स्वीकार्यता की एक निश्चित सीमा होती है। *[* पैरा *135] [119-*बी-ई*]*

कानून इस तरह से बनाए जाते हैं जो न केवल कानूनी रूप से मान्य होते हैं, बल्कि अधिकार-उन्मुख संविधान के घोषित उद्देश्य की प्रगति और विकास को भी सुविधाजनक बनाते हैं। संविधान अपने आप में एक गतिशील, जीवंत और हमेशा बदलते रहने वाले दस्तावेज होने के नाते युगों के प्रतिमान के अनुकूल है। कि स्थिति होने के कारण, यह भी इस न्यायालय के लिए है कि वह एक नए सिरे से विचार करे और मौजूदा उपदेशों को ढाले नई उभरती स्थितियों के अनुरूप। इस प्रकार, संवैधानिक न्यायालयों को हमेशा एक प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और न्यायिक राज्य कौशल और न्यायिक जुड़ाव की अवधारणाओं के संबंध में कर्तव्यों का एक गतिशील और उत्साही निर्वहन प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि वे व्यापक सार्वजनिक हित के अधीन हैं। तत्काल मामले में, संवैधानिक दायित्व यह विचार रखने के लिए राजी करता है कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट या संसदीय समिति की रिपोर्ट का न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है और इसे साक्ष्य में स्वीकार्य माना जा सकता है, लेकिन इसे न तो बाधित किया जा सकता है और न ही चुनौती दी जा सकती है और न ही इसकी वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है। *[* पैरा *137] [120-*एफ-जी*; 121-*ए-बी*]*

दक्षिण रेलवे के खान-पान सफाईकर्मी बनाम भारत संघ और दूसरा *[1987] 2* एस. सी. आर. *164: (1987) 1* एस. सी. सी. *700;* महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद और अन्य *[2000] 5* पूरक। एससीआर *65: (2001) 1* एस. सी. सी. *4;* फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम। संघ का भारत *2003* एयर *1344: (2003) 4* एस. सी. सी. *289;* सुश्री अरुणा रॉय और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य *[2002] 2* पूरक। एससीआर *266: (2002) 7* एससीसी *368;* एम. सी मेहता बनाम

[2018] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत संघ और अन्य *(2017) 7* एस. सी. सी. *243;* लाल बाबू प्रियदर्शी बनाम। अमृतपाल सिंह *[2015]* एससीआर *1009: (2015) 16* एस. सी. सी. *795;* गुजरात विद्युत बोर्ड बनाम। हिंद मजदूर सभा और अन्य *[1995] 1* पूरक। एससीआर *173: (1995) 5* एस. सी. सी. *27;* मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर और अन्य बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य *(2016) 7* एस. सी. सी. *353;* कृष्ण लाल गेरा बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य *[2011] 7* एस. सी. आर. *722: (2011) 10*

एससीसी *529-*प्रतिष्ठित।

लक्ष्मी कांत पांडे बनाम। भारत संघ *[1984] 2* एस. सी. आर. *795: (1984) 2* एस. सी. सी. *244;* विशाखा और अन्य बनाम। राजस्थान राज्य और अन्य *[1997] 3* पूरक। एससीआर *404: (1997) 6* एस. सी. सी. *241;* प्रकाश सिंह और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य *[2006] 6* पूरक। एससीआर *473: (2006) 8* एस. सी. सी. *1;* सामान्य कारण *(*एक नियम। समाज*)* वी। भारत संघ *2018 (4)* स्केल *1;* शक्ति वाहिनी बनाम। भारत संघ और अन्य

2018 (5) स्केल *51*-संदर्भित।

जाजभाय बनाम कासिम *1939* ईस्वी *537;* मिरांडा बनाम। एरिजोना

384 यू. एस. *436 (1966)*-संदर्भित।

चंद्रचूड के अनुसार, जे. *(*सहमत*): (* अपने और सीकरी के लिए,

संविधान के अनुच्छेद *32* या अनुच्छेद *136* के तहत कार्यवाही में नहीं रखा जा सकता है। एक बार संसदीय समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के बाद, न्यायिक कार्यवाही के दौरान इसका संदर्भ संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। संसदीय समिति की रिपोर्ट की वैधता पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। संसद के दौरान जो कहा गया है, उसके लिए किसी भी सांसद या व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। संसदीय समिति के समक्ष या निविदा या दिए गए मत के लिए कार्यवाही। जब न्यायालय के समक्ष कोई मामला विवादास्पद हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा तथ्य का निष्कर्ष न्यायिक कार्यवाही में प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। *[* पैरा *74] [183*-सी-ई*]* कल्पना मेहता बनाम।

भारत का संघ

संविधान

2.1 अनुच्छेद *105* से उभरने वाला पहला प्रमुख सिद्धांत यह है कि यह संसद में बोलने की स्वतंत्रता की अपेक्षा करता है, उसे मान्यता देता है और उसकी रक्षा करता है। यह सिद्धांत लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड का प्रतिपादन करता है। संसद अपने सदस्यों के प्रतिनिधि चरित्र के माध्यम से लोगों की आवाज और आकांक्षाओं का सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करती है। संसद के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन के लिए महत्वपूर्ण है। अपने विचारों की निडर अभिव्यक्ति के माध्यम से सांसद उन लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हैं जो उन्हें चुनते हैं। बोलने की शक्ति सटीक

निर्वाचित सरकारों की लोकतांत्रिक जवाबदेही। संवाद का मुक्त प्रवाह यह सुनिश्चित करता है कि कानून बनाने और सरकारी नीतियों की देखरेख करने में, संसद मतदाताओं के विविध विचारों को दर्शाती है जिसका प्रतिनिधित्व एक निर्वाचित संस्थान करता है। *[* पैरा

14] [129 - ई-जी*]*

2.2 संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मान्यता देता है

अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* में मौलिक अधिकार। अनुच्छेद *105 (1)* में उस अधिकार की एक अलग अभिव्यक्ति से पता चलता है कि संसद में बहस और दृष्टिकोण के दबाव को मसौदों द्वारा कितना महत्वपूर्ण माना गया है।

लोग। अनुच्छेद *105 (1)* एक साधारण पुनरावृत्ति या उस मामले के लिए अधिशेष नहीं है। यह मौलिक मूल्य को मूर्त रूप देता है कि मुक्त और संसद में आलोचना का निडर प्रदर्शन लोकतंत्र का सार है। संसद के निर्वाचित सदस्य नागरिकों की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। नागरिकों की चिंताओं को व्यक्त करने में, संसदीय भाषण लोकतंत्र को बढ़ाता है। अनुच्छेद *105 (1)* एक संस्थागत मूल्य के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देता है।

व्यक्तिगत अधिकारों का हिस्सा होना। निर्वाचित सदस्य

विधायिका अपनी व्यक्तिगत क्षमता में उस मौलिक अधिकार का उपयोग करना जारी रखती है। सामूहिक रूप से, उनकी राय की अभिव्यक्ति को एक संस्थागत संरक्षण प्राप्त है क्योंकि वे जो शब्द बोलते हैं वे संसद के पटल के भीतर बोले जाते हैं। यह स्पष्ट प्रमुख आधार हालांकि संविधान के प्रावधानों के अधीन है और अपने नियमों और स्थायी आदेशों में सन्निहित संसद की प्रक्रिया द्वारा सशर्त है। खंड *(1)* में यह मान्यता कि संसद में बोलने की स्वतंत्रता होगी, संसद सदस्यों को किसी भी बात के लिए या संसद या समिति में दिए गए किसी भी वोट के लिए न्यायालय में उत्तरदायी होने के खिलाफ प्रदत्त प्रतिरक्षा से प्रभावी होती है। इसी तरह, एक व्यक्ति जो एक *[2018] 4* एस. सी. आर. प्रकाशित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद के अधिकार के तहत रिपोर्ट, कागज, वोट या कार्यवाही किसी भी अदालत में दायित्व से संरक्षित है। अन्य मामलों में-अर्थात, अधीन आने वाले मामलों के अलावा अन्य मामलों पर।

इसके सदस्य और समितियाँ। जब तक संसद ऐसा नहीं करती, तब तक वे शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तिएँ वैसी ही हैं जैसी मौजूद थीं। संविधान में *44* वें संशोधन के प्रवर्तन से तुरंत पहले। अनुच्छेद *105* का खंड *(4)* इसका दायरा बढ़ाता है -

जिन व्यक्तियों को सदन या उसकी समितियों के समक्ष कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में इसे लागू करके संरक्षण। संसद सदस्यों को दी जाने वाली सुरक्षा ऐसे सभी व्यक्तियों को भी दी जाती है। संसद के सदनों की समितियों की स्थापना संसद द्वारा और उसके अधिकार के तहत की जाती है। वे संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे संसद के भीतर शामिल हैं और उतना ही संसद भी। *[* पैरा *15] [129-*जी-एच*; 130-*ए-एफ*]* *2.3* संसद की प्रक्रिया और कार्य संचालन प्रत्येक सदन द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। नियम बनाने वाला प्राधिकारी केवल संविधान के प्रावधानों के अधीन है। जब तक नियम नहीं बनाए जाते, तब तक संसद की प्रक्रिया प्रक्रिया के नियमों और स्थायी आदेशों द्वारा शासित होती थी जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत अधिराज्य के विधानमंडल पर लागू होते थे *(*अनुकूलन और संशोधनों के अधीन*)*। *[* पैरा *16] [131-*सी-डी*]*

2.4 अनुच्छेद *119* में एक विशेष प्रावधान है जो संसद को कार्य के लिए प्रक्रिया और संचालन को विनियमित करने में सक्षम बनाता है।

वित्तीय मामलों के संबंध में या संचित निधि से धन के विनियोग के लिए प्रत्येक सदन में। अनुच्छेद *122* संसद की कार्यवाही पर अनियमितता या प्रक्रिया के आधार पर सवाल उठाए जाने की रक्षा करता है। इसी तरह, एक सदस्य

संसद या संविधान के तहत संसद में प्रक्रिया या कार्य संचालन *(*या व्यवस्था बनाए रखने*)* को विनियमित करने का अधिकार रखने वाला अधिकारी उन शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होने से मुक्त है। जो कार्य करते हैं-कभी-कभी असहनीय - संसद में व्यवस्था बनाए रखना भी संरक्षित है, ताकि वे अपने कार्यों का निर्वहन निष्पक्षता से कर सकें। *[* पारस *17,18] [131* जी-एच*; 132-*सी-डी*]* कल्पना मेहता बनाम।

भारत का संघ

2.5 संविधान जिस मौलिक सिद्धांत का प्रतीक है, वह संसद में बोलने की स्वतंत्रता की मान्यता और संरक्षण के संदर्भ में है। संसद में जो कुछ कहा गया है या जो वोट दिया गया है, उसके लिए संसद सदस्य को उत्तरदायी ठहराने के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करके बोलने की स्वतंत्रता को मजबूत किया गया है। बोलने की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों को दी गई है जिन्हें संसद की कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का अधिकार है। संसद के पास अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करने और अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को परिभाषित करने का अधिकार है। वही संरक्षण जो संसदीय कार्यवाहियों तक फैला हुआ है, प्रत्येक सदन द्वारा गठित समितियों में या उनके समक्ष की कार्यवाहियों तक विस्तारित है। संसद को एक पूर्ण और अनन्य अधिकार दिया गया है -

अपनी स्वयं की प्रक्रिया और अपने व्यवसाय के संचालन को विनियमित करता है। *[* पैरा *20] [132-*एफ-एच*]*

संसदीय स्थायी समितियाँ

3.1 संविधान का अनुच्छेद *105* संसद के सदनों की समितियों को मान्यता देता है। संविधान के अनुच्छेद *118 (1)* के तहत बनाए गए लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया के नियम संविधान अन्य बातों के साथ-साथ इन समितियों के संगठन और कार्य के लिए प्रावधान करता है। राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन को नियंत्रित करने वाले नियम सदन की समितियों के गठन का प्रावधान करते हैं। अध्याय *IX* में विधान से संबंधित प्रावधान हैं। विधेयकों के लिए प्रावधान किए गए हैं जो

268 यह निर्धारित करता है कि मंत्रालयों/विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ होंगी। नियम *270* स्थायी समितियों के कार्यों को निर्दिष्ट करता है। नियम *274* में परिकल्पना की गई है कि स्थायी समिति की रिपोर्ट " व्यापक सहमति के आधार पर "हालांकि एक सदस्य असहमति दर्ज कर सकता है। समिति की रिपोर्ट संसद के सदनों को प्रस्तुत की जाती है। नियम *275* के तहत, विधेयकों पर चयन समितियों पर लागू प्रावधान स्थायी समितियों पर उत्परिवर्तन लागू करते हैं। नियम *277* इंगित करता है कि स्थायी *[2018] 4* एस. सी. आर. की रिपोर्ट।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समिति का प्रेरक मूल्य होना चाहिए और इसे सदन को सलाह के रूप में माना जाता है। *[* पैरा *24] [135-*डी-ई*; 136-*सी-डी*]*

3.3 विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियाँ संसद के सदनों की समितियाँ हैं। समितियाँ

व्यक्तियों की उपस्थिति की आवश्यकता और दस्तावेजों के उत्पादन के लिए अपनी प्रक्रिया को विनियमित कर सकते हैं। समितियाँ

विशेषज्ञ या विशेष रुचि सुन सकते हैं। ये समितियाँ सरकार के मंत्रालयों/विभागों के काम की संसदीय निगरानी सुनिश्चित करती हैं। उस कार्य के एक भाग के रूप में, प्रत्येक समिति

अनुदान की मांगों पर विचार करता है, उन विधेयकों की जांच करता है जो उसे भेजे जाते हैं, मंत्रालय/विभाग की वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करता है और राष्ट्रीय दीर्घकालिक नीति दस्तावेजों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जब उन्हें विचार के लिए भेजा जाता है। इन समितियों की रिपोर्टों को प्रकाशित किया जाता है और संसद के सदनों को प्रस्तुत किया जाता है। उनका एक प्रेरक मूल्य है और वे समिति द्वारा संसद को दी गई सलाह हैं। विभाग से संबंधित स्थायी समितियों के अलावा, एक सामान्य उद्देश्य समिति *(अध्याय XXIII)* है जिसका कार्य अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट सदन के मामलों को नियंत्रित करने वाले मामलों पर विचार करना और सलाह देना है। अध्याय *XXIV* सदस्यों के "नैतिक और नैतिक आचरण" की देखरेख करने, एक आचार संहिता तैयार करने, कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करने और नैतिक मानकों से जुड़े प्रश्नों पर सदस्यों को सलाह देने के लिए नैतिकता पर एक समिति के गठन का प्रावधान करता है। *[* पारस *24,25] [136-*ई-एच*; 137-*ए*]*

संसदीय विशेषाधिकार

4. भारत और ब्रिटेन में संसदीय विशेषाधिकार की प्रणालियों के बीच मौलिक अंतर इस तथ्य में निहित है कि ब्रिटेन में सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप में संसदीय संप्रभुता ने भारतीय संविधान में,

संवैधानिक सर्वोच्चता। संवैधानिक सर्वोच्चता यह आदेश देती है कि शासन की प्रत्येक संस्था संवैधानिक पाठ में सन्निहित मानदंडों के अधीन है। संविधान उन संस्थानों में पूर्ण शक्ति के अस्तित्व की अनुमति नहीं देता है जो न्यायिक समीक्षा का निर्माण करते हैं क्योंकि संविधान की बुनियादी विशेषताओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक संस्थान अपनी सीमा और सीमाओं के भीतर कार्य करता है। नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का आश्वासन और स्वायत्तता की मान्यता है जो प्रत्येक व्यक्ति में निहित है। इसलिए, कल्पना मेहता बनाम अभ्यास की न्यायिक जांच।

भारत का संघ

संसदीय विशेषाधिकारों को बाहर नहीं रखा गया है जहां एक मौलिक

अधिकार का उल्लंघन किया जाता है या घोर अवैधता होती है। संविधान द्वारा बनाई गई एक समन्वित संस्था के रूप में संसद की स्थिति को मान्यता देते हुए, न्यायिक समीक्षा स्वीकार करती है कि संसद किसी दिए गए मामले में अपने विशेषाधिकारों का दावा करने की समीचीनता तय कर सकती है। न्यायालय इस तरह के दावे का स्थान नहीं लेगा या केवल प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर मध्यस्थता नहीं करेगा। लेकिन जहां संवैधानिक प्रिस्क्रिप्शन का उल्लंघन दिखाया जाता है, वहां न्यायिक समीक्षा को खारिज नहीं किया जा सकता है। *[* पैरा *43] [156-*एफ-एच*; 157-*ए-सी*]*

रीः राज्य की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति

विधानमंडल का *1964 (1965)* का विशेष संदर्भ सं. *1* एस. सी. आर. *413;* पी वी नरसिम्हा राव बनाम राज्य *(*सीबीआई/एसपीई*) [1998]*

2 एससीआर *870 (1998) 4* एससीसी *626;* राजा राम पाल बनाम।
माननीय अध्यक्ष, लोकसभा *[2007] 1* एस. सी. आर. *317:*

(2007) 3 एस. सी. सी. *184;* अमरिंदर सिंह बनाम। विशेष।

समिति, पंजाब विधानसभा *[2010] 4* एस. सी. आर. *1105: (2010) 6* एस. सी. सी. *113*-संदर्भित।

ब्रैडलॉफ वी. गोसेट *(1884) 12* क्यू. बी. डी. *271;* डिंगल वी. एसोसिएटेड न्यूजपेपर्स लिमिटेड *(1960) 2* क्यू. बी. *405;* कैलिफोर्निया के चर्च ऑफ साइंटोलॉजी बनाम। जॉनसन-स्मिथ *(1972) 1*

क्यू. बी. *522;* काली मिर्च *(*कर निरीक्षक*) v.* हार्ट *(1992) 3* डब्ल्यू. एल. आर. *1032;* रिचर्ड विलियम प्रेबल बनाम। टेलीविजन न्यूजीलैंड *("*प्रीबल*") (1994) 3* डब्ल्यू. एल. आर. *970;* रेग. वी. मर्फी *(*मर्फी*) (1986) 64* ए. एल. आर. *498;* हैमिल्टन
वी. अल फ़ायद *("*हैमिल्टन*") (2001) 1* ए. सी. *395;* टौसेंट बनाम। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के महान्यायवादी *("*टौसेंट*") (2007) 1* डब्ल्यू. एल. आर. *2825;* रेजिना *(*ब्रैडली और अन्य*) v.* कार्य और पेंशन के लिए राज्य सचिव *(*अटॉर्नी जनरल हस्तक्षेप*) (2007)* ईडब्ल्यूएचसी *242*

(प्रशासन*);* सरकारी वाणिज्य कार्यालय बनाम।

सूचना आयुक्त *(*महान्यायवादी*)*

प्रधानमंत्री कार्यालय *(2014)* ईडब्ल्यूएचसी *3815*
(प्रशासन*);* विल्सन बनाम। फर्स्ट काउंटी ट्रस्ट लिमिटेड *(2004) 1* एसी*816;* ओवेन रॉबर्ट जेनिंग्स बनाम। रोजर एडवर्ड

विन्धम बुकानन *(2004)* यू. के. पी. सी. *36;* प्रीबल बनाम।
टेलीविजन न्यूजीलैंड लिमिटेड *(1994) 3* ए. आई. आई. ई. आर. *407,* पी. सी.

आर बनाम करी *(1992)*-संदर्भित।

शक्तियों का पृथक्करणः एक सूक्ष्म आधुनिक सिद्धांत

5.1 वर्तमान विवाद पर शक्तियों के पृथक्करण के प्रभाव का आकलन करते समय, कुछ उपदेशों को होना चाहिए

तैयार किया गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में जो मूल संरचना के भीतर निहित है, यह संशोधन करने के लिए घटक शक्ति की पहुंच से बाहर है। इसे प्रतिस्थापित या निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति को स्वीकार करते हुए, तय किए गए मामले इंगित करते हैं कि भारतीय संविधान सख्त अर्थों में शक्तियों के पृथक्करण को नहीं अपनाता है। इस सिद्धांत के अपवादों के पाठ्यपुस्तक उदाहरणों में अधीनस्थ कानून बनाने की कार्यपालिका की शक्ति, अपने विशेषाधिकारों की अवमानना के लिए दंडित करने की विधायिका की शक्ति और नियम बनाकर अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को सौंपा गया अधिकार शामिल हैं। अधीनस्थ विधान बनाने में, कार्यपालिका को सौंपा जाता है

विधायिका प्रत्यायोजित विधान बनाएगी, जो उसके नियंत्रण के अधीन होगा। उच्च न्यायपालिका की नियम बनाने की शक्ति में विधायी चरित्र होता है। अपने विशेषाधिकारों की अवमानना के लिए दंडित करने की विधायिका की शक्ति का एक न्यायिक चरित्र है। ये

अपवादों से संकेत मिलता है कि अलगाव सिद्धांत को हमारे संविधान में सख्त रूप में नहीं अपनाया गया है। लेकिन इस सिद्धांत का महत्व इसके अभिधारणा में निहित है कि राज्य के एक अंग को सौंपे गए आवश्यक कार्यों का प्रयोग दूसरे द्वारा नहीं किया जा सकता है। अन्य अंगों को सौंपी गई संवैधानिक शक्तियों के दुरूपयोग के खिलाफ खड़े होकर, शक्तियों का पृथक्करण कानून के शासन का समर्थन करता है और सत्तावादी ज्यादतियों के खिलाफ रक्षा करता है। संसद और राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। कार्यपालिका नीतियों को तैयार करती है और कानून का प्रशासन करती है। न्यायपालिका विवादों पर निर्णय लेती है और निर्णय लेती है जिसके दौरान तथ्य साबित होते हैं और कानून लागू होता है। विधायी कार्य और न्यायिक कार्यों के बीच के अंतर को बुनियादी संरचना सिद्धांत द्वारा बढ़ाया जाता है। विधायिका को संवैधानिक रूप से कानून बनाने की शक्ति सौंपी गई है। न्यायालयों को कानून बनाने की शक्ति नहीं सौंपी गई है। फिर भी, एक संवैधानिक लोकतंत्र में, जो संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित है, यह न्यायशास्त्र का एक स्वीकृत सिद्धांत है कि न्यायपालिका के पास कानून की वैधता का परीक्षण करने का अधिकार है। जहां अधिनियमित करने वाली विधायिका में विधायी क्षमता का अभाव है या जहां कल्पना मेहता *v* है, वहां विधान को अमान्य किया जा सकता है।

भारत का संघ

यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। एक कानून जो संवैधानिक रूप से अधिकार से बाहर है, उसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसा घोषित किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा भी वास्तव में संविधान की बुनियादी विशेषताओं का एक हिस्सा है। न्यायपालिका को कानून की वैधता का परीक्षण करने की शक्ति सौंपना एक स्थापित संवैधानिक कार्य है। सिद्धांत जो शक्तियों के पृथक्करण के साथ सह-मौजूद है। जहां किसी कानून को अधिकार से बाहर माना जाता है, वहां संसद का कोई उल्लंघन नहीं होता है।

इस साधारण कारण के लिए विशेषाधिकार कि संविधान द्वारा बनाए गए सभी संस्थान संवैधानिक सीमाओं के अधीन हैं। विधायिका, यह अच्छी तरह से स्थापित है, केवल यह घोषणा नहीं कर सकती है कि अदालत का निर्णय अमान्य है या यह रद्द कर दिया गया है। अगर

विधायिका को ऐसा करने की अनुमति दी गई थी, यह संवैधानिक सौंप की सीमाओं से परे जाएगी। जबकि अलगाव

शक्तियों की संख्या विधायिका को केवल यह घोषणा जारी करने से रोकती है कि कोई निर्णय गलत या अमान्य है, कानून बनाने वाली संस्था को एक ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जो अदालत द्वारा बताए गए दोषों को दूर करता है। एक कानून का अधिनियमन जो निर्णय के आधार को छीन लेता है *(*केवल इसे अमान्य करने के विपरीत*)* अनुमेय है और इसका उल्लंघन नहीं है

पृथक्करण सिद्धांत। वास्तव में यही वह आधार है जिसके आधार पर मान्यता दी जाती है कानून बनाने की अनुमति है। *[* पैरा *58] [170-*जी-एच*; 171-*ए-एच*; 172-*ए-बी*]*

5.2 जबकि शक्तियों का विभाजन, एक सिद्धांत के रूप में,

यह हमारे लोकतांत्रिक संविधान की आधारशिला है, राजनीति के वास्तविक शासन में अनुप्रयोग सूक्ष्म है। इस सिद्धांत की बारीकियों में यह माना गया है कि राज्य के एक अंग के आवश्यक कार्यों को दूसरे द्वारा

नहीं लिया जा सकता है और संस्थागत एकता की भावना को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम का मार्गदर्शन करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के विकास में उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक समस्याओं को मजबूत संवैधानिक संस्कृतियों और तंत्रों के माध्यम से हल किया जा सकता है। अलगाव

सिद्धांत को इसकी मानक विशेषताओं से रहित, इसकी वर्णनात्मक सामग्री तक सीमित नहीं किया जा सकता है। जाहिर है, इसमें मानक और वर्णनात्मक दोनों विशेषताएँ हैं। भारतीय संविधान में इसे लागू करने में, ध्यान में रखने योग्य महत्वपूर्ण नियम यह है कि शासन की कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। कोई समर्पण नहीं

शक्ति निरपेक्ष है। *[पैरा 59] [172-बी-डी]*

राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य *(1955) 2* एससीआर *225 ;* रीः राज्य की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति *[2018] 4* एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधानमंडल *[1965] 1* एससीआर *413;* इंदिरा नेहरू गांधी

वी. राज नारायण *[1976]* एस. सी. आर. *347: (1975)* पूरक एस. सी. सी. *1;* आई आर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य *[2007] 1* एस. सी. आर. *706: (2007) 2* एस. सी. सी. *1;* तमिलनाडु राज्य बनाम। केरल राज्य *[2014] 12* एससीआर *875: (2014) 12* एससीसी *696;* आई. एन. सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य *[1976] 3* एस. सी. आर. *237: (1976) 4* एस. सी. सी. *750;* इंडियन एल्यूमीनियम कं. *v.* केरल राज्य *[1996] 2* एससीआर *23: (1996) 7* एस. सी. सी. *637;* एस. एस. बोला और अन्य बनाम। बी. डी. सरदाना और अन्य *[1997] 2* पूरक। एससीआर *507: (1997) 8* एस. सी. सी. *522;* श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम। ब्रोच बरो नगरपालिका *[1970] 1* एस. सी. आर. *388: (1969) 2* एस. सी. सी. *283;* सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य। वी. भारत संघ *(2016) 5* एस. सी. सी. *1;* उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। जीत एस बिष्ट *[2007] 7* एससीआर *705: (2007) 6* एस. सी. सी. *586;* भीम सिंह बनाम भारत संघ *[2010] 6*

एस. सी. आर. *218 (2010) 5* एस. सी. सी. *538;* सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम। भारत संघ *(2016) 5* एस. सी. सी. *1;* पश्चिम बंगाल राज्य बनाम लोकतान्त्रिक अधिकार संरक्षण समिति, पश्चिम बंगाल *[2010] 2*

एससीआर *979: (2010) 3* एस. सी. सी. *571;* सामान्य कारण *v.* भारत संघ *[2017] 3* एस. सी. आर. *291: (2017) 7* एससीसी *158 -*

संदर्भित किया गया।

बकली वी. महान्यायवादी *[1950]* आयरिश रिपोर्ट *67--* संदर्भित।

न्यायिक प्रक्रिया में शक्तियों का पृथक्करण और विधायी हस्तक्षेप, संवैधानिक सिद्धांत और पीटर ए गेरेंजेलोस हार्ट पब्लिशिंग, *2009* द्वारा सीमाएँ; ए टॉमकिन्स ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा सार्वजनिक कानून

प्रेस, *2003; '*शक्तियों का पृथक्करण और संवैधानिक

सरकार 'ई बरेन्ड्ट द्वारा *[1995]* सार्वजनिक कानून *599 599-60* पर; सी मुनरो द्वारा संवैधानिक कानून में अध्ययन, दूसरा संस्करण *(*लंदन, बटरवर्थ्स, *1999) 304* पर; लॉ लिबर्टी एंड जस्टिस, द लीगल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश

टी. आर. एस. एलन द्वारा संवैधानिकता *(*ऑक्सफोर्ड, क्लेरेंडन*)*

प्रेस, *1993)* अनुभाग *3* और *8;* संवैधानिक न्याय, टीआरएस एलन द्वारा कानून के शासन का एक उदार सिद्धांत *(*ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2001);* 'ए लॉस ऑफ लॉ। मासूमियत*? :* न्यायिक स्वतंत्रता और पृथक्करण कल्पना मेहता बनाम।

भारत का संघ

आर स्टीवंस द्वारा 'शक्तियों का' *(1999) 19* ऑक्सफोर्ड जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज *365;* संविधानवाद और द

एमजेसी विले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *1967* द्वारा शक्तियों का पृथक्करण; 'ऐलीन कवनाघ द्वारा शक्तियों का संवैधानिक पृथक्करण; डेविड डाइजेनहॉस और मैल्कम थोरबर्न द्वारा शक्तियों का संवैधानिक पृथक्करण *(*संस्करण*)*। संवैधानिक कानून की दार्शनिक नींव

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2016* पृष्ठ *221;* कानूनी रूढ़िवाद के बारे में क्या अच्छा है*?* डी. किरित्सिस *(2008)* द्वारा *14* कानूनी सिद्धांत *135,154;* संवैधानिक कानून की दार्शनिक नींव, पृष्ठ *236;* एल. डी. ग्रूट-वैन लीउवेन और डब्ल्यू. रॉम्बाउट्स में के. मैलेसन द्वारा 'यूके में शक्तियों के पृथक्करण का पुनर्वास', का पृथक्करण

सिद्धांत और व्यवहार में शक्तियाँः एक अंतर्राष्ट्रीय

कानूनः कानूनी और राजनीतिक विषयों से
जोसेफ राज का दर्शन *(*ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2003) 45-70;* जे किंग द्वारा 'न्यायिक संयम के लिए संस्थागत दृष्टिकोण' *(2008) 28* ऑक्सफोर्ड जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज *409,428;* 'द न्यू सेपरेशन ऑफ पॉवर्स'- इयोन कैरोलन द्वारा आधुनिक राज्य के लिए एक सिद्धांत

(2009) (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2009) 253;* शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ समस्याएं 'इयोन

कैरोलन एसएसआरएन, *(2011) 26* का उल्लेख किया गया है।

एक कार्यात्मक संबंधः

6.1 संसदीय समितियों के अस्तित्व का श्रेय संसद को जाता है। वे संसद को रिपोर्ट करते हैं। इनमें संसद के सदस्य शामिल होते हैं। उनके काम में विधायिका को सलाह देना शामिल है। एक संसदीय समिति न तो चुनाव लड़ने वाले विवादियों के बीच एक नियम तय करती है और न ही एक नियम का पालन करती है।

न्यायनिर्णायक कार्य। सदन द्वारा नियुक्त एक समिति निस्संदेह मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार के विशेषज्ञ साक्ष्य सहित साक्ष्य प्राप्त कर सकती है। किसी विधेयक की जांच के लिए सदन द्वारा एक प्रवर समिति नियुक्त की जा सकती है। जब समिति अपना कार्य करती है, तो इसकी रिपोर्ट में आगे की चर्चा और बहस का विषय होता है।

जिस सदन के दौरान विधायी निकाय *[2018] 4* एस. सी. आर. का निर्णय लेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि क्या विधेयक को कानून में अधिनियमित किया जाना चाहिए। कानून के लिए अपनी सिफारिशें तैयार करने में एक संसदीय समिति द्वारा दी गई सलाह की वैधता को अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। दी गई सलाह इसके बाद दी गई है सब, यह क्या होने का इरादा रखता हैः यह विधायी निकाय को सलाह है। सलाह की शुद्धता या समीचीनता या औचित्य एक ऐसा मामला है जिस पर विधायिका और उसके द्वारा ही विचार किया जाना है। *[* पैरा *60] [172-*एफ-एच*; 173-*ए*]*

6.2 विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ हैं -

सरकार के मंत्रालयों/विभागों के कामकाज की देखरेख के लिए संसद द्वारा गठित। इन कार्यों के माध्यम से

समितियाँ जो संसद कार्यपालिका की जवाबदेही तय करती हैं। इन समितियों के कार्यों के माध्यम से ही

संसद इस बात का आकलन करने में सक्षम है कि उसने जो कानून बनाए हैं, उन्हें अक्षरशः लागू किया जा रहा है या नहीं और उस समय की समस्याओं से निपटने में सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता का निर्धारण किया जा रहा है। *[* पैरा *61] [173-*बी-सी*]*

6.3 संसदीय समिति की रिपोर्ट की सामग्री का विभिन्न दृष्टिकोणों पर प्रभाव पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है

यह निर्धारित करने के लिए स्पष्ट किया गया है कि क्या, और यदि हां, तो वे अदालत में निर्णय के दौरान किस हद तक विचार का विषय बन सकते हैं। संसदीय समिति की रिपोर्ट में नीतिगत मामलों पर सरकार की स्थिति का बयान हो सकता है; रिपोर्ट में उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों का उल्लेख हो सकता है जिन्होंने समिति के समक्ष बयान दिया है; रिपोर्ट में नीतियों और विधानों को लागू करने में सरकार के प्रदर्शन सहित तथ्य के निष्कर्ष हो सकते हैं; रिपोर्ट में सार्वजनिक अधिकारियों या निजी व्यक्तियों द्वारा कर्तव्य के उल्लंघन या कानून की चोरी को निहित करने वाले दुराचार के निष्कर्ष हो सकते हैं; या रिपोर्ट किसी कानून के उद्देश्य, सामाजिक समस्या पर प्रकाश डाल सकती है जो विधायिका के विचार में थी और जिस तरह से इसे ठीक करने की कोशिश की गई थी। *[* पैरा *62] [173-*सी-जी*]*

6.4 वैधानिक निर्माण में सहायता के रूप में संसदीय इतिहास का उपयोग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे कम समस्याएं हैं। में।

द्वारा उपयोग किए गए शब्दों के सही अर्थ को समझना

विधायिका, न्यायालय उन कारणों को ध्यान में रख सकता है जिनके कारण कानून का अधिनियमन हुआ है, जिन समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई थी और कानून का उद्देश्य और उद्देश्य।

कल्पना मेहता बनाम के लिए। भारत का संघ

इसे समझते हुए, अदालत पृष्ठभूमि का सहारा ले सकती है कानून के निर्माण से जुड़ी संसदीय सामग्री। *[* पैरा *63] [173*-जी-एच*; 174*-ए*]*

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत *14* वां संस्करण। पी *253*-संदर्भित।

6.5 संसदीय समितियों की रिपोर्टों में नीति संबंधी मामलों पर सरकार की स्थिति का विवरण हो सकता है। कम से कम इस तथ्य के प्रतिबिंब के रूप में समिति की रिपोर्ट के लिए अदालत द्वारा सहारा लेने को सिद्धांत रूप में बाहर करने का कोई कारण नहीं है कि

समिति के समक्ष ऐसा बयान दिया गया था। इसी तरह, कि समिति के समक्ष एक बयान दिया गया था-एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में-अदालत द्वारा ऐसी स्थिति में ध्यान दिया जा सकता है जहां बयान देना अपने आप में एक विवादास्पद मुद्दा नहीं है। *[* पैरा *64] [174*

डी-ई*]*

6.6 सरकार के मंत्रालयों/विभागों से जुड़ी संसद की समितियाँ सरकार को अपनी नीतियों और कानून के तहत अपने कर्तव्यों को लागू करने के लिए जवाबदेह ठहराने का कार्य करती हैं। सरकारी एजेंसियों का प्रदर्शन ऐसी रिपोर्ट का विषय बन सकता है। अन्य मामलों में, सामाजिक गलतियों को दूर करने में विधायी ढांचे की कमियां संसदीय समिति द्वारा मूल्यांकन का विषय हो सकती हैं। एक संसदीय समिति का कार्य समाज कल्याण के क्षेत्र को या तो उस हद तक पार कर सकता है जिस हद तक मौजूदा कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है या

अनुच्छेद *226* या अनुच्छेद *32* के तहत इस न्यायालय का प्रयोग इस तरह से किया जाना चाहिए जो इस क्षेत्र में संसदीय समितियों द्वारा किए गए भारी काम से अनजान हो। का कार्य समिति सामाजिक न्याय से वंचितता को कम करने और कुशल और जवाबदेह शासन प्राप्त करने में सरकार की ओर से सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए है। जब अदालतें जनहित के मुद्दों पर हस्तक्षेप करती हैं और उन पर निर्णय देती हैं, तो वे किसी प्रतिकूल कार्य का निर्वहन नहीं करती हैं। जनहित के मामलों में निर्णय लेने का संवैधानिक कार्य संसदीय समितियों की भूमिका के अनुरूप है जो सरकार में जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रतिक्रियाशीलता को सुरक्षित करना है। ऐसे क्षेत्रों में, अलगाव का सिद्धांत अदालत *[2018] 4* एस. सी. आर. के खिलाफ नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसदीय समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करना। अदालत ने

रिपोर्ट की वैधता का निर्णय नहीं करता है और न ही उस मामले के लिए वह इसकी शुद्धता की जांच शुरू करता है। के उद्देश्य के बीच एक कार्यात्मक पूरकता है संसदीय समिति द्वारा जाँच और न्यायालय द्वारा निर्णय। न्यायालय को संसदीय समिति की मूल्यवान अंतर्दृष्टि से वंचित करना न्यायालय के दायरे से सूचना के एक महत्वपूर्ण स्रोत को बाहर करने के बराबर होगा। इस कथित परिकल्पना पर ऐसा करना कि यह संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा, पेड़ों के लिए लकड़ी की कमी होगी।

एक बार संसदीय समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के बाद यह सार्वजनिक हो जाती है। एक बार जब संसद ने इसे सार्वजनिक कर दिया है, तो संसदीय विशेषाधिकार पर भरोसा करने वाली कार्यपालिका के बारे में एक विडंबना है। इसे उस सामग्री के दायरे से बाहर करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है जिसके लिए अदालत उस समस्या को समझने के लिए सहारा लेना चाहती है जिससे उसे निपटना आवश्यक है। अदालत को रिपोर्ट को एक मजबूत सामान्य ज्ञान के साथ देखना चाहिए, इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि रिपोर्ट की वैधता निर्धारित करने के लिए यह नहीं कहा गया है जो संसद को दी गई सलाह का गठन करता है। अदालत किस हद तक एक रिपोर्ट पर भरोसा करेगी, यह आवश्यक रूप से मामले-दर-मामले भिन्न होना चाहिए और इस संबंध में कोई पूर्ण नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। *[* पैरा *66] [175*

सी-एच*; 176-*ए-डी*]*

6.7 हालाँकि, एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में विवादास्पद मामले हो सकते हैं जिनके संबंध में अदालत सावधानीपूर्वक कदम उठाएगी। उदाहरण के लिए, समिति की रिपोर्ट में सरकारी या निजी व्यक्तियों में से किसी एक के अधिकारी द्वारा किए गए दुराचार का निष्कर्ष हो सकता है जो कानून के उल्लंघन से संबंधित हो। यदि न्यायनिर्णयन के लिए न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या वास्तव में किसी सार्वजनिक अधिकारी या निजी हित द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन या कानून का उल्लंघन किया गया है, तो न्यायालय को स्वतंत्र रूप से इससे निपटना होगा और उसके समक्ष मौजूद सामग्री के आधार पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। जाहिर है कि ऐसे मामले में संसदीय समिति द्वारा निष्कर्ष का गठन नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय के समक्ष ठोस साक्ष्य। संसद

चुनाव लड़ने वाले दलों से जुड़े किसी विवाद या विवाद पर निर्णय लेने के लिए समिति को नहीं बुलाया जाता है और जब ऐसा करने का कोई अवसर पहले आता है

न्यायालय को कल्पना मेहता बनाम की सामग्री के आधार पर अपना निर्धारण करना होगा।

जो उससे पहले स्वीकार्य है। एक व्यक्ति जिसके आचरण पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है, उसे उस निष्कर्ष के आधार पर उल्लंघन का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। *[* पैरा *67] [176-*डी-जी*]*

ज्योति हर्षद मेहता बनाम द कस्टोडियन *[2009] 12* एससीआर *1229: (2009) 10* एस. सी. सी. *564;* एकमात्र न्यासी, लोक शिक्षा न्यास बनाम आयकर आयुक्त, मैसूर *[1976] 1* एस. सी. आर. *461: (1976) 1* एस. सी. सी. *254;* ओंकार नाथ बनाम दिल्ली प्रशासन *2* एस. सी. आर. *991: (1977) 2* एस. सी. सी. *611;* बाबूराव उर्फ पी. बी. सामंत बनाम भारत संघ *[1988]* एस. सी. आर. *431: (1988)* पूरक। एससीसी *401 -*

संदर्भित किया गया।

6.8 इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की बहसों को प्रस्तुत करना जिसमें -

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, उस समय के बीच की अवधि से संबंधित जब दोनों सदनों में से प्रत्येक में प्रस्ताव पेश किए गए थे और उस समय के बीच जब प्रस्तावों को विधिवत अपनाया गया था, प्रस्तावों का

प्रमाण था। अदालत को साक्ष्य अधिनियम, *1872* की धारा *57* के तहत न्यायिक नोटिस लेने की आवश्यकता थी। *[* पैरा *68] [179-*डी-ई*]*

निष्कर्ष

7.1 इस न्यायालय को अनिवार्य रूप से एक शाब्दिक और शायद सतही दृष्टिकोण से इस बात की समझ की ओर जाना चाहिए कि संविधान क्या हासिल करना चाहता है। संवैधानिक दृष्टि एक सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करने के बारे में है जिसे संविधान व्यक्ति को अपने प्रयासों में सबसे आगे रखकर प्राप्त करना चाहता है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, गरिमा और स्वायत्तता है।

जिस परिवर्तन की यह आकांक्षा रखता है, वह व्यक्ति को शासन की चिंताओं के केंद्र में रखता है। औपनिवेशिक शासन के लिए, व्यक्ति कानून के अधीन थे। व्यक्ति राज्य के अधिकार के अधीन थे और उनकी भलाई उसकी शक्ति से बंधी नियति की स्वीकृति से नियंत्रित होती थी। वे।

औपनिवेशिक शासन की नींव रखने वाली धारणाएँ व्यक्तियों के एक राष्ट्र *[2018] 4* एस. सी. आर. के लिए एक मौलिक परिवर्तन हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय के समक्ष वर्तमान संदर्भ में, यह याद दिलाना अच्छा है कि चूंकि संविधान परिवर्तन के बारे में है और इसका दृष्टिकोण सशक्तिकरण के बारे में है, इसलिए औपनिवेशिक शासन से लिए गए उपदेशों को पढ़ना चाहिए। संसदीय विशेषाधिकार सहित अतीत को एक ऐसी बारीकियों के अधीन किया जाना चाहिए जो अधिकारों के दावे और न्याय तक पहुंच को सुविधाजनक बनाती है। देश अब राजनीतिक संस्कृति में नहीं रहता है

व्यक्तियों का राज्य के प्राधिकार के अधीन होना। संविधान की व्याख्या में उस बुनियादी परिवर्तन के प्रति गहरी जागरूकता होनी चाहिए जो संविधान ने राजनीति और उसके शासन में किया है। *[* पैरा *70] [17-*जी*; 180-*ए-एफ*]*

'जस्टिस एल्बी द्वारा 'जीवन और कानून की अजीब कीमिया'

सैक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *2009* पीपी *32-33*
संदर्भित किया गया।

7.2 एक बार जब व्यक्तिगत अधिकारों और मानव स्वतंत्रताओं की पूर्ति को संवैधानिक विमर्श में सबसे आगे रखा जाता है, तो तत्काल मामले के समाधान में कोई कठिनाई नहीं होती है। व्यक्ति अन्याय को दूर करने के लिए अदालतों तक पहुँचते हैं। इन संस्थानों के रूप में

मानव स्वतंत्रता की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए एक कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए प्रतिबद्ध, उच्च न्यायालयों के साथ-साथ यह न्यायालय अन्याय के कारणों पर सभी जानकारी प्राप्त करने और आगे बढ़ाने के लिए एक बाध्यकारी दायित्व के तहत है। जहाँ कार्य जो एक समन्वित संवैधानिक संस्थान द्वारा किया गया है- संसदीय

समिति, अन्याय की प्रकृति या इसके कारणों और प्रभावों पर प्रकाश डालती है, संवैधानिक सिद्धांत जो न्याय में सहायता करता है, यह अभिनिर्धारित नहीं कर सकता है कि अदालत को रिपोर्ट की सामग्री से बेखबर रहना चाहिए। दुनिया भर में इतिहास और समकालीन घटनाएं इस बात की याद दिलाती हैं कि सूचनाओं के ब्लैक-आउट का उपयोग सत्ता की अधिनायकवादी ज्यादतियों के लिए एक इच्छुक सहयोगी के रूप में किया जाता है। लोकतंत्र में उनकी कोई जगह नहीं है। समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करना संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है। संसद का कोई सदस्य नहीं

जो कहा गया है उसके लिए या बहस के दौरान दिए गए वोट के लिए उत्तरदायी होने की मांग की जाती है। संसदीय समिति की रिपोर्ट की शुद्धता या वैधता कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायालय के समक्ष उठाया जा सके और न ही न्यायालय कल्पना मेहता बनाम का प्रयोग करता है।

इस तरह के कार्य। जहाँ तथ्य का कोई मुद्दा विवादास्पद हो जाता है, वहाँ इसे निस्संदेह रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर स्वतंत्र रूप से अदालत के समक्ष साबित करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जहां संसदीय समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट तथ्य विवादास्पद है, वहां न्यायालय को अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। *[पैरा 73] [181-एफ-एच; 182-ए-सी]*

7.3 संसदीय समितियाँ उस प्रक्रिया का एक आंतरिक हिस्सा हैं जिसके द्वारा लोकतंत्र में निर्वाचित विधायिका सटीक निर्णय लेती है।

सरकार की ओर से जवाबदेही। विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ कल्याणकारी विधान और राज्य के विभागों के प्रदर्शन सहित कानून के कार्यान्वयन की जांच करने का सावधानीपूर्वक अभ्यास करती हैं। कानून का उद्देश्य नागरिक के लाभ के लिए व्यवस्था को बढ़ावा देना और संविधान और क़ानून द्वारा गारंटीकृत अधिकारों और अधिकारों की रक्षा करना है। मौलिक स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को प्राप्त करने के साधन के रूप में न्याय तक पहुंच अन्य अंगों के काम के पूरक है।

राज्य। शक्तियों के पृथक्करण का आधुनिक सिद्धांत आगे बढ़ गया है

'एक अंग-एक कार्य' दृष्टिकोण से दूर, एक अधिक यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य में जो काम में पूरकता को पहचानता है जो शासन संस्थानों द्वारा किया जाता है। न्यायिक समीक्षा संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को प्राप्त करने के साधन के रूप में कानून के प्रशासन में जवाबदेह शासन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर आधारित है। यदि सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने में न्यायिक समीक्षा के कार्य को शक्तियों के पृथक्करण की आधुनिक धारणा के संदर्भ में माना जाता है, तो न्यायिक स्वतंत्रता के बीच कोई वास्तविक संघर्ष नहीं है।

प्रक्रिया और संसदीय समितियों की प्रकाशित रिपोर्टों पर इसकी निर्भरता। अंततः यह प्रत्येक मामले में अदालत के लिए है कि

किसी मामले में रिपोर्ट की प्रासंगिकता का निर्धारण करना और न्याय तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए उस पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है। संसदीय समितियों की रिपोर्ट राज्य के प्रकाशित रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती हैं। सिद्धांत रूप में, किसी कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, समस्या की प्रकृति, सामाजिक बुराई के कारणों और उपचारों को समझने जैसे उद्देश्यों के लिए उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के दायरे से बाहर करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है।

शासन की कठिन समस्याओं का समाधान। अदालत *[2018] 4* एस. सी. आर. में करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक मामले के कार्य यह निर्धारित करते हैं कि कोई मामला कब विवादास्पद है

पक्षकारों पर निर्णय लेना होगा तदनुसार प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर

कानून। *[* पैरा *74] [182-*डी-एच*; 183-*ए-बी*]*

पकड़नाः *1.* संदर्भ का उत्तर यह मानते हुए दिया जाता है किः *(i)* संविधान के अनुच्छेद *105* के उपखंड *(2)* के अनुसार

भारत का संविधान किसी भी संसद सदस्य को संसद या किसी भी सदन में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

समिति। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

संसद भी पूरी तरह से विस्तारित सुरक्षा के दायरे में आती है।

संविधान के अनुच्छेद *105* के उपखंड *(2)* के तहत

भारत।

((ii) रिपोर्टों के प्रकाशन की न केवल अनुमति दी जा रही है,

लेकिन संसद द्वारा भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। द.

आम जनता के बारे में जानने में गहरी दिलचस्पी है

संसदीय प्रतिवेदन सहित संसदीय कार्यवाहियाँ जो देश के शासन की दिशा में उठाए गए कदम हैं। रिपोर्ट के बारे में जानने का अधिकार केवल तभी उत्पन्न होता है जब उनके पास

आम जनता के उपयोग के लिए प्रकाशित किया गया। *(iii)* साक्ष्य अधिनियम, *1872* की धारा *57 (4)* यह स्पष्ट करती है

कि संसद की कार्यवाहियों का क्रम और

किसी भी कानून के तहत स्थापित विधानमंडल ऐसे तथ्य हैं जिनके

न्यायालय द्वारा न्यायिक नोटिस लिया जाएगा।

(iv) संसद पहले ही "विशेषाधिकार" की एक रिपोर्ट को अपना चुकी है।

समिति ने कहा कि उन दस्तावेजों के लिए जो साक्ष्य अधिनियम के अर्थ के भीतर सार्वजनिक दस्तावेज हैं, लोकसभा अध्यक्ष की किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए। *(v)* केवल यह तथ्य कि दस्तावेज़ सबूत में स्वीकार्य है, चाहे कोई सार्वजनिक या निजी दस्तावेज़ कोई धारणा नहीं बनाता है कि दस्तावेज़ों की सामग्री है

सही भी और सही भी।

(vi) जब कोई पक्ष संविधान में बताए गए किसी भी तथ्य पर भरोसा करता है।

संसदीय समिति कल्पना मेहता बनाम को नोटिस करने के मामले की रिपोर्ट करती है।

भारत का संघ

एक घटना या इतिहास पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है रिपोर्ट पर निर्भरता। हालांकि, किसी भी दल को संसदीय समिति की रिपोर्ट पर 'सवाल' करने या 'महाभियोग' चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। संसदीय विशेषाधिकार, कि इस पर संसद के बाहर महाभियोग नहीं चलाया जाएगा या सवाल नहीं उठाया जाएगा, समान रूप से लागू होगा।

स्वतंत्र रूप से कानून की अदालत में अपनी स्थिति साबित करने के लिए। *(vii)* दोनों दलों ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि संसदीय रिपोर्ट का उपयोग क़ानून के विधायी इतिहास के उद्देश्यों के साथ-साथ एक मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर विचार करने के लिए किया जा सकता है। जब न्यायालय द्वारा उपरोक्त दो उद्देश्यों के लिए समिति की संसदीय सामग्री और रिपोर्टों पर विचार करने में विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता है, तो

याचिकाकर्ता के इस कथन को स्वीकार नहीं करने का कोई वैध कारण नहीं है कि न्यायालयों को उसके समक्ष रिकॉर्ड पर संसदीय सामग्री और रिपोर्टों को स्वीकार करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बशर्ते कि न्यायालय पक्षों को रिपोर्टों पर सवाल उठाने और उन पर महाभियोग चलाने की अनुमति देने के लिए आगे न बढ़े।

(viii) संविधान में किसी की सर्वोच्चता की परिकल्पना नहीं की गई है।

राज्य के तीन अंग। लेकिन, तीनों अंगों की कार्यप्रणाली संविधान द्वारा नियंत्रित होती है। जहाँ कहीं भी, तीनों अंगों के बीच बातचीत और विचार-विमर्श होता है

एक नाजुक संतुलन और आपसी सम्मान की परिकल्पना की गई है। तीनों अंगों को इसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। 'हम लोग' के लिए निर्धारित संवैधानिक लक्ष्य। जिस संविधान के तहत हम सभी रहते हैं, उसकी सेवा के लिए तीनों अंगों को आपसी सद्भाव और सम्मान बनाए रखना होगा।

अनुच्छेद *19 (1) (ए)* के तहत। हालाँकि, टिप्पणियाँ जब संसद के व्यक्तिगत सदस्य पर व्यक्तिगत हमले में बदल जाती हैं या सदन या सदस्य या सदन की छवि को धूमिल करने वाली अश्लील या अपमानजनक भाषा में बनाई गई, उक्त टिप्पणियां सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन के बराबर हैं।

(x) पक्षों के अधिकारों पर निर्णय लेने का कार्य है -
गठित न्यायालयों को सौंपा गया

के अनुसार

संवैधानिक योजना, जिसका निर्णय लिया जाना है

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को देखने के बाद जिनमें शामिल हैं -

सुनवाई का अधिकार और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार। संसद,

हालाँकि, किसी भी न्यायिक क्षेत्राधिकार के साथ निहित नहीं है

योजना। *(xi)*
संसदीय समिति की रिपोर्ट की स्वीकार्यता

साक्ष्य का यह अर्थ नहीं है कि रिपोर्ट में बताए गए तथ्य सही हैं।

साबित कर दिया। जब तथ्यों के मुद्दे न्यायालय के समक्ष आते हैं

न्यायनिर्णयन के लिए, न्यायालय को मुद्दों पर निर्णय लेना है
साक्ष्य और उसके सामने लाई गई सामग्री का आधार। *[* पैरा

152] [252 - ए-एच*; 253-*ए-एच*; 254-ए]*

संसदीय विशेषाधिकारः

2. अनुच्छेद *105* और अनुच्छेद *194* द्वारा भारत का संविधान

संसदीय विशेषाधिकारों को संवैधानिक मान्यता देता है।

सदस्य। दोनों प्रावधान समान हैं। अनुच्छेद *105* का उपखंड *(1)* में 'बोलने की स्वतंत्रता' को मान्यता दी गई है। संसद। अनुच्छेद *105* के उपखंड *(2)* में संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं की गणना की गई है। संसद या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कही गई किसी भी बात या वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के खिलाफ संसद सदस्य को पूर्ण संरक्षण है। वर्तमान मामले में, संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के संबंध में संसदीय विशेषाधिकारों की जांच की जानी है। के अनुसार

भारत के संविधान के अनुच्छेद *105* के उपखंड *(2)* में किसी भी संसद सदस्य को उसके द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

संसद में या किसी भी समिति में। संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी पूरी तरह से सुरक्षा के दायरे में आती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद *105* के उपखंड *(2)* के तहत विस्तारित। वर्तमान किसी के खिलाफ किसी भी कार्यवाही का मामला नहीं है।

संसद सदस्य में कही गई किसी भी बात के लिए संसद समिति की रिपोर्ट। भारत के संविधान के अनुच्छेद *105* का उपखंड *(3)* अन्य कल्पना मेहता बनाम में 'शब्दों से शुरू होता है।

भारत का संघ

भारतीय संसद के लिए जिसका सदन द्वारा आनंद लिया गया था भारत के संविधान के प्रवर्तन के समय कॉमन्स। *[* पैरा *28-29,31,32,34] [194-C-D; 195-E-H; 196-A]*

पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य *(*सीबीआई/एसपीई*), (1998) 4* एससीसी

626 : [1998] 2 एस. सी. आर. *870*-संदर्भित।

'अर्स्किन मे, ट्वेंटी द्वारा 'संसदीय अभ्यास'

चौथा एडन; हैल्सबरी के इंग्लैंड के नियम, पाँचवाँ एडन खंड।

78 - संदर्भित किया गया।

हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार

3. भारतीय संसद के विशेषाधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त थे। संसदीय विशेषाधिकारों से, जैसा कि गणना की गई है, यह स्पष्ट है कि

संसद की किसी भी समिति में कही गई किसी भी बात के लिए संसद सदस्यों को किसी भी कार्यवाही से पूर्ण प्रतिरक्षा। प्रेजेंट ऐसा मामला नहीं है जिसमें किसी भी कार्यवाही पर विचार किया जाए।

भारत के संविधान के अनुच्छेद *105* के उपखंड *(2)* के तहत किसी विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित समिति की रिपोर्ट में कही गई किसी भी बात के लिए संसद के किसी भी सदस्य के खिलाफ, लेकिन क्या इस न्यायालय द्वारा संसदीय समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने, संदर्भित करने और उस पर भरोसा करने में संसद के विशेषाधिकारों का कोई उल्लंघन हुआ है। *[* पैरा *39,40] [200*-ई-एफ*]*

1964 का विशेष संदर्भ संख्या *1 (*यूपी विधानसभा मामला*)*

ए. आई. आर *1965* एस. सी. *745: 1965* एयर *745: [1965]* एससीआर *413* -

संदर्भित किया गया।

'अर्स्किन द्वारा 'संसदीय अभ्यास' बीस मई

चौथा एडन; हैल्सबरी के इंग्लैंड के नियम, पाँचवाँ एडन खंड। *78 ;* 'एम. एन. कौल और एस. एल. शकधर द्वारा लिखित 'संसद का अभ्यास और प्रक्रिया', सातवीं संस्करण।

संसदीय समिति की भूमिकाः

4. वर्तमान एक ऐसा मामला है जहाँ संसदीय स्थिति है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसद की स्थायी समिति ने रिपोर्ट सौंपी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विभागीय संसदीय स्थायी द्वारा प्रस्तुत

समितियाँ संसद द्वारा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए मामलों की रिपोर्ट होती हैं। संसद, जिसके लिए मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है, सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की निगरानी करती है। पर्यवेक्षण के अलावा, समितियाँ सिफारिशें भी करती हैं और निर्देश भी जारी करती हैं। निर्देशों और सिफारिशों को लागू किया जाना है

विभिन्न सरकारी विभागों और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं जिन पर विचार किया जाता है -

विभागीय स्थायी समितियाँ। के कार्य इस प्रकार समितियाँ पूरी सरकार के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो सीधे देश के लोगों के कल्याण से संबंधित है। *[* पैरा *49,50] [203-*ई-एच*; 204-*ए-बी*]*

'एफ. डब्ल्यू. मैटलैंड द्वारा 'इंग्लैंड का संवैधानिक इतिहास'; डॉ. सुभाष सी. कश्यप द्वितीय संस्करण द्वारा 'संसदीय प्रक्रिया'; एम. एन. कौल और एस. एल. शकधर सातवें संस्करण द्वारा 'संसद का अभ्यास और प्रक्रिया'-संदर्भित

को। संसदीय प्रतिवेदनों का प्रकाशन

118 , लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए, संसदीय स्थायी समितियों को समिति के गठन के बाद और अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक प्रक्रिया का पालन करना होता है। मध्यवर्ती अवधि के दौरान, जब रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है और इसे अभी तक अध्यक्ष को प्रस्तुत नहीं किया गया है और प्रकाशित, रिपोर्ट के परिणाम को जानने का कोई अधिकार नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिपोर्टों के बारे में जानने का अधिकार केवल तभी उत्पन्न होता है जब उन्हें आम जनता के उपयोग के लिए प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार, *72* वीं कल्पना मेहता बनाम प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ताओं में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

और संसदीय स्थायी समिति की *81* वीं रिपोर्ट। *[* पारस *55,56] [206-*एच*; 207-*ए-डी*]* संसद में कार्यवाही के संबंध में अदालतों में साक्ष्य देने की अनुमति के संबंध में नियम और प्रक्रियाएं

6. संसद के कागजात और कार्यवाही

द्वारा न्यायालयों में साक्ष्य में दिए जाने की अनुमति

संसद। सूचना का अधिकार अधिनियम, *2005* के प्रवर्तन के बाद, विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर, सदन की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। वास्तव में रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों सहित संसदीय सामग्री समय-समय पर संसद की अनुमति से न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में भेजी जाती रही है। *[* पारस *57,58,60] [207-ई; 208-ई; 210-एच]*

'एम. एन. कौल और एस. एल. शकधर, सातवें संस्करण द्वारा 'संसद का अभ्यास और प्रक्रिया'; कार्यस्थल पर राज सभा,

थर्ड एडन *(2017)* पी *25*-संदर्भित।

संसदीय कार्यवाहियों के संदर्भ में साक्ष्य अधिनियम, *1872* की प्रयोज्यताः

7.1 धारा *57* की उप-धारा *(4)* के सरल अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि संसद की कार्यवाही और

किसी भी कानून के तहत स्थापित विधानमंडल ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में न्यायालय द्वारा न्यायिक नोटिस लिया जाएगा। कला. *118 (1)* लोकसभा और राज्यसभा में कार्य संचालन के लिए बनाए गए नियमों के साथ पढ़ें

"संसद की कार्यवाही का क्रम" अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया गया। यह नहीं कहा जा सकता है कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट "संसद की कार्यवाही की प्रक्रिया" अभिव्यक्ति द्वारा कवर नहीं की जाती है, इसलिए इस प्रावधान का कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा, धारा *57 (4)* का प्रभाव किसी भी तरह से इस तथ्य से कम नहीं होता है कि राष्ट्रपति के अनुकूलन आदेश द्वारा धारा *57 (4)* में संशोधन किए गए थे। *[* पारस *62-64,67-68] [211-G-H; 212-C, F]* *7.2* धारा *74* के अनुसार भारत के किसी भी हिस्से के विधानमंडल के अधिनियमों या अभिलेखों को बनाने वाले दस्तावेज एक सार्वजनिक दस्तावेज हैं। संसद पहले ही विशेषाधिकार रिपोर्ट *(2018) 4* एस. सी. आर. को अपना चुकी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समिति ने कहा कि उन दस्तावेजों के लिए जो साक्ष्य अधिनियम के अर्थ के भीतर सार्वजनिक दस्तावेज हैं, न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ऐसे दस्तावेज पेश करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, केवल यह तथ्य कि एक दस्तावेज़ सबूत में स्वीकार्य है चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी दस्तावेज़ से यह धारणा नहीं बनती है कि दस्तावेज़ों की सामग्री भी सही और सही है। *[* पैरा *69] [212-सी-डी]*

माननीय गेराल्ड लॉर्ड स्ट्रिकलैंड बनाम। कार्मेलो मिफसुद बोन्नीसी, ए. आई. आर. *1935* पी. सी. *34;* स्टैंडर्ड चार्टर्ड

बैंक वी. *A.B.F.S.L* और ओआरएस। *2001 (4) BOM.LR 520--*

संदर्भित किया गया।

ब्रिटिश संसद की समितियों की रिपोर्टों के संबंध में संसदीय विशेषाधिकारों की प्रकृति और विस्तार

8.1 इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट भी संसदीय कार्यवाही होती है।

संसद के सदस्यों की भागीदारी सामान्य रूप से एक भाषण द्वारा होती है लेकिन संसदीय कार्यवाही में उनकी भागीदारी केवल बोलने तक सीमित नहीं है। संसद के सदस्यों की भागीदारी विभिन्न अन्य मान्यता प्राप्त रूपों जैसे मतदान, प्रस्ताव की सूचना देना, याचिका प्रस्तुत करना या समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी है, अभिव्यक्ति के आधुनिक रूप जिनके द्वारा सांसदों की इच्छा और इच्छा को व्यक्त किया जाता है।

व्यक्त किया। संसद की स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी अभिव्यक्ति का एक अन्य रूप है। इस प्रकार,

व्यक्तिगत संसदीय सदस्य को अनुच्छेद *105* के उपखंड *(2)* में निहित संसदीय विशेषाधिकार भी अनुच्छेद *105* के उपखंड *(3)* के आधार पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में दिए जाते हैं। इस प्रकार अधिकार विधेयक के अनुच्छेद *IX* में निहित संसदीय विशेषाधिकार भी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्टों की रक्षा करते हैं। *[*पैरा *78] [217-*सी-ई*]*

एर्स्किन मे, *24* वीं संस्करण द्वारा संसदीय अभ्यास। -

संदर्भित किया गया।

8.2 अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि स्थायी समिति की एक रिपोर्ट सहित संसद में की गई कार्यवाही किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। 'चुनौती' शब्द में संसदीय समिति की रिपोर्टों पर 'महाभियोग' और 'सवाल' दोनों शामिल हैं। *[*पैरा *83] [220-*बी*]* कल्पना मेहता बनाम।

भारत का संघ

8.3 संसदीय कार्यवाहियों के सभी संदर्भ और

सामग्री संसद की अवमानना को आमंत्रित करने के लिए विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है। जब कोई पक्ष रिपोर्ट में बताए गए किसी भी तथ्य पर भरोसा करता है किसी घटना या इतिहास को ध्यान में रखने के मामले में ऐसी रिपोर्ट पर भरोसा करने पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। हालांकि, कोई भी पार्टी नहीं हो सकती है

संसदीय समिति की रिपोर्ट पर 'प्रश्न' या 'महाभियोग' लगाने की अनुमति। संसद का विशेषाधिकार कि संसद के बाहर इस पर महाभियोग नहीं चलाया जाएगा या सवाल नहीं उठाया जाएगा, अदालत में दावा दायर करने वाले पक्ष और उस पर आपत्ति करने वाले अन्य दोनों पर समान रूप से लागू होगा। दोनों पक्ष रिपोर्ट पर महाभियोग या सवाल नहीं उठा सकते हैं। जहाँ तक अनुचित नुकसान के सवाल का सवाल है, दोनों पक्ष अदालत में साक्ष्य का नेतृत्व करके और अपनी बात को साबित करने के लिए सामग्री लाकर अपने दावे या आपत्ति को स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालत को पक्षकारों द्वारा लाई गई सामग्री और साक्ष्य के आधार पर 'आई. एस.' पर निर्णय लेने का अधिकार है। किसी भी

समिति की रिपोर्ट या निष्कर्ष में अवलोकन को पक्षों के बीच बाध्यकारी नहीं माना जा सकता है या किसी भी पक्ष को अदालत में अपनी स्थिति साबित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अनुचित नुकसान को उपरोक्त तरीके से दूर किया जाता है। *[*पैरा *100] [230-*एफ-एच*; 232-*ए-बी*]*

8.4 संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट सहित संसदीय सामग्री को न्यायालय द्वारा साक्ष्य में बहुत अच्छी तरह

से स्वीकार किया जा सकता है। तथापि, अधिकार विधेयक के अनुच्छेद *IX* में निहित संसदीय विशेषाधिकारों को ध्यान में रखते हुए,

संसद पर न तो सवाल उठाया जा सकता है और न ही अदालत में महाभियोग चलाया जा सकता है। *[* पैरा *101] [232-*सी-डी*]*

8.5 संसद के नियम, प्रक्रिया की अनुमति देते हैं

न्यायालय में साक्ष्य के रूप में संसदीय सामग्री का उत्पादन। संसदीय सामग्री जो सार्वजनिक हैं संसद से अनुमति लिए बिना अदालत के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस प्रकार, न्यायालय के समक्ष संसद समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

कानून. साक्ष्य अधिनियम, *1874,* जो विधि न्यायालय में साक्ष्य के प्रवेश को विनियमित करता है, संसद में कार्यवाही को एक सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में भी संदर्भित करता है जिसका न्यायालय न्यायिक नोटिस लेगा। इन सभी कारकों से यह निष्कर्ष निकलता है कि न्यायालय में संसदीय समिति की रिपोर्टों को स्वीकार करने में किसी भी संसदीय विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। *[* पैरा *104] [232-*सी-डी*] [2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8.6 जब संसदीय रिपोर्टों पर न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है या उन पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है, तो उन्हें न्यायालय द्वारा किस उपयोग के लिए देखा जा सकता है। अधिकारियों ने निर्धारित किया है कि संसद में होने वाली घटनाओं के लिए, संसद या समिति के समक्ष बताए गए तथ्य ऐसे तथ्य हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। इसके अलावा जब संसदीय रिपोर्टों को कुछ उद्देश्यों के लिए देखा जा सकता है जैसा कि स्वीकार किया गया है, तो इसमें कोई औचित्य नहीं है। किसी भी विशेषाधिकार के उल्लंघन के बिना, अन्य उद्देश्यों के लिए रिपोर्ट के उपयोग के लिए किसी भी निषेध को पढ़ना जो कानूनी और वैध हैं। *[* पैरा *105] [232-*ई-एफ*]*

दक्षिण रेलवे के खान-पान सफाईकर्मी बनाम संघ का

भारत और एन. आर. *(1987) 1* एससीसी *700: [1987] 2* एससीआर *164;*

गुजरात विद्युत बोर्ड बनाम। हिंद मजदूर सभा और

ओआरएस। *(1995) 5* एससीसी *27: [1995] 1* पूरक। एस. सी. आर. *173;* महाराष्ट्र राज्य बनाम। मिलिंद और ओआरएस। *(2001) 1* एससीसी *4:*

[2000] 5 पूरक। एस. सी. आर. *65;* फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम। भारत संघ *(2003) 4* एससीसी *289: [2003] 2* एस. सी. आर. *1085;* सुश्री अरुणा रॉय और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। *(2002) 7* एससीसी *368: [2002] 2* पूरक। एससीआर *266;* एम. सी मेहता बनाम भारत संघ *2017* एस. सी. सी. ऑनलाइन *394;*

किशन लाल गेरा बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य। , *(2011) 10* एस. सी. सी. *529 [2011] 7* एस. सी. आर. *722;* मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और

ओआरएस। , *(2016) 7* एस. सी. सी. *353;* लाल बाबू प्रियदशी बनाम। अमृतपाल सिंह *(2015) 16* एस. सी. सी. *795 [2015]* एस. सी. आर. *1009 -*

संदर्भित किया गया।

स्टॉकडेल बनाम. हंसार्ड *9* ए. डी. और ई. *2* पी. *1112;* ब्रैडलॉफ
वी. गोसेट *(1884) 12* क्यू. बी. डी. *271;* डिंगल बनाम एसोसिएटेड न्यूजपेपर्स लिमिटेड और अन्य। *(1960) 2* क्यू. बी. *405;* कैलिफोर्निया के चर्च ऑफ साइंटोलॉजी बनाम। जॉनसन-स्मिथ *(1972) 1* क्यू. बी. *522;* काली मिर्च *(*कर निरीक्षक*) v.* हार्ट और

संबंधित अपील *1993 (1)* सभी ई. आर. *42;* प्रेबल *v.* टेलीविजन न्यूजीलैंड लिमिटेड प्रिवी काउंसिल *(1994) 3* सभी ई. आर. *407;* आर. वी. मर्फी *(1986) 5* एनएसडब्ल्यूएलआर *18;* विल्सन बनाम। सबसे पहले

कंट्री ट्रस्ट लिमिटेड *(2003)* यूकेएचएल *40;* टौसेंट बनाम। सेंट विंसेंट के महान्यायवादी *(2007)* यूकेपीसी *48;* कार्यालय

वाणिज्य सरकार बनाम। जानकारी

आयुक्त *(2010)* क्यू. बी. *98;* फेडरेशन ऑफ टूर कल्पना मेहता बनाम।

भारत का संघ

प्रचालक बनाम। एचएम ट्रेजरी *(2007)* ईडब्ल्यूएचसी *2062*
(प्रशासन*);* आर वी। व्यापार राज्य सचिव और अन्य, पूर्व पक्ष एंडरसन स्ट्रैथक्लाइड पीएलसी, *1983 (2)* सभी ईआर *233*

- संदर्भित किया गया।

बहिष्करण नियम भारतीय में कितनी दूर तक लागू होते हैं

उपर्युक्त दो उद्देश्यों के लिए न्यायालय द्वारा समिति की, वहां याचिकाकर्ता के इस कथन को स्वीकार नहीं करने का कोई वैध कारण नहीं है कि अदालतों को उसके समक्ष सबूत के रूप में संसदीय सामग्री और रिपोर्ट को स्वीकार करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बशर्ते कि अदालत पक्षों को रिपोर्ट पर सवाल उठाने या महाभियोग चलाने की अनुमति देने के लिए आगे न बढ़े। *[* पैरा *110] [235-*डी-एफ*]*

मैसूर राज्य बनाम। आर. वी. बिदप *(1974) 3* एस. सी. सी. *337: [1974] 1* एससीआर *589;* आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले *(1984) 2* एस. सी. सी *183: [1984] 2* एस. सी. आर. *495;* ज्योति हर्षद मेहता *(*श्रीमती*)* और अन्य बनाम। संरक्षक और अन्य *(2009) 10* एस. सी. सी. *564: [2009] 12* एस. सी. आर. *1229;* भारतीय स्टेट बैंक बनाम राष्ट्रीय

आवास बैंक और अन्य *(2013) 16* एस. सी. सी. *538;* सामान्य कारणः ए रजिस्टर्ड सोसाइटी *v.* भारत संघ *(2017) (7)* एससीसी *158: [2017] 3* एस. सी. आर. *291*-संदर्भित।

शक्तियों का पृथक्करण और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना।

10.1 ऐसा कोई संसदीय विशेषाधिकार नहीं है कि संसदीय समिति की रिपोर्ट या अन्य संसदीय सामग्री नहीं हो सकती है।

कानून के किसी भी न्यायालय में साक्ष्य में दिया गया। संसदीय रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने से किसी भी संसदीय विशेषाधिकार का हनन नहीं होता है। यह उल्लेख करना भी अनुचित नहीं है कि इंग्लैंड और इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।

इस देश में संवैधानिक सर्वोच्चता। यह अच्छी तरह से तय है कि *[2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, जो संविधान के भाग *III* के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, इस न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए खारिज किया जा सकता है जो संविधान द्वारा इस न्यायालय को दिया गया है। संसदीय संप्रभुता, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्राप्त किया जाता है, इस देश में विभिन्न अंगों के कामकाज के संदर्भ में एक समानांतर उदाहरण नहीं है, जैसा कि भारत के संविधान द्वारा नियंत्रित है। विधेयक के अनुच्छेद *9* के तहत गारंटीकृत संसदीय विशेषाधिकार अधिकार, *(1688)* कि संसद की किसी भी कार्यवाही पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है और इस प्रकार महाभियोग लागू किया जा सकता है, व्यक्त किए जाने के अधीन

भारत के संविधान में निहित संवैधानिक प्रावधान। *[* पैरा *122] [240*-सी-ई*]*

10.2 हालाँकि, इसके तहत शक्तियों का कोई कठोर पृथक्करण नहीं है

संविधान, लेकिन तीनों शाखाओं के कार्यों को पर्याप्त रूप से अलग किया गया है और प्रत्येक को अपने कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। राज्य की किसी अन्य शाखा द्वारा निर्बाध रूप से कार्य करना। हालांकि, तीनों अंगों के कामकाज में, संविधान के सही तरीके से काम करने के लिए एक नाजुक संतुलन, आपसी सद्भाव और सम्मान बनाए रखना होगा। *[* पैरा *123] [240*-एफ-जी*]*

राम जवाया कपूर बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर. *1955* एससी

549 [1955] एस. सी. आर. *225;* केशवानंद भारती बनाम की स्थिति

केरल एयर *1973* एससी *1461: [1973]* पूरक। एससीआर *1*

-

संदर्भित किया गया।

भारत के संविधान का अनुच्छेद *121* और अनुच्छेद *122:*

11.1 हालांकि, अनुच्छेद *122* के शीर्षक में कहा गया है 'अदालतों को नहीं

संसद की कार्यवाही की जांच करना, लेकिन संविधान के मूल प्रावधान, जैसा कि अनुच्छेद *122* के उपखंड *(1)* में निहित है, न्यायालय को किसी भी संसद की कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने से रोकता है।

किसी कथित अनियमितता या प्रक्रिया के आधार पर संसदीय कार्यवाही। अदालत पर सवाल उठाने का प्रतिबंध इस प्रकार कार्यवाही केवल उपरोक्त आधार पर ही सीमित है। यदि कार्यवाही स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों या अन्य संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में है तो कार्यवाही की वैधता की जांच करने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद *122* के आधार पर, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्टों को न तो अदालत में साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है और न ही उक्त रिपोर्टों का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। *[* पारस *125,128] [241* बी-सी; *242*-डी*]* कल्पना मेहता बनाम।

भारत का संघ

11.2 भारत का संविधान इस न्यायालय को अधिकार देता है -

संसदीय विशेषाधिकारों के लिए अपवाद, जो अधिकार विधेयक, *1688* के अनुच्छेद *IX* के बल पर हाउस ऑफ कॉमन्स में लागू होते हैं। *[* पैरा *126] [241*-एच; *242*-ए*]* विशेषाधिकार हनन के बारे में संसदीय समिति की रिपोर्टों पर टिप्पणियां:

13.1 बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे पोषित मौलिक अधिकारों में से एक है जिसकी गारंटी और सुरक्षा

संविधान। *[* पैरा *129] [242*-ई*]*

13.2 बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी के रूप में

अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* के तहत एक नागरिक को अपनी राय और टिप्पणी व्यक्त करने के लिए उपलब्ध है जो अदालत के संबंध में भी उपलब्ध है।

कार्यवाही भी। संसदीय कार्यवाहियों के संबंध में, उक्त अधिकार को तब तक नहीं दबाया जाता है जब तक कि टिप्पणी संसद के व्यक्तिगत सदस्य या सामान्य रूप से सदन पर प्रतिबिंब या व्यक्तिगत हमले के बराबर न हो। *[* पैरा *135] [245*-बी*]*

अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* के तहत गारंटी। हालाँकि, टिप्पणियाँ जब संसद के व्यक्तिगत सदस्य पर व्यक्तिगत हमले में बदल जाती हैं या सदन या सदस्य या सदन की छवि को धूमिल करने वाली अश्लील या अपमानजनक भाषा में बनाई गई, उक्त टिप्पणियां सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन के बराबर हैं। *[* पारस *141,142] [247*-जी-एच; *248*-ए*]*

13.4 तत्काल मामले में, प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि इस स्थिति में, वे संसद के संबंध में आपत्तियां उठाते हैं

समिति की रिपोर्ट जिसमें उनकी भूमिका पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है, वे सदन की अवमानना करने के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे, इसलिए, यह न्यायालय न तो अनुमति दे सकता है संसदीय समिति की रिपोर्ट को साक्ष्य में नहीं लिया जाएगा और न ही *[2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ताओं को रिपोर्ट पर भरोसा करने की अनुमति दें। कोई भी पक्ष संसदीय समिति की रिपोर्ट पर निष्पक्ष टिप्पणियां करने से वंचित नहीं है, जो टिप्पणियां निष्पक्ष टिप्पणियों की सीमा के भीतर रहती हैं और निष्पक्ष टिप्पणियों के लिए निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन नहीं करती हैं। संसदीय समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने पर प्रेस को निष्पक्ष टिप्पणी करने का अधिकार होता है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में जिन दलों को संदर्भित किया गया था, उन्हें विशेषाधिकार हनन के बिना कानून के तहत अनुमत रिपोर्ट की ऐसी निष्पक्ष टिप्पणी या आलोचना करने से रोकने का कोई कारण नहीं है। *[* पैरा *143] [248* बी-डी*]*

रोमेश थापर बनाम। मद्रास राज्य *[1950]* एससीआर *594;* बेनेट कोलमैन एंड कंपनी और ओआरएस। वी. भारत संघ *(*यू. ओ. आई.*)* और अन्य। ए. आई. आर *1973* एस. सी *106: [1973] 2* एससीआर *757;* एम एस एम शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा और अन्य आकाशवाणी

1959 एससी *395 [1959]* पूरक। एससीआर *806;* विशेष

1964 [1965] 1 एस. सी. आर. *413* का संदर्भ सं. *1*-निर्दिष्ट

को। वैसन वी. वाल्टर *1869* क्यू. बी. खण्ड। *4* पी। *73 ;* एडम वी। वार्ड *1917* एसी *309;* काली मिर्च बनाम। हार्ट *(*हाउस ऑफ लॉर्ड्स*) 1993* एसी *593;* आर वी। मर्फी *1986 (5)* एनएसडब्ल्यूएलआर *18,* हंट, जे। *;* बर्डेट वी। मठाधीश *(1811) 104* ई. आर. *559,561* का उल्लेख किया गया है।

कानून, विशेषाधिकार, कार्यवाही और उपयोग

एर्स्किन मे द्वारा संसद *(*लेक्सिस नेक्सिस, *24* वीं संस्करण। ,

2011) - संदर्भित किया गया।
अदालतों और संसदीय समितियों में निर्णय

रिपोर्ट करें।

14.1 'न्यायनिर्णयन 'न्यायालय की निर्णय लेने और निर्णय सुनाने और व्यक्तियों के बीच इसे लागू करने की शक्ति है।

और वे पक्ष जो निर्णय के लिए उसके सामने एक कारण लाते हैं। दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों के लिए लोग न्याय के लिए अदालतों की प्रतीक्षा करते हैं। अपने विषय के बीच विवाद का फैसला करना हमेशा से रहा है

संप्रभु कार्यों के एक भाग के रूप में माना जाता है। संवैधानिक कानून के विकास ने सरकारी शक्तियों के पृथक्करण पर जोर दिया लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए कार्य। *[* पैरा *144] [248-*ई-एफ*]*

14.2 यद्यपि हमारे संविधान में कोई सख्त कल्पना मेहता बनाम नहीं है।

भारत का संघ

तीन शाखाओं अर्थात् विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण लेकिन संवैधानिक प्रावधान प्रत्येक अंग के अलग-अलग कार्यों को स्पष्टता के साथ सौंपते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि हमारा संविधान एक द्वारा धारणा पर विचार नहीं करता है

योजना, जिसका निर्णय प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को देखने के बाद किया जाना है जिसमें सुनवाई का अधिकार और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार शामिल है। *[* पैरा *148] [250-*एच*; 251-*ए*]* *14.5* प्रत्यर्थियों की आशंका कि यदि यह न्यायालय संसदीय आदेश को स्वीकार करता है तो उनका मामला पूर्वाग्रहपूर्ण होगा।

साक्ष्य में समिति की रिपोर्ट गलत है। साक्ष्य में संसदीय समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि रिपोर्ट में बताए गए तथ्य साबित हो गए हैं। जब मुद्दे, तथ्य न्यायनिर्णयन के लिए किसी न्यायालय के समक्ष आते हैं, तो न्यायालय को अपने समक्ष लाए गए साक्ष्य और सामग्रियों के आधार पर मुद्दों का निर्णय करना होता है और जिसमें निर्णय संसदीय समिति की रिपोर्ट हो सकती है।

केवल सामग्री में से एक हो, एक या अन्य साक्ष्य को कितना महत्व दिया जाना है, यह न्यायालय का न्यायिक कार्य है जो मामले-दर-मामले भिन्न हो सकता है। रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकाला गया है, उसे निर्णायक या बाध्यकारी नहीं माना जा सकता है। जब किसी दीवानी या आपराधिक दावे का निर्णय लिया जाता है एक व्यक्ति पर दायित्व कानून के न्यायालय में है, यह एक पक्ष के लिए सभी सबूतों और सामग्रियों पर भरोसा करने के लिए खुला है जो उसकी शक्ति में है और न्यायालय को उसके सामने लाई गई पूरी सामग्री पर विचार करने पर मुद्दों का फैसला करना है। जब संसदीय समिति की रिपोर्ट निजी उत्तरदाताओं के किसी भी नागरिक या आपराधिक दायित्व का निर्णय नहीं करती है, तो उन्हें डर है कि रिपोर्ट की स्वीकृति *[2018] 4* एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूर्वाग्रह उनका मामला निराधार है। इस प्रकार, इस न्यायालय की रिपोर्ट पर विचार करते हुए इस मामले में अभिलेख पर एकसेप संसदीय समिति की रिपोर्ट द्वारा, उत्तरदाताओं के सही निष्कर्ष और रिपोर्ट में निष्कर्ष नहीं लिए जाते हैं और वे कानून के अनुसार अपने मामले को साबित करने के लिए स्वतंत्र हैं। *[* बी *150] [251-*डी-एच*]*

आई. आर. कोएल्हो *(*मृत*)* एल. आर. द्वारा वी. तमिलनाडु राज्य *(2007)*

2 एससीसी *1: [2007] 1* एस. सी. आर. *706;* कर्नाटक राज्य बनाम।

भारत संघ *(1977) 4* एससीसी *608: [1978] 2* एससीआर *1*

संदर्भित किया गया।

डिंगल बनाम एसोसिएटेड न्यूजपेपर्स लिमिटेड *(1960) 2* क्यू. बी.

405 ; ल 'एस्प्रिट डेस लोइस, मोंटेस्क्यू द्वारा-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

सीजेआई दीपक मिश्रा का फैसला
(2017) 7 एससीसी *307*

पैरा *4*

संदर्भित किया गया है

[1973] पूरक। एससीआर *1*

पैरा *13*

संदर्भित किया गया है

[1978] 1 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *14*

[2007] 1 एससीआर *706*

पैरा *14*

संदर्भित किया गया है

[1952] एससीआर *284*

संदर्भित किया गया है

पैरा *17*

[1954] एससीआर *1*

पैरा *17*

संदर्भित किया गया है

[1959] पूरक। *2* एस. सी. आर *8*

संदर्भित किया गया है

पैरा *18*

(2017) 7 एससीसी *59*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19*

[1976] एससीआर *347*

संदर्भित किया गया है

पैरा *21*

[1985] 3 एससीआर *676*

पैरा *22*

संदर्भित किया गया है

[2014] 12 एससीआर *875*

पैरा *22*

संदर्भित किया गया है

[2010] 6 एससीआर *218*

पैरा *23*

संदर्भित किया गया है

[1997] 3 पूरक। एससीआर *705*

पैरा *24*

संदर्भित किया गया है

[2003] 2 एससीआर *1085*

पैरा *24*

संदर्भित किया गया है

[2004] 3 पूरक। एससीआर *365*

संदर्भित किया गया है

पैरा *24*

[2007] 12 एससीआर *1084*

पैरा *24*

कल्पना मेहता बनाम को संदर्भित किया गया। भारत का संघ

[1989] 3 एस. सी. आर *19*

पैरा *25*

संदर्भित किया गया है

[1989] 3 एससीआर *316*

संदर्भित किया गया है

पैरा *28*

[2007] 9 एससीआर *130*

संदर्भित किया गया है

पैरा *31*

(2005) 13 एस. सी. सी. *287*

संदर्भित किया गया है

पैरा *31*

[1989] 3 एससीआर *488*

संदर्भित किया गया है

पैरा *31*

[2014] 11 एससीआर *463*

संदर्भित किया गया है

पैरा *32*

[1994] 1 एससीआर *579*

संदर्भित किया गया है

पैरा *32*

[1997] 1 पूरक। एससीआर *671*

संदर्भित किया गया है

पैरा *32*

[2011] 6 एससीआर *443*

संदर्भित किया गया है

पैरा *32*

[1998] 1 एससीआर *1120*

संदर्भित किया गया है

पैरा *32*

[1955] एससीआर *415*

संदर्भित किया गया है

पैरा *33*

[1958] एससीआर *1295*

संदर्भित किया गया है

पैरा *34*

[1994] 2 एससीआर *644*

पैरा *36*

संदर्भित किया गया है

[2011] 3 एससीआर *366*

पैरा *37*

संदर्भित किया गया है

[2004] 1 एससीआर *1038*

संदर्भित किया गया है

पैरा *38*

(2017) 10 एससीसी *1*

पैरा *39*

संदर्भित किया गया है

[1993] 2 पूरक। एससीआर *659*

पैरा *40*

संदर्भित किया गया है

[1950] एससीआर *88*

संदर्भित किया गया है

पैरा *41*

(1970) 1 एस. सी. सी. *248*

पैरा *41*

संदर्भित किया गया है

[1962] 3 एससीआर *842*

संदर्भित किया गया है

पैरा *41*

[1974] 1 एससीआर *1*

पैरा *41*

संदर्भित किया गया है

[1975] 3 एससीसी *198*

संदर्भित किया गया है

पैरा *41*

[1975] 2 एससीआर *832*

संदर्भित किया गया है

पैरा *41*

[1978] 1 एस. सी. सी. *248*

पैरा *41*

संदर्भित किया गया है

[2006] 7 पूरक। एससीआर *336*

संदर्भित किया गया है

पैरा *43*

[2001] 3 पूरक। एससीआर *191*

संदर्भित किया गया है

पैरा *44*

[1981] 1 एससीआर *206*

संदर्भित किया गया है

पैरा *44*

[2014] 9 एससीआर *965*

संदर्भित किया गया है

पैरा *45 [2018] 4*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2006] 5 पूरक। एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *4*

[1973] 1 एससीआर *172*

संदर्भित किया गया है

पैरा *4*

[1978] 1 एससीआर *423*

संदर्भित किया गया है

पैरा *4*

[1965] एससीआर *413*

संदर्भित किया गया है

पैरा *8*

[2007] 1 एससीआर *317*

पैरा *9*

संदर्भित किया गया है

[1993] 1 एससीआर *319*

पैरा *9*

संदर्भित किया गया है

[1996] 2 एससीआर *876*

पैरा *9*

संदर्भित किया गया है

[1984] 2 एससीआर *495*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1964] एससीआर *371*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1982] 1 एससीआर *629*

संदर्भित किया गया है

पैराः

[1995] 6 पूरक। एससीआर *371*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2013] 13 एससीआर *148*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1972] 2 एससीआर *609*

पैरा

संदर्भित किया गया है

[1976] 3 एससीआर *504*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1999] 2 एससीआर *589*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2008] 4 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैराः

[1980] 2 एससीआर *77*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1981] 1 एससीआर *469*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1976] 2 एससीआर *373*

पैरा

संदर्भित किया गया है

[2003] 6 पूरक। एससीआर *151*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1976] 1 एससीआर *461*

संदर्भित किया गया है

पैरा

प्रतिष्ठित पैरा

[1987] 2 एससीआर *164*

प्रतिष्ठित पैरा

[2000] 5 पूरक। एससीआर *65*

प्रतिष्ठित पैरा

[2002] 2 पूरक। एससीआर *266*

(2017) 7 एससीसी *243*

प्रतिष्ठित पैरा

[2015] एससीआर *1009*

प्रतिष्ठित पैरा

प्रतिष्ठित पैरा

[1995] 1 पूरक। एससीआर *173*

(2016) 7 एस. सी. सी. *353*

विशिष्ट पैरा एच. टी. ए. बनाम.

भारत का संघ

5 .

पैरा *133*

प्रतिष्ठित

ए.

संदर्भित किया गया है

पैरा *137*

संदर्भित किया गया है

पैरा *137*

पैरा *137*

473

संदर्भित किया गया है

बी.

संदर्भित किया गया है

पैरा *137*

संदर्भित किया गया है

पैरा *137*

अचुद, जे।

पैरा *39*

संदर्भित किया गया है

सी.

संदर्भित किया गया है

पैरा *40*

संदर्भित किया गया है

पैरा *41*

संदर्भित किया गया है

पैरा *42*

संदर्भित किया गया है

पैरा *51*

डी.

संदर्भित किया गया है

पैरा *51*

संदर्भित किया गया है

पैरा *51*

संदर्भित किया गया है

पैरा *51*

संदर्भित किया गया है

पैरा *51*

ई.

संदर्भित किया गया है

पैरा *51*

संदर्भित किया गया है

पैरा *51*

पैरा *52*

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

507

पैरा *52*

एफ.

पैरा *52*

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा *52*

संदर्भित किया गया है

पैरा *53*

संदर्भित किया गया है

पैरा *54*

जी.

संदर्भित किया गया है

पैरा *55*

संदर्भित किया गया है

पैरा *56*

संदर्भित किया गया है

पैरा *57*

संदर्भित किया गया है

पैरा *63*

एच *[2018] 4*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1976] 1 एससीआर *461*

संदर्भित किया गया है

पैरा सी

[1977] 2 एससीआर *991*

संदर्भित किया गया है

पैरा सी

[1998] एससीआर *431*

संदर्भित किया गया है

पैरा

अशोक भूषण का निर्णय, जे।

[1998] 2 एससीआर *870*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1965] एससीआर *413*

पैरा *3*

संदर्भित किया गया है

2001 (4) BOM.LR 520

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1987] 2 एससीआर *164*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1995] 1 पूरक। एससीआर *173*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2000] 5 पूरक। एससीआर *65*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2003] 2 एससीआर *1085*

संदर्भित किया गया है

पैराः

[2002] 2 पूरक। एससीआर *266*

संदर्भित किया गया है

पैरा

2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन *394*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2011] 7 एससीआर *722*

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2016) 7 एस. सी. सी. *353*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2015] एससीआर *1009*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1974] 1 एससीआर *589*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1984] 2 एससीआर *495*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2009] 12 एससीआर *1229*

पैरा

संदर्भित किया गया है

(2013) 16 एस. सी. सी. *538*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2017] 3 एससीआर *291*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1955] एससीआर *225*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1973] पूरक। एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1950] एससीआर *594*

पैरा

संदर्भित किया गया है

[1973] 2 एससीआर *757*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1959] पूरक। एससीआर *806*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1965] 1 एससीआर *413*

संदर्भित किया गया है

पारा कल्पना मेहता बनाम। भारत का संघ

[2007] 1 एससीआर *706*

संदर्भित किया गया है

पैरा *146*

[1978] 2 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *147*

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका *(*सिविल*)* सं।

558 2012 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत।

के साथ

डब्ल्यू. पी. *(*ग*) 2013* की सं. *921*।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, सुश्री पिंकी आनंद, एएसजी, कॉलिन गोंजाल्विस,

आनंद ग्रोवर, हरीश एन. साल्वे, गौरव बनर्जी, श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री करुणा नंदी, सुश्री मेघा अग्रवाल, सुश्री तान्या अग्रवाल, सुश्री. ज्योति मेंदिरत्ता, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, मुकेश कुमार सिंह, प्रियम चेरियन, लोक्सरेन मिसक्विथ, विजयंत सिंह, सुश्री श्रीनिधि राव, रवि चंद्र प्रकाश, शांतनु जुग्तावत, एल. निधिराम शर्मा, रुपेश कुमार, डी. एल. चिदानंद, रितेश कुमार, वसीम ए. कादरी, सुश्री श्रद्धा देशमुख, सुश्री सौदामिनी शर्मा, गुरमीत सिंह मक्कर, सुमित, ऋषि कांत सिंह, सुश्री एन. अन्नपूरानी, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल वाही, सुश्री शोधिका शर्मा, आर. एन. करंजावाला, श्रीमती नंदिनी गोरे, सुश्री।

देबमाल्या बनर्जी, सुश्री ताहिरा करंजावाला, सुश्री त्रिशला कुलकरनिल, मोहित मुद्गल, सुश्री नताशा सहरावत, सुश्री गायत्री गोस्वामी, मनीष शर्मा, कार्तिक भटनागर, करण लाहिड़ी, अविरल कपूर, श्रीमती माणिक

करंजावाला *(एम/एस के लिए। करंजावाला एंड कंपनी)*, जया कृष्णन कुमार, रिकू सरमा, सुश्री वर्तिका सहाय, सुश्री कृष्ण सरमा, दाव। सुश्री मनीषा सिंह, नवनीत कुमार, *(मेसर्स के लिए)*। कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप*)*, सुश्री सी. के. सुचरिता, एस. उदय कुमार सागर, मृत्युंजय सिंह, मैसर्स। पारेख एंड कंपनी, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे
दीपक मिश्रा, सीजेआई। *[* अपने लिए और ए. एम. खानविलकर, जे.*]*

सूचकांक *

पेज नं.

शीर्षक

एस. नहीं।

ए.

परिचय

3

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

4

बी.

*एड। ध्यान दें: निर्णय की योजना देने वाले उपरोक्त सूचकांक में उल्लिखित पृष्ठ मूल निर्णय के पृष्ठ संख्या को दर्शाते हैं।

6

संदर्भ

याचिकाकर्ताओं के तर्क

सी.

8

डी.

उत्तरदाताओं की दलीलें

12

संविधान की सर्वोच्चता

14

ई.

संविधान की सभी सीमाएँ

17

एफ.

विधायिका

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत

जी.

21

न्यायिक समीक्षा की शक्ति

28

एच.

संविधान की व्याख्या

34

आई.

- द.

इस न्यायालय पर लगाए गए कर्तव्य की प्रकृति

मौलिक की व्याख्या

40

आई. *1*

अधिकार

में से

व्याख्या

42

1.2

अन्य

संवैधानिक प्रावधान

संसद की भूमिका पर एक दृष्टिकोण

48

जे.

समितियाँ

संसद की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति

के.

54

समितियाँ

के. *1*

संसदीय

समितियाँ

54

इंग्लैंड

के. *2*

55

समितियाँ

संसदीय
संयुक्त राज्य अमेरिका
के. *3*
58
कनाडा
संसदीय समितियाँ
के. *4*
59
ऑस्ट्रेलिया
भारत में संसदीय समितियाँ
60
एल.
एल. *1*
प्रक्रिया और आचरण के नियम
65
लोकसभा में कामकाज
संसदीय विशेषाधिकार
एम.
71
संसदीय विशेषाधिकार के तहत
एम. *1*
72
भारतीय संविधान
संसद की न्यायिक समीक्षा
81
एम. *2*
कार्यवाही और उसका विशेषाधिकार कल्पना मेहता बनाम।

भारत संघ *[दीपक मिश्रा, सीजेआई]*

संसदीय कार्यवाहियों पर निर्भरता

91

एन.

बाहरी सहायताएँ

0 .

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा *57 (4)*

101

वे निर्णय जिनमें संसद की स्थिति

106

पी.

समिति की रिपोर्ट भेजी गई है।

113

क्यू.

निष्कर्ष

ए. परिचय एक संसदीय लोकतंत्र में जहां मानवाधिकारों को रखा जाता है

एक उच्च आधार और अधिकार उन्मुख संविधान की व्याख्या करने की कोशिश की जाती है, यह संवैधानिक न्यायालयों का दायित्व बन जाता है कि वे एक ओर संविधान के प्रावधानों की प्रगतिशील धारणा पर जोरदार व्याख्या और दूसरी ओर आत्म-अनुशासन पर स्थापित स्व-अधिरोपित न्यायिक प्रतिबंध के बीच संतुलन बनाए रखें, जो व्याख्या के लिए आने वाले अनुच्छेद की प्रकृति और चरित्र और इसकी संवैधानिक दृष्टि और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। न्यायालय इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है और जिसमें कई अवधारणाओं को अपने दायरे में लेने की जन्मजात क्षमता है, किसी भी संवैधानिक प्रावधान को संकीर्ण रूप से समझने की अनुमति कभी नहीं देते हैं। अदालतें, अपनी संवैधानिक संवेदनशीलता के प्रति जीवित होने के कारण,

बढ़ते न्यायशास्त्र का दूरदर्शी दृष्टिकोण रखने वाला प्रगतिशील दृष्टिकोण। फिर भी, ऐसे अवसर आते हैं जब न्यायालय को यह याद दिलाने के लिए संवैधानिक चेतना का उपयोग किया जाता है कि संविधान के अंतिम मध्यस्थ होने के नाते, जब भी आवश्यकता हो, आवश्यक संतुलन बनाने के विचार से पूरी तरह से अनजान नहीं होना चाहिए, क्योंकि संस्थापक पिताओं ने बड़ी मौलिक दस्तावेज़ के विभिन्न अनुच्छेदों में बुद्धिमानी से इसकी

कल्पना की थी। वर्तमान मामले में, यह नाजुक संतुलन मुख्य मुद्दा है, जैसा कि हमें लगता है, और इसे दोनों सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में हल करने की आवश्यकता है। जिस तथ्यात्मक अंक ने हमारे द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वर्तमान संदर्भ को जन्म दिया है, वह इस मुद्दे पर केंद्रित है कि क्या एक संसदीय स्थायी

समिति *(*पी. एस. सी.*)* की रिपोर्ट को किसी मुद्दे में तथ्य के निर्णय के लिए और यह भी कि अन्य किन उद्देश्यों के लिए इसकी सहायता ली जा सकती है, उस पर निर्भर किया जा सकता है। इसके अलावा, अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, हमें कुछ मूलभूत बुनियादी बातों के माध्यम से नेविगेट और मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होगी।

इसके दायरे में संविधान की सर्वोच्चता, संवैधानिक सीमाएँ, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और स्व-अधिरोपित संयम, कई *[2018]* एस. सी. आर. में संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक क्षेत्र, विभिन्न लोकतंत्रों में संसदीय समिति का कर्तव्य और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, *1872 (*संक्षिप्तता के लिए, *"*साक्ष्य अधिनियम*")* के कुछ वैधानिक प्रावधान भी।

B. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

2. दोनों के समक्ष प्रारंभिक बहस और विचार-विमर्श-न्यायाधीश पीठ

जो तत्काल रिट याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था, उसने भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा की गई कार्रवाई के औचित्य पर ध्यान केंद्रित किया था

तेलंगाना*)* प्रत्यर्थी संख्या *6,* अर्थात्, पाथ इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किए गए दान के साथ। उपरोक्त मुद्दे के अलावा, कुछ व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु के संबंध में शिकायत और इस आधार पर मुआवजा कि उन युवा लड़कियों पर दवाओं का प्रयोग किया गया था जो बिना इलाज के वयस्क होने की उम्र तक नहीं पहुंची थीं

उनके माता-पिता/अभिभावकों की सहमति पर भी प्रकाश डाला गया। यह भी कहा गया कि यह भी अनुमान लगाया गया था कि महिलाएं, हालांकि पूरी तरह से सूचित की जा रही थीं, उक्त टीकाकरण की शिकार हो गई थीं। संक्षेप में, प्रस्तुतियाँ टीकाकरण के खतरों और व्यक्तियों को संभावित प्रभावों और इस तरह के टीके के प्रशासन के परिणामों के बारे में जागरूक किए बिना सहमति प्राप्त करने से संबंधित थीं। दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने समय-समय पर कुछ आदेश पारित किए थे जिनके साथ

हम वर्तमान में चिंतित नहीं हैं। *3.* दोनों न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान, रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने पीठ का ध्यान आकर्षित करने के लिए आमंत्रित किया था -

संसदीय स्थायी समिति *(*पी. एस. सी.*)* और न्यायालय की एक रिपोर्ट ने सरकारों को समय-समय पर दिए गए विभिन्न निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था, जिसमें पी. एस. सी. की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। उत्तरदाताओं द्वारा टीकाकरण की सुरक्षा और किसी भी प्रकार के खतरे या खतरे से बचने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कुछ हलफनामे दायर किए गए थे। इसके अलावा, रिट याचिकाओं में लगाए गए आरोपों का भी खंडन किया गया था।

कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

बी. *1*

संदर्भ

4. जब मामला इस तरह खड़ा रहा, तो प्रतिवादी संख्या *8,* एमएसडी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट के वरिष्ठ वकील ने कहा। लिमिटेड, और सीखा भारत संघ की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय, जनहित याचिका से निपटने वाले भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति या अपने विस्तृत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, पी. एस. सी. की रिपोर्ट का विज्ञापन नहीं कर सकता है और उस आधार पर, अनिवार्य रूप से एक रिट जारी करने और निर्देश जारी करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विद्वान महान्यायवादी की सहायता भी मांगी गई थी। मामले की सुनवाई के बाद, दो-कल्पना मेहता और अन्य में न्यायाधीश पीठ बनाम। भारत संघ और अन्य लोगों ने संविधान के अनुच्छेद *145 (3)* के तहत इसे संविधान पीठ के पास भेजना उचित समझा और इस संबंध में, खंड पीठ ने इस प्रकार व्यक्त कियाः

" 72. विवाद को न्यायिक समीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। न्यायिक समीक्षा का मूल सिद्धांत कार्यकारी निर्णयों की तर्कसंगतता और औचित्य के मापदंडों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया की औचित्य का पता लगाना है। हम संविधान में संशोधन की चुनौती या किसी कानून की संवैधानिकता से संबंधित मापदंडों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं।

जब एक तथ्यात्मक अंक के आधार पर अनिवार्य रिट की मांग की जाती है, तो न्यायालय को उन तथ्यों को संबोधित करने की आवश्यकता होती है जिन पर जोर दिया जाता है और

किए गए कथन और विरोध में क्या कहा गया है। एक बार जब अदालत को रिपोर्ट देखने के लिए कहा जाता है, तो उसे चुनौती दी जा सकती है

दूसरे पक्ष द्वारा, क्योंकि इसे प्रत्यर्थियों को सुनने का अवसर दिए बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। का निमंत्रण

संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को चुनौती देने से संवैधानिक संस्थानों के बीच संविधान द्वारा प्रदान किए गए नाजुक संतुलन में खलल पड़ने की संभावना है। यदि न्यायालय प्रतिवाद की अनुमति देता है और रिपोर्ट पर निर्णय देता है, तो यह विशेषाधिकार की भावना के विपरीत हो सकता है।

संसद जिसका संविधान संरक्षण करता है।
*73.*जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, हमारा प्रथम दृष्टया यह विचार है कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को इस तथ्य पर रुख को बढ़ाने के लिए एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है कि कोई विशेष गतिविधि अस्वीकार्य या गलत है। तथापि, संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, हम यह उचित समझते हैं कि यह मुद्दा

1 (2017) 7 एससीसी *307 [2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेद *145 (3)* के तहत संविधान पीठ को भेजा जाए

संविधान। "

5. इसके बाद, दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान पीठ को संदर्भित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए:

" 73.1 . (i) चाहे भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* या अनुच्छेद *136* के तहत इस न्यायालय के समक्ष दायर मुकदमे में, न्यायालय
संसद की रिपोर्ट का उल्लेख कर सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं।

स्थायी समिति*?*

73.2 . ((ii) क्या ऐसी रिपोर्ट को संदर्भ के उद्देश्य से देखा जा सकता है और यदि ऐसा है, तो क्या संसदीय अवधारणा के संबंध में संदर्भ के उद्देश्य के लिए प्रतिबंध हो सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद *105,121* और *122* में विशेषाधिकार और संवैधानिक संस्थानों के बीच नाजुक संतुलन की कल्पना की गई है*?*

उपरोक्त संदर्भ के कारण, मामला रखा गया है

हमारे सामने।

C. याचिकाकर्ताओं की दलीलें

6. शुरुआत में, यह बताना आवश्यक है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है कि उठाया गया अनुच्छेद न तो संविधान के अनुच्छेद *105* में निर्धारित संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित है और न ही यह इस अवधारणा से संबंधित है -

शक्तियों का पृथक्करण और न ही इसमें पी. एस. सी. रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के लिए अनिवार्यता के मुद्दे से संबंधित किसी निर्णय की आवश्यकता होती है। जो सुझाव दिया गया है वह यह है कि न्यायालय को पी. एस. सी. की रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों के अनुसार विवाद का फैसला नहीं करना चाहिए, इसे निर्णायक मानना चाहिए; बल्कि न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम की धारा *57 (4)* के तहत प्रदान किए गए न्यायिक नोटिस लेना चाहिए। यह भी आग्रह किया जाता है कि न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत अधिकार क्षेत्र है -

न्यायालय आयुक्तों द्वारा सहायता प्राप्त एक स्वतंत्र जांच का संचालन करना और कार्यपालिका से दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश भी देना। यह सरलतम शब्दों में सामने रखा गया है कि याचिकाकर्ताओं को रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों को अदालत के संज्ञान में लाने और अदालत को उक्त तथ्यों का विश्लेषण करने और रिपोर्ट से भिन्न राय व्यक्त करने के लिए मनाने का अधिकार है, क्योंकि अदालत में कार्यवाही पी. एस. सी. रिपोर्ट से स्वतंत्र है जिसका केवल प्रेरक मूल्य है। "न्यायिक सूचना" की अवधारणा पर जोर देते हुए, यह प्रस्तावित किया जाता है कि न्यायिक समीक्षा का दायरा संकीर्ण स्पेक्ट्रम और कल्पना मेहता बनाम पर आधारित नहीं है।

संविधान के तहत न्यायालय को पी. एस. सी. रिपोर्ट में जो कहा गया है, उसके साथ-साथ विस्तृत जानकारी और सामग्री के आधार पर तथ्यात्मक और कानूनी निष्कर्ष निकालने का अधिकार है।

7. उपरोक्त प्रस्तुतिकरण, जैसा कि ध्यान देने योग्य है, व्यक्त करने का इरादा रखता है

कि पी. एस. सी. की रिपोर्ट पर निर्भरता के संबंध में कोई संवैधानिक बहस नहीं की जानी चाहिए और न्यायालय को संसदीय विशेषाधिकार, शक्तियों के पृथक्करण और संस्थानों के समुदाय की अवधारणाओं के संदर्भ के बिना निर्णय लेना चाहिए। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क, पूरी तरह से, उक्त आधार पर आधारित नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कॉलिन गोंजाल्विस और श्री आनंद ग्रोवर ने तर्क दिया है कि संवैधानिक न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए पी. एस. सी. की रिपोर्ट पर ध्यान दे सकता है और संवैधानिक मापदंडों के भीतर उक्त रिपोर्ट पर भी भरोसा कर सकता है और प्रस्ताव किसी भी संवैधानिक विसंगति को आमंत्रित नहीं करता है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद *105* के तहत निहित है। संविधान जो सदन की कार्यवाही के दौरान सदन के भीतर बोलने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और उक्त स्वतंत्रता को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया गया है कि संसद के सदस्य अपने विचार व्यक्त करें।

किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही को आमंत्रित करने में किसी भी बाधा के डर के बिना संसद में स्वतंत्र रूप से। अनुच्छेद *105* के खंड *(2)* का प्रारंभिक भाग, अन्य बातों के साथ-साथ, संसद के सदस्यों को 'किसी भी चीज़' के संबंध में किसी भी न्यायालय के समक्ष दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। संसद या उसकी किसी समिति में संसद के सदस्यों द्वारा 'या' दिया गया कोई भी मत 'कहा गया है।

8. यह तर्क दिया जाता है कि यह स्थिति होने के कारण, तत्काल मामले का तथ्यात्मक स्कोर संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन के क्रोध को आमंत्रित नहीं करता है जिसे अनुच्छेद *105* संरक्षित करना चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान मामले में जो सीमित मुद्दा सामने आता है, वह संसदीय स्थिति को देखना है।

संविधान संविधान के अनुच्छेद *105* के तहत विशेषाधिकार की अवधारणा को दूर से छूता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संसदीय समिति द्वारा जिन तथ्यों पर पहुंचा गया है, वे बहुत सहायक हैं विचाराधीन विवाद के निर्णय के लिए और ऐसी स्थिति में, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं का उद्देश्य संसद के किसी सदस्य या स्थायी समिति के किसी सदस्य के खिलाफ दीवानी या आपराधिक मामला दायर करना नहीं है। इसलिए, संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क होगा कि इस न्यायालय को न तो रिपोर्ट पर स्पष्ट रूप से या अन्यथा टिप्पणी करने के लिए कहा गया है और न ही इसे लागू करने के लिए अनिवार्य रिट की मांग की गई

है। रिपोर्ट में दिए गए सुझाव। इसे अभिलेख पर लाया जाता है ताकि न्यायालय उसमें बताए गए तथ्यों को देख सके और अन्य तथ्यों के समर्थन में एक उचित निष्कर्ष पर पहुंच सके।

D. उत्तरदाताओं की दलीलें

10. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों के दोनों पहलुओं का गंभीर रूप से विरोध किया गया है

श्री के. के. वेणुगोपाल, भारत के लिए विद्वान महान्यायवादी, श्री हरीश एन. साल्वे, श्री गौरव बनर्जी और श्री श्याम दीवान, प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील। उनके बुनियादी प्रस्ताव पहले संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित हैं, जो संसद के विशेषाधिकार को निर्धारित करते हैं और कैसे एक पी. एस. सी. की रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए उत्तरदायी नहीं है और इस न्यायालय द्वारा पी. एस. सी. की रिपोर्ट या विधायिका के पटल पर एक मंत्री के भाषण पर सीमित निर्भरता केवल कुछ संदर्भ में एक क़ानून के प्रावधानों को समझने के लिए रखी गई है और दूसरा, सीमित व्याख्या जो "न्यायिक नोटिस" शब्दों पर रखी जानी चाहिए, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा *57 (4)* में उपयोग किया गया है। उनके द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि रिपोर्ट की प्रतिस्पर्धा और आलोचना की अनुमति देने से निश्चित रूप से संवैधानिक संतुलन में हलचल पैदा होगी।

11. यह भी रेखांकित किया जाता है कि एक जनहित याचिका में, न्यायालय ने लोकस स्टैंडी के सिद्धांत में ढील दी है, पत्र को प्रोत्साहित किया है

क्षेत्राधिकार, याचिकाकर्ता को एक रिलेटर के रूप में माना जाता है, कुछ अवसरों पर पक्षों को एक प्रतिकूल स्थिति नहीं लेने की आवश्यकता होती है और न्याय के वितरण में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा करने के लिए तकनीकीता की अनुमति भी नहीं दी जाती है, लेकिन उक्त श्रेणी के मामलों को संविधान के संघीय ढांचे में एक विसंगति पैदा करने के लिए उच्च आधार पर नहीं रखा जा सकता है या अनुमति नहीं दी जा सकती है

एक संवैधानिक प्रावधान पर एक अलग तरह की व्याख्या करें जो संविधान की स्वस्थ भावना में दरार लाएगी। *12.* हम अपने विचार-विमर्श के दौरान दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत तर्कों और अधिकारियों का उल्लेख करेंगे। उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है,

मौलिक विश्लेषण संवैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक मूल्यों और उदाहरणों के आधार पर किया जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा *57 (4)* के चश्मे से इस मुद्दे को अकेले संबोधित करने के लिए, हमें डर है कि यह मुद्दे के अति सरलीकरण के समान होगा। अतः उक्त पहलू पर उचित स्तर पर ध्यान दिया जाएगा।

कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

E. संविधान की सर्वोच्चता

13. भारत का संविधान सर्वोच्च मौलिक कानून है और सभी कानूनों को संविधान के अनुरूप या उसके अनुरूप होना चाहिए। संवैधानिक प्रावधान विधायिका और कार्यपालिका के कामकाज के लिए शर्तों को स्वीकार करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम दुभाषिया है। सभी वैधानिक कानूनों को मौलिक कानून, यानी संविधान के अनुरूप होना आवश्यक है। तीन शाखाओं, अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पदाधिकारी, जैसा कि परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम में कहा गया है। केरल राज्य और अन्य *2*, संविधान से अपना अधिकार और अधिकार क्षेत्र प्राप्त करते हैं। संसद के

पास कानून बनाने का विशेष अधिकार है और इस तरह कानून के क्षेत्र में संसद की सर्वोच्चता को समझा जाता है। विधान के क्षेत्र में संसदीय सर्वोच्चता के बीच अंतर है और

संवैधानिक सर्वोच्चता। संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो संवैधानिकता, संवैधानिक शासन का प्रावधान करता है और नैतिकता, मानदंडों और मूल्यों को भी निर्धारित करता है जो विभिन्न अनुच्छेदों में निहित हैं और कभी-कभी संवैधानिक मौन से समझ में आते हैं। इसकी अंतर्निहित गतिशीलता इसे जैविक बनाती है और इसलिए, "संवैधानिक संप्रभुता" की अवधारणा पवित्र है। यह अत्यंत पवित्र है और जैसा कि पहले कहा गया है, अधिकारियों को अपनी शक्तियां संविधान से मिलती हैं। यह "स्रोत" है। कभी-कभी संवैधानिक संप्रभुता को संविधान की सर्वोच्चता के रूप में वर्णित किया जाता है।

14. राजस्थान राज्य और अन्य में *v.* भारत संघ और

अन्य *3,* जे. भगवती, *(*उस समय उनके स्वामी के रूप में*)* ने अपनी सहमति में कहा कि संविधान सर्वोच्च अधिकार है, जो संविधान का सर्वोपरि कानून है।

भूमि और इसके ऊपर या उसके आगे सरकार का कोई विभाग या शाखा नहीं है। विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा कि सरकार का प्रत्येक अंग, चाहे वह कार्यपालिका हो या विधायिका या न्यायपालिका, अपना अधिकार संविधान से प्राप्त करता है और उसे अपने अधिकार की सीमाओं के भीतर कार्य करना होता है। इस न्यायालय की शक्ति के बारे में देखते हुए उन्होंने फैसला सुनाया कि यह न्यायालय संविधान का अंतिम दुभाषिया है और इस न्यायालय को यह निर्धारित करने का नाजुक कार्य सौंपा गया है कि शक्ति क्या है। सरकार की प्रत्येक शाखा को यह प्रदान किया जाता है कि क्या यह सीमित है, और यदि ऐसा है, तो क्या सीमाएँ हैं और क्या उस शाखा की कोई कार्रवाई है।

2 ए. आई. आर *1973* एस. सी *1461: (1973) 4* एससीसी *225 3 (1977) 3* एससीसी *592 [2018] 4* एस. सी. आर.

इस तरह की सीमाओं का उल्लंघन करता है। उन्होंने आगे कहा कि यह इस न्यायालय के लिए है कि

संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना और संवैधानिक सीमाओं को लागू करना, क्योंकि यह कानून के शासन का सार है। उक्त अवधारणा का विस्तार करते हुए, सभरवाल, सी. जे. आई. आर. कोएल्हो *(*मृत*)* में एल. आर. द्वारा। वी. टी. एन. *4* राज्य ने नौ न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि संविधान की सर्वोच्चता इस बात का प्रतीक है कि संवैधानिक निकायों को संविधान के प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता है। यह एक स्वतंत्र निकाय के माध्यम से विधायी अधिनियमों की वैधता का परीक्षण करने के लिए एक तंत्र को भी अनिवार्य करता है। , न्यायपालिका।

15. यह ध्यान दिया जाए कि उपरोक्त मामले में संसदीय और संवैधानिक संप्रभुता के बीच अंतर किया गया था। इस पर बोलते हुए

साथ ही, पीठ ने राय दी कि हमारा संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था जो संसद नहीं थी। संविधान सभा द्वारा कानून बनाने की शक्ति के प्रयोग में ही हमारे पास एक नियंत्रित संविधान है।

अनुच्छेद *14,19* और *21* उन मूलभूत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कानून के शासन का आधार हैं। ये संवैधानिकता के सिद्धांत हैं।

जो कानून के शासन और शक्तियों के पृथक्करण के अलावा न्यायिक समीक्षा का आधार बनते हैं।

16. इस प्रकार, राज्य के तीन अंग संवैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत से बंधे हैं और सभी संविधान के ढांचे द्वारा शासित हैं।

संविधान। संविधान उल्लंघन को स्वीकार नहीं करता है

संवैधानिक सर्वोच्चता और इस तरह सीमा निर्धारित की जाती है।

च. विधायिका पर संवैधानिक सीमाएँ

पश्चिम बंगाल बनाम। अनवर अली सरकार ', इस न्यायालय, के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद *19 (1) (ए)* द्वारा प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने संवैधानिक सीमा के सिद्धांत को लागू किया और राय दी कि जहां कोई कानून किसी मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने को अधिकृत करने का इरादा रखता है, जो उस भाषा में पर्याप्त रूप से व्यापक है, जिसमें ऐसे अधिकार को प्रभावित करने वाली संवैधानिक रूप से अनुमेय विधायी कार्रवाई की सीमाओं के भीतर और बिना प्रतिबंधों को शामिल किया जा सकता है, तो इसे बनाए रखना संभव नहीं है, जहां तक इसे संवैधानिक सीमाओं के भीतर लागू किया जा सकता है, क्योंकि यह विच्छेद योग्य नहीं है। जब तक इसके उन उद्देश्यों के लिए लागू होने की संभावना है जो इसके द्वारा स्वीकृत नहीं हैं

4 (2007) 2 एससीसी *1* *5 1952* एससीआर *284:*

एयर *1952* एससी *75* कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

संविधान को खारिज नहीं किया जा सकता है, इसे पूरी तरह से असंवैधानिक और अमान्य माना जाना चाहिए। संवैधानिक पर जोर दिया गया था

सीमा। के. सी. गजपति नारायण देव बनाम 'उड़ीसा राज्य', न्यायालय ने विधान और रंगीन विधान के वास्तविक उद्देश्य की ओर इशारा किया और उस संदर्भ में यह व्यक्त किया कि जब जांच की जाती है, तो यह प्रतीत हो सकता है कि किसी विधान का वास्तविक उद्देश्य उसके सामने दिखाई देने से अलग है। यह एक रंगीन कानून तभी होगा जब यह दिखाया जाए कि वास्तविक उद्देश्य अलग है जिसके परिणामस्वरूप यह किसी अन्य विधानमंडल के अनन्य क्षेत्र में आता है।

18. उसके अवमूल्यन में बनाए गए कानून के संबंध में विधायी शक्ति की संवैधानिक सीमा के कानूनी प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना।

सीमा, दीप चंद बनाम में न्यायालय। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ने 'संवैधानिक' पर कूले की पुस्तक से एक अंश को पुनः प्रस्तुत किया। सीमा *"(*आठवाँ संस्करण, खंड *I)* जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

"इस विषय की जो जाँच की गई है, उससे ऐसा प्रतीत होता है

कि कोई क़ानून संवैधानिक है या नहीं, यह हमेशा शक्ति का सवाल होता है; अर्थात, यह सवाल कि क्या विशेष मामले में विधायिका, अधिनियम के विषय के संबंध में, अपने उद्देश्य को पूरा करने के तरीके और इसे लागू करने के तरीके को संवैधानिक सीमाओं के भीतर रखा है और कहा है -

संवैधानिक शर्तें "।

इसके बाद, संविधान पीठ ने क्विनव में न्यायिक समिति की टिप्पणियों को संदर्भित किया। बुराह जिसमें यह मनाया गया था

तब*)* के. सी. गजपति नारायण देव *(ऊपर)* में इस प्रभाव के लिए था कि यदि संविधान विधायी शक्तियों को विभिन्न निकायों के बीच वितरित करता है जिन्हें विशिष्ट विधायी प्रविष्टियों द्वारा चिह्नित अपने-अपने क्षेत्रों के भीतर कार्य करना होता है या यदि रूप में विधायिका पर सीमाएँ हैं

6 1954 एस. सी. आर *1:* ए. आई. आर. *1953* एस. सी. *375 71959* सप। *(2)* एस. सी. आर *8:* ए. आई. आर *1959* एस. सी. *648*

8 (1878) एलआर *5* आई. ए. *178*

9 (1912) एसी *571 [2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मौलिक अधिकारों के संबंध में, यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या किसी विशेष मामले में, विधायिका ने क़ानून के विषय के संबंध में अपनी संवैधानिक शक्ति की सीमाओं का उल्लंघन किया है या बनाने की विधि में। यह।

19. हाल ही में, बिनॉय विश्वम बनाम। भारत संघ और अन्य *1 0* इस न्यायालय की संप्रभु शक्ति के प्रयोग पर विचार करते हुए

करों, शुल्कों और शुल्कों के उद्ग्रहण के संदर्भ में केंद्र और राज्यों ने कहा कि शक्ति का उक्त प्रयोग संवैधानिक सीमा के अधीन है। यह याद रखना अनिवार्य है कि हमारे संविधान ने, राज्य के तीन अंगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को घोषित उद्देश्य के साथ निर्धारित किया है और उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, अधिकारियों को संवैधानिक रूप से अपने क्षेत्रों के भीतर पारस्परिक संस्थागत सम्मान के साथ कार्य करना आवश्यक है ताकि संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और यह देखा जा सके कि कोई संवैधानिक उल्लंघन न हो। संवैधानिक सीमा के व्याकरण को संवैधानिक आधार के रूप में माना जाना चाहिए जहां नियंत्रण कई शक्ति धारकों, यानी विधायिका, कार्यपालिका और अन्य के बीच संचालित होता है।

न्यायपालिका। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान ने राज्य के तीन अंगों का निर्माण किया है।

20. संविधान के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने की शक्ति सौंपी गई है। कहने की जरूरत नहीं है, अगर

संवैधानिक सीमा का उल्लंघन होता है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को संवैधानिक न्यायालयों द्वारा अधिकार से बाहर घोषित किया जाना चाहिए। यह शक्ति संविधान के तहत न्यायालयों को प्रदान की गई है

और इसलिए, हमने "संवैधानिक संप्रभुता" शब्दावली का उपयोग किया है। यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि कानून का शासन हमारे संविधान का मूल है और यह कानून के शासन का सार है कि राज्य द्वारा शक्ति का प्रयोग, चाहे वह विधायिका हो या कार्यपालिका या कोई अन्य प्राधिकरण, संवैधानिक सीमाओं के भीतर होना चाहिए।

G. शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत

21. संवैधानिक संप्रभुता और संवैधानिक सीमा के बारे में कहने के बाद, हम वर्तमान में इस मुद्दे को संबोधित कर सकते हैं कि संविधान कैसे

भारत सरकार को राज्य के कार्यों के विभाजन के संदर्भ में समझा गया है। श्रीमती में। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण और अन्य *1 1*, जे. बेग ने अपनी सहमति में भारत के एक प्रतिष्ठित न्यायविद एम. सी. सीतलवाड़ ने "द कॉमन लॉ इन इंडिया" में जो कहा था, उसे उद्धृत किया। *(* हैमलिन व्याख्यान*), 12* वीं श्रृंखला, *1960*। हम पैराग्राफ को पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:

10 (2017) 7 एससीसी *59*

1 1 1975 सप.

एस. सी. सी. *1* कल्पना मेहता बनाम भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

"संविधान संघ के कार्यों को तीन भागों में विभाजित करता है -

निम्नलिखित कार्यकारी, विधायी और न्यायिक कार्यों की श्रेणियाँ

ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम का स्वरूप और

ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल अधिनियम। हालांकि कार्यों का यह विभाजन शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है जैसा कि

संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी भी कार्यों का एक व्यापक विभाजन है

उपयुक्त प्राधिकारी ताकि, उदाहरण के लिए, विधायिका

के न्यायिक कार्य को खुद पर घमंड करने का अधिकार नहीं होगा न्यायनिर्णयन '। भारतीय संविधान ने वास्तव में मान्यता नहीं दी है

सरकार के विभिन्न भागों या शाखाओं के कार्य पर्याप्त रूप से अलग किया गया है और इसके परिणामस्वरूप यह बहुत हो सकता है

यह कहा जा सकता है कि हमारा संविधान धारणा पर विचार नहीं करता है,

राज्य के एक अंग या भाग द्वारा, उन कार्यों का जो अनिवार्य रूप से

किसी और से संबंधित है। '*(* देखिएः राय साहब राम जवाया कपूर बनाम। राज्य

पंजाब का *1 2)*। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक आदी व्यक्ति को प्रभावित करेगा

इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता को असामान्य रूप से स्थापित किया। में।

अपने ऐतिहासिक विकास के क्रम में संसद ने प्रदर्शन किया है

और एक तरह से अभी भी न्यायिक कार्य करता है। वास्तव में अभिव्यक्ति

'संसद का न्यायालय अंग्रेजी वकीलों से अपरिचित नहीं है।

तथापि, विभिन्न विभागों के कार्यों में अंतर

यह सभी लिखित संविधानों की एक अपरिवर्तनीय विशेषता है। बहुत ही। लिखित संविधान का उद्देश्य शक्तियों का सीमांकन करना है।

सरकार के विभिन्न विभागों का ताकि

उनकी शक्तियाँ उनके विशेष क्षेत्रों तक सीमित हो सकती हैं। देशों में

संसद नहीं बल्कि संविधान है। इसकी तुलना करते हुए संसद की सर्वोच्चता, डाइस ने इसे इस रूप में वर्णित किया है

संविधान की सर्वोच्चता "।

[जोर दिया गया*]*

22. शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत ठोस हो गया है

भारतीय संदर्भ जब केशवानंद भारती के मामले में न्यायालयभारत के संविधान की एक बुनियादी विशेषता के रूप में। राज्य में

हिमाचल प्रदेश बनाम। मेडिकल कॉलेज के एक छात्र के माता-पिता,

ए और अन्य *1 3,* इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह पूरी तरह से एक मामला है

1955 एससी *549: (1955) 2* एससीआर *225*

85) 3 एस. सी. सी. *169 [2018] 4* एस. सी. आर.

सरकार की कार्यकारी शाखा यह तय करने के लिए कि कोई विशेष कानून लागू करना है या नहीं। बेशक, विधायिका का कोई भी सदस्य भी कानून पेश कर सकता है लेकिन न्यायालय निश्चित रूप से कार्यपालिका या विधायिका के किसी भी सदस्य को कानून शुरू करने के लिए अनिवार्य नहीं कर सकता है।

न्यायालय चाहे जो भी आवश्यक या वांछनीय हो, उसे मान सकता है। यह ऐसा मामला नहीं है जो संविधान के तहत न्यायपालिका को आवंटित कार्यों और कर्तव्यों के दायरे में हो। न्यायालय ने आगे कहा कि वह संविधान के तहत विधायिका को सौंपे गए कार्यों को हड़प नहीं सकता है और यह अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका को किसी विशेष कानून को पेश करने या विधायिका को इसे पारित करने या कार्यपालिका और विधायिका की कानून बनाने की गतिविधियों पर खुद को पर्यवेक्षी भूमिका निभाने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। तमिलनाडु राज्य में *v.* केरल राज्य

अन्य *1 4*, इस न्यायालय ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को निर्धारित करते हुए कहा कि शक्तियों के पृथक्करण के स्पष्ट प्रावधान के बिना भी, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भारत के संविधान में एक मजबूत सिद्धांत है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संवैधानिक संरचना को सूचित करता है और यह कानून के शासन का एक अनिवार्य घटक है।

23. भीम सिंह बनाम। भारत संघ और अन्य ", न्यायालय ने शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को समझने के लिए कहा कि

दो पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहला, शक्तियों का पृथक्करण संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है और दूसरा, कि आधुनिक शासन में, एक सख्त पृथक्करण न तो संभव है और न ही वांछनीय है। फिर भी, जब तक जवाबदेही के इस सिद्धांत को संरक्षित नहीं किया जाता है, तब तक शक्तियों के पृथक्करण का कोई उल्लंघन नहीं होता है और यह संवैधानिक पाठ की गहन जांच पर आधारित है। संविधान कार्यों के ओवरलैप को सख्ती से प्रतिबंधित नहीं करता है और वास्तव में, संसदीय लोकतंत्र में कुछ ओवरलैप का प्रावधान करता है। यह दूसरे के कार्य के इस तरह के अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। शाखा जिसके परिणामस्वरूप संवैधानिक जवाबदेही के शासन को छीन लिया जाता है।

24. मनुखलाल विट्ठलदास चौहान बनाम। गुजरात राज्य *1,6,*

फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम। रघुनाथ गजानन वैनगन्कर *1 8*, न्यायालय ने यह स्वीकार करते हुए संयम के सिद्धांत को लागू किया

1 4 (2014) 12 एस. सी. सी *696*

1 5 (2010) 5 एस. सी. सी *538*

16 ए. आई. आर *1997* एस. सी. *3400 (1997) 7* एस. सी. सी. *622 17 (2003) 4* एस. सी. सी. *289:* एयर *2003* एससी *1344 18* एयर *2004* एससी *4264* कल्पना मेहता बनाम।

और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता देने और विधायिका के क्षेत्र में प्रवेश करने से खुद को रोकने के लिए न्यायपालिका पर संवैधानिक सीमा का सम्मान करना। आगे विस्तार से बताते हुए, डिवीजनल मैनेजर, अरावली गोल्फ क्लब में यह कोर्ट और एक अन्य वी। चंदर हास और एक अन्य ने कहा कि हमारी संवैधानिक

योजना के तहत, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संचालन के अपने व्यापक क्षेत्र हैं और प्रत्येक अंग को दूसरे के लिए सम्मान रखना चाहिए और एक-दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अन्यथा संविधान में नाजुक संतुलन बिगड़ जाएगा, और एक प्रतिक्रिया होगी।

25. आसिफ हमीद और अन्य बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य *20*, न्यायालय ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने

राज्य के विभिन्न अंगों के कार्यों को सावधानीपूर्वक परिभाषित किया गया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संविधान के तहत सीमांकित अपने क्षेत्रों के भीतर काम करना होगा। इसने आगे फैसला सुनाया कि संविधान इन अंगों के निर्णय पर भरोसा करता है कि वे कार्य करें और उसमें निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करके अपने विवेक का प्रयोग करें। लोकतंत्र की कार्यप्रणाली शक्ति और सामर्थ्य पर निर्भर करती है।

इसके प्रत्येक अंग की स्वतंत्रता। विधायिका और कार्यपालिका, जो लोगों की इच्छा के दो पहलू हैं, के पास वित्त सहित सभी शक्तियां हैं। न्यायपालिका के पास तलवार या पर्स पर कोई अधिकार नहीं है। फिर भी, इसके पास यह सुनिश्चित करने की शक्ति है कि राज्य के उपरोक्त दो मुख्य अंग संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करते हैं। यह लोकतंत्र का प्रहरी है। न्यायिक समीक्षा रोकने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है

26. आई. आर. कोएल्हो *(ऊपर)* में शक्तियों के पृथक्करण के मुद्दे पर नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने बुनियादी संरचना सिद्धांत का उल्लेख किया केशवानंद भारती *(ऊपर)* में बहुमत द्वारा और इंदिरा नेहरू गांधी *(ऊपर)* में इसकी पुनरावृत्ति की गई है और अलेक्जेंडर हैमिल्टन की पुस्तक "द फेडरलिस्ट" से एक अंश को पुनः प्रस्तुत किया गया है और अंततः कहा गया हैः

9 (2008) 1 एस. सी. सी. *683 20* ए. आई. आर. *1989* एस. सी. *1899 [2018] 4* एस. सी. आर.

" *67.* उच्चतम न्यायालय ने लंबे समय से माना है कि शक्तियों का पृथक्करण संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। यहां तक कि

बुनियादी संरचना सिद्धांत के संवैधानिक कानून का हिस्सा बनने से पहले, हमारी शासन प्रणाली पर शक्तियों के पृथक्करण के महत्व को इस न्यायालय द्वारा विशेष संदर्भ में मान्यता दी गई थी।

1964 का नंबर *1* "।

27. उपरोक्त अधिकारियों से, यह काफी स्पष्ट है कि संवैधानिक सीमा की अवधारणा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का एक पहलू है।

इस स्तर पर, हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि शक्तियों के पृथक्करण के क्षेत्र में वास्तव में कोई संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं हो सकता है जब मुद्दों में लोकतंत्र, संविधान से बहने वाली आवश्यक नैतिकता, पर्यावरण, सामाजिक हित आदि जैसे कुछ क्षेत्रों में नागरिकों का हित और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से संबंधित मामलों में जनता को सूचना के अधिकार या जानने के अधिकार के साथ सशक्त बनाना शामिल हो। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जहां इस न्यायालय ने निर्देश जारी किए हैं

कार्यपालिका के लिए और मौलिक अधिकारों को सुविधाजनक बनाने और आगे बढ़ाने के लिए और कभी-कभी वैधानिक अधिकारों के वास्तविकरण और फलने-फूलने के लिए दिशानिर्देश भी तैयार किए।

एच. न्यायिक समीक्षा की शक्ति

28. न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह ध्यान में रखना होगा कि अधिकार का स्रोत संविधान है

भारत से। न्यायालय के पास शक्ति की सीमाओं की जांच करने और ऐसी सीमाओं के उल्लंघन का निर्णय लेने का अधिकार है। न्यायिक समीक्षा की प्रकृति और दायरे को भारत संघ और एक अन्य *v* में संक्षिप्त रूप से बताया गया है। एल. आर. द्वारा रघुबीर सिंह *(*मृत*)*। आदि *"1* आर. एस. पाठक, सी. जे. द्वारा इस प्रकारः

..... भारत की उच्च न्यायपालिका में मान्यता प्राप्त न्यायिक समीक्षा की सीमा शायद कानून की दुनिया में सबसे व्यापक और सबसे व्यापक है। ..... न्यायिक शक्ति के इस प्रभावशाली विस्तार के साथ, यह केवल सही है कि भारत में उच्च न्यायालयों को उस विशाल जिम्मेदारी के प्रति सचेत होना चाहिए जो उन पर है। यह उच्चतम न्यायालय के बारे में विशेष रूप से सच है, क्योंकि पूरी न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में उसके द्वारा घोषित कानून, संविधान के अनुच्छेद *141* द्वारा, संविधान के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।

भारत का क्षेत्र।

और फिर सेः

21 (1989) 2 एस. सी. सी. *754* कल्पना मेहता बनाम

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

"कानूनी मजबूरियों को मौजूदा कानूनी प्रस्तावों द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमेशा मौजूदा कानून की सीमाओं से परे, न्यायिक जांच और न्यायिक चयन को आमंत्रित करने वाले नए क्षेत्र होंगे-जो मौजूदा कानूनी हठधर्मिता की वैधता को अच्छी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। द.

एक बदले हुए सामाजिक युग के लिए उत्तरदायी समाधानों की खोज में न केवल कानून के प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों, या किसी कानूनी प्रस्ताव के प्रतिस्पर्धी संस्करणों, या 'निष्पक्षता' या 'तर्कसंगतता' जैसे अनिश्चितता के तौर-तरीकों के बीच खोज शामिल है, बल्कि सत्तारूढ़ कानून के बाहर के प्रस्तावों के बीच भी खोज शामिल है। वर्तमान समय और स्थान का ज्ञान या स्वीकृत मूल्य, प्रासंगिक

नए मापदंडों के भीतर न्याय का वितरण करना।

उपरोक्त दो परिच्छेद वर्तमान के स्वीकृत मूल्यों को ध्यान में रखते हुए शक्ति के प्रयोग से संबंधित न्यायालय पर भारी जिम्मेदारी डालते हैं। एक जैविक साधन के लिए न्यायालय को संविधान की भावना से शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। संविधान का प्रेरक तत्व मूल्यों की प्राप्ति का आदेश देता है। आकांक्षी

व्याख्यात्मक प्रक्रिया की गतिशीलता भी यही उम्मीद करती है।

29. इस न्यायालय के पास संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने की संवैधानिक शक्ति और अधिकार है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करने की बहुत पवित्रता है क्योंकि संवैधानिक न्यायालय के पास किसी भी कानून को घोषित करने की शक्ति है -

यदि विधायिका रखने की क्षमता की कमी है तो यह असंवैधानिक है

संविधान में दिए गए विधान के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए या यदि कोई प्रावधान किसी भी मौलिक अधिकार या किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसके खिलाफ चलता है या यदि कोई प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना है।

30. जब हम न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं, तो न्यायिक संयम की अवधारणा के प्रति जीवित रहना भी आवश्यक है। न्यायिक समीक्षा का कर्तव्य

संविधान ने न्यायपालिका को जो दिया है, वह निरंकुश नहीं है; यह न्यायिक संयम की अवधारणा के भीतर आता है। न्यायिक संयम के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि न्यायाधीशों को अपनी शक्ति की परिभाषित सीमाओं के भीतर रहते हुए मामलों का फैसला करना चाहिए। न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार किसी भी कानून या संविधान के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करें।

31. एस. सी. चंद्रा और अन्य बनाम झारखंड राज्य और

अन्य *22*, यह निर्णय दिया गया है कि न्यायपालिका को संयम बरतना चाहिए और आम तौर पर विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में,

22 (2007) 8 एससीसी *279 [2018] 4* एस. सी. आर.

सुरेश सेठ बनाम मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का संदर्भ। कॉम. , इंदौर नगर निगम। और अन्य *23* काफी शिक्षाप्रद है। उक्त मामले में, इस न्यायालय के समक्ष निर्देश जारी करने के लिए एक प्रार्थना की गई थी एम. पी. नगर निगम अधिनियम, *1956* में उचित संशोधन। इस निवेदन को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि यह विशुद्ध रूप से नीतिगत मामला है जो लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को तय करना है और इस संबंध में अदालत द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि यह न्यायालय विधायिका को किसी विशेष प्रकार का अधिनियम बनाने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि हमारी संवैधानिक योजना के तहत, संसद और विधायी

विधानसभाएँ कानून बनाने के लिए संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती हैं और कोई भी बाहरी शक्ति या प्राधिकरण किसी विशेष प्रकार के कानून को लागू करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता है। ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए, न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ बनाम में निर्णय का उल्लेख किया। भारत संघ और अन्य *24*

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कोई भी न्यायालय किसी विधायिका को किसी विशेष कानून को अधिनियमित करने का निर्देश नहीं दे सकता है और इसी तरह जब कोई कार्यकारी प्राधिकरण विधायिका

के प्रत्यायोजित प्राधिकरण के अनुसार अधीनस्थ कानून के माध्यम से विधायी शक्ति का प्रयोग करता है, तो ऐसे कार्यकारी प्राधिकरण को कोई कानून बनाने के लिए नहीं कहा जा सकता है जिसे उसे प्रत्यायोजित प्राधिकरण के तहत करने का अधिकार दिया गया है।

32. हाल ही में, जनगणना आयुक्त और अन्य बनाम। आर. कृष्णमूर्ति *25,* न्यायालय, प्रीमियम ग्रेनाइट और एक अन्य *v* का उल्लेख करने के बाद। टी. एन. राज्य और अन्य *2,6,* एम. पी. तेल निष्कर्षण और एक अन्य *v.* एम. पी. और अन्य राज्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य। नर्मदा बचाओ आंदोलन और अन्य *28* और पंजाब राज्य और अन्य *v.* राम लुभाया बग्गा और अन्य *29* ने कहाः

"कानून की उपरोक्त घोषणा से, दोपहर के दिन के रूप में यह स्पष्ट है कि यह अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वे

इस बात की जांच करना कि क्या कोई विशेष सार्वजनिक नीति बुद्धिमान है और

स्वीकार्य या क्या एक बेहतर नीति विकसित की जा सकती है। अदालत केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब बनाई गई नीति पूरी तरह से मनमौजी हो या कारणों से सूचित नहीं की गई हो या पूरी तरह से मनमाना और आधारहीन हो।

23 (2005) 13 एस. सी. सी. *287* *24 (1989) 4* एससीसी *187*

28 (2011) 7 एस. सी. सी. *239* *29 (1998) 4* एससीसी *117* कल्पना मेहता बनाम।

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

संविधान के अनुच्छेद *14* की मूल आवश्यकता का उल्लंघन करना।

कुछ मामलों में, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, राय और राय हो सकती है लेकिन अदालत से अपील प्राधिकरण के रूप में बैठने की उम्मीद नहीं की जाती है।

राय "।

33. इस मोड़ पर, हम समझते हैं कि यह स्पष्ट रूप से कहना उचित है कि न्यायिक प्रतिबंध ऐसा नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए कि यह न्यायिक प्रतिबंध के बराबर हो।

त्याग और न्यायिक निष्क्रियता। न्यायपालिका उस गंभीर कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकती जिसे संविधान ने अपने कंधों पर रखा है, यानी इसकी रक्षा करना।

संविधान के भाग *III* के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी। जब व्यक्तियों के मौलिक अधिकार दांव पर होते हैं तो संवैधानिक न्यायालय गुमनामी में नहीं बैठ सकते। हमारे संविधान ने अवैध कानूनों के खिलाफ बचाव करने के लिए संवैधानिक न्यायालयों की कल्पना की है

व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण। संविधान ने अपने तत्वावधान में संवैधानिक न्यायालयों को व्यापक शक्तियों से लैस किया है, जिनका उपयोग न्यायालयों को बिना किसी हिचकिचाहट या आशंका के करना चाहिए, जब व्यक्तियों के मौलिक अधिकार खतरे में हों। उक्त पहलू पर स्पष्टीकरण देते हुए, यह न्यायालय विरेंद्र सिंह और अन्य बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य ने देखा हैः

"*32.* हमारे ऊपर संविधान का पूरा कवच है और अब से हम उसके प्रबुद्ध तरीकों से चलते हैं। इसके सुरक्षा प्रावधानों की कवच और इसकी प्रेरणा की ज्वलंत तलवार को चमकाना।

34. मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय, संवैधानिक न्यायालयों को यह याद रखना चाहिए कि जब भी कोई अवसर आता है, न्यायालयों को यह करना पड़ता है कि

जीवंत भावना और जोश का संचार करने के उद्देश्य से एक उदार दृष्टिकोण अपनाएं ताकि मौलिक अधिकारों को नुकसान न पहुंचे। जब हम ऐसा कहते हैं, तो हो सकता है कि ऐसा न हो

यह समझा जाना चाहिए कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय, संवैधानिक न्यायालयों को पूर्ववर्ती सिद्धांतों से पूरी तरह अलग होना चाहिए, लेकिन यह संवैधानिक न्यायालयों का दायित्व है कि वे संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की दृढ़ता से रक्षा करने के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करें। इस संदर्भ में इस न्यायालय के कर्तव्य का वर्णन के. एस. श्रीनिवासन बनाम के मामले में उपयुक्त रूप से किया गया है। भारत संघ *3 1*

जहाँ यह कहा गया थाः

"..... मैं केवल एक आदमी को देख सकता हूं जिसके साथ अन्याय किया गया है और मैं देख सकता हूं

बाहर निकलने का सीधा रास्ता। मैं इसे ले लूंगा। "

30 आकाशवाणी *1954* एससी *447*

31 AIR 1958 SC 419 [2018] 4 S. C. R.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35. इस तरह का दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद *32* के मामले में अधिक उत्साह के साथ लागू होता है जिसका वर्णन डॉ. बी. आर.

अम्बेडकर के रूप में "संविधान की आत्मा-इसका दिल-सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद"। अनुच्छेद *32* को विशेष दर्जा प्राप्त है और इसलिए, अनुच्छेद *32* के तहत मामलों में प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना इस न्यायालय का दायित्व है। यह संविधान के तहत इस न्यायालय के कर्तव्य के अनुरूप होगा, यानी व्यक्तियों के अपरिहार्य मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करना।

संविधान का *I.Interpretation* कर्तव्य की प्रकृति

इस अदालत में डाल दिया

36. संविधान की सर्वोच्चता और संवैधानिक सीमा के सिद्धांतों, शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा के क्षेत्रों के बारे में कहने के बाद, संवैधानिक व्याख्या की अवधारणा पर ध्यान देना आवश्यक है। एस. आर. बोम्मई और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य *3 2*, यह कहा गया है कि लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए

प्रक्रिया और राजनीतिक टकराव से बचने के लिए, संवैधानिक छत्र के दायरे में आने वाले राजनीतिक दलों को संवैधानिक मूल्यों का दृढ़ता से पालन करने का निर्देश देना आवश्यक है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि न्यायपालिका अनुभवजन्य तथ्यों को प्राप्त करने और भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आकांक्षाओं पर ध्यान देती है। यदि संवैधानिक प्रावधानों को समय के संदर्भ में विकास और विकास के चश्मे से समझना है ताकि लोगों की सामाजिक और राजनीतिक इच्छा को वास्तविक रूप दिया जा सके, जिसे शब्दों में रखा गया था, तो उन्हें उनके जीवन और भावना में आगे की क्षमता के साथ समझना होगा।

37. जी. वी. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पाँच न्यायाधीशों की पीठ और एक अन्य *v.* आयकर अधिकारी और अन्य *3-3* ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि हमारे

संविधान राज्य के विभिन्न अंगों को राष्ट्र के कल्याण और सुरक्षा की रक्षा करने की सकारात्मक जिम्मेदारियों के साथ आरोपित करता है। विधायी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ताकि इसे पूरा किया जा सके

राष्ट्र के लक्ष्य। न्यायिक समीक्षा की शक्तियां यह सुनिश्चित करने के लिए दी जाती हैं कि विधायी और कार्यकारी शक्तियों का उपयोग संविधान द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर किया जाए। संविधान द्वारा निर्दिष्ट और संवैधानिक पाठ द्वारा निहित और वहन की जाने वाली शक्तियों को बलपूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए। फिर भी, संविधानवाद का सार यह भी है कि राज्य का कोई भी अंग संविधान द्वारा निर्दिष्ट शक्तियों से परे खुद पर घमंड नहीं कर सकता है। न्यायपालिका के कर्तव्य पर बोलते हुए,

32 (1994) 3 एससीसी *1*

33 3 (2011) 4 एस. सी. सी. *36* कल्पना मेहता बनाम

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

न्यायालय ने राय दी है कि सरकार की एक अन्य समन्वित शाखा की शक्तियों से निपटने के लिए न्यायिक संयम आवश्यक है, लेकिन संयम का अर्थ उस किनारे पर चलने की जिम्मेदारी का त्याग नहीं हो सकता है। संविधान सहित किसी भी कानून की व्याख्या के पहलू पर जोर देते हुए, न्यायालय ने कहा कि विचाराधीन प्रावधान का पाठ अधिनियम में निहित अर्थों को समझने के लिए प्राथमिक स्रोत होगा। यह भी निर्धारित किया गया है कि गंभीर मुद्दों के आलोक में, संवैधानिक आवश्यकता के रूप में, संविधान के सही अर्थ, उद्देश्य और दायरे की खोज को व्यापक बनाना हमेशा विवेकपूर्ण होगा।

विचाराधीन प्रावधान। संविधान का कोई प्रावधान, और वास्तव में कोई शब्द या अभिव्यक्ति, अलग से मौजूद नहीं है-वे अनिवार्य रूप से हैं

संविधान में अन्य प्रावधानों, शब्दों और वाक्यांशों द्वारा संबंधित, परिवर्तन और बदले में परिवर्तित किया जा रहा है। इसलिए अदालत ने आगे कहा कि

कहोः

"*38.* हमारा संविधान लंबा और अर्थों, उद्देश्यों और संरचनाओं का एक जटिल मैट्रिक्स भी है। यह केवल उस के भीतर विचाराधीन एक विशेष संवैधानिक प्रावधान का पता लगाने के लिए है।

संवैधानिक मैट्रिक्स से कोई भी इसके सही अर्थ, उद्देश्य और दायरे को समझने में सक्षम होने की उम्मीद कर सकता है। प्रो. लॉरेंस जनजाति बताती हैः

"[संविधान को एक कानूनी पाठ के रूप में समझने के लिए, यह पहचानना आवश्यक है कि यह किस प्रकार का पाठ हैः एक संवैधानिक पाठ जो

लोगों के नाम पर, कई विशिष्ट लेकिन अंतर-संबंधित संस्थानों और प्रथाओं को एक साथ कानूनी और राजनीतिक बनाने और उन संस्थानों और प्रथाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों को परिभाषित करने का उद्देश्य है। (मुफ्त पर विचार देखें

संवैधानिक व्याख्या में प्रपत्र विधि। *34)* "

38. संविधान एक जैविक दस्तावेज होने के नाते, यह चल रहा है

व्याख्या की अनुमति है। संविधान की सर्वोच्चता है

समय के साथ विकसित राष्ट्रीय राजनीति में सामाजिक परिवर्तन लाना आवश्यक है। संविधान की व्याख्या एक कठिन कार्य है। ऐसा करते समय, संवैधानिक न्यायालयों को न केवल समय के साथ अपने स्वयं के अनुभव, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संधियों को ध्यान में रखना आवश्यक है, बल्कि लचीलेपन के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए। भारत संघ बनाम में ऐसा कहा गया है। नवीन जिंदल और अन्य *3-5*। एस. आर. बोम्मई *(ऊपर)* में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उचित परिप्रेक्ष्य में सही व्याख्या लोकतंत्र की रक्षा में और इसे बनाए रखने के लिए होगी।

34 108 हार्व एल रेव *1221,1235 (1995) 35 (2004) 2* एस. सी. सी. *510 [2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संभावित टकराव के बावजूद भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बराबरी पर है, लेकिन यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह राजनीतिक दलों को संविधान के दायरे में लाने के लिए संविधान की व्याख्या करे। जवाबदेही के लिए मानदंड और उनके सख्त पालन के लिए संविधान और कानूनों का पालन करना। समय बीतने के साथ, व्याख्यात्मक प्रक्रिया व्यापक हो गई है। इसे अधिकारों के क्षेत्र को व्यापक बनाने और नागरिकों की वैध अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संवैधानिक सर्वोच्चता का दावा करने के लिए ईंट दर ईंट बनाया गया है। संविधान के शब्द

अर्थपूर्ण अर्थ व्यक्त करने के लिए जीवन को इंजेक्ट किया गया है।

39. हाल ही में, के. एस. पुट्टास्वामी और एक अन्य वी. भारत संघ और अन्य *3 6*, हम में से एक *(*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* ने राय दी है कि

संवैधानिक विकास हुआ है क्योंकि संविधान के शब्दों की व्याख्या नई आवश्यकताओं से निपटने के लिए की गई है। कानून के शासन के तहत मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए स्वतंत्रताओं और स्वतंत्रताओं का विस्तृत अध्ययन। यह भी देखा गया है कि

संविधान की व्याख्या को इसकी मूल समझ से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि संविधान विकसित हुआ है और वर्तमान और भविष्य की आकांक्षाओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार विकसित होना चाहिए। संविधान की व्याख्या करने के लिए संवैधानिक न्यायालयों के कर्तव्य ने आने वाली पीढ़ियों के लिए चुनौतियों का सामना करने का मार्ग खोल दिया। यह कहा जा सकता है कि न्यायालय निजता को मौलिक अधिकार के रूप में देख रहा था।

40. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम। भारत संघ *3,* न्यायालय ने खुलासा किया कि संविधान

इसे न केवल समकालीन परिस्थितियों और मूल्यों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि इस तरह से भी पढ़ा जाना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी की परिस्थितियों और मूल्यों को इसके प्रावधानों में अभिव्यक्ति दी जाए। अदालत ने कहा है

यह देखा गया कि संवैधानिक व्याख्या उतनी ही सृजन की प्रक्रिया है जितनी कि खोज की। इस प्रकार, व्याख्या की प्रक्रिया को वर्तमान पीढ़ी के मूल्यों और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए और इसके दो पहलू हैं -

पहलू, अर्थात्, सृजन और खोज की प्रक्रिया। यह याद रखना होगा कि किसी संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करते समय, व्यक्ति को उसमें प्रयुक्त भाषा के अक्षर, भावना और उद्देश्य और उन संवैधानिक मौन या अवरोधों से भी निर्देशित होना चाहिए जो खोजे जा सकते हैं। इसका दायरा और खोज का संबंध संवैधानिक सिद्धांत से है।

निहितार्थ। इसके अतिरिक्त, एक प्रावधान की व्याख्यात्मक प्रक्रिया

36 (2017) 10 एससीसी *1*

37 (1993) 4 एस. सी. सी. *441* कल्पना मेहता बनाम

भारत का संघ

[दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

संविधान के उद्देश्य को स्पष्ट करने और संविधान के संदेश को व्यक्त करने के लिए भी संविधान की आवश्यकता है जो संविधान के लिए आंतरिक है।

I. 1 मौलिक अधिकारों की व्याख्या

41. न्यायालय के कर्तव्य की अवधारणा की ओर बढ़ते हुए, हम मौलिक अधिकारों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई व्याख्यात्मक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रारंभिक वर्षों में, संविधान के लागू होने के बाद, न्यायालय ने प्रत्येक मौलिक अधिकार को अलग और विशिष्ट माना। इसके अलावा, प्रतिबंधात्मक व्याख्या का नियम लागू किया गया था। आकृति संकीर्ण और सीमित थी। ए. के. गोपालन बनाम में निर्णय से यह ध्यान देने योग्य है। मद्रास राज्य *38.* धारणा तब बदल गई जब न्यायालय ने कानून की शाब्दिक वैधता के बजाय कानून के कारण होने वाली वास्तविक हानि पर ध्यान केंद्रित किया जैसा कि आई. आर. कोएल्हो *(*ऊपर*)* में देखा गया है। आई. आर. कोएल्हो ने रुस्तम कावासजी कूपर बनाम का उल्लेख किया। भारत संघ *3* और यह समझते हुए

कि उसमें प्रस्तुत दृष्टिकोण ए. के. गोपालानंद के दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है, प्रभाव की अवधारणा पर प्रतिबिंबित होता है

सकल पेपर्स *(*पी*)* लिमिटेड में सिद्धांत *v.* भारत संघ। न्यायालय, शंभू नाथ सरकार बनाम का उल्लेख करने के बाद। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य *1 1*, हरधन साहा बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य *42* और खुदीराम दास बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य ने मेनका गांधी बनाम के एक अंश को पुनः प्रस्तुत किया। भारत संघ और अन्य *44*

जो इस प्रकार हैः

"इसलिए, अब कानून को अच्छी तरह से तय किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद *21* अनुच्छेद *19* को बाहर नहीं करता है और भले ही किसी व्यक्ति को 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' से वंचित करने की प्रक्रिया निर्धारित करने वाला कोई कानून हो और इसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद *21* द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन न हो, ऐसी कानून, जहां तक कि यह अनुच्छेद *19* के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करता है या छीन लेता है। उस लेख
की चुनौती का सामना करना होगा।

42. न्यायालय ने न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा व्यक्त राय से एक अंश को पुनः प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि प्रस्ताव निर्विवाद है कि अनुच्छेद *21*, किसी दी गई स्थिति में, अनुच्छेद *19* को बाहर नहीं करता है यदि दोनों अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है।

38 ए. आई. आर. *1950* एससी *27: 1950* एससीआर *88 39 (1970) 1* एससीसी *248 40 (1962) 3* एससीआर *842:* ए. आई. आर. *1962* एस. सी. *305 4 1 (1974) 1* एस. सी. आर. *1: (1973) 1* एससीसी *856 42 (1975) 3* एससीसी *198: (1975) 1* एससीआर *778 43 (1975) 2* एससीआर *832: (1975) 2* एससीसी *81 44 (1978) 1* एससीसी *248 [2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

43. आई. आर. कोएल्हो *(*ऊपर*)* में, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेनका गांधी के बाद, यह स्पष्ट है कि मौलिक अधिकारों का विकास

अलग-अलग संरक्षण जो सीधे उत्पन्न होते हैं लेकिन वे सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में शक्तियों के मनमाने प्रयोग के खिलाफ एक व्यापक परीक्षण बनाते हैं जो एक अपरिहार्य परिणाम के रूप में होता है। न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का काफी विस्तार किया गया है। उस संदर्भ में, एम. नागराज और अन्य बनाम का संदर्भ दिया गया था। भारत संघ और अन्य जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक मौलिक अधिकार मौलिक बन जाता है क्योंकि इसका मूलभूत मूल्य होता है। इसके अलावा, उस लेख की संरचना को भी देखना होगा जिसमें मौलिक मूल्य शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति पर एक सीमा है। एक ऐसा संविधान और, विशेष रूप से, जो मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है और जो राज्य के सभी व्यक्तियों को हकदार बनाता है, उसे उदार और उद्देश्यपूर्ण दिया जाना चाहिए।
निर्माण। न्यायालय को संविधान की व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए जिससे नागरिक अपने द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का पूरा लाभ उठा सकें।

माप।

I. 2 अन्य संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या

44. इस संबंध में, हम ध्यान दे सकते हैं कि कैसे संविधान पीठों ने अन्य के संबंध में व्याख्या के सिद्धांतों को लागू किया है।

एक अन्य ", यथास्थिति वारंट की एक रिट का निर्णय करते समय, बहुमत ने फैसला सुनाया कि यदि एक गैर-विधायक को संविधान के अनुच्छेद *164* के तहत मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जा सकती है, तो उसे निम्न योग्यताओं को पूरा करना होगाः अनुच्छेद *173* के तहत अभिनिर्धारित विधायक की सदस्यता। आई. आर. कोएल्हो

(ऊपर), निहित सीमा के सिद्धांत का निर्णय करते हुए और केशवानंद भारती *(ऊपर)* और मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य में बताए गए विभिन्न विचारों का उल्लेख करते हुए। भारत संघ और अन्य ने फैसला सुनाया कि निहित सीमा का सिद्धांत संवैधानिक व्याख्या के क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है।

45. मनोज नरूला बनाम। भारत संघ, न्यायालय, जबकि

संविधान के अनुच्छेद *75 (1)* की व्याख्या करते हुए राय दी कि उक्त प्रावधान में निहित सीमा को पढ़ना निषेध या *45 (2006) 8* एस. सी. सी. *212* को जोड़ने के समान होगा।

46 (2001) 7 एस. सी. सी. *211* *47 (1980) 3* एस. सी. सी. *625*

48 (2014) 9 एस. सी. सी. *1* कल्पना मेहता बनाम

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

एक अयोग्यता जो प्रावधान से न तो स्पष्ट रूप से बताई गई है और न ही निहित रूप से स्पष्ट है। आखिरकार, बहुमत ने व्यक्त किया कि जब उस व्यक्ति के लिए कोई अयोग्यता नहीं है जिसके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं

चुनाव लड़ने के लिए घोर या गंभीर अपराधों या भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के संबंध में, प्रतिबंध को व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद *75 (1)* में या उस मामले के लिए, प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री की शक्तियों के अनुच्छेद *164 (1)* में इस तरह से पढ़ना मुश्किल है। यह पात्रता की कसौटी के भीतर आएगा और एक पात्रता योग्यता निर्धारित करने और एक अयोग्यता जोड़ने के बराबर होगा जो संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। किसी की अनुपस्थिति में

निहितार्थ का सिद्धांत मूल रूप से पाठ में उपयोग किए गए शब्दों से एक विचार के तर्कसंगत अनुमान पर आधारित है। वैध की अवधारणा कटौती को हमेशा मान्यता दी जाती है। मेलबर्न निगम बनाम। राष्ट्रमंडल, डिक्सन, जे. ने राय दी कि संवैधानिक निहितार्थ उन विचारों पर आधारित होना चाहिए जो सम्मोहक हैं। मेसन, सी. जे.

ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेलीविजन पीटीवाई। लिमिटेड और अन्य और न्यू साउथ वेल्स राज्य बनाम। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल और एक अन्य *50 [*राजनीतिक विज्ञापन*]* ने फैसला सुनाया है कि संरचनात्मक हो सकता है

निहितार्थ जो "उस संरचना की अखंडता के संरक्षण के लिए तार्किक या व्यावहारिक रूप से आवश्यक हैं"। व्याख्या के इस मार्ग को अपनाने के किसी भी प्रस्ताव को पाठ में कुछ शब्दों या पाठ की योजना के आधार पर कुछ विश्राम स्तंभ या शक्ति मिलनी चाहिए। इसके अभाव में, किसी न्यायालय के लिए किसी भी प्रस्ताव का निष्कर्ष निकालना अनुज्ञेय नहीं हो सकता है क्योंकि यह तर्क की वैधता को विफल कर देगा। एक प्रस्ताव कई लेखों को पढ़कर स्थापित किया जा सकता है। एकजुट रूप से, इसके लिए मूल वैधता के क्षेत्र में होगा। अदालत ने आगे विस्तार से कहा कि उक्त प्रक्रिया की अपनी सीमा है क्योंकि अदालत एक संवैधानिक प्रावधान को फिर से नहीं लिख सकती है। व्याख्या के उक्त तरीके को अपनाने को सही ठहराने के लिए एक संवैधानिक आधार होना चाहिए।

47. कुलदिप नायर और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य *3 1,* एक संविधान पीठ, के संविधान के अनुच्छेद *80* की व्याख्या करते हुए

49 [1947] 74 सी. एल. आर. *31 (*ऑस्ट*)* *50 [1992] 177* सीएलआर *106 (*ऑस्ट*) 51 (2006) 7* एससीसी *1 [2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत, जी. नारायणस्वामी बनाम के एक अंश पर निर्भर था। जी. पन्नीरसेल्वम और अन्य। उक्त प्राधिकारी स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि न्यायालयों को उस दस्तावेज़ की व्यापक और उदार भावना से व्याख्या करनी चाहिए जिसमें देश का मौलिक कानून शामिल है। न्यायालय ने कहा कि एक व्यापक और उदार निर्माण देना वांछनीय हो सकता है संवैधानिक प्रावधान, लेकिन ऐसा करते समय, "सादा अर्थ" या "शाब्दिक" व्याख्या के नियम, जो "प्राथमिक नियम" बना हुआ है, को भी ध्यान में रखना होगा। "प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों" के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद *80 (4)* के संदर्भ में, न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह अभिव्यक्ति "प्रतिनिधि" में निहित है कि उसे पहले राज्य में एक निर्वाचक होना चाहिए। इसने फैसला सुनाया कि राज्य का "प्रतिनिधि" निर्वाचकों द्वारा चुना गया व्यक्ति है जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो निर्वाचकों की राय में, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त है।

48. भारत संघ बनाम में न्यायालय। संकलचंद हिम्मतलाल सेठ और अन्य *3-3* ने फैसला सुनाया कि यह याद रखना चाहिए कि जब न्यायालय ने एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करता है, यह निष्क्रिय शब्दों में जीवन की सांस लेता है

संस्थापक दस्तावेज़ में उपयोग किया गया। संवैधानिक न्यायालय के समक्ष समस्या केवल मौखिक समस्या नहीं है। " फ्रैंकफर्टर, जे. ने कहा कि "साक्षरता", "अर्थ का गला घोंट सकती है" और उन्होंने मैसाचुसेट्स बॉन्डिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी में जोड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका कि "कोई निश्चितता नहीं है

किसी दस्तावेज़ को शाब्दिक रूप से पढ़ने के बजाय गलत तरीके से पढ़ने का तरीका। न्यायालय "शब्दकोश से बाहर एक किला" बनाकर संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या नहीं कर सकता है। संवैधानिक समस्या का महत्व महत्वपूर्ण है, औपचारिक नहीं। इसे केवल शब्दों और एक शब्दकोश को लेकर नहीं, बल्कि निर्माताओं के उद्देश्य और इरादे पर विचार करके एकत्र किया जाना चाहिए।

जैसा कि संदर्भ और उस सेटिंग से एकत्र किया गया है जिसमें शब्द आते हैं। कानून में उपयोग किए गए शब्दों से कानून देने वाले के सच्चे इरादे को इकट्ठा करने की कठिनाई को होम्स, जे. ने एक हड़ताली और एपिग्रामेटिक तरीके से व्यक्त किया जब उन्होंने कहाः विचार अक्सर कठिन नहीं होते हैं, लेकिन शब्द शैतान होते हैं और यह कठिनाई तब और बढ़ जाती है जब जिन शब्दों का अर्थ लगाया जाना है, वे संवैधानिक प्रावधान में होते हैं, क्योंकि, जैसा कि इंगित किया गया है।

जे. कार्डोजो ने कहा, "संवैधानिक व्याख्या की प्रक्रिया अंतिम विश्लेषण में अपने खंडों में मूल्यों को पढ़ने की प्रक्रिया है।"

52 (1972) 3 एस. सी. सी. *717*

53 (1977) 4 एससीसी *193* *54 352* यू. एस. *128 (1956) 55* आर. ई. मेगारी, 'ए सेकंड मिसेलनी-एट-लॉ' *(*स्टीवंस, लंदन, *1973),*

p.152 कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

49. इस पृष्ठभूमि में, यह कहना आवश्यक है कि न्यायालय की एक बड़ी जिम्मेदारी है जब वह अंतिम मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।

संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या।

50. हमने सर्वोच्चता की अवधारणाओं पर चर्चा की है

संविधान और संवैधानिक सीमा, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा का दायरा और दायरा, न्यायिक संयम, मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रगतिशील विधि और

ऐसे अंतर्निहित अधिकारों की व्यापक अवधारणा। हमने अन्य संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या पर भी विचार-विमर्श किया है जो वास्तव में मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को नहीं छूते हैं, लेकिन उनके लिए मौलिक हैं।

संवैधानिक शासन और न्यायालय का कर्तव्य संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करना नहीं है। हम तुरंत यह जोड़ सकते हैं कि वर्तमान मामले में, हम ऐसे संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या से चिंतित नहीं हैं जिनका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। हम कुछ प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित हैं जो संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित हैं और जो कुछ अनुच्छेदों में संविधान द्वारा संरक्षित हैं। यह स्थिति अनुच्छेद *105* और *122* में निहित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्टों पर भरोसा करने के लिए न्यायालय की भूमिका के संदर्भ में सामने आई है।

जे. संसदीय समितियों की भूमिका पर एक दृष्टिकोण

आकार में घातीय वृद्धि; विधान पर विचार करने के लिए सदस्यों के बीच "श्रमिकों का विभाजन" विकसित करना। *52.* संयुक्त राज्य अमेरिका के *28* वें राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को *1885* में यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि "यह कहना सच्चाई से दूर नहीं है कि

सत्र में कांग्रेस सार्वजनिक प्रदर्शनी पर कांग्रेस है, जबकि कांग्रेस अपने समिति कक्षों में कांग्रेस काम कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश

56 स्रोत-समिति प्रणाली में प्रवेशः स्टेट कमेटी असाइनमेंट्स, रोनाल्ड डी. हेडलंड, राजनीतिक; रिसर्च क्वार्टरली, वॉल्यूम। *42* , अंक *4*, पृ. *597-625*

57 वुडरो विल्सन, "कांग्रेसनल गवर्नमेंट", *1885*, ने जे. सी. ओ. सी. की अंतिम रिपोर्ट में उद्धृत किया, *(*बाल्टीमोर, द जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी प्रेस, *1981)* पी।

सदन में बहस को सूचित करने के लिए कांग्रेस के काम को विस्तृत समीक्षा के लिए समितियों को भेजा गया था।

53. पूर्व अमेरिकी प्रतिनिधि जेम्स शैनन ने टिप्पणी की

मलावी के विधानमंडल में समितियों की भूमिका पर *1995* के एक सम्मेलन के दौरानः

"दुनिया भर में संसद के कार्य के संचालन के लिए समितियों पर अधिक निर्भरता की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति है, और सबसे बड़ी

इस प्रवृत्ति का कारण दक्षता के लिए एक चिंता है। आधुनिक संसद की कई मांगें हैं और पूरे सदन के लिए काम करने के लिए आवश्यक सभी विवरणों पर विचार करना संभव नहीं है।
विधायिका का उचित कार्य। *58* "

54. लॉर्ड कैंपियन ने अपनी पुस्तक में उस दोहरे अर्थ की व्याख्या की है जिसमें पुरानी संसदीय भाषा में "समिति" शब्द का उपयोग किया गया थाः

"शुरुआती दिनों में यह समग्र रूप से निकाय नहीं है, बल्कि प्रत्येक एकल सदस्य का अर्थ है, 'निकाय को समिति के रूप में वर्णित किया जाता है' जिसके लिए विधेयक प्रतिबद्ध है। शर्तों का गठन किसी भी अन्य अंग्रेजी शब्द के समान है जो न्यासी, पट्टेदार, नामित, नियुक्त व्यक्ति जैसे दायित्व के द्विपक्षीय संबंध में प्राप्तकर्ता को दर्शाता है। निकाय को आमतौर पर पुराने अधिकारियों में 'समिति' के रूप में संदर्भित किया जाता है। लेकिन बहुत पहले ही उन लोगों की समग्रता का वर्णन करना सामान्य हो गया था जिनके लिए एक विधेयक को अमूर्त अर्थ में 'समिति' के रूप में संदर्भित किया गया था। दोनों अंग्रेजी शब्दों में प्रतिनिधि मंडल के विचार पर जोर दिया जाता है न कि प्रतिनिधित्व के विचार पर जिसमें जर्मन

शब्द ऑस्सेहस व्यक्त करता है।

55. एक समिति की उपयोगिता को लॉर्ड बीकॉन्सफील्ड द्वारा संक्षिप्त रूप से व्यक्त किया गया हैः

"मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है जो संसदीय समितियों के काम को मुझसे ज्यादा महत्व देता है। वे देश के लिए मूल्यवान जानकारी का एक असाधारण द्रव्यमान प्राप्त करते हैं, जो संभवतः अन्यथा उनके पास या उपलब्ध नहीं होता और उनके रूप में गठित नहीं होता।

अनिवार्य रूप से, चुने गए पुरुषों की रिपोर्ट गर्भवती हैं

58 नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, संसद का संगठनः समितियों और पार्टी व्हिप की भूमिका-मैंगोची, मलावी में एन. डी. आई. कार्यशाला जून *1995 (*वाशिंगटनः नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, *1995) 59* "एन इंट्रोडक्शन टू द प्रोसीजर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स"

60 लॉर्ड बीकन्सफील्ड इन हंसार्ड, तीसरी श्रृंखला, *Vol.235 (1877)* पी।

1478 कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

सुधार के लिए विवेकपूर्ण और विवेकपूर्ण सुझाव

मामलों का प्रशासन "।

56. आज के लोकतंत्र में समितियों के महत्व का विवरण इस प्रकार दिया गया हैः

"समितियाँ इन लोकतांत्रिक संस्थानों के अधिक शानदार पहलू में अधिक उपयोगी नहीं हो सकती हैं, और वे मौलिक नीति को आकार देने या सरकार के बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित करने में अधिक उपयोगी नहीं हो सकती हैं। लेकिन वे बिल्कुल अपरिहार्य हैं।

पर्यवेक्षण और नियंत्रण के विस्तृत कार्य के लिए

प्रशासन। कभी-कभी नहीं, वे सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के रचनात्मक कानूनों के बड़े टुकड़ों को लागू करते हैं। ए की जाँच

जटिल सामाजिक समस्या, कानून से पहले, शायद और अक्सर ऐसी विधायी समितियों द्वारा की जाती है, जिनकी सेवा के मूल्य को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। वे उपयोगी हैं विशेषज्ञ सलाह प्राप्त करना जब समस्या एक तकनीकी है जिसमें एक संगठन के भीतर कई शाखाएँ शामिल हैं, या जब विशेषज्ञों को संकीर्ण सीमाओं के भीतर परिभाषित उच्च तकनीकी समस्या पर सलाह देने की आवश्यकता होती है। गवाहों की जाँच से जुड़ी जाँच के आधार पर सलाह का प्रावधान भी एक समिति के लिए उपयुक्त कार्य है। सदन के कामकाज की कुछ वस्तुओं से निपटने के लिए सदन के सदस्यों में से चुनी गई छोटी समितियों का गठन न केवल सुविधा है, बल्कि संसद की स्थापित परंपरा के अनुसार भी है। यह प्रक्रिया उन मामलों से निपटने में विशेष रूप से सहायक है, जिन पर उनकी विशेष या तकनीकी प्रकृति के कारण सदन की एक समिति द्वारा विस्तार से विचार किया जाता है। विधायी कार्य में तेजी लाने के अलावा, समितियाँ अन्य उपयोगी सेवाओं की सेवा करती हैं। इन सेवाओं पर

समितियाँ सदस्यों को पर्याप्त रूप से आपूर्ति करती हैं

जानकारी, मामलों में उनकी अंतर्दृष्टि को गहरा करती है और उनके निर्णय को स्थिर करती है, उम्मीदवारों को पद के लिए अमूल्य प्रशिक्षण प्रदान करती है, और विधायिका में ज्ञान और क्षमता का सामान्य स्तर बढ़ता है। भावना के अनुरूप और संसदीय सरकार बनाने वाली समितियाँ देश के साथ-साथ आँख और कान और कुछ हद तक विधायिका के मस्तिष्क की सेवा कर सकती हैं, क्योंकि सरकार के कार्य और हित के क्षेत्र दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं।

एक दिन "।

भारत के केंद्रीय विधानमंडल में समिति प्रणाली का स्वामित्व *1920-1947 "[2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

57. इसके अलावा, उक्त पुस्तक में समितियों के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

"जैसे-जैसे समय के साथ समिति प्रणाली विकसित हुई, इन निकायों के विभिन्न कार्यों को कुछ निश्चित प्रकारों में विभाजित किया गया और इनमें से प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त आकार का एक मानक भी तैयार किया गया। इन समितियों की नियुक्ति विभिन्न उद्देश्यों के लिए की जाती है। प्रमुख उद्देश्यों में से एक जिसके लिए समितियों की नियुक्ति की जाती है, वह है रिपोर्ट से निकलने वाली समस्याओं की सार्वजनिक जांच, जिस पर कानून बनाया जा सकता है। दूसरा, विधान बनाने के लिए समितियों की नियुक्ति की जाती है। इस तरह से संदर्भित बिल

समितियों को कानून बनने से पहले उनकी पूरी तरह से चर्चा की जाती है और उनका मसौदा तैयार किया जाता है। भारतीय विधानमंडल में चयन समितियाँ ऐसी समितियों के उदाहरण हैं। तीसरा, समितियों को जांच और नियंत्रण के लिए नियुक्त किया जाता है। इन समितियों को यह देखने का काम सौंपा गया है कि कोई प्रक्रिया है या नहीं।

निष्पादित किया जा रहा है, और इस कार्य के उनके संचालन से वे निष्पादित करने पर किसी प्रकार के नियंत्रण के साधन प्रदान करने के लिए काम करते हैं

प्रक्रिया "।

58. आज संसदीय समिति प्रणालियाँ अपने बुनियादी कार्यों को करने के लिए संसदों के एक रचनात्मक तरीके के रूप में उभरी हैं। वे कानून और निरीक्षण के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। कई संसदों में, विधेयकों, प्रस्तावों और विशिष्ट मुद्दों पर मामलों को निर्दिष्ट किया जाता है।

बहस और सिफारिशों के लिए समितियाँ आगे की बहस के लिए सदन में बनाई जाती हैं। संसदीय समितियाँ आज की दुनिया के लोकतांत्रिक संसदों के जीवंत और केंद्रीय संस्थानों के रूप में उभरी हैं। समितियों की स्थापना कैसे की जाती है, संरचना, जनादेश और अध्यक्षों का चयन कैसे किया जाता है, इस पर दुनिया भर की संसदों ने अपने स्वयं के नियम बनाए हैं, लेकिन उनकी कुछ विशेषताएँ समान हैं। वे आम तौर पर सांसदों का एक छोटा समूह होता है जिसे किसी विशेष विषय से संबंधित मुद्दों की आलोचनात्मक समीक्षा करने या किसी विशिष्ट विधेयक की समीक्षा करने के लिए एक साथ लाया जाता है। उनसे अक्सर अपने अवलोकन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है और

अंतिम बहस के लिए चैंबर को सिफारिशें।

59. समितियों में अक्सर बहु-दलीय संरचना होती है। वे.

नीति या सरकारी प्रशासन या प्रदर्शन के विशिष्ट मामलों की जांच करें। प्रभावी समितियों ने किसी दिए गए नीतिगत क्षेत्र में विशेषज्ञता की एक डिग्री विकसित की है, अक्सर निरंतर भागीदारी और स्थिरता के माध्यम से।

सदस्यताएँ। यह विशेषज्ञता उनके द्वारा मान्यता प्राप्त और मूल्यवान दोनों है। सहकर्मी। वे विविधता का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं और कल्पना मेहता बनाम का पर्याप्त सामंजस्य भी करते हैं।

कार्रवाई के लिए सिफारिशों को बनाए रखने के लिए मतभेद। वे भी हैं।

यह काफी महत्वपूर्ण है ताकि विधायिका के अंदर और बाहर के लोग इस बारे में जानकारी प्रदान करके परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश करें कि वे क्या चाहते हैं और वे क्या स्वीकार करेंगे। इसके अलावा, वे एक विधायी निकाय को विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर गहराई से विचार करने और राजनीतिक और तकनीकी रूप से व्यवहार्य विकल्पों की पहचान करने के लिए एक साधन प्रदान करते हैं।

के. संसदीय समितियों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति

61. इतिहास बताता है कि संसदीय स्थायी समितियाँ अधिकांश प्रतिष्ठित लोकतंत्रों में बहुत महत्वपूर्ण संस्थान रही हैं जैसे - संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि। वर्षों से समिति प्रणाली का इस क्षेत्र में महत्व बढ़ गया है -

शासन।

के. *1* इंग्लैंड में संसदीय समितियाँ

62. ब्रिटिश संसदीय इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि *14* वीं शताब्दी से संसदीय समितियाँ किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रही हैं। शायद समिति प्रणाली की उत्पत्ति 'याचिकाओं के परीक्षणकर्ताओं और परीक्षकों' के साथ हुई थी-वे व्यक्तिगत सदस्य थे जिन्हें याचिकाओं के माध्यम से व्यक्त की गई नागरिकों की प्रार्थनाओं को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने के लिए चुना गया था। *16* वीं शताब्दी के मध्य तक, एक स्थिर समिति प्रणाली अस्तित्व में आई। ये संसदीय समितियाँ उप-विधायी संगठन हैं जिनमें से प्रत्येक में हाउस ऑफ कॉमन्स से कम संख्या में संसद सदस्य, या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सहकर्मी, या विशेष क्षेत्रों या मुद्दों से निपटने के लिए नियुक्त दोनों का मिश्रण होता है; जिनमें से अधिकांश कॉमन्स के सदस्यों से बने होते हैं। *62* अधिकांश संसदीय समितियाँ चयन समितियाँ होती हैं जो निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं:

1. विभागों और एजेंसियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।

2. देश या व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सामयिक मुद्दों की जांच करें।

क्षेत्र; और

3. कार्यप्रणाली, कार्यप्रणाली और नियमों की समीक्षा करें और सलाह दें।

घर को।

62 देखें एच. टी. पी.: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. संसद। यूके/व्यवसाय/समितियाँ/*[2018] 4* एस. सी. आर.

63. अन्य समितियाँ जैसे "विभागीय चयन"

समितियाँ "अलग-अलग सरकारी विभागों के काम की देखरेख और जांच के लिए बनाई गई हैं", सामयिक चयन समिति "जाँच करती है महत्व के समकालीन मुद्दे और "आंतरिक चयन समितियाँ"

संसद के दिन-प्रतिदिन चलने के संबंध में जिम्मेदारी लें। *63* यह संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समितियों का एक बहुत शक्तिशाली नेटवर्क बनाने में मदद करता है।

के. *2* संयुक्त राज्य अमेरिका में संसदीय समितियाँ *64*। संसदीय समितियाँ प्रभावी होने के लिए आवश्यक हैं

संयुक्त राज्य अमेरिका में संसद का संचालन। अपने काम की उच्च मात्रा और जटिलता के कारण, सीनेट अपने कार्यों को *20* स्थायी समितियों, *4* संयुक्त समितियों और कभी-कभी अस्थायी समितियों के बीच विभाजित करता है। यद्यपि सीनेट समिति प्रणाली प्रतिनिधि सभा के समान है, लेकिन इसके अपने दिशानिर्देश हैं जिनके भीतर प्रत्येक समिति अपने नियमों को अपनाती है। यह पैनलों के बीच काफी भिन्नता पैदा करता है। प्रत्येक समिति का अध्यक्ष और उसका बहुमत

सदस्य बहुसंख्यक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष मुख्य रूप से एक समिति के कार्य को नियंत्रित करता है। प्रत्येक दल अपने सदस्यों को नियुक्त करता है -

समितियाँ, और प्रत्येक समिति अपने सदस्यों को अपनी उप समितियों में वितरित करती है। *64* सीनेट पैनल की संख्या और प्रकार पर सीमा निर्धारित करता है जिस पर कोई भी सीनेटर सेवा कर सकता है और अध्यक्षता कर सकता है। समितियाँ प्राप्त करती हैं परिचालन निधियों के विभिन्न स्तर और अलग-अलग संख्या में सहायकों को नियुक्त करना। प्रत्येक अपने स्वयं के कर्मचारियों को नियुक्त करता है। बहुसंख्यक दल अधिकांश समिति कर्मचारियों और संसाधनों को नियंत्रित करता है, लेकिन एक हिस्सा अल्पसंख्यकों के साथ साझा किया जाता है।

65. संयुक्त राज्य अमेरिका में संसदीय समितियों की भूमिका और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

(i) "छोटी विधानसभाओं" के रूप में, समितियाँ सरकारी कार्यों की निगरानी करती हैं, विधायी समीक्षा के लिए उपयुक्त मुद्दों की पहचान करती हैं, जानकारी एकत्र करती हैं और मूल्यांकन करती हैं और अपने मूल निकाय को कार्रवाई के पाठ्यक्रमों की सिफारिश करती हैं।

((ii) समिति की सदस्यता सदस्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के बारे में विशेष ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाती है।

((iii) स्थायी समितियों के पास आम तौर पर विधायी अधिकार क्षेत्र होता है। उप-समितियाँ समिति के कार्य के विशिष्ट क्षेत्रों को संभालती हैं। चयन और संयुक्त समितियाँ आम तौर पर निरीक्षण या हाउसकीपिंग को संभालती हैं। जिम्मेदारियाँ। *65*

63 आईडी.

64 देखें *HTTPS: //*डब्ल्यू. डब्ल्यू. ब्रिटानिका। विवरण के लिए कॉम/टॉपिक/कांग्रेस-ऑफ-द-यूनाइटेड स्टेट्स।
65 अन्य प्रकार की समितियाँ राष्ट्रपति कल्पना मेहता बनाम की पुष्टि या अस्वीकृति से संबंधित हैं।

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

((iv) कई हजार बिल और प्रस्ताव भेजे जाते हैं।

प्रत्येक *2*-वर्षीय कांग्रेस के दौरान समितियाँ। समितियाँ विचार के लिए एक छोटे प्रतिशत का चयन करती हैं, और जिन्हें संबोधित नहीं किया जाता है उन्हें अक्सर नहीं मिलता है

आगे की कार्रवाई। समितियाँ जिन विधेयकों की रिपोर्ट करती हैं, वे सीनेट के एजेंडे को निर्धारित करने में मदद करते हैं।

66. जब कोई समिति या उप-समिति किसी उपाय का समर्थन करती है, तो वह

आम तौर पर चार कार्य करता हैः पहले यह संबंधित कार्यकारी एजेंसियों से उपाय पर लिखित टिप्पणियां मांगता है; दूसरा, यह गैर-समिति विशेषज्ञों से जानकारी और विचार एकत्र करने के लिए सुनवाई करता है और समिति की सुनवाई में, ये गवाह प्रस्तुत किए गए बयानों का सारांश देते हैं और फिर सीनेटरों के सवालों का जवाब देते हैं; तीसरा, एक समिति संशोधनों के माध्यम से उपाय को पूरा करने के लिए मिलती है, और गैर-समिति के सदस्य कभी-कभी भाषा को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं; और चौथा, जब भाषा पर सहमति होती है, तो समिति उपाय को पूर्ण सीनेट को वापस भेजती है, आमतौर पर इसके उद्देश्यों और प्रावधानों का वर्णन करने वाली लिखित रिपोर्ट के साथ। एक समिति का प्रभाव विधेयकों को कानून में बदलने तक फैला हुआ है। एक समिति जो एक उपाय पर विचार करती है, उस पर सीनेट के पूर्ण विचार-विमर्श का प्रबंधन करेगी। इसके अलावा, इसके सदस्यों को प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित संस्करण के साथ एक विधेयक के अपने संस्करण को मिलाने के लिए बनाई गई किसी भी सम्मेलन समिति में नियुक्त किया जाएगा।

के. *3* कनाडा में संसदीय समितियाँ

67. कनाडा में संसद भी विभिन्न माध्यमों से कार्य करती है।

नामांकित व्यक्ति। समिति की सुनवाई जो कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और जांच पर ध्यान केंद्रित करती है, उन्हें निरीक्षण सुनवाई के रूप में जाना जाता है, जबकि समिति की जांच गलत काम के आरोपों की जांच करती है। *66* विशेष समितियाँ *(*जिन्हें कभी-कभी चयन समितियाँ कहा जाता है*)*, जैसे। जी। , के संविधान पर सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स की विशेष संयुक्त समिति

कनाडा, कभी-कभी सदन द्वारा विशिष्ट मुद्दों का अध्ययन करने या नीतिगत निर्णयों पर जनमत की जांच करने के लिए स्थापित किया जाता है। उन्हें कभी-कभी कार्य बल कहा जाता है लेकिन सरकारी कार्य बल के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। देखें एच. टी. पी.*: //*

डब्ल्यू. डब्ल्यू. थेकेनाडियनसीक्लोपीडिया। सीए/एन/लेख/समितियाँ*/[2018] 4* एस. सी. आर.

आधिकारिक भाषा नीति और बहुसंस्कृति नीति जैसे निहितार्थ वाले मामलों की जांच करें।

के. *4* ऑस्ट्रेलिया में संसदीय समितियाँ

68. ऑस्ट्रेलिया में संसदीय समितियों का प्राथमिक उद्देश्य उन कार्यों को करना है जो सदन स्वयं करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, यानी किसी मामले के तथ्यों का पता लगाना, गवाहों की जांच करना, साक्ष्य की जांच करना और तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालना। अपनी संरचना और प्रक्रिया की विधि के कारण, जो सदनों की तुलना में संरचित लेकिन आम तौर पर अनौपचारिक है, समितियाँ विशेषज्ञ समूहों या व्यक्तियों से साक्ष्य एकत्र करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हैं। *67* एक मायने में,

वे 'संसद को लोगों तक ले जाते हैं' और संगठनों और व्यक्तियों को नीति निर्माण में भाग लेने और अपने विचारों को सार्वजनिक रिकॉर्ड पर रखने और निर्णय लेने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में विचार करने की अनुमति देते हैं। समिति की पूछताछ न केवल सदस्यों को सामुदायिक विचारों के बारे में बेहतर जानकारी देने में सक्षम बनाती है, बल्कि केवल एक जांच करने में, समिति इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस को बढ़ावा दे सकती है। ऑल-पार्टी

अधिकांश समितियों की संरचना और पार्टी लाइनों के पार काम करने की उनकी प्रवृत्ति महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। *68* यह द्विदलीय दृष्टिकोण आम तौर पर पूछताछ के संचालन और निष्कर्ष निकालने के दौरान प्रकट होता है। समितियाँ कार्यपालिका की देखरेख और जांच करती हैं और एक बेहतर-सूचित प्रशासन और सरकारी नीति-निर्माण प्रक्रिया में योगदान देती हैं। अपनी औपचारिक कार्यवाहियों के संबंध में, समितियाँ स्वयं सदनों की सूक्ष्म समितियाँ और विस्तार होती हैं, जो उन्हें सौंपे गए अधिकार की सीमा तक उनकी जांच की शक्ति में सीमित होती हैं और उनकी कार्यवाहियों में अधिकांश भाग के लिए प्रक्रियाओं और प्रथाओं द्वारा शासित होती हैं जो उन लोगों को दर्शाती हैं जो उस सदन में प्रचलित हैं जिसके द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था।

एल. भारत में संसदीय समितियाँ

69. संसदीय समितियों और अन्य लोकतंत्रों में उनकी भूमिका पर विचार करने के बाद, अब हम इससे निपटने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। भारत में संसदीय समितियाँ। भारत में लंबा स्वतंत्रता संग्राम केवल ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने का आंदोलन नहीं था। यह विभिन्न सामाजिक बुराइयों और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और भेदभावों से खुद को मुक्त करने, वंचितों और दलितों को गरीबी के कीचड़ से ऊपर उठाने के लिए एक आंदोलन था।

67 देखें *HTTPS: //*डब्ल्यू. डब्ल्यू. एफ़. गव. एयू/पार्लियामेंट्री _ बिजनेस/समितियाँ *68* आईडी।

69 आईडी.

कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

उन्हें देश के समग्र परिवर्तन में हिस्सेदारी दें। इसी बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ *1936* में संसदीय प्रणाली पर आधारित एक लोकतांत्रिक राजनीति की कल्पना की गई और औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की गई।

"एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना" के रूप में, एक संप्रभु राज्य जो "पूर्ण लोकतंत्र" को बढ़ावा देगा और बढ़ावा देगा और एक नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत करेगा। *70.* संविधान के संस्थापकों का मानना था कि ऐसी प्रणाली हमारी विविधता से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के साथ-साथ राष्ट्र के सामने आने वाले असंख्य सामाजिक-आर्थिक कारकों के लिए भी प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देगी। उस उद्देश्य के साथ, राजनीतिक व्यवस्था में

जिसे हमने स्थापित किया, संसद को प्रमुखता दी गई, वह अंग जो सीधे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और इस तरह के लिए जवाबदेह है उन्हें।

71. इस मोड़ पर, हम संसदीय समिति की उत्पत्ति और कार्यप्रणाली को देख सकते हैं। भारत में समिति प्रणाली, जैसा कि किया गया है

भारत में समिति प्रणाली में कहा गया हैः कार्यकारी जवाबदेही को लागू करने में प्रभावशीलता ", हनोई सत्र, मार्च *2015*, इस प्रकार हैः

एक बिल पर। विधान सभा की समितियों के अलावा, केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों ने विभिन्न समितियों से जुड़ी स्थायी सलाहकार समितियों में भी कार्य किया।
भारत सरकार के विभाग। ये सभी समितियाँ विशुद्ध रूप से सलाहकार थीं और सरकार के नियंत्रण में काम करती थीं और विभाग के प्रभारी मंत्री समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे।

प्रणाली में परिवर्तन हुआ। समितियों की संख्या में न केवल वृद्धि हुई, बल्कि उनके कार्यों और शक्तियों का भी विस्तार किया गया।
अपनी प्रकृति से, संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैंः स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ।

समितियाँ स्थायी और नियमित समितियाँ होती हैं जिनका गठन समय-समय पर इन प्रावधानों के अनुसरण में किया जाता है - संसद का अधिनियम या लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम। इन समितियों का कार्य निरंतर प्रकृति का है। वित्तीय समितियाँ, विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियाँ *(*डी. आर. एस. सी.*)* और कुछ अन्य समितियाँ स्थायी समितियों की श्रेणी में आती हैं। तदर्थ समितियों को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाता है और जब वे उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करते हैं और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रमुख तदर्थ समितियाँ चयन और संयुक्त समितियाँ हैं।

बिलों पर। रेलवे सम्मेलन समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन पर संयुक्त समिति आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं।

तदर्थ समितियों की श्रेणी "।

72. उक्त दस्तावेज में संसद की स्थायी समितियों के संबंध में इस प्रकार देखा गया हैः

"स्थायी समितियाँ वे होती हैं जो समय-समय पर सदन द्वारा चुनी जाती हैं या लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित की जाती हैं।
सभापति, राज्य सभा, अकेले या संयुक्त रूप से और स्थायी प्रकृति के होते हैं। स्थायी समितियों को उनके कार्यों के संदर्भ में दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियाँ *(*डी. आर. एस. सी.*)*, वित्तीय समितियाँ आदि समितियों की एक श्रेणी, अपने-अपने अधिदेश के अनुसार सरकार के कामकाज की जांच करती है। समितियों की अन्य श्रेणी जैसे नियम समिति, सदन समिति, वेतन और भत्तों पर संयुक्त समिति आदि सदनों और सदस्यों से संबंधित मामलों से निपटती हैं।

73. आधुनिक समय में संसद के कार्य न केवल विविध और जटिल प्रकृति के हैं, बल्कि उनकी मात्रा भी काफी है।

इसका समय सीमित है। इसलिए, यह अपने समक्ष आने वाले सभी विधायी और अन्य मामलों पर बारीकी से विचार नहीं कर सकता है। इसलिए, इसके कामकाज का एक बड़ा हिस्सा सदन की समितियों में किया जाता है जिन्हें संसदीय समितियों के रूप में जाना जाता है। संसदीय समिति एक समिति जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या अध्यक्ष द्वारा नामित की जाती है और जो अध्यक्ष के निर्देश पर काम करती है और सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

74. अंग्रेजी परंपराओं पर आधारित, भारतीय संसद की समिति प्रणाली की संसदीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है।

कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

आम तौर पर, संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं-स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ। स्थायी समितियाँ स्थायी और नियमित समितियाँ होती हैं जिनका गठन समय-समय पर संसद के किसी अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में किया जाता है।

लोकसभा में कार्य की प्रक्रिया और संचालन। इन समितियों का कार्य निरंतर प्रकृति का है। वित्तीय समितियाँ,

विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ *(*डी. आर. एस. सी.*)* और कुछ अन्य समितियाँ भी स्थायी समितियों की श्रेणी में आती हैं। तदर्थ समितियों की नियुक्ति विशिष्ट उद्देश्यों के लिए की जाती है जब आवश्यकता उत्पन्न होती है और जैसे ही वे उन्हें सौंपे गए काम को पूरा करते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। *70* संसदीय समितियाँ आकार में हमेशा बड़ी होती हैं और प्रकृति में सिफारिश करने वाली होती हैं। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के अधिकार क्षेत्र में *24* विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ हैं। इन समितियों में से प्रत्येक में *31* सदस्य होते हैं-*21* लोकसभा से और *10* राज्यसभा से जिन्हें क्रमशः लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता है।

एल. *1* लोक में प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियम

सभा

75. इन समितियों के कामकाज पर बारीकी से नज़र डालने से इस तथ्य का पता चलता है कि समिति प्रणाली सदस्यों को प्रबुद्ध करने के लिए बनाई गई है।

रक्षा, विदेशी मामलों, उद्योग और वाणिज्य सहित सरकारी कार्रवाई की पूरी श्रृंखला पर संसद *(*सांसद*)* की, कृषि, स्वास्थ्य और वित्त। वे संसद के सदस्यों को लोकतंत्र की गतिशीलता को समझने और समझने का अवसर प्रदान करते हैं। संसद के सदस्य संसद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं

स्थायी समितियों द्वारा किए गए विस्तृत अध्ययनों के माध्यम से भारत की ताकत और कमजोरियों पर कार्य करने के साथ-साथ दृष्टिकोण। भारतीय संसदीय समितियाँ सूचनाओं का एक विशाल भंडार हैं जो संसद सदस्यों को स्वयं को शिक्षित करने और संसद को मजबूत करने के लिए विचारों का योगदान करने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

प्रणाली और शासन में सुधार। समिति प्रणाली संसद सदस्यों की अधिक जिम्मेदारियों को निभाने और उनके क्षितिज को व्यापक बनाने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। *70* प्रमुख तदर्थ समितियाँ विधेयकों पर चयन और संयुक्त समितियाँ हैं। रेलवे सम्मेलन समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन पर संयुक्त समिति आदि भी तदर्थ समितियों की श्रेणी में आती हैं।

76. जैसा कि संदर्भ निर्णय में कहा गया है कि

संसदीय समिति, हम उपयोगी रूप से लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों *(*संक्षेप में *'*नियम*')* का उल्लेख कर सकते हैं। नियमों के नियम *2* में *"*संसदीय समिति*"* को परिभाषित किया गया है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है

निम्नलिखित हैः

" 2. (1) ..... " "संसदीय समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जो

सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है

के लिए सदन या अध्यक्ष और सचिवालय को अपनी रिपोर्ट
जो लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रदान किया जाता है।

77. रेफरल निर्णय से, हम निम्नलिखित को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं

संबंधित नियमों से संबंधित अनुच्छेदः

समितियों को उनके कार्यों की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। द.
लोकसभा की स्थायी समितियाँ इस प्रकार हैंः

((क) वित्तीय समितियाँ*;*

(ख) विषय समितियाँ या विभागीय रूप से संबंधित स्थायी

दोनों सदनों की समितियाँ*;*

(ग) सदन समिति अर्थात दिन से संबंधित समितियाँ

सदन का दिन का व्यवसाय*;* *((घ)* जाँच
समिति*;*

(ई) जांच समितियाँ*;*

(च) सेवा समितियाँ*;* *34.* लोकसभा की स्थायी
समितियों की सूची

सदस्यता निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत की जाती हैः

समिति का नाम	सदस्यों की संख्या
व्यापार सलाहकार समिति	*15*
विशेषाधिकार समिति	*15*
सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति	*15*
सदन की बैठकों से	
सशक्तिकरण समिति	

महिला कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

अनुमान समिति		*30*
समिति	सरकार	*15*
पर		
आश्वासन	कागजों पर गठित समिति	*15*
तालिका	याचिकाओं पर समिति	*15*
15		
निजी सदस्य विधेयकों पर समिति	और संकल्प	

लोक लेखा समिति

22

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति

22

समिति

अधीनस्थ

15

पर

विधान

कल्याण समिति

30

अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजातियाँ सदन समिति

12

लाभ के कार्यालयों पर संयुक्त समिति

15

वेतन पर संयुक्त समिति और

15

सदस्यों के भत्ते

संसद

पुस्तकालय समिति

9

नियम समिति

15

उपरोक्त के अलावा, विभिन्न विभागीय रूप से संबंधित हैं

विभिन्न मंत्रालयों के तहत समितियों को सौंपना।

78. नियमों के नियम *77* और *78* निम्नानुसार हैं:

" 77. (1) चयन की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद

सदन की समिति या सदनों की संयुक्त समिति, के रूप में

मामला हो सकता है, एक विधेयक पर, प्रभारी सदस्य आगे बढ़ सकता है

(क) कि सदन की प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया विधेयक

या सदनों की संयुक्त समिति, जैसा भी मामला हो,

विचार में लिया गया; या

(ख) सदन की प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया विधेयक

या सदनों की संयुक्त समिति, जैसा भी मामला हो, फिर से

एक ही चयन समिति या एक नए चयन के लिए प्रतिबद्ध

समिति, या उसी संयुक्त समिति या एक नई संयुक्त समिति के लिए
परिषद की सहमति से समिति, या तो *[2018] 4* एस. सी. आर.

((i) बिना किसी सीमा के, या

((ख) केवल विशेष खंडों या संशोधनों के संबंध में, या *((ग)* समिति को कुछ विशेष बनाने के निर्देश के साथ या

विधेयक में अतिरिक्त प्रावधान, या

(ग) कि सदन की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए विधेयक को, जैसा भी मामला हो, राय प्राप्त करने या आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रसारित या पुनः प्रसारित किया जाए।

इस पर रायः

प्रस्ताव रखे जाने के दिन से दो दिन पहले सदस्यों का उपयोग और ऐसी आपत्ति प्रबल होगी, जब तक कि अध्यक्ष अनुमति न दे किया जाने वाला प्रस्ताव।

(2) यदि प्रभारी सदस्य सदन की प्रवर समिति या संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए विधेयक को पेश करता है।

सदन, जैसा भी मामला हो, विचार में लिया जाए, कोई भी सदस्य चयन/संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद प्रस्ताव पेश कर सकता है। *39* एक संशोधन के रूप में कि विधेयक को फिर से प्रतिबद्ध किया

जाए या प्रसारित किया जाए या उस पर राय या आगे की राय प्राप्त करने के उद्देश्य से पुनः प्रसारित किया जाए।

78. एक प्रस्ताव पर बहस कि सदन की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा रिपोर्ट किए गए विधेयक पर विचार किया जाएगा, सीमित होगा। समिति की रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में निर्दिष्ट मामलों या सुसंगत किसी भी वैकल्पिक सुझाव पर विचार करना।

विधेयक के सिद्धांत के साथ "।

79. नियमों के नियम *270,* जो राज्य सभा की समितियों के लिए गठित पूरक समिति के कार्यों से संबंधित है,

चींटी। वह इस प्रकार हैः

" 270. कार्य. प्रत्येक स्थायी समिति के पास होगा

निम्नलिखित कार्य, अर्थात् -

(क) संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना और उन पर रिपोर्ट देना। रिपोर्ट में सुझाव नहीं दिया जाएगा।

कट गति की प्रकृति का कुछ भी; कल्पना मेहता बनाम।

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

(ख) अध्यक्ष या अन्य द्वारा समिति को भेजे गए संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विधेयकों की जांच करना।

अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, और उस पर रिपोर्ट करें;

(ग) मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करना।
और उस पर रिपोर्ट करें; और

(घ) सदनों को प्रस्तुत राष्ट्रीय बुनियादी दीर्घकालिक नीति दस्तावेजों पर विचार करना, यदि अध्यक्ष द्वारा समिति को भेजा जाता है या

अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, और उस पर रिपोर्ट करता हैः

बशर्ते कि स्थायी समितियाँ संबंधित मंत्रालयों के दैनिक प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करेंगी। विभाग "।

80. नियम *271* कार्यों से संबंधित प्रावधानों को लागू करने का प्रावधान करता है। नियम *274* समिति की रिपोर्ट से संबंधित है। ने कहा कि नियम इस प्रकार हैः

" 274. समिति की रिपोर्ट। *- (1)* स्थायी समिति की रिपोर्ट व्यापक सहमति पर आधारित होगी।

(2) समिति का कोई भी सदस्य समिति की रिपोर्ट पर एक मिनट की असहमति दर्ज कर सकता है।

(3) समिति की रिपोर्ट, असहमति के कार्यवृत्त, यदि कोई हो, के साथ सदनों को प्रस्तुत की जाएगी।

81. नियम *274 (3)* अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रावधान है कि असहमति के कार्यवृत्त, यदि कोई हो, के साथ समिति की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किया जाना है। नियम *277* में कहा गया है कि रिपोर्ट का प्रेरक मूल्य होना चाहिए। इस संदर्भ में, नियम *277* उद्धृत करने योग्य हैः

"*277.* रिपोर्टों का प्रेरक मूल्य होना। ए की रिपोर्ट
स्थायी समिति का प्रेरक मूल्य होगा और इसे समिति द्वारा दी गई सलाह माना जाएगा। *9999* "

उपरोक्त नियम यह स्पष्ट करता है कि समिति की रिपोर्ट को समिति द्वारा दी गई सलाह के रूप में माना जाता है और यह संसद के लिए है।

एम. संसदीय विशेषाधिकार

82. ब्लैक लॉ डिक्शनरी, *6* था संस्करण। , *1990* , पी। *1197* , "विशेषाधिकार" को "किसी व्यक्ति, कंपनी या वर्ग द्वारा प्राप्त एक विशेष और विशिष्ट लाभ या लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अन्य *[2018] 4* एस. सी. आर. के सामान्य लाभों से परे है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरिक। एक असाधारण या असाधारण शक्ति या छूट। एक विशिष्ट अधिकार, लाभ, छूट, शक्ति, मताधिकार या प्रतिरक्षा जो किसी व्यक्ति या वर्ग के पास है, जो आम तौर पर दूसरों के पास नहीं है।

83. संसदीय विशेषाधिकार को लेखक एर्स्किन मे द्वारा परिभाषित किया गया है।

संसद के कानून, विशेषाधिकार, कार्यवाही और उपयोग पर एर्स्किन मे का ग्रंथः

"संसदीय विशेषाधिकार उन विशिष्ट अधिकारों का योग है जिनका आनंद लिया जाता है

प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से और प्रत्येक सदन के सदस्यों द्वारा

व्यक्तिगत रूप से, जिसके बिना वे अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते थे,
और जो अन्य निकायों या व्यक्तियों के कब्जे से अधिक है।

इस प्रकार विशेषाधिकार, हालांकि देश के कानून का हिस्सा है, एक निश्चित के लिए है

सामान्य कानून से छूट "। *71* *84.* संसदीय
विशेषाधिकार की अवधारणा की उत्पत्ति में है

1689 में बिल ऑफ राइट्स के पारित होने के साथ *17* वीं शताब्दी में वेस्टमिंस्टर, ब्रिटेन। संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा को निर्धारित करने वाले अधिकार विधेयक का अनुच्छेद *IX* निम्नानुसार हैः

"कि भाषण और बहस या कार्यवाही की स्वतंत्रता

या संसद से बाहर कर दें।
85. किसी भी अनुचित कार्य को रोकने के लिए संसदीय विशेषाधिकार लागू किया गया था

संसद के कामकाज में हस्तक्षेप और इस तरह संसद के सदस्यों को बिना किसी अनुचित बाधा के प्रभावी ढंग से और कुशलता से कार्य करने में सक्षम बनाता है। आज तक, किसी भी संसदीय लोकतंत्र में संसदीय विशेषाधिकार एक महत्वपूर्ण विशेषता बनी हुई है। संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा के लिए दो विपरीत तर्कों के संतुलनकारी कार्य की आवश्यकता होती है जैसा कि थॉमस एर्स्किन मे ने उल्लेख किया हैः

"एक तरफ संसद के विशेषाधिकार ही अधिकार हैं

'अपनी शक्तियों के उचित निष्पादन के लिए बिल्कुल आवश्यक; और

दूसरी ओर, जनता के संबंध में प्रदत्त संसद का विशेषाधिकार

सेवा का उपयोग राष्ट्रमंडल के खतरे के लिए नहीं किया जाना चाहिए। *72*

एम. *1* भारतीय संविधान के तहत संसदीय विशेषाधिकार
86. संसदीय स्थायी की भूमिका से निपटने के बाद

समिति या संसदीय समितियों को समझना आवश्यक है।

71 मई, *22* वां संस्करण। , पी। *65.* विशेषाधिकार की अन्य परिभाषाओं के लिए, मैंगोट, दूसरा संस्करण देखें। , पीपी। *12- 3 . 72* एर्स्किन मई *24* वां संस्करण पी. जी.

209 कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

संसदीय समिति का दर्जा और भारतीय संदर्भ में इसे प्राप्त विशेषाधिकार। भारत के संविधान का अनुच्छेद *105*, इस संदर्भ में प्रासंगिक होने के कारण, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"अनुच्छेद *105*। सदनों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि

संसद और उसके सदस्य और समितियाँ

(1) इस संविधान के प्रावधानों और संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए,

संसद या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में कोई न्यायालय और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा।
प्राधिकरण द्वारा या उसके अधीन प्रकाशन के संबंध में उत्तरदायी

संसद के किसी भी सदन के किसी भी प्रतिवेदन, पत्र, मत या

कार्यवाही

(3) अन्य मामलों में, संसद के प्रत्येक सदन और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद द्वारा समय-समय पर कानून द्वारा परिभाषित की जा सकें, और जब तक इस तरह परिभाषित नहीं किया जाता है, तब तक वे उसी की होंगी।

सदन और उसके सदस्यों और समितियों का तुरंत पहले

संविधान की धारा *15* का लागू होना *(*चालीस*)*

चौथा संशोधन*)* अधिनियम *1978*

(4) खंड *(1), (2)* और *(3)* के प्रावधान इस संबंध में लागू होंगे।

जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर अधिकार है

संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में भाग लेना और अन्यथा भाग लेना, जैसा कि वे इस संबंध में लागू होते हैं।

संसद के सदस्यों के लिए "।

87. उपरोक्त अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद *(2)* में स्पष्ट रूप से यह अभिधारणा दी गई है कि संसद के किसी भी सदस्य को किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।

किसी भी न्यायालय ने समिति में जो कुछ भी कहा है, उसके संबंध में। स्वतंत्रता

विधानमंडल के पटल पर सदस्यों के लिए जो भाषण उपलब्ध है, वह संविधान के अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* के तहत नागरिकों को उपलब्ध स्वतंत्रता से काफी अलग है। संसद के सदस्यों को सदन के अंदर जो कुछ भी बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद *105 (4)* में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि खंड *(1), (2)* और *(3)* के प्रावधान उन व्यक्तियों के संबंध में लागू होंगे, जिन्हें इस संविधान के आधार पर बोलने और अन्यथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति के बारे में जो वे संसद के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। इस प्रकार, पूर्ण है

संवैधानिक संरक्षण। यह ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद *118* में प्रावधान है कि संसद का प्रत्येक सदन विनियमन के लिए नियम बना सकता है।

इस संविधान के प्रावधानों, इसकी प्रक्रिया और इसके कार्य के संचालन के लिए। खेदपूर्वक विश्लेषण किए जाने पर, संविधान द्वारा संसद को संविधान में सीधे बताए गए प्रावधानों के अलावा अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने में सक्षम बनाया गया है।

88. संविधान के अनुच्छेद *105* को उत्परिवर्तन के साथ पढ़ा जाता है।

दोनों अनुच्छेदों में भाषा के रूप में संविधान का अनुच्छेद *194* है - समान, सिवाय इसके कि अनुच्छेद *105* में "संसद" शब्द का उपयोग किया गया है जबकि अनुच्छेद *194* में "राज्य का विधानमंडल" शब्दों का उपयोग किया गया है। इसलिए, इनमें से एक लेख की व्याख्या हमेशा दूसरे पर लागू होगी और इसके विपरीत।

89. उत्तर प्रदेश विधानसभा मामले में *[1964* का विशेष संदर्भ संख्या *1] ",*

नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संबंध में सदन के विशेषाधिकारों से संबंधित विवाद। निर्णय ने स्पष्ट रूप से शुरू किया कि न्यायालय सदन की आंतरिक कार्यवाही से नहीं निपट रहा था। हम लाभप्रद रूप से उक्त निर्णय के दो अंशों को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं:

" 108. ..... इस तर्क का स्पष्ट उत्तर यह है कि हम नहीं हैं

के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित किसी भी मामले से निपटना

कथित अवमानना के लिए नागरिकों को दंडित करने की सदन की शक्ति
उनके द्वारा सदन की चार दीवारों के बाहर प्रतिबद्ध किया गया है,

और यह अनिवार्य रूप से विभिन्न विचारों को उठाता है।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

141. अंत में, हमें अपनी पूरी चर्चा में इसे जोड़ना चाहिए।

हमने लगातार यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मुख्य

जिस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं वह सदन का दावा करने का अधिकार है

कि उसकी अवमानना के संबंध में उसके द्वारा जारी एक सामान्य वारंट ने आरोप लगाया

एक नागरिक द्वारा प्रतिबद्ध किया गया है जो सदस्य नहीं है

सदन की चार दीवारों के बाहर का घर निर्णायक होता है, क्योंकि यह

उस दावे पर कि सदन ने यह विचार रखने के लिए चुना है कि

न्यायाधीशों, अधिवक्ता और पक्ष ने अवमानना की है

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उनके आचरण का संदर्भ लंबित है
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष। ... .

73 एयर *1965* एससी *745* कल्पना मेहता बनाम।

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

90. न्यायालय ने आगे कहाः

"43. ..... इस संबंध में यह याद रखना आवश्यक है कि इन दोनों संबंधित संस्थानों की स्थिति, गरिमा और महत्व,

विधायिका और न्यायपालिका, मुख्य रूप से व्युत्पन्न हैं 'संबंधित कारणों की स्थिति गरिमा और महत्व जो

संविधान द्वारा उन्हें अपना प्रभार सौंपा गया है। ये दोनों अगस्त

निकायों के साथ-साथ कार्यपालिका जो एक अन्य महत्वपूर्ण है

एक लोकतांत्रिक राज्य के घटक को एंटीनोवेल में कार्य नहीं करना चाहिए न ही शत्रुता की भावना से, बल्कि तर्कसंगत रूप से, सामंजस्यपूर्ण रूप से और अपने-अपने क्षेत्रों में समझ की भावना से, ऐसे लोगों के लिए

लोकतांत्रिक के तीन घटकों का सामंजस्यपूर्ण कार्य

अकेले राज्य शांतिपूर्ण विकास, विकास और विकास में मदद करेगा। इस देश में जीवन के लोकतांत्रिक तरीके का स्थिरीकरण।

91. उक्त मामले में, न्यायालय शीर्षक के अनुच्छेद *194* की व्याख्या कर रहा था और उस संदर्भ में, उसने अभिनिर्धारित कियाः

"31. ..... इस खंड की व्याख्या करते समय, इस पर जोर देना आवश्यक है

कि संविधान के प्रावधान जिनके अधीन स्वतंत्रता

विधायकों को भाषण दिया गया है, क्या वे सामान्य नहीं हैं*?*

संविधान के प्रावधान लेकिन केवल वे जो उनसे संबंधित हैं

विधानमंडल की प्रक्रिया का विनियमन। नियम और

स्थायी आदेश विधानमंडल की प्रक्रिया को विनियमित कर सकते हैं। और संविधान के कुछ प्रावधानों का भी तात्पर्य हो सकता है -

इसे विनियमित करें*;* उदाहरण के लिए, ये अनुच्छेद *208* और *211* हैं। द.

विशेषण खंड "विधानमंडल की प्रक्रिया को विनियमित करना" के प्रावधानों से संबंधित दोनों पूर्ववर्ती खंडों को नियंत्रित करता है

संविधान "और" नियम और स्थायी आदेश "। इसलिए, खंड *(1)* अपने पहले भाग द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन, विशेष रूप से विधायकों को बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह.

विधायक के बोलने की स्वतंत्रता पर अलग से और, एक अर्थ में, कला से स्वतंत्र। *19 (1) (* ए)। यदि वह सब जिसके विधायक हकदार थे

दावा करने के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित थी

कला. *19 (1) (* क) समान अधिकार को विशेष रूप से कला द्वारा अपनाए गए तरीके से प्रदान करना अनावश्यक होता। *194 (1) ;* और इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना वैध होगा कि कला। *19 (1) (* क) *[2018] 4* एस. सी. आर. में से एक नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के प्रावधान जो पहले भाग को नियंत्रित करते हैं

कला का खंड *(1)*। *194. "*

आगे बढ़ते हुए, न्यायालय ने कहा कि खंड *(2)* इस तथ्य पर जोर देता है कि उक्त स्वतंत्रता का उद्देश्य पूर्ण और निरंकुश होना है। विधायिकाओं को भी इसी तरह की स्वतंत्रता की गारंटी है -

वे मत जो वे विधानमंडल या उसकी किसी समिति में दे सकते हैं। खंड *(3)* की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस खंड का पहला भाग राज्यों के विधानमंडलों को अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करने वाले कानून बनाने का अधिकार देता है; बाद वाले भाग में प्रावधान है कि जब तक ऐसे कानून नहीं बनाए जाते हैं, तब तक विचाराधीन विधानमंडलों को वही शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी जो संविधान के प्रारंभ में हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त थीं। न्यायालय ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि विधानसभाओं को अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति के संबंध में कानून बनाने में कुछ समय लगेगा। अंतराल के दौरान, उन्हें आवश्यक शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्रदान करना स्पष्ट रूप से आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि खंड *(3)* द्वारा अनुध्यात शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ आनुषंगिक शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ हैं जो प्रत्येक विधानमंडल के पास होनी चाहिए ताकि वह प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम हो सके और जो खंड *(3)* के उत्तरार्द्ध भाग के उद्देश्य की व्याख्या करता है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद *194* के सभी चार खंड भाग *III* में निहित प्रावधानों के अधीन नहीं हैं। वास्तव में, खंड *(2)* को इतने व्यापक शब्दों में जोड़ा गया है कि खंड *(1)* द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, यदि विधायक अपने भाषणों द्वारा भाग *III* द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, तो वे किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इसमें आगे कहा गया है:

" 36. ..... अनुच्छेद *194* के खंड *(3)* में निहित प्रावधानों के प्रभाव से निपटने में, जहां भी यह प्रतीत होता है कि उक्त प्रावधानों और संबंधित प्रावधानों के बीच टकराव है
मौलिक अधिकार, सौहार्दपूर्ण नियम को अपनाकर उक्त संघर्ष को हल करने का प्रयास करना होगा

निर्माण। ..... "

92. विधायिका की पूर्ण शक्तियों से निपटने के लिए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ये शक्तियां स्वयं लिखित संविधान की बुनियादी अवधारणाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और सातवीं अनुसूची के तहत तीन सूचियों द्वारा

उनके अधिकार क्षेत्र को आवंटित विधायी क्षेत्रों के भीतर प्रयोग की जा सकती हैं; लेकिन सूचियों से परे, विधायिकाएँ यात्रा नहीं कर सकती हैं। वे कोई संदेह नहीं कर सकते कल्पना मेहता बनाम।

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

अपने पूर्ण विधायी अधिकार का प्रयोग करें और संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर अपने विधायी कार्यों का निर्वहन करें; लेकिन शक्ति का आधार स्वयं संविधान है। इसके अलावा, हमारे विधानमंडलों की विधायी सर्वोच्चता सहित

संसद आम तौर पर संविधान के भाग *III* में निहित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है। यदि विधायिकाएं विधायी से परे कदम उठाती हैं

उन्हें सौंपे गए क्षेत्र, या अपने-अपने क्षेत्रों के भीतर कार्य करते हुए, वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का इस तरह से उल्लंघन करते हैं जो उक्त मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रासंगिक अनुच्छेदों द्वारा उचित नहीं है, उनके विधायी कार्यों को भारत में न्यायालयों द्वारा निरस्त किया जा सकता है। इसलिए, यह याद रखना आवश्यक है कि यद्यपि हमारे विधानमंडलों के पास पूर्ण शक्तियाँ हैं, फिर भी वे निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करते हैं -

संविधान के सामग्री और प्रासंगिक प्रावधान।

93. संविधान के अनुच्छेद *212 (1)* का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि उक्त अनुच्छेद एक नागरिक के लिए हस्तक्षेप करना संभव बनाता है।

विधि के उपयुक्त न्यायालय में विधायी कक्ष के भीतर किसी भी कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न यदि उसका मामला यह है कि उक्त कार्यवाही केवल प्रक्रिया की अनियमितता से नहीं, बल्कि अवैधता से ग्रस्त है। यदि विवादित प्रक्रिया अवैध और असंवैधानिक है, तो इसकी अदालत में जांच की जा सकती है, हालांकि इस तरह की जांच निषिद्ध है यदि प्रक्रिया के खिलाफ शिकायत इससे अधिक नहीं है कि प्रक्रिया अनियमित थी। यह फिर से एक और संकेत है जो अनुच्छेद *194 (3)* द्वारा सदन को प्रदत्त शक्तियों के दायरे और विस्तार को समझने में कुछ सहायता प्रदान कर सकता है।

94. राजा राम पाल बनाम। माननीय अध्यक्ष, लोकसभा और अन्य, न्यायालय, यू. पी. विधानसभा मामले को संदर्भित करने के बाद *(*विशेष

1964 का संदर्भ संख्या *1)* ने कहा कि संसद के विशेषाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो "अपनी शक्तियों के उचित निष्पादन के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं" जो व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जैसा कि सदन करेगा।

अपने सदस्यों की सेवाओं के निर्बाध उपयोग के बिना अपने कार्यों को करने में सक्षम नहीं होना और अपने सदस्यों और सदस्यों की सुरक्षा के लिए भी

अपने स्वयं के अधिकार और गरिमा की पुष्टि। न्यायालय ने उक्त उद्देश्य के लिए मे की संसदीय प्रथा का उल्लेख किया। संसदीय विशेषाधिकार अवधारणात्मक रूप से संसद के सदस्यों को अनुचित कार्यों से बचाता है। दबाव डालना और विधायी कार्यात्मकता को बनाए रखने के विचार के संबंध में उन्हें अपने क्षेत्र के भीतर काम करने की स्वतंत्रता देता है। उपरोक्त संरक्षण पूर्ण है।

किसी भी साक्ष्य, प्रतिपरीक्षा या प्रस्तुतियों को स्वीकार करने से जो संसदीय कार्यवाहियों के दौरान किए गए किसी भी कार्य की सत्यता या औचित्य को चुनौती देना।

96. संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में न्यायालय की भूमिका के संबंध में, लॉर्ड ब्रूम, वेलेस्ली बनाम के मामले में। ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट ने कहा है कि यह अदालतों का दायित्व है कि वे स्वयं की रक्षा करने, विषय की स्वतंत्रता और संपत्तियों की रक्षा करने के अपने उच्च और पवित्र कर्तव्य की रक्षा करें, और विशेषाधिकार की बेतुकी और फिजूलखर्ची और आधारहीन और असंगत धारणाओं के खिलाफ संसद के सदनों की सम्मान और अस्तित्व की रक्षा करें।

97. 1999 की ब्रिटेन की संयुक्त समिति की रिपोर्ट एक उपयोगी विश्लेषण प्रदान करती है।

संसदीय विशेषाधिकार के कानून को आगे बढ़ाने में संसद और न्यायालयों द्वारा निभाई जाने वाली संबंधित भूमिकाओं के बारे में:

"जब व्यवहार में समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई हैं तो कभी-कभी अच्छी तरह से अकेला छोड़ने में अच्छी समझ हो सकती है। सीमाओं को स्पष्ट करने और परिभाषित करने की कोशिश करने से विवाद पैदा हो सकते हैं जहां वर्तमान में कोई मौजूद नहीं है। लेकिन संसद को हमेशा निष्क्रिय रुख अपनाने की सलाह नहीं दी जाती है। संसदीय विशेषाधिकार के विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, सीमाओं को उचित रूप से स्पष्ट करने में योग्यता है। कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। आजकल लोग कथित गलतियों के निवारण के लिए अपने प्रयासों में तेजी से बढ़ रहे हैं। अपने अदालती मामलों में वे उन क्षेत्रों में व्यापक रूप से दबाव डालते हैं जहां अदालतों की सीमाएँ '

अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं है। इस अधिकार क्षेत्र में सीमांकन की समस्याओं का सामना करते हुए न्यायाधीशों को बलपूर्वक सीमा की स्थिति निर्धारित करनी चाहिए। यदि संसद कार्य नहीं करती है, तो अदालतें

ऐसा करने के लिए खुद को मजबूर पा सकते हैं। "

98. संसदीय विशेषाधिकारों की स्थिति और कनाडा में न्यायालयों की भूमिका के संबंध में, न्यू ब्रंसविक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के मामले में कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय। नोवा स्कोटिया *(स्पीकर)*

हाउस ऑफ असेंबली*)* "ने राय दी कि कनाडा के विधायी निकाय

75 [2001] 1 407 76 पर ए. सी. *395 [1831]* इंग आर *809 (1831) 2* रस और माई *639: (1831) 39* ई. आर. *538 77 [1993] 1* एस. सी. आर. *319* कल्पना मेहता बनाम।

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

उनके पास ऐसे अंतर्निहित विशेषाधिकार हैं जो उनके उचित कामकाज के लिए आवश्यक हो सकते हैं और यह कि उक्त विशेषाधिकार देश के मौलिक कानून का हिस्सा हैं और इसलिए, संवैधानिक हैं। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों के पास यह निर्धारित करने की शक्ति है कि क्या दावा किया गया विशेषाधिकार विधायिका की कार्य करने की क्षमता के लिए आवश्यक है, लेकिन विशेषाधिकार के अनुसार किए गए किसी विशेष निर्णय की शुद्धता की समीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं है। हार्वे वी के मामले में। न्यू ब्रंसविक *(*महान्यायवादी*) 78*, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विशेषाधिकार की आड़ में वैध चार्टर हितों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, न्यायालयों को संसदीय विशेषाधिकार के दावे की वैधता की जांच करनी चाहिए।

99. संसदीय विशेषाधिकार की समीक्षा के संबंध में, लॉर्ड कॉलरिज, सी. जे., ब्रैडलॉफ बनाम के मामले में। गोसेट ने कहा कि यह प्रश्न कि क्या सभी मामलों में और सभी परिस्थितियों में सदन अपने विशेषाधिकारों के एकमात्र न्यायाधीश हैं, इस मामले में निर्धारित किया जाना आवश्यक नहीं है और यह कि अदालत द्वारा संसदीय विशेषाधिकार की किसी भी समीक्षा की अनुमति देने से बहुत गंभीर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि, लॉ लॉर्ड ने टिप्पणी की कि किसी भी सदन के प्रस्तावों को किसी भी अदालत में किसी भी जांच से परे रखने के लिए गंभीर जटिलताओं से मुक्त निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है और यह कहना पर्याप्त है कि सिद्धांत रूप में प्रश्न को हल करना बेहद कठिन है।

100. सर विलियम होल्ड्सवर्थ ने अपनी पुस्तक में संसदीय विशेषाधिकारों की समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां भी की हैं:

'इस विषय को नियंत्रित करने वाले दो सिद्धांत या सिद्धांत हैं।

पहला हमें बताता है कि 'संसद का विशेषाधिकार देश के कानून का हिस्सा है' और दूसरा यह कि 'प्रत्येक सदन अपने विशेषाधिकारों का न्यायाधीश है'। अब पहली नज़र में यह लग सकता है कि ये सिद्धांत विरोधाभासी हैं। यदि संसद का विशेषाधिकार देश के कानून का हिस्सा है तो इसके अर्थ और विस्तार की व्याख्या अदालतों द्वारा कानून के किसी भी अन्य भाग की तरह की जानी चाहिए और इसलिए, कोई भी सदन अपने स्वयं के प्रस्ताव द्वारा अपने विशेषाधिकारों में इससे अधिक कुछ नहीं जोड़ सकता है जितना वह कर सकता है।

इस तरह के संकल्प द्वारा कानून के किसी अन्य भाग में जोड़ें।

दूसरी ओर, यदि यह सच है कि प्रत्येक सदन अपने विशेषाधिकारों का एकमात्र न्यायाधीश है, तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि प्रत्येक सदन इस बारे में एकमात्र न्यायाधीश था कि उसे कोई विशेषाधिकार मिला था या नहीं, और इसलिए अपने स्वयं के संकल्प द्वारा इसके विशेषाधिकारों में वृद्धि कर सकता है। यह स्पष्ट विरोधाभास

78 [1996] 2 एससीआर *876*

79 (1884) 12 क्यू. बी. डी. *271 (*डी*)*

80 " ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लॉ *"[2018] 4* एस. सी. आर.

हल किया जाता है यदि इन दो मैक्सिम के उचित अनुप्रयोग को ध्यान में रखा जाता है

को। पहला सिद्धांत एशबी वी जैसे मामलों पर लागू होता है। व्हाइट और स्टॉकडेल बनाम। हंसार्ड *(ए)*, जिसमें प्रश्न अल इश्यू था सदन द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकार का अस्तित्व।

यह कानून का विषय है जिसका निर्णय अदालतों को इस विषय पर सदन के प्रस्ताव पर कोई ध्यान दिए बिना करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत मिडिलसेक्स के शेरिफ *(*बी*)* और ब्रैडलॉफ बनाम जैसे मामलों पर लागू होता है। गोसेट *(*डी*)*, जिसमें अस्तित्व पर नहीं बल्कि एक निस्संदेह विशेषाधिकार के उपयोगकर्ता के तरीके पर सवाल उठाने का प्रयास किया गया था। इस मामले में अदालतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी क्योंकि प्रत्येक सदन इस सवाल का एकमात्र न्यायाधीश है कि क्या,

यह अपने किसी भी विशेषाधिकार का कब या कैसे उपयोग करेगा।

101. इस समय अनुच्छेद *121* और *122* का उल्लेख करना सार्थक है।

संविधान। वे इस प्रकार पढ़ते हैं: *"121.* संसद में चर्चा पर प्रतिबंध: उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, जिसकी अपेक्षा राष्ट्रपति को संबोधित करने के लिए एक प्रस्ताव पर की जाएगी, जिसमें न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रार्थना की जाएगी, जैसा कि इसके बाद किया गया है।

प्रदान किया गया।

122. अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगी:

(1) संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता नहीं मानी जाएगी।

प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर।

(2) संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए इस संविधान द्वारा या उसके तहत शक्तियां निहित हैं या

संसद में कार्य का संचालन, या व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उन शक्तियों के उनके द्वारा प्रयोग के संबंध में किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होगा।

102. जैसा कि हम समझते हैं, उपरोक्त लेख अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

क्योंकि वे वास्तव में दोनों संस्थानों पर संस्थान द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को बताने के लिए हैं।*103.* राजा राम पाल *(*ऊपर*)* में, एक संविधान पीठ ने पी. विधानसभा मामले *[1964* का विशेष संदर्भ संख्या *1] (*ऊपर*)* को संदर्भित करने के बाद,

डी:

"267. वास्तव में, निर्णय का जोर कल्पना मेहता बनाम की परीक्षा पर था।

भारत का संघ

[दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

समीक्षा से अछूता वारंट जारी करने की शक्ति

न्यायालयों की, और स्वयं अवमानना से निपटने की शक्ति पर नहीं। ए. मामले को बारीकी से पढ़ने से पता चलता है कि अदालत ने

अवमानना के लिए सदन के विशेषाधिकार के रूप में दंडित करने की शक्ति। बोलते हुए।

भारत में विधानमंडलों के बारे में यह कहा गया थाः *[* यू. पी. विधानसभा मामला

(1964 का विशेष संदर्भ सं. *1),*

"125. इसमें कोई संदेह नहीं है कि सदन को दंडित करने की शक्ति है

यह एक अदालत द्वारा प्राप्त अधिकारों में से एक का दावा कर सकता है रिकॉर्ड करें "।

(जोर दिया गया*)*

268. अवमानना के लिए सजा देने की न्यायाधीशों की शक्ति की बात करते हुए, न्यायालय ने टिप्पणी कीः *[* उत्तर प्रदेश विधानसभा मामला *(*विशेष संदर्भ संख्या *1)*

1964),]

" हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति

यह जितना बड़ा है, हमेशा सावधानी से, बुद्धिमानी से प्रयोग किया जाना चाहिए और निरीक्षण के साथ। इस शक्ति का बार-बार या अंधाधुंध उपयोग

क्रोध या चिड़चिड़ापन गरिमा या स्थिति को बनाए रखने में मदद नहीं करेगा न्यायालय का, लेकिन कभी-कभी यह प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है। बुद्धिमान न्यायाधीश

उनके कार्यालय को बड़े पैमाने पर जनता से सम्मान की आवश्यकता है उनके निर्णयों की गुणवत्ता, निर्भीकता, निष्पक्षता और निष्पक्षता

उनके दृष्टिकोण से, और संयम, गरिमा और शिष्टाचार से जो

न्यायपालिका के बारे में जो सच है वह समान रूप से सच है विधायिकाएँ "।

फिर सेः

"269. अतः यह स्पष्ट है कि न्यायालय की राय में

उत्तर प्रदेश विधानसभा मामला *(1964* का विशेष संदर्भ संख्या *1),*

जहाँ तक वह था, वहाँ तक अनकही वारंट जारी करने की शक्ति की प्रकृति संविधान की योजना के साथ सीधे संघर्ष में जिसके द्वारा *[2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरिकों को मौलिक अधिकारों और शक्ति की गारंटी दी गई थी

मौलिक अधिकारों को लागू करना अदालतों में निहित है। ऐसा नहीं था।

अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति जिसके बारे में न्यायालय के पास था

आरक्षण। बल्कि, उपर्युक्त परिच्छेद से पता चलता है कि इस प्रकार न्यायालय द्वारा शक्ति स्वीकार कर ली गई थी। इस मुद्दे का हुआ फैसला

द्वारा जारी किए गए वारंट की गैर-समीक्षा से संबंधित

विधायिका, विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में "।

104. विभिन्न अन्य निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने

संसदीय प्रावधानों के प्रयोग के लिए न्यायिक समीक्षा के मापदंडों से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन किया। इनमें से कुछ

वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक होने वाले उपयोग नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

" (क) संसद एक समन्वित निकाय है और इसके विचार इसके योग्य हैं।

मान तब भी जबकि इसके कार्य न्यायिक जांच के लिए उत्तरदायी हैं;

(ख) सरकार की संवैधानिक प्रणाली निरंकुशता का तिरस्कार करती है।

और यह हमारे संविधान का मूल सिद्धांत है कि कोई भी नहीं,

कितना भी ऊँचा, दी गई शक्ति का एकमात्र न्यायाधीश होने का दावा कर सकता है संविधान के तहत, केवल संवैधानिक स्थिति का समन्वय करना, या

यहाँ तक कि एक उच्च संवैधानिक कार्यकर्ताओं का दर्जा भी नहीं है

इस न्यायालय को न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से वंचित करें

न्यायिक या अर्ध-न्यायिक रूप धारण करने वाली कार्रवाइयों का

निर्णय;

*(*ग*)* शक्ति या विशेषाधिकार के प्रयोग की योग्यता और आवश्यकता।

विधायिका द्वारा विधायी के निर्धारण के लिए हैं

*(*घ*)* की शक्ति के प्रयोग के तरीके की न्यायिक समीक्षा अवमानना या विशेषाधिकार का मतलब यह नहीं है कि उक्त अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया जा रहा है।

न्यायपालिका द्वारा हड़प लिया गया;

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

*(*च*)* यह तथ्य कि संसद समन्वय का एक प्रतिष्ठित निकाय है।

संवैधानिक स्थिति का मतलब यह नहीं है कि न्यायिक रूप से कोई नहीं हो सकता है

*(*छ*)* जबकि शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति का क्षेत्र विधायिका असाधारण और असाधारण होने के कारण इसके कार्य, विशेष रूप से

उसके अभ्यास से संबंधित, पारंपरिक पर परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए

न्यायिक समीक्षा के मापदंड उसी तरीके से जैसे एक साधारण कल्पना मेहता *v.*

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

प्रशासनिक कार्रवाई का परीक्षण किया जाएगा, और न्यायालय खुद को न्यायिक समीक्षा के स्वीकृत मापदंडों तक सीमित रखेगा और न्यायिक रूप से खोज योग्य और प्रबंधनीय मानकों के भीतर, इस दलील का कोई आधार नहीं है कि एक विधायी निकाय को अधिकार क्षेत्र की त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है;

*(*ज*)* न्यायपालिका को नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधायिका की कार्रवाई की वैधता की जांच करने से नहीं रोका जाता है;

(i) यह व्यापक तर्क कि विधायिकाओं द्वारा विशेषाधिकारों के प्रयोग का निर्णय मौलिक अधिकारों या संवैधानिक प्रावधानों की कसौटी के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, सही नहीं है।

*(*जे*)* यदि कोई नागरिक, चाहे वह गैर-सदस्य हो या विधायिका का सदस्य, शिकायत करता है कि अनुच्छेद *20* के तहत उसके मौलिक अधिकार हैं।

या *21* का उल्लंघन किया गया था, यह इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उक्त विवाद के गुणागुण की जांच करे, विशेष रूप से जब विवादित कार्रवाई के नागरिक परिणाम होते हैं;

(1) विधायिका द्वारा विशेषाधिकार के प्रवर्तन के तरीके के परिणामस्वरूप न्यायिक जांच हो सकती है, हालांकि अन्य संवैधानिक प्रावधानों में निहित प्रतिबंधों के अधीन, उदाहरण के लिए अनुच्छेद *122* या *212;* *(* एम*)* अनुच्छेद *122 (1)* और अनुच्छेद *212 (1)* ने इंग्लैंड में विधायिका के अनन्य संज्ञान के व्यापक सिद्धांत को विस्थापित कर दिया।

सदन की आंतरिक कार्यवाही का संज्ञान जो मामले को अप्रासंगिक बनाता है-वह कानून जो उस अधिकार क्षेत्र में अदालतों से निकला है*;* क्योंकि यह भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई शासन प्रणाली पर लागू नहीं होता है*;*

(एन*)* अनुच्छेद *122 (1)* और अनुच्छेद *212 (1)* विधायिका में किसी भी कार्यवाही की वैधता को केवल प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर अदालत में प्रश्न में बुलाए जाने से रोकता है*;*

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

(आर*)* केवल प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों की उपलब्धता, जैसा कि विधायिका द्वारा सक्षम करने वाली शक्तियों *[2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के तहत, कभी भी गारंटी नहीं है कि वे रहे हैं

विधिवत पालन किया गया*;*

((स*)* वे कार्यवाहियाँ जो इसके कारण दूषित हो सकती हैं -

मूल या सकल अवैधता या असंवैधानिकता संरक्षित नहीं हैं।

न्यायिक जांच से*;*

कार्रवाई को बनाए रखने के लिए कुछ प्रासंगिक सामग्री है*;*
(यू*)* एक निष्कासन खंड जो एक निर्धारण को अंतिम रूप देता है

आम तौर पर निर्णय की समीक्षा करने की न्यायालय की शक्ति को हटा दिया जाता है लेकिन

घोर अवैधता, तर्कहीनता, संवैधानिक उल्लंघन जैसे कारण
जनादेश, दुर्भावनापूर्ण, प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन न करना

और विकृति "।

[जोर दिया गया]

105. उपरोक्त सारांश संक्षिप्त रूप से न्यायिक से संबंधित है -

इस अर्थ में समीक्षा करें कि संवैधानिक न्यायालयों को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाली विधायिका की कार्रवाई की वैधता की जांच करने से; कि संविधान के अनुच्छेद *105 (3)* के तहत संसदीय कार्यवाही के लिए कोई पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं है; कि विधायिका द्वारा विशेषाधिकार के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप न्यायिक जांच हो सकती है, हालांकि अनुच्छेद *122* और *212* जैसे अन्य संवैधानिक प्रावधानों में निहित प्रतिबंधों के अधीन; कि अनुच्छेद *122 (1)* और अनुच्छेद *212 (1)* विधायिका में किसी भी कार्यवाही की वैधता को केवल प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर अदालत में प्रश्न में बुलाए जाने से रोकता है, और ऐसी कार्यवाही जो मूल या घोर अवैधता या असंवैधानिकता के कारण दूषित हो सकती है, न्यायिक जांच से सुरक्षित नहीं है।

106. हम वर्तमान में दो की व्याख्या से संबंधित हैं।

संवैधानिक प्रावधान, अर्थात् अनुच्छेद *122* और *105*। याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि संसदीय समितियों की रिपोर्टों के विभिन्न पहलू हैं, अर्थात् समिति को दिए गए तथ्य का बयान, समिति को दिए गए नीति का बयान, संसद में संसद सदस्यों द्वारा दिए गए तथ्य के बयान और तथ्यों और तथ्य और कानून के निष्कर्षों से प्राप्त निष्कर्ष और इसलिए, न्यायालय को यह सवाल उठाना आवश्यक है कि कल्पना मेहता बनाम के बारे में कौन सा है।

भारत संघ *[दीपक मिश्रा, सीजेआई]*

संसदीय समिति की रिपोर्ट के उपरोक्त पहलुओं पर भरोसा किया जा सकता है। इस तर्क को इस आधार पर संरचित किया गया है कि समिति की रिपोर्ट साक्ष्य में और कानून की व्याख्या करने और कार्यपालिका द्वारा संवैधानिक या वैधानिक दायित्व के कार्यान्वयन को निर्देशित करने के लिए अनुच्छेद *32* के तहत शक्ति के प्रयोग में जनहित याचिका में स्वीकार्य हैं।

एन. बाहरी सहायता के रूप में संसदीय कार्यवाही पर भरोसा

जन्म की मूल भूमि और इस न्यायालय द्वारा एक सभ्य दफन दिया गया है। संविधान पीठ ने आगे कहा कि सभी कानूनों का मूल उद्देश्य संविधान का उद्देश्य उचित निश्चितता के साथ संसद के इरादे का पता लगाना है और उक्त उद्देश्य के लिए, रिपोर्ट जैसी बाहरी सहायता

अधिनियमन से पहले की विशेष समिति की, विधि की वर्तमान स्थिति, किसी विधान को अधिनियमित करने के लिए आवश्यक वातावरण और प्राप्त करने के लिए वांछित उद्देश्य, आदि, जिनका संसद ने लाभ उठाने की विलासिता को उस न्यायालय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जिसका प्राथमिक कार्य किसी कानून को अधिनियमित करने में विधानमंडल के वास्तविक इरादे को प्रभावी बनाना है। न्यायालय का विचार था कि इस तरह के इनकार से न्यायालय निर्माण के लिए पर्याप्त और आकर्षक सहायता से वंचित हो जाएगा और इसलिए, न्यायालय ने पहले के फैसलों से अलग होने का फैसला किया और कहा कि कानून के अधिनियमन से पहले की समितियों, संयुक्त संसदीय समितियों की रिपोर्ट और जानकारी एकत्र करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट को निर्माण के लिए बाहरी सहायता के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

108. इस संबंध में, हम यह भी उपयोगी रूप से बता सकते हैं कि संसद में मंत्रियों के भाषणों को कुछ अवसरों पर सीमित रूप से संदर्भित किया जाता है।

उद्देश्य। पश्चिम बंगाल राज्य में एक संविधान पीठ बनाम। संघ का

इंडिया*82* ने राय दी है कि हालांकि, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक विधेयक के साथ उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जब

संसद का उपयोग कानून के मूल प्रावधानों के सही अर्थ और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। उनका उपयोग कानून की पृष्ठभूमि और पूर्ववर्ती स्थिति को समझने के सीमित उद्देश्य के अलावा नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है।

अधिनियम के निर्माण में सहायता के रूप में उपयोग किया जाए या यह दिखाने के लिए कि विधायिका का निहित स्वामित्व अधिकारों को प्राप्त करने का इरादा नहीं था

81 (1984) 2 एससीसी *183*

82 ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1241 [2018] 4* एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

109. के. पी. वर्गीज बनाम. आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम और एक अन्य, अदालत ने मंत्री के बजट भाषण का हवाला देते हुए फैसला सुनाया कि सदन में विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दिए गए भाषण जहां एक वैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए एक विधेयक पर बहस की जा रही है, वैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने के उद्देश्य से अस्वीकार्य हैं। लेकिन अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि विधेयक को पेश करने के कारणों की व्याख्या करते हुए विधेयक के प्रस्तावक द्वारा दिए गए भाषण को निश्चित रूप से उस शरारत का पता लगाने के लिए संदर्भित किया जा सकता है जिसे दूर करने की मांग की गई थी और विचाराधीन कानून का उद्देश्य और उद्देश्य। न्यायालय के अनुसार, ऐसा दृष्टिकोण न केवल पश्चिमी देशों में बल्कि भारत में भी कानूनी विचार के अनुरूप था, जैसा कि एक क़ानून की व्याख्या के अभ्यास में होता है। जो कुछ भी तार्किक रूप से प्रासंगिक है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके बाद, न्यायालय ने इस न्यायालय के कुछ फैसलों को स्वीकार किया, जिसमें वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषणों पर न्यायालय द्वारा किसी विशेष खंड को पेश करने के कारण का पता लगाने के उद्देश्य से भरोसा किया गया था। डॉ. रमेश यशवंत प्रभू बनाम में भी इसी तरह के संदर्भ दिए गए हैं। प्रभाकर काशीनाथ कुंटे और अन्य। इसके अलावा, नोवार्टिस एजी बनाम में एक क़ानून के निर्माण से संबंधित संदर्भ की सराहना करने के लिए संसदीय बहसों का भी उल्लेख किया गया है। भारत संघ और अन्य *85*, मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य *v.* दादाभॉय की न्यू चिरिमिरी पोनरी हिल कोलियरी कंपनी प्रा. लि. *Ltd.86*, भारत संघ बनाम। स्टील स्टॉक होल्डर्स सिंडिकेट, पूना *3 7*, के. पी. वर्गीज

(ऊपर*)*, और सुराना स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. डी. आयकर आयुक्त और अन्य *88.*

110. अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत संघ और अन्य, इस न्यायालय ने सांविधिक निर्माण पर क्रॉफर्ड का उल्लेख करने के बाद,

83 (1981) 4 एससीसी *173*

84 (1996) 1 एससीसी *130*

85 (2013) 6 एससीसी *1*

86 (1972) 1 एससीसी *298* *87 (1976) 3* एससीसी *108*

88 (1999) 4 एस. सी. सी. *303*

89 (2008) 6 एस. सी. सी. *1* कल्पना मेहता बनाम

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

यह पाया गया कि ब्रिटिश न्यायालयों में अपवर्जन के नियम का पालन किया गया है न्यायविदों द्वारा कृत्रिम के रूप में आलोचना की गई और उक्त नियम को कम करने के लिए एक मजबूत मामला है। न्यायालय का विचार था कि यूरोपीय प्रणाली में अकादमिक राय और व्यवहार की प्रवृत्ति से पता चलता है कि

किसी कानून की व्याख्या अर्थ के निर्धारण में एक अभ्यास होने के नाते, वह सब कुछ जो तार्किक रूप से प्रासंगिक है, स्वीकार्य होना चाहिए जिसका अर्थ है कि हालाँकि ऐसी बाहरी सामग्री निर्णायक नहीं होगी, फिर भी वे कम से कम स्वीकार्य होनी चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि यह सुझाव देने का अधिकार है कि इन बाहरी सामग्रियों का उपयोग केवल विसंगतियों और अस्पष्टताओं के मामले में किया जाना चाहिए। जहाँ किसी कानून में शब्दों का अर्थ स्पष्ट है, वहाँ भाषा प्रचलित है, लेकिन अस्पष्टता या अन्य प्रावधानों के साथ सामंजस्य की कमी के मामले में और अन्य विशेष परिस्थितियों में, बाहरी लेना वैध हो सकता है।

प्रावधानों के उद्देश्य को निर्धारित करने में सहायता, शरारत को दूर करने की मांग, सामाजिक संदर्भ, लेखकों के शब्द और अन्य संबद्ध मामले।

111. आयकर के अतिरिक्त आयुक्त, गुजरात बनाम।

सूरत आर्ट सिल्क क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, सूरत ", इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

"कानून बनाने के लिए प्रचलित कानून की स्थिति को देखना वैध है ताकि यह देखा जा सके कि अधिनियम में क्या गड़बड़ी थी।

निर्देशित किया गया। इस न्यायालय ने कई मौकों पर संसदीय समितियों की रिपोर्टों और ऐसे अन्य तथ्यों जैसे मामलों का न्यायिक संज्ञान लिया है, जिन्हें विधानमंडल के विचार के भीतर माना जाना चाहिए जब विचाराधीन अधिनियम थे।

पारित कर दिए गए। "

उसमें इंगित उद्देश्य और जब किसी क़ानून का अर्थ नहीं है स्पष्ट या अस्पष्ट, विधायिका के इरादे का पता लगाने के लिए उन परिस्थितियों पर विचार किया जा सकता है जिनके कारण कानून पारित हुआ। ऐसा

इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट महत्व धारण करती हैं और प्रासंगिक हो जाती हैं क्योंकि वे एक विधान की प्रारंभिक प्रक्रिया से पहले होती हैं।

9 0 (1980) 2 एससीसी *31* *9 1 91 [1992]* यूकेएचएल *3: [1993]* एसी *593: [1992] 3* डब्ल्यूएलआर *1032 [2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"इसलिए मैं किसी भी प्रश्न के अधीन, निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ

संसदीय विशेषाधिकार, कि बहिष्करण नियम में ढील दी जानी चाहिए

ताकि संसदीय सामग्री के संदर्भ की अनुमति दी जा सके जहाँ *(क)* विधान अस्पष्ट या अस्पष्ट है, या बेतुकेपन की ओर ले जाता है; *(बी)*

जिस सामग्री पर भरोसा किया जाता है, उसमें एक या एक से अधिक कथन होते हैं - यदि आवश्यक हो तो मंत्री या विधेयक के अन्य प्रवर्तक

ऐसी अन्य संसदीय सामग्री जो समझने के लिए आवश्यक हो ऐसे कथन और उनका प्रभाव; *(ग)* जिन कथनों पर भरोसा किया गया है

स्पष्ट हैं। "

114. आर. वी. में कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय। वासिल "पर भरोसा किया

कनाडाई आपराधिक संहिता की धारा *212 (*सी*)* में "गैरकानूनी वस्तु" वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए संसदीय सामग्री। बहुमत के लिए बोलते हुए, न्यायमूर्ति लैमर *(*जैसा कि वे तब थे*)* ने कहाः

"हंसार्ड को संदर्भित करना आमतौर पर उचित नहीं होता है। हालांकि, के रूप में कनाडा, संहिताकरण के समय, कुछ परिवर्तनों के अधीन है,

1878 के अंग्रेजी मसौदा संहिता को अपनाया गया, यह जानना प्रासंगिक है

क्या कनाडा ने विभिन्न धाराओं के संबंध में ऐसा किया था

अंग्रेजी आयुक्तों द्वारा या कारणों से दिए गए कारण

वास्तव में, हंसार्ड में सर जॉन थॉम्पसन की टिप्पणियों को पढ़ना *12* अप्रैल, *1892, (*हाउस ऑफ कॉमन्स डिबेट, डोमिनियन ऑफ

कनाडा, सत्र *1892*, खंड। आई, पीपी में। *1378-85)* बहुत स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है

कि हत्या से संबंधित सब कुछ सीधे अंग्रेजों से लिया गया था

1878 का मसौदा संहिता। सर जॉन थॉम्पसन ने प्रस्तावित को समझाया

दिए गए कारणों को बार-बार शब्दशः उद्धृत करके हत्या की धाराएँ

ग्रेट ब्रिटेन में शाही आयुक्तों द्वारा, और यह स्पष्ट है कि

कनाडा ने न केवल ब्रिटिश आयुक्तों के प्रस्तावित प्रस्ताव को अपनाया

खंड लेकिन उनके कारण भी।

कनाडाई अधिकारी, जैसा कि रे एंटी-इन्फ्लेशन से ध्यान देने योग्य है

अधिनियम *(*कनाडा*)* ने बहिष्करण नियम में ढील दी है।

115. धरम दत्त और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य *9 4*

9

न्यायालय ने अलग-अलग समय पर नियुक्त तीन संसदीय स्थायी समितियों पर ध्यान दिया, जिन्होंने संस्थान के घटते स्तर के आधार पर सप्रू सदन के अधिग्रहण की सिफारिश की थी।

92 [1981] 1 एस. सी. आर. *469,121* डी. एल. आर. *(3* डी*) 41*

93 [1976] 2 एस. सी. आर. *373,68* डी. एल. आर. *(3* डी*) 452* *9 4 (2004) 1* एस. सी. सी. *712* कल्पना मेहता बनाम।

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

इसके अलावा, इस न्यायालय ने ध्यान दिया कि उसने इस फैसले के पहले के हिस्से में पहले ही बताया था कि वर्तमान मामले में, क्रमिक संसदीय समितियों ने प्राप्त शिकायतों में तथ्य पाया था कि राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान कुप्रबंधन और कुप्रशासन से पीड़ित था और इस तरह की पी. एस. सी. रिपोर्ट के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने ऐसे निष्कर्षों पर कार्रवाई की।

116. कुलदिप नायर *(*ऊपर*)* में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, *1951* में कुछ संशोधनों को चुनौती दी गई थी, जिनका प्रभाव राज्यसभा के चुनावों के लिए एक गुप्त मतपत्र प्रणाली के बजाय एक खुली मतपत्र प्रणाली को अपनाने से था। संशोधन का बचाव करते हुए, भारत संघ ने संसद की नैतिकता समिति की एक रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की, जिसने उपरोक्त उद्देश्य के लिए खुली मतपत्र प्रणाली की सिफारिश की। समिति ने क्रॉस वोटिंग के उभरते रुझानों पर ध्यान दिया था

राज्य में राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनावों में। इसने बड़े पैमाने पर आरोपों का भी संदर्भ दिया कि बड़ी राशि और अन्य विचार मतदाताओं को एक विशेष तरीके से मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिससे कभी-कभी उनके अपने राजनीतिक दल से संबंधित आधिकारिक उम्मीदवारों की हार हो जाती है। इस संदर्भ में, न्यायालय ने विवादित संशोधन की शक्तियों का परीक्षण करते हुए समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर ध्यान दिया।

117. उपरोक्त से, यह दिन के रूप में स्पष्ट है कि न्यायालय के उद्देश्य के लिए संसदीय समिति की रिपोर्ट की सहायता ले सकता है

वैधानिक प्रावधानों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सराहना करते हुए और यह समिति की रिपोर्ट या संसद के सदन के पटल पर मंत्री के भाषण को भी संदर्भित कर सकता है यदि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता है या

किसी अधिनियम के प्रावधान में विसंगति। इसके अलावा, यह काफी स्पष्ट है कि संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट या अन्य संसदीय समितियों की रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा किन अवसरों और स्थितियों पर ध्यान दिया जा सकता है और किस उद्देश्य के लिए। वैधानिक प्रावधान के अर्थ की व्याख्या करने के उद्देश्य से उसी पर भरोसा करना जहां यह है

अस्पष्ट और अस्पष्ट या, उस मामले के लिए, अधिनियमित कानून की पृष्ठभूमि की सराहना करना इस उद्देश्य के लिए इसे संदर्भित करने से काफी अलग है।

एक तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। यह एक प्रतियोगिता, एक चुनौती, एक विवाद को आमंत्रित कर सकता है और यदि कोई प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय को उसी पर निर्णय देने के लिए बुलाया जाएगा।

118. हाथ में मामले में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा जो आग्रह किया गया है वह यह है कि हालांकि कोई व्याख्या शामिल नहीं है, फिर भी वे कर सकते हैं *[2018] 4* एस. सी. आर. की स्थापना के लिए संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट देखें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनके अनुसार, समितियों का गठन कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने के लिए किया जाता है और जब जनहित याचिका को प्राथमिकता दी जाती है जनहित की रक्षा करते हुए, रिपोर्ट का बहुत महत्व है और इसकी सच्चाई तक पहुंचने के लिए इसका उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है।

विवाद। ऐसी स्थिति में, वे तर्क देंगे कि सहायता का सवाल किसी भी प्रकार के संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित नहीं है। याचिकाकर्ताओं का यह रुख है कि वे संसद या संसदीय समिति से पूछताछ या जिरह करने की स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। वास्तव में, रिपोर्ट की निर्भरता का अनुच्छेद *105* के तहत संविधान द्वारा संरक्षित चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है। अदालती कार्यवाही स्वतंत्र होती है।

संसद की ओर से और कई सूचनाओं, सामग्रियों और साक्ष्यों के आधार पर और ऐसी स्थिति में, पक्षकार न्यायालय को तथ्यों के निर्धारण पर आने और संसदीय समिति की रिपोर्ट के विपरीत कानून में राय बनाने के लिए मनाने के लिए स्वतंत्र हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील आगे यह प्रस्तुत करेंगे कि रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए अग्रिम प्रस्तुतियाँ संसदीय विशेषाधिकार के दायरे में नहीं आएंगी।

ओ. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा *57 (4)*

119. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्ताव दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा *57 (4)* के तहत, संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पर न्यायिक रूप से ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि ऐसी रिपोर्ट के अंतर्गत आती है -

उक्त प्रावधान की परिधि।

120. इस स्थिति की सराहना करने के लिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा *57* की प्रासंगिक उप-धारा *(4)* को स्कैन करना आवश्यक है। वह इस प्रकार हैः

"57. किन तथ्यों पर न्यायालय को न्यायिक ध्यान देना चाहिएः - न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों का न्यायिक संज्ञान लेगा।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

(4) यूनाइटेड किंगडम की संसद, भारत की संविधान सभा, संसद और किसी प्रांत या राज्य में उस समय लागू किसी कानून के तहत स्थापित विधानमंडलों की कार्यवाही की प्रक्रिया; "कल्पना मेहता *v.*

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

121. धारा *57* साक्ष्य अधिनियम के अध्याय *III* का एक हिस्सा है जो "उन तथ्यों से संबंधित है जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है"। धारा *57* इस पर आधारित है -

यह धारणा कि तेरह उप-धाराओं में लिखे गए तथ्य अध्याय *II* की किसी एक या अधिक धारा के तहत प्रासंगिक हैं जो "तथ्यों की प्रासंगिकता" से संबंधित है। इस प्रकार, धारा *57*, "होगा" शब्दों का उपयोग करके, न्यायालयों पर उक्त तथ्यों का न्यायिक संज्ञान लेने का दायित्व डालती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा *57*, उप-धारा *(4)* अदालतों पर संसद की कार्यवाही की न्यायिक सूचना लेने का दायित्व डालती है।

122. यह न्यायालय, एकमात्र न्यासी लोक शिक्षा न्यास बनाम। आयकर आयुक्त, मैसूर ने कहा है कि धारा *57* , उप-धारा *(4)* न्यायालयों को इस धारणा पर संसद की कार्यवाही की न्यायिक सूचना लेने का आदेश देती है कि यह प्रासंगिक है।

123. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि संसद की स्थिति

समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना एक सार्वजनिक दस्तावेज है। इसलिए, यह साक्ष्य अधिनियम की धारा *74* के तहत स्वीकार्य है और साक्ष्य अधिनियम की धारा *57 (4)* के तहत परिकल्पित ऐसे दस्तावेज़ का न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि उक्त दस्तावेज़ को रिकॉर्ड में लिया जा सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, किसी वैधानिक प्रावधान को समझने और उसकी सराहना करने के लिए सहायता ली जा सकती है यदि वह अस्पष्ट, अस्पष्ट या असंगत है। यह समझने के लिए भी सहायता ली जा सकती है कि विधायी अधिनियम किस शरारत से बचने का इरादा रखता है।

इसके अतिरिक्त, यह निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि रिपोर्ट पर एक उचित टिप्पणी हो सकती है और एक नागरिक अपने तरीके से रिपोर्ट में जो कहा गया है, उसके संबंध में आलोचना कर सकता है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि नागरिकों को निष्पक्ष टिप्पणी के अधिकार की गारंटी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए संवैधानिक मानकों के भीतर अनुमत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है। निष्पक्ष टिप्पणियां जनता की चिंता को दर्शाती हैं और, इसलिए इस तरह की टिप्पणियों को अपवाद नहीं माना जा सकता है। यह जनमत और धारणा पर छोड़ दिया जाता है जिस पर लोकतंत्र के महान स्तंभ को और मजबूत किया जाता है। और ऐसी सभी परिस्थितियों में संसदीय विशेषाधिकार का सवाल ही नहीं उठेगा।

124. हाथ में मामले में, विवाद वहाँ समाप्त नहीं होता है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने सामग्री पर भरोसा रखा है

संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट और उत्तरदाताओं का कहना है कि वे इसका विरोध करने के लिए मजबूर हैं। चाहे यह स्पष्ट रूप से कहा गया हो, याचिकाकर्ताओं का इरादा रिपोर्ट की सामग्री पर भरोसा करने और एक प्रतियोगिता आमंत्रित करने का है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय यह वहन करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा कि

9 5 95 (1976) 1 एस. सी. सी. *254 [2018] 4* एस. सी. आर.

बहुत कम से कम एक असमान और नुकसानदेह स्थिति में रखा जाएगा। यह बाद के परिदृश्य में है कि न्यायालय को निर्णय लेने के लिए बुलाया जाएगा रिपोर्ट में बताए गए विवादास्पद तथ्य। इसलिए, जब भी पी. एस. सी. रिपोर्ट में किसी तथ्यात्मक निष्कर्ष के लिए कोई प्रतिस्पर्धा होने की संभावना और संभावना हो, तो न्यायालय को ऐसा करने से बचना चाहिए। यह कहना एक बात है कि रिपोर्ट सार्वजनिक है।

दस्तावेज़ साक्ष्य में स्वीकार्य है, लेकिन चुनौती की अनुमति देना काफी अलग है। *125.* यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि संसदीय कार्यवाहियों के बीच एक आंतरिक अंतर है जो बयान की प्रकृति में हैं।

किसी मंत्री का या किसी अधिनियम के उद्देश्य को उजागर करने के लिए संसद में बनाए गए विधेयक के प्रस्तावक का या उस मामले के लिए एक संसदीय समिति की रिपोर्ट जो किसी कानून के अधिनियमन से पहले अस्तित्व में आई थी और संसदीय समिति की रिपोर्ट में वर्णित "तथ्य" का एक विवादास्पद/परस्पर विरोधी मामला। यह पूर्व श्रेणी के अंतर्गत आने वाली संसदीय कार्यवाहियाँ हैं जिनमें से न्यायालयों को धारा *57,* उप-धारा *(4)* के तहत न्यायिक नोटिस लेने का आदेश दिया गया है, जबकि, संसदीय कार्यवाहियों की बाद की श्रेणी के लिए, -

ऐसी कार्यवाहियों के दौरान बताए गए तथ्य को कानून द्वारा ज्ञात तरीके से साबित करना होगा।

126. यह हमें फिर से उस खतरनाक क्षेत्र में लाता है जहां संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्टों का न्यायिक संज्ञान लेते हुए एक तथ्यात्मक विवरण दिया जाता है।

स्पष्ट रूप से उक्त रिपोर्ट में बताए गए तथ्य के एक विवादास्पद मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए निष्कर्ष को साबित करने की आवश्यकता होगी।

127. संसदीय स्थिति का न्यायिक संज्ञान लेना

समिति की रिपोर्ट केवल उस हद तक हो सकती है जब ऐसी रिपोर्ट मौजूद हो। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, उक्त रिपोर्ट को वैधानिक प्रावधान को समझने के लिए सहायता ली जा सकती है जहां भी इसे इतना आवश्यक महसूस किया जाता है या किसी ऐतिहासिक तथ्य का संज्ञान लिया जा सकता है जो एक प्रतियोगिता से अलग है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, "प्रतियोगिता" शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति का बचाव करना।

न्यायालय में प्रतिकूल दावा; विरोध करना, विरोध करना या विवाद करना; जीतने या पकड़ने का प्रयास करना; विरोध करना, मुकदमा करना, प्रश्न में बुलाना, बचाव करने के लिए चुनौती देना।

कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

यह "प्रतियोगिता" शब्द का अर्थ होने के कारण, रिपोर्ट के तथ्यात्मक अंक पर इस पर निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करने को नकार दिया जाना चाहिए।

पी. वे निर्णय जिनमें संसदीय स्थायी समिति

रिपोर्ट/एस को संदर्भित किया गया है

128. इससे पहले कि हम अपने निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए आगे बढ़ें, यह आवश्यक है

याचिकाकर्ताओं द्वारा यहाँ उद्धृत विभिन्न प्राधिकरणों का उल्लेख करना, उन अवसरों पर प्रकाश डालना जहाँ इस न्यायालय ने विभिन्न संसदीय समिति की रिपोर्टों का उल्लेख किया है और उन पर ध्यान दिया है। इन कैटरिंग क्लीनर्स ऑफ सदर्न

और खान-पान साफ करने वालों की सेवाओं को नियमित करना। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की थी कि सरकार को रेलवे प्रशासन द्वारा कैटरिंग क्लीनरों के सीधे रोजगार पर विचार करना चाहिए ताकि उनके शोषण से बचा जा सके। *129.* महाराष्ट्र राज्य में *v.* मिलिंद और अन्य ", मुद्दा यह था कि क्या 'हलबा-कोष्ठियों' की जनजाति को विदर्भ के निर्दिष्ट क्षेत्रों में 'हलबा' के रूप में माना जाता था। इस न्यायालय ने उक्त मामले में संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

अनुसूचित जनजाति आदेश में 'हलबा-कोष्टि' को शामिल करने की सिफारिश। फेर, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन *(ऊपर)* में, यह

न्यायालय ने कई समितियों की रिपोर्टों और सिफारिशों का हवाला दिया जैसे कि *1984* में रेलवे सुधार समिति जिसने नए चार क्षेत्रों के गठन की सिफारिश की थी; रेलवे पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट जिसने काम के बोझ, दक्षता और प्रभावी प्रबंधन के आधार पर नए क्षेत्रों के निर्माण की सिफारिश की थी और राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट जिसमें सुझाव दिया गया था कि

अतिरिक्त क्षेत्रों का गठन संदिग्ध योग्यता का होगा और इससे पर्याप्त लागत बढ़ेगी और प्रणाली का बहुत कम मूल्य होगा।

130. सुश्री अरुणा रॉय और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य *98,* एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति को याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने उक्त मुद्दे पर विचार करते हुए,

96 (1987) 1 एससीसी *700*

97 (2001) 1 एससीसी *4*

9 8 (2002) 7 एस. सी. सी. *368 [2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विस्तार से, संसदीय समिति की रिपोर्ट में, जिसने इस संबंध में कई सिफारिशें की थीं। रिपोर्ट को इस प्रकार संदर्भित करने के बाद, न्यायालय का विचार था कि यदि संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा स्वीकार किया जाता है और उन्हें लागू करने की मांग की जाती है, तो यह नहीं कहा जा

सकता है कि इसकी कार्रवाई मनमाना या अनुचित है। *131.* एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य, इस न्यायालय ने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट को संदर्भित किया

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जिसने अभूतपूर्व स्थिति पर चिंता व्यक्त की

132. लाल बाबू प्रियदर्शी बनाम। अमृतपाल सिंह *1 00*, व्यापार की विभिन्न धाराओं के तहत एक व्यापार चिह्न मामले से निपटते हुए और मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट, *1958 [*ट्रेड मार्क्स एक्ट, *1999 (1999* का *47)* द्वारा निरसित, इस न्यायालय ने संसदीय स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत ट्रेड मार्क्स बिल, *1993* पर आठवीं रिपोर्ट का उल्लेख किया जो

यह राय थी कि देवताओं, देवी-देवताओं या पूजा स्थलों से संबंधित किसी भी प्रतीक को सामान्य रूप से व्यापार चिह्न के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

133. याचिकाकर्ताओं ने गुजरात विद्युत बोर्ड बनाम जैसे अन्य मामलों का भी उल्लेख किया है। हिंद मजदूर सभा और

अन्य *1-1*, मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर और अन्य *v.* मध्य प्रदेश राज्य और अन्य *1 02* और कृष्ण लाल गेरा बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य *03* जिसमें इस न्यायालय ने संसद की स्थायी समितियों की रिपोर्टों का एक पारित संदर्भ दिया है। *134.* हमने, पूर्णता के लिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने रुख को आगे बढ़ाने के लिए जिन निर्णयों पर भरोसा किया है, उन्हें नोट किया है। लेकिन यहां यह उल्लेख करना खेदजनक है कि अत्यधिक मामलों में, प्रतिस्पर्धा/चुनौती का सवाल कभी सामने नहीं आया। सभी मामलों में, ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई जो किसी विशेष तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रतिस्पर्धी दलों के बीच किसी भी प्रतिस्पर्धा की गारंटी देती हो। वह स्थिति होने के कारण, उक्त निर्णयों में

9 9 (2017) 7 एससीसी *243*

100 (2015) 16 एससीसी *795*

101 (1995) 5 एससीसी *27*

102 (2016) 7 एस. सी. सी. *353*

103 (2011) 10 एस. सी. सी. *529* कल्पना मेहता बनाम

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

हमारी सुविचारित राय, विचाराधीन विवाद को कोई सहायता न दें।

135. हमने उक्त निर्णयों को अलग किया है, क्योंकि हम निपट गए हैं।

यह सोचने के लिए कि एक पक्ष हमेशा रिकॉर्ड पर सामग्री पर अपना मामला स्थापित कर सकता है और न्यायालय स्वतंत्र रूप से बिना किसी विवाद के निर्णय ले सकता है

संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को चुनौती देने की अनुमति। हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए। यह तब अधिक

होता है जब इस मुद्दे में एक मौलिक अधिकार शामिल नहीं होता है जो संसदीय कार्रवाई से प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में, हम संवैधानिक विवेक को ध्यान में रखते हुए न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत की अवधारणा पर विचार कर सकते हैं। स्व-विकसित न्यायिक संयम की धारणा और न्यायशास्त्र की प्रगति के विचार को एक स्पष्ट संतुलन के लिए जोड़ा जाना चाहिए। न्यायिक संयम और न्यायिक प्रगतिवाद क्या है, यह निर्धारित करने के लिए कोई स्ट्रैट-जैकेट सूत्र नहीं है। कभी-कभी, न्यायालयों के लिए एक ऐसे मार्ग की अवधारणा बनाने की आवश्यकता होती है जो एक बुद्धिमान मध्य मार्ग हो सकता है। इन दोनों विचारों के बीच का मार्ग न्यायपालिका की अवधारणा है।

जुड़ाव ताकि न्यायिक संयम की अवधारणा नहीं ले

न्यायिक त्याग या न्यायिक निष्क्रियता का रंग। न्यायिक जुड़ाव के लिए आवश्यक है कि न्यायालय अपने संवैधानिक दायित्व को बनाए रखें कि वे अपने अधिकार में प्रहरी बने रहें। इसके लिए नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को बनाए रखने के लिए एक सतर्क प्रगतिशील न्यायपालिका की आवश्यकता है। इस प्रकार, जब तक किसी न्यायालय का निर्णय इस सिद्धांत के अनुसार प्रगतिशील है

न्यायिक जुड़ाव, दृष्टिकोण संवैधानिक न्यायालयों द्वारा कर्तव्य का उचित निर्वहन सुनिश्चित करना होगा ताकि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नागरिकों के अपरिहार्य अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। एक संवैधानिक न्यायालय किसी भी स्थान पर अन्याय की अनुमति देने या स्वीकार्यता की एक निश्चित सीमा वाले सिद्धांत को वास्तविक स्थान नहीं देने के अपने कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकता है। स्ट्रैडफोर्ड सी. जे. ने जजभाय बनाम कासिम *1 04* में स्वर और भाव को बोलते हुए कहा हैः

"अब रोमन-डच कानून, जिसे हमें लागू करना चाहिए, एक ऐसी जीवित प्रणाली है जो आधुनिक सभ्य जीवन की बढ़ती जटिलताओं और गतिविधियों के अनुकूलन की अनुमति देने के लिए विकास और विकास में सक्षम है। उस विकास के साधन हमारे अपने न्यायालय हैं। यह कहते हुए कि, निश्चित रूप से, मेरा मतलब यह नहीं है कि कानून के न्यायालय के लिए कानून में बदलाव करना अनुमत है; इसका कार्य स्पष्ट करना, व्याख्या करना है।

और कानून लागू करें। लेकिन इस बात से इनकार करना बेकार होगा कि उन कार्यों के प्रयोग की प्रक्रिया में कानून के नियम धीरे-धीरे और

लाभकारी रूप से विकसित "।

104 1939 537 ई. पृ. *542 [2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

136. मिरांडा वी। एरिजोना *1 05,* संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने कहाः

'यह कि अदालत का आज का निर्णय न तो पांचवें संशोधन की भाषा द्वारा मजबूर किया गया है और न ही दृढ़ता से सुझाव दिया गया है, अमेरिकी और अंग्रेजी कानूनी इतिहास के विपरीत है, और पूर्ववर्ती की एक लंबी पंक्ति से विचलन शामिल है, यह साबित नहीं करता है कि अदालत ने अपनी शक्तियों को पार कर लिया है या कि अदालत गलत है या गलत है।

पाँचवें संशोधन की अपनी वर्तमान पुनर्व्याख्या में मूर्खतापूर्ण। हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से इस बात को रेखांकित करता है कि न्यायालय ने आज का निर्णय लेने में कानून की खोज या खोज नहीं की है, न ही इसे कुछ अकाट्य स्रोतों से प्राप्त किया है; उसने जो किया है वह है नए कानून और नई सार्वजनिक नीति को उसी तरह बनाना जैसे उसने अन्य महान खंडों की व्याख्या करते हुए किया है।

संविधान। ऐतिहासिक रूप से न्यायालय ने यही किया है। वास्तव में, यह वही है जो उसे करना चाहिए, और तब तक करना जारी रखेगा जब तक कि सरकारी शक्तियों के संवैधानिक वितरण में कुछ मौलिक परिवर्तन नहीं होता है।

137. भारतीय संदर्भ में, इस न्यायालय ने संवैधानिक न्यायालयों की आशंकित, प्रगतिशील और आकर्षक भूमिका को मान्यता दी है

लक्ष्मी कांत पांडे बनाम से शुरू होने वाले निर्णयों के एक समूह में। भारत संघ *1 06*, विशाखा और अन्य बनाम। राजस्थान राज्य और अन्य *1 107* प्रकाश सिंह और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य *108*, सामान्य कारण *(*एक नियम। समाज*)* वी। भारत संघ *1 0 9 10* और शक्ति वाहिनी बनाम। भारत संघ और अन्य *1 1 0*। इन सभी निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय के गतिशील और उत्साही कर्तव्य को मान्यता दी गई है और यह रेखांकित किया गया है कि इस न्यायालय को संविधान और अन्य कानूनों की व्याख्या करने की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए।

ऐसा तरीका जो न केवल कानूनी रूप से मान्य हो, बल्कि अधिकार-उन्मुख के घोषित उद्देश्य की प्रगति और विकास को भी सुविधाजनक बनाए। संविधान। संविधान अपने आप में एक गतिशील, जीवंत और हमेशा बदलते रहने वाले दस्तावेज होने के नाते युगों के प्रतिमान के अनुकूल है। यह स्थिति होने के कारण, यह भी इस न्यायालय का काम है कि वह नए सिरे से देखे और मौजूदा नियमों को नई उभरती स्थितियों के अनुरूप बनाए। इसलिए,

105 384 अमेरिका *436 (1966)*

106 (1984) 2 एससीसी *244*

107 (1997) 6 एस. सी. सी. *241*

109 2018 (4) स्केल *1* *110 2018 (5)* स्केल *51* कल्पना मेहता बनाम।

भारत संघ *[*दीपक मिश्रा, सीजेआई*]*

संवैधानिक न्यायालयों को हमेशा एक प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और न्यायिक राजनीतिक कौशल और न्यायिक जुड़ाव की अवधारणाओं के संबंध में कर्तव्यों का एक गतिशील और उत्साही निर्वहन प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि वे व्यापक सार्वजनिक हित को पूरा करते हैं। वर्तमान मामले में, संवैधानिक दायित्व हमें यह विचार रखने के लिए राजी करता है कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट या किसी भी संसदीय समिति की रिपोर्ट का न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है और इसे साक्ष्य में स्वीकार्य माना जा सकता है, लेकिन इसे न तो बाधित किया जा सकता है और न ही चुनौती दी जा सकती है और न ही इसकी वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है।

प्र. निष्कर्ष

138. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम संदर्भित प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित तरीके से देते हैं:

(i) संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को किसी वैधानिक प्रावधान की व्याख्या के उद्देश्य से सहायता ली जा सकती है, जहां भी यह आवश्यक हो और इसे अस्तित्व के रूप में भी ध्यान में रखा जा सकता है -

एक ऐतिहासिक तथ्य।

((ii) साक्ष्य अधिनियम की धारा *57 (4)* के तहत संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है और यह उक्त अधिनियम की धारा *74* के तहत स्वीकार्य है।

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* या अनुच्छेद *136* के तहत दायर मुकदमे में, यह न्यायालय निम्नलिखित रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले सकता है -

संसदीय स्थायी समिति। हालाँकि, रिपोर्ट को अदालत में बाधित या चुनौती नहीं दी जा सकती है।

((iv) जहां तथ्य विवादास्पद है, याचिकाकर्ता हमेशा कई स्रोतों से तथ्य एकत्र कर सकता है और शपथ पत्र के माध्यम से ऐसे तथ्य प्रस्तुत कर सकता है, और न्यायालय निम्नलिखित के माध्यम से अपना निर्णय दे सकता है:

स्वतंत्र निर्णय। *(v)*

संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के कारण नागरिकों से उचित टिप्पणियां और आलोचना आमंत्रित की जा सकती है क्योंकि ऐसी स्थिति में, नागरिक वास्तव में संसद के किसी भी सदस्य पर उल्लंघन के खतरे को आमंत्रित करने के लिए टिप्पणी नहीं करते हैं।

संसदीय विशेषाधिकार।

139. संदर्भ का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

140. रिट याचिकाओं को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

सुनने के लिए।

[2018] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए अनुभागों में विभाजित किया गया है।

वे इस प्रकार हैं:

संविधान पीठ का एक संदर्भ

बी प्रस्तुतियाँ

सी संविधान

ड. संसदीय स्थायी समितियाँ

ई संसदीय विशेषाधिकार

ई. *1* ब्रिटेन के निर्णय

ई. *2* भारत

एफ. शक्तियों का पृथक्करणः एक सूक्ष्म आधुनिक सिद्धांत

जी ए कार्यात्मक संबंध

एच निष्कर्ष

संविधान पीठ का एक संदर्भ

1. इस न्यायालय के समक्ष दो जनहित याचिकाएं दायर की गईं

2012 और *2013* में संविधान के अनुच्छेद *32* ने गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकने के लिए टीकों *1* को लाइसेंस देने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि टीकों की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया से पहले पर्याप्त नैदानिक परीक्षण नहीं किए गए थे। कथित तौर पर गुजरात में और आंध्र प्रदेश में इसके विभाजन से पहले लगभग चौबीस हजार किशोरियों को सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना टीका लगाया गया था। मुकदमों का आरोप है कि

छठे उत्तरदाता द्वारा शुरू की गई परियोजना के तत्वावधान में संचालित। सातवें और आठवें उत्तरदाताओं द्वारा दवाओं का निर्माण और विपणन किया जाता है। उनमें से प्रत्येक दवा का उत्पादन करता है। याचिका में भारत के औषधि महानियंत्रक की भूमिका पर सवाल उठाया गया है और

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। आरोप है कि टीका लगाने से गंभीर स्वास्थ्य विकार हुए हैं। मौतों की सूचना मिली।

2. 12 अगस्त *2014* को, दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने ऐसे प्रश्न तैयार किए जिन्हें इस प्रक्रिया के दौरान संबोधित करना होगा।

कार्यवाही। वे इस प्रकार हैं:

' ह्यूमन पैपिलोमा वायरस *(*एच. पी. वी.*) 2 2012* की रिट याचिका *(*सिविल*)* संख्या *558* कल्पना मेहता बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

" (i) क्या भारत में दवा को टीके के रूप में उपयोग करने के लिए स्वीकार किए जाने से पहले, भारत के औषधि महानियंत्रक और आई. सी. एम. आर.

क्या आपने उक्त परिचय के लिए प्रक्रिया का पालन किया था*?*

((ii) संसदीय समिति के बाद क्या कार्रवाई की गई है*?*

30.8.2013 पर *72* वीं रिपोर्ट जमा की थी*?*

(iii) गुजरात में कुछ स्थानों को चुनने के क्या कारण हैं*?*

और आंध्र प्रदेश*?*

((iv) वास्तव में मृत्यु और अन्य बीमारियों का कारण क्या है जो

क्या उक्त टीका लगाया गया था*?*

(v) यह मानते हुए कि यह टीका लगाया गया है, टीके की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह एक सामान्य टीका नहीं है, भारत संघ के सक्षम अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जो राष्ट्र के साथ-साथ राज्य सरकारों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं।

इस संबंध में किसकी समान भूमिका है*?*

(vi) जिन लड़कियों को टीका लगाया गया था, क्या उनके माता-पिता/अभिभावकों से उचित सहमति ली गई है, जैसा कि हम

क्या बार में सूचित किया गया है कि युवा लड़कियां बालिग होने की उम्र तक नहीं पहुंच पाई थीं*?*

(vii) यह मानते हुए कि इस तरह के टीकाकरण की आवश्यकता है, किस प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता है*? ”*

3. सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने *22* दिसंबर *2014* की संसदीय स्थायी समिति की *81* वीं रिपोर्ट पर भरोसा किया। द.

याचिकाकर्ताओं ने रिपोर्ट पर भरोसा रखने की मांग की ताकि न्यायालय को तथ्यों से अवगत कराया जा सके और उसके निष्कर्षों और निर्देशों को सुगम बनाया जा सके। इसका विरोध किया गया।

4. न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा उठा वह यह था कि क्या संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पर सार्वजनिक रूप से भरोसा किया जा सकता है।

अनुच्छेद *32* या अनुच्छेद *226* के तहत ब्याज मुकदमेबाजी। यदि इसे जोड़ा जा सकता है, तो एक संबद्ध मुद्दा यह था कि उस पर किस हद तक निर्भरता रखी जा सकती है और इसका संभावित मूल्य। भारत के तत्कालीन महान्यायवादी ने सहायता के अनुरोध के जवाब में प्रस्तुत किया कि

संसदीय स्थायी समितियाँ निर्माण के लिए, आसपास की परिस्थितियों या ऐतिहासिक परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए एक बाहरी सहायता हैं। शरारत को समझने के लिए तथ्यों को कानून द्वारा ठीक करने की मांग की गई। केंद्र सरकार ने आग्रह किया कि संसदीय स्थायी रिपोर्ट *(2018) 4* एस. सी. आर.

समितियाँ अपने विभागों के कामकाज का मार्गदर्शन करने के लिए होती हैं और संसद में बहस के लिए एक अग्रदूत होती हैं। हालाँकि, उन रिपोर्टों *(*यह आग्रह किया गया था*)* का उपयोग अदालत में नहीं किया जा सकता है और न ही वे मुकदमेबाजी करने वाले पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा के अधीन हो सकते हैं।

5. 5 अप्रैल *2017* के एक आदेश में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद *105* और *122* को स्वीकार किया और इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 69. उपरोक्त अनुच्छेदों को संदर्भित करने का उद्देश्य यह है कि जबकि
न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करना या संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करना,

संविधान के तहत आवश्यकतानुसार इस न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा जो तर्क दिया गया है, वह यह है कि इस न्यायालय से किसी भी प्रकार की न्यायिक समीक्षा या समिति के किसी भी सदस्य के आचरण पर कुछ भी आरोप लगाने का कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि हमारे सामने विवाद को समझने के लिए रिपोर्ट को देखने का सवाल है। प्रस्तुतिकरण "देख रहा है" रिपोर्ट में, "जैसा कि हम समझते हैं, उस पर निर्भरता रखने के अलावा और कुछ नहीं है। संसद के किसी सदस्य या संसदीय स्थायी समिति के किसी सदस्य के विचार, जिसे संसद या समिति के भीतर संसद द्वारा बनाए गए संवैधानिक पैरामे और नियमों या विनियमों के भीतर बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, को अदालत द्वारा सूची में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। *3.*

6. निर्देश आदेश में कहा गया है कि जब एक आदेश की मांग की जाती है, तो न्यायालय को उन तथ्यों को संबोधित करना होता है जो मामले की नींव हैं और विपक्ष, जवाब में। यदि किसी न्यायालय को संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बुलाया जाता है, तो मुकदमे का एक प्रतियोगी इसे चुनौती दे सकता है। अदालत के अनुसार, संसदीय समिति की रिपोर्ट को "चुनौती देने के निमंत्रण" के रूप में इस तरह की चुनौती से नाजुक संतुलन बिगड़ने की संभावना है।

संविधान संवैधानिक संस्थानों के बीच प्रावधान करता है। इस तरह की प्रतिस्पर्धा और निर्णय *(*उस दृष्टिकोण से*)* संसद के विशेषाधिकारों के विपरीत होगा जिसकी संविधान रक्षा करता है। इसलिए न्यायालय के अनुसारः

" 73 ..... हमारा प्रथम दृष्टया यह विचार है कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को इस तथ्य पर रुख को बढ़ाने के लिए एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है कि कोई विशेष गतिविधि अस्वीकार्य या गलत है।

3 3 आई. डी., पृष्ठों पर *320-321* कल्पना मेहता बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

संविधान की व्याख्या से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ है, दो प्रश्नों को संविधान पीठ को भेजा गया है

अनुच्छेद *145 (3)* के तहतः

" (i) चाहे भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* या अनुच्छेद *136* के तहत इस न्यायालय के समक्ष दायर मुकदमे में, न्यायालय संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का उल्लेख कर सकता है और उस पर भरोसा कर सकता है; और

((ii) क्या ऐसी रिपोर्ट को संदर्भ के उद्देश्य से देखा जा सकता है और यदि ऐसा है, तो क्या इस उद्देश्य के लिए प्रतिबंध हो सकते हैं -

संविधान के अनुच्छेद *105,121* और *122* में संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा और संवैधानिक संस्थानों के बीच नाजुक संतुलन की कल्पना की गई है। . "

बी प्रस्तुतियाँ

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियों का नेतृत्व करते हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने तीन के महत्व को रेखांकित किया संवैधानिक सिद्धांतः

((ख) संस्थानों का समुदाय; और
((ग) शक्तियों का पृथक्करण।

उनके आधार पर, निवेदन यह है कि एक समान संवैधानिक संस्थान में क्या होता है, इसका संदर्भ चौकस और सुसंगत होना चाहिए। संस्थानों के बीच उचित सम्मान और सौहार्द के साथ। प्रत्येक संस्थान के कामकाज में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है और यह केवल वही संस्थान है जो अपनी प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है। संसद में,

अध्यक्ष जो कहते हैं वह सदन द्वारा या, जैसा भी मामला हो, उसकी समिति द्वारा नियंत्रित होता है और संसद में झूठ बोलने पर केवल उसी संस्था द्वारा दंड दिया जाता है। यह आग्रह किया गया है कि यदि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में जो कहा गया है, उस पर अदालत में महाभियोग चलाया जाता है, तो यह समिति और स्वयं संसद के नियंत्रण को प्रभावित करेगा। संसद और न्यायपालिका द्वारा किए गए कार्य

यह आग्रह किया जाता है कि दो सह-समान शाखाएँ पूरी तरह से अलग हैं। संसदीय कार्य या तो जवाबदेही लागू करने के उद्देश्य से है सरकार या कानून बनाना। न्यायिक संस्थानों का कार्य है -

4 आईडी, पृष्ठ *322 [2018] 4* एस. सी. आर. पर।

न्यायनिर्णायक। न्यायालय वस्तुनिष्ठ संतुष्टि के आधार पर निर्णय लेते हैं और उनका कर्तव्य है कि वे न्यायिक रूप से कार्य करें। अदालतों से यह आग्रह किया गया है कि वे तथ्यों के साक्ष्य के रूप में ऐसी कोई सामग्री प्राप्त नहीं करेंगे जिसकी सच्चाई या अखंडता पर अदालत में हमला नहीं किया जा सकता है। *8.* उपरोक्त वैचारिक आधार पर श्री साल्वे ने आग्रह किया कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है।

दो असाधारण स्थितियों में न्यायिक कार्यवाहीः

(i) जहां न्यायालय के लिए जांच करना आवश्यक हो जाता है

एक वैधानिक प्रावधान का विधायी इतिहास;

((ii) एक ऐसे स्रोत के रूप में जिससे सरकार की नीति, जैसा कि किसी मंत्री द्वारा दिए गए बयानों में परिलक्षित होती है।

घर को पहचाना जा सकता है; और

((iii) संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट संसद के समक्ष विचार के लिए होती हैं और केवल उन पर विचार किया जा सकता है।

सदन को "सुविचारित सलाह" के रूप में।

ऊपर वर्णित दो स्थितियों को छोड़कर, इस तरह के आधार पर अदालत के समक्ष कोई याचिका नहीं लाई जा सकती है। इस कारण से रिपोर्ट करें कि *(i)* इस पर कोई अधिकार स्थापित नहीं किया जा सकता है

सदन समिति की सिफारिश; और *(ii)* इस तरह की रिपोर्ट पर भरोसा करने के परिणामस्वरूप अदालत के समक्ष चुनौती हो सकती है, जो संसद को प्रभावित कर सकती है।

विशेषाधिकार।

9. भारत के विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने विधायिका के विशेषाधिकारों, शक्तियों के पृथक्करण और पाठ्य के रूप में बहिष्करण के नियम को अपनाने का समर्थन किया है। संविधान की व्याख्या। अपन प्रस्तुतिमेः

1 संसद की समितियाँ एक आवश्यक सहायक होने के नाते

संसद और उनकी रिपोर्ट कानून बनाने में संसद को सलाह देने और मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से और नीतियां बनाने के लिए कार्यपालिका होने के कारण, किसी भी मामले में इन रिपोर्टों की न्यायिक जांच और/या समीक्षा करना संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा।

उद्देश्य जो भी हो;

II शक्तियों का व्यापक पृथक्करण, जो भारत के संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, न्यायालयों को संसदीय स्थायी रिपोर्टों को प्रस्तुत करने से रोकेगा।

जांच या न्यायिक समीक्षा के लिए समितियाँ; और कल्पना मेहता बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

III संविधान के अनुच्छेद *105* और *122* को एक साथ पढ़ने से यह स्थापित होगा कि, स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से, न्यायालयों पर निम्नलिखित समितियों के कामकाज या रिपोर्टों की जांच या न्यायिक रूप से समीक्षा करने पर रोक है।

संसद।

10. महान्यायवादी और दवा कंपनियों की ओर से की गई दलीलों का खंडन करते हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कॉलिन गोंजाल्विस ने आग्रह किया कि संसद की रिपोर्ट पर भरोसा करने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

स्थायी समिति जहाँ *(*वर्तमान मामले की तरह*)* कोई प्रयास नहीं किया जाता है।

((ख) किसी गवाह को बुलाना*;* या
((ग) विधायी निकाय के विशेषाधिकार का हनन करना।

एक संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट *(*यह आग्रह किया जाता है*)* केवल अदालत से मार्गदर्शन लेने के लिए निर्भर है। अदालत कर सकती है

न्याय के हित में इस तरह का समर्थन प्राप्त करना, किसी ऐसे कारण को आगे बढ़ाने के लिए जिसे सामाजिक कार्रवाई मुकदमे में लाया गया है। श्री गोंजाल्विस के अनुसार, प्रस्तुत करने का मूल *(*श्री साल्वे द्वारा आग्रह किया गया*)* यह है कि क्योंकि उनके मुवक्किल रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आपत्ति करते हैं, यह एक विवादास्पद मुद्दा बन जाता है। श्री गोंजाल्विस प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय को अपने पी. आई. एल. अधिकार क्षेत्र में रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय के खिलाफ ब्लैक आउट के लिए एक तर्क की अनुमति नहीं देनी चाहिए। निवेदन यह है कि न्यायालय को भारतीय साक्ष्य अधिनियम *1872* की धारा *57* द्वारा अनुमत तथ्यों को छोड़कर रिपोर्ट में निहित किसी भी तथ्य को निर्णायक नहीं मानना चाहिए। संसदीय समिति की सिफारिशों को लागू करने की कोई अनिवार्यता नहीं मांगी गई है। यह आग्रह किया गया है कि न्यायालय को रिपोर्ट पर टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा, भले ही वह रिपोर्ट की सामग्री से सहमत न हो। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि संसद का विधायी कार्य उस निरीक्षण से अलग है जो वह सरकारी विभागों पर करता है। संसदीय विशेषाधिकारों का एक मुद्दा तब उत्पन्न होता है जब न्यायालय एक सदस्य बनाता है

संसद में जो कहा गया है उसके लिए दीवानी या आपराधिक कार्रवाई में उत्तरदायी संसद या संसदीय समिति। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। श्री गोंजाल्विस ने कहा कि महत्वपूर्ण मामलों में, हमारा संविधान अंग्रेजी संसदीय परंपरा से एक ऐतिहासिक विराम का प्रतीक है। भारत ने ब्रिटेन की तरह संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है न कि संसदीय संप्रभुता को। इसलिए, अंग्रेजी *[2018] 4* एस. सी. आर. के तहत मामलों का फैसला किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस विषय पर भारतीय न्यायशास्त्र में संदर्भ को ध्यान में रखे बिना सामान्य कानून का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। संसद का अनियंत्रित उपयोग

यह आग्रह किया गया है कि विशेषाधिकार भारतीय संदर्भ में संशोधित हैं, जो संवैधानिक सर्वोच्चता द्वारा शासित है। जनता से जुड़े मामलों में

राष्ट्रीय चरित्र के हित या मुद्दे, दोनों संस्थानों-संसद और अदालतों-को एक साथ काम करना चाहिए। वास्तव में, संसद ने अपनी स्थायी समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। श्री गोंजाल्विस आग्रह करते हैं कि यह विडंबना है कि वर्तमान मामले में, यह कार्यपालिका ही है जो संसदीय विशेषाधिकारों की आड़ में खुलासा करने से खुद को बचाना चाहती है। अंत में, यह आग्रह किया गया है कि जनहित क्षेत्राधिकार प्रतिकूल नहीं है

और एक स्पष्ट रूप से भारतीय घटना का गठन करता है। जहाँ किसी संवैधानिक लक्ष्य, राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति और अनुसरण या

जनहित मुद्दा है, संसद और न्यायपालिका दोनों मिलकर काम करेंगे। शक्तियों के पृथक्करण या संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन के संबंध में यहां कोई मुद्दा नहीं उठता है। इसके विपरीत, यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण हमारे कानून में पारदर्शिता के मार्च के अनुसार नहीं है। *11.* वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद ग्रोवर ने कहा कि यदि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि संसद या, जैसा भी मामला हो, एक संसदीय स्थायी समिति के समक्ष एक निश्चित बयान दिया गया था, तो इस तरह के बयान पर संसद में बताए जाने के तथ्य के रूप में भरोसा किया जा सकता है। बयान की सच्चाई, विद्वान वरिष्ठ वकील के प्रस्तुत करने में, एक और और विशिष्ट मुद्दा है। रिपोर्ट अपनी सामग्री की सच्चाई के संबंध में नहीं बल्कि इसे बनाए जाने के संबंध में असंतुष्ट है। न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए यह नहीं मानेगा कि संसदीय समिति द्वारा लिया गया निष्कर्ष गलत है। लेकिन अदालत ऐसा कर सकती है।

निश्चित रूप से एक ऐसे बयान को देखें जिसमें ऐसा कोई विवाद नहीं है कि यह बयान दिया गया है।

12. श्री श्याम दीवान और श्री गौरव बनर्जी, विद्वान वरिष्ठ वकील ने मोटे तौर पर भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल और श्री हरीश साल्वे के समान तर्क का अनुसरण किया है।

सी संविधान *13.* अनुच्छेद *105,118,119* और *121* संविधान के भाग *V* में शामिल हैं जो संघ से संबंधित हैं और अध्याय *II* का एक हिस्सा हैं।

जो संसद से संबंधित है। अनुच्छेद *105* नीचे दिया गया है:

"105. (1) इस संविधान के प्रावधानों और संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन,

संसद में बोलने की स्वतंत्रता होगी।

(2) संसद का कोई भी सदस्य अपने द्वारा कही गई किसी भी बात या वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
संसद या उसकी कोई समिति, और कोई भी व्यक्ति इसके प्राधिकरण द्वारा या उसके अधीन प्रकाशन के संबंध में ऐसा उत्तरदायी नहीं होगा।

संसद के किसी भी सदन के किसी भी प्रतिवेदन, पत्र, मत या

कार्यवाही।

(3) अन्य मामलों में, की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

संसद का प्रत्येक सदन और प्रत्येक सदन के सदस्य और समितियाँ ऐसी होंगी जो समय-समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा परिभाषित की जा सकें, और जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं किया जाता है, तब तक वे उस सदन के और उसके सदस्यों और समितियों के होंगे।

संविधान की धारा *15* का लागू होना *(*चालीस*)*

चौथा संशोधन*)* अधिनियम, *1978*।*]*

(4) खंड *(1), (2)* और *(3)* के प्रावधान इस संबंध में लागू होंगे।

जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर अधिकार है

संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में भाग लेना और अन्यथा भाग लेना, जैसा कि वे इस संबंध में लागू होते हैं।

संसद के सदस्यों के लिए "।

14. अनुच्छेद *105* से उभरने वाला पहला प्रमुख सिद्धांत है -

संसद। एक वाक्य में कहा गया है कि यह सिद्धांत लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड का प्रतिपादन करता है। संसद सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करती है, इसके सदस्यों के प्रतिनिधि चरित्र, लोगों की आवाज और आकांक्षाओं के माध्यम से। संसद के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन के लिए महत्वपूर्ण है। अपने विचारों की निडर अभिव्यक्ति के माध्यम से सांसद उन लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हैं जो उन्हें चुनते हैं। बोलने की शक्ति निर्वाचित सरकारों से लोकतांत्रिक जवाबदेही तय करती है। संवाद का मुक्त प्रवाह यह सुनिश्चित करता है कि कानून बनाने और सरकारी नीतियों की देखरेख में संसद

निर्वाचक मंडल के विविध विचार जिनका प्रतिनिधित्व एक निर्वाचित संस्था करती है।

15. संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक मान्यता देता है।

अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* में अधिकार। अनुच्छेद *105 (1)* में उस अधिकार की एक अलग अभिव्यक्ति से पता चलता है कि संसद में बहस और विचार की अभिव्यक्ति को मसौदा तैयार करने वाले व्यक्तियों द्वारा कितना महत्वपूर्ण माना गया है। अनुच्छेद *105 (1)* एक साधारण पुनरावृत्ति या उस मामले के लिए अधिशेष नहीं है। यह उस मौलिक मूल्य का प्रतीक है जो *[2018] 4* एस. सी. आर. में आलोचना की स्वतंत्र और निडर व्याख्या है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद लोकतंत्र का सार है। संसद के निर्वाचित सदस्य नागरिकों की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। नागरिकों की चिंताओं को व्यक्त करने में, संसदीय भाषण लोकतंत्र को बढ़ाता है। अनुच्छेद *105 (1)* अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्तिगत अधिकारों का हिस्सा होने के अलावा एक संस्थागत मूल्य के रूप में जोर देता है। विधायिका के निर्वाचित सदस्य अपनी व्यक्तिगत क्षमता में उस मौलिक अधिकार का उपयोग करना जारी रखते हैं। सामूहिक रूप से, उनकी राय की अभिव्यक्ति को एक संस्थागत संरक्षण प्राप्त है क्योंकि वे जो शब्द बोलते हैं वे संसद के पटल के भीतर बोले जाते हैं। यह स्पष्ट किया गया है

हालांकि प्रमुख आधार संविधान के प्रावधानों के अधीन है और संसद की प्रक्रिया द्वारा इसके नियमों और स्थायी आदेशों में सन्निहित है। खंड *(1)* में यह मान्यता कि संसद में बोलने की स्वतंत्रता होगी, संसद सदस्यों

को किसी भी बात के लिए या संसद या समिति में दिए गए किसी भी वोट के लिए न्यायालय में उत्तरदायी होने के खिलाफ प्रदत्त प्रतिरक्षा से प्रभावी होती है। इसी तरह, एक व्यक्ति जो एक रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही प्रकाशित करता है संसद का अधिकार किसी भी न्यायालय में दायित्व से संरक्षित है। अन्य मामलों में-अर्थात, खंड *(1)* और *(2)* के तहत आने वाले मामलों के अलावा अन्य मामलों पर, संसद को अपने प्रत्येक सदन और अपने सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को परिभाषित करने का अधिकार दिया गया है और

समितियाँ। जब तक संसद ऐसा नहीं करती, तब तक वे शक्तियाँ, विशेषाधिकार और

उन्मुक्तिएँ ऐसी हैं जो संविधान के *44* वें संशोधन के प्रवर्तन से ठीक पहले मौजूद थीं। अनुच्छेद *105* का खंड *(4)* संरक्षण के दायरे को "उन व्यक्तियों के संबंध में" लागू करके व्यापक बनाता है जिन्हें सदन या इसकी समितियों के समक्ष कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का अधिकार है। सदस्यों को दी गई सुरक्षा

संसद का विस्तार ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है। संसद के सदनों की समितियों की स्थापना संसद द्वारा और उसके अधिकार के तहत की जाती है। वे संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे संसद के भीतर शामिल हैं और उतना ही संसद भी।

16. अनुच्छेद *118* संसद की प्रक्रिया के नियमों से संबंधित है:

"*118. (1)* संसद का प्रत्येक सदन इस संविधान के प्रावधानों, इसकी प्रक्रिया और इसके कार्य के संचालन के अधीन रहते हुए विनियमन के लिए नियम बना सकता है।

(2) जब तक खंड *(1)* के तहत नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश लागू होते हैं।

विधान-मंडल के संबंध में इस संविधान का प्रारंभ

5 संविधान *(44* वां संशोधन*)* अधिनियम, *1978 20* जून, *1979* से लागू हुआ।

कल्पना मेहता बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

भारत अधिराज्य का प्रभाव संसद के संबंध में ऐसे संशोधनों और अनुकूलनों के अधीन होगा जो राज्य परिषद के अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा उसमें किए जा सकते हैं।

और दोनों सदनों के बीच संचार।
(4) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोक सभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति जो खंड *(3)* के तहत बनाए गए प्रक्रिया नियमों द्वारा निर्धारित किया जाए, अध्यक्षता करेगा।

संसद की प्रक्रिया और कार्य संचालन प्रत्येक सदन द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। नियम बनाने का अधिकार विषय है केवल संविधान के प्रावधानों के लिए। जब तक नियम नहीं बनाए जाते, तब तक संसद की प्रक्रिया प्रक्रिया के नियमों और स्थायी आदेशों द्वारा शासित होती थी जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत अधिराज्य के विधानमंडल पर लागू होते थे *(*अनुकूलन और संशोधनों के अधीन*)*। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों के लिए और उनके बीच संचार के संबंध में प्रक्रिया के नियम राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से बनाए जाने हैं।

17. अनुच्छेद *119* वित्तीय कार्य के संबंध में संसद में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद *119* इस प्रकार प्रदान करता हैः

*"119.*संसद, वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से, किसी वित्तीय मामले के संबंध में या भारत की संचित निधि से धन के विनियोग के लिए किसी विधेयक के संबंध में संसद के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन को कानून द्वारा विनियमित कर सकती है, और यदि और जहां तक इस तरह बनाए गए किसी कानून का कोई प्रावधान अनुच्छेद *118* के खंड *(1)* के तहत संसद के किसी सदन द्वारा बनाए गए किसी नियम या उस अनुच्छेद के खंड *(2)* के तहत संसद के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश के साथ असंगत है, तो ऐसा प्रावधान प्रबल होगा।

इस प्रकार अनुच्छेद *119* में एक विशेष प्रावधान है जो संसद को देश में कार्य के लिए प्रक्रिया और संचालन को विनियमित करने में सक्षम बनाता है।

वित्तीय मामलों के संबंध में या संचित निधि से धन के विनियोग के लिए प्रत्येक सदन।

18. अनुच्छेद *122* में वैधता की जांच करने वाली अदालतों पर रोक है।

प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्यवाही काः

"122. (1) संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

प्रक्रिया।

(2) संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए इस संविधान द्वारा या उसके तहत शक्तियां निहित हैं या

संसद में कार्य का संचालन, या व्यवस्था बनाए रखने के लिए, के संबंध में किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होगा

उसके द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग करें। "

अनुच्छेद *122* संसद की कार्यवाही पर अनियमितता या प्रक्रिया के आधार पर सवाल उठाए जाने की रक्षा करता है। इसी तरह, संसद का कोई सदस्य या संविधान के तहत संसद में प्रक्रिया या कार्य संचालन *(*या व्यवस्था बनाए रखने*)* को विनियमित करने का अधिकार रखने वाला अधिकारी उन शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होने से मुक्त है। जो लोग संसद में व्यवस्था बनाए रखने के कार्य को करते हैं-कभी-कभी असंभव-उन्हें भी संरक्षित किया जाता है, ताकि वे अपने कार्यों को निष्पक्ष रूप से करने में सक्षम हो सकें।

19. राज्य विधानमंडलों के मामले में भाग *5* के अध्याय *2* में निहित प्रावधान भाग *6* के अध्याय *3* में प्रतिबिंबित किए गए हैं। द.

राज्य विधानमंडलों के संबंध में संबंधित प्रावधान अनुच्छेद *194,208,209* और *212* में निहित हैं।
20. संविधान जिस मौलिक सिद्धांत का प्रतीक है, वह संसद में बोलने की स्वतंत्रता की मान्यता और संरक्षण के संदर्भ में है।

बोलने की स्वतंत्रता को संसद सदस्य को उत्तरदायी ठहराने के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करके मजबूत किया गया है।

संसद में या एक वोट के लिए बोला गया है जो निविदा दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों को दी गई है जिन्हें संसद की कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का अधिकार है। संसद निहित है अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करने और अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं को परिभाषित करने का अधिकार। वही संरक्षण जो संसदीय कार्यवाहियों तक फैला हुआ है, प्रत्येक सदन द्वारा गठित समितियों में या उनके समक्ष की कार्यवाहियों तक विस्तारित है। संसद को अपनी प्रक्रिया और अपने कार्यों के संचालन को विनियमित करने का पूर्ण और अनन्य अधिकार दिया गया है।

कल्पना मेहता बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

21. उपरोक्त प्रावधानों को बनाते समय, संविधान ने

के बीच संस्थागत एकता सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक उत्कीर्ण प्रावधान संसद और न्यायपालिका। अनुच्छेद *121* के तहत, कर्तव्यों के निर्वहन में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है *(*हटाने के प्रस्ताव को छोड़कर*)*। अनुच्छेद *211* राज्य विधानसभाओं के संबंध में इसी तरह का प्रावधान करता है।

ड. संसदीय स्थायी समितियाँ

22. संसदीय समितियाँ यूनाइटेड किंगडम में सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप के साथ-साथ संसद के सदनों में भी मौजूद हैं।

भारत में। यू. के. में, चयन समितियाँ ऐसे उपकरणों के रूप में उभरी हैं जिनके माध्यम से संसद की नीतियों और कार्यों की जांच की जाती है। सरकार और सरकार और उसके अधिकारियों की जवाबदेही को लागू करता है। चयन समितियाँ संसद के विशेष रूप से नामित सदस्यों से बनी होती हैं और उस अधिकार का प्रयोग करती हैं जिसे सदन प्रतिनिधि करता है।

उन्हें। चयन समितियों की भूमिका कानून, विशेषाधिकार, कार्यवाही और उपयोग पर एर्स्किन मे के ग्रंथ में निर्धारित की गई है।

संसद *6:*

"सदन की ओर से विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए सदन द्वारा चयन समितियों की नियुक्ति की जाती है। विशेष रूप से वे हाल के वर्षों में प्रमुख तंत्र बन गए हैं जिसके द्वारा

सदन सरकार की जांच के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है

नीति और कार्य। तेजी से यह जांच कार्य बन गया है

सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और सार्वजनिक साधन जिसके द्वारा संसद सरकारी मंत्रियों और उनके विभागों को जवाबदेह बनाती है। "

प्रवर समिति के समक्ष विचार-विमर्श या पूछताछ का दायरा

यह उस क्रम में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा समिति की नियुक्ति की जाती है। जब किसी विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाता है, तो विधेयक संदर्भ आदेश का गठन करता है। चयन समितियाँ सदन का एक सूक्ष्म रूप हैं। अपने काम के दौरान, चयन समितियाँ दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य पर भरोसा करती हैं।

"एक बार जब समिति द्वारा साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया गया, तो कागजात तैयार किए गए

एक समिति के लिए इसकी संपत्ति बन जाती है और प्रकाशित नहीं की जा सकती है

6 'संसद के कानून, विशेषाधिकार, कार्यवाही और उपयोग पर एर्स्किन मे का ग्रंथ, *(*लेक्सिसनेक्सिस, *24* वां संस्करण, *2011), 37*।

'आई. डी., पृष्ठों पर *805-806*।

8 पृष्ठ *818* पर एर्स्किन मे।

समिति के स्पष्ट अधिकार के बिना। कुछ समितियों ने जांच की शुरुआत में एक प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है जिसे अधिकृत किया गया है।

गवाह अपने स्वयं के साक्ष्य प्रकाशित करने के लिए।

जाँच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य को समिति की रिपोर्ट के साथ प्रकाशित किया जाता है:

"समितियों की यह सामान्य प्रथा है कि वे जांच के दौरान लिए गए साक्ष्य को उस रिपोर्ट के साथ प्रकाशित करती हैं जिसके लिए साक्ष्य प्रासंगिक है। लंबी पूछताछ के मामले में,
साक्ष्य के दौरान अलग से प्रकाशित किया जा सकता है

पूछताछ की। हालाँकि, ऐसे मामलों में, उस साक्ष्य को रिपोर्ट के साथ फिर से प्रकाशित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, समितियाँ बाद की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के इरादे के बिना साक्ष्य ले सकती हैं और इसे बिना टिप्पणी के प्रकाशित कर सकती हैं।
एक प्रवर समिति यह तय करती है कि वह किसी भी रिपोर्ट को कब प्रकाशित करेगी।

1 0 से सहमत है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद *105* समितियों को मान्यता देता है -

संसद के सदन। संविधान के अनुच्छेद *118 (1)* के तहत बनाए गए लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया के नियम अन्य बातों के साथ-साथ इन समितियों के संगठन और कार्य के लिए प्रावधान करते हैं।

23. राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन को नियंत्रित करने वाले नियम समितियों के गठन का प्रावधान करते हैं। घर। नियमों के अध्याय *IX* में विधान से संबंधित प्रावधान हैं। उन विधेयकों के लिए प्रावधान किए गए हैं जो राज्यसभा में उत्पन्न होते हैं और जो लोकसभा में उत्पन्न होते हैं और राज्यसभा में प्रेषित किए जाते हैं। नियम *72* के तहत, किसी विधेयक के लिए प्रवर समिति के सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा द्वारा की जाती है जब एक प्रस्ताव दिया जाता है कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए। नियम *84* चयन को सशक्त बनाता है।

समिति को गवाहों की उपस्थिति या कागजात या रिकॉर्ड पेश करने की आवश्यकता होती है। प्रवर समिति विशेषज्ञ साक्ष्य और उपाय से प्रभावित विशेष हितों के प्रतिनिधियों को सुन सकती है। समिति को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को उसकी जानकारी और अनुमोदन के बिना वापस नहीं लिया जा सकता है या बदला नहीं जा सकता है। नियम *85* के तहत चयन समिति है -

9 पृष्ठ *825* पर एर्स्किन मे।

10 पृष्ठ *838* पर एर्स्किन मे

1 1 11 लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, *(*लोकसभा सचिवालय, *15* वां संस्करण, अप्रैल *2014)*।

राज्य परिषद *(*राज्य सभा*)* में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम *(*महासचिव द्वारा प्रकाशित, *9* वां संस्करण, अगस्त *2016)*।

कल्पना मेहता बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

इसकी प्रक्रिया और उन प्रश्नों की प्रकृति पर निर्णय लेने के लिए सशक्त है जिन्हें वह अपने समक्ष बुलाए गए गवाह को संबोधित कर सकता है। नियम *86* साक्ष्य के मुद्रण और प्रकाशन का प्रावधान करता है और समिति को यह निर्देश देने का अधिकार देता है कि साक्ष्य या सारांश को मेज पर रखा जाए। प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य को मेज पर रखे जाने के बाद ही प्रकाशित किया जा सकता है। प्रवर समिति नियम *90* के तहत उसे भेजे गए विधेयक पर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। नियम *91* के तहत, एक विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट, असहमति के कार्यवृत्त के साथ, समिति के अध्यक्ष द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत की जाती है। नियम *92* के तहत, महासचिव को प्रवर समिति की प्रत्येक रिपोर्ट छापनी चाहिए। प्रवर समिति द्वारा प्रस्तावित विधेयक के साथ रिपोर्ट को होना चाहिए राजपत्र में प्रकाशित। नियम रिपोर्ट पर बहस और चर्चा करने और संशोधनों पर विचार करने के लिए राज्यसभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर विचार करते हैं, जिससे विधेयक को अंतिम रूप से पारित किया जा सके। जिस तरह से राज्यसभा में उत्पन्न होने वाले विधेयकों को प्रवर समितियों को भेजा जाता है, उसी तरह से लोकसभा से राज्यसभा में भेजे जाने वाले विधेयकों को नियम *125* के तहत प्रवर समिति को भेजा जा सकता है, यदि उस उद्देश्य के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाता है।

24. नियमों के अध्याय *XXII* में विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के संबंध में प्रावधान हैं। नियम *268*

यह निर्धारित करता है कि मंत्रालयों/विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ होंगी। तीसरी अनुसूची प्रत्येक समिति और मंत्रालयों/विभागों के नाम को स्पष्ट करती है जो इसके दायरे में आते हैं। नियम *269* के तहत, ऐसी प्रत्येक समिति में *31* से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए: *10* राज्यसभा के सदस्यों में से अध्यक्ष

द्वारा नामित किया जाएगा और *21* लोकसभा के सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे। नियम *270* स्थायी समितियों के कार्यों को निर्दिष्ट करता हैः

"270. कार्य

प्रत्येक स्थायी समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे, अर्थात्ः

*(*क*)* संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना और उन पर रिपोर्ट देना। रिपोर्ट में कटौती प्रस्तावों की प्रकृति का कुछ भी सुझाव नहीं दिया जाएगा।

*(*ख*)* अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा समिति को भेजे गए संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विधेयकों की जांच करना और उन पर रिपोर्ट करना*; [2018] 4* एस. सी. आर.

*(*ग*)* मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करना।

और उस पर रिपोर्ट करें*;* और

*(*घ*)* प्रस्तुत राष्ट्रीय बुनियादी दीर्घकालिक नीति दस्तावेजों पर विचार करना।

सदनों को, यदि अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा समिति को भेजा जाता है, तो, यथास्थिति, और उस पर रिपोर्ट देंः

बशर्ते कि स्थायी समितियाँ संबंधित मंत्रालयों के दैनिक प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करेंगी।

विभाग "।

नियम *274* में परिकल्पना की गई है कि स्थायी समिति की रिपोर्ट "व्यापक सहमति पर आधारित होगी" हालांकि एक सदस्य असहमति दर्ज कर सकता है। समिति की रिपोर्ट संसद के सदनों को प्रस्तुत की जाती है। नियम *275* के तहत, विधेयकों पर चयन समितियों पर लागू प्रावधान स्थायी समितियों पर उत्परिवर्तन लागू करते हैं। नियम *277* इंगित करता है कि एक स्थायी समिति की रिपोर्ट का प्रेरक मूल्य होना चाहिए और इसे सदन को सलाह के रूप में माना जाता हैः

"277. रिपोर्टों का प्रेरक मूल्य होना चाहिए

स्थायी समिति की रिपोर्ट का प्रेरक मूल्य होगा और इसे समिति द्वारा दी गई सलाह माना जाएगा। विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियाँ हैं -

संसद के सदनों की समितियाँ। समितियाँ विनियमित कर सकती हैं

विभाग और राष्ट्रीय दीर्घकालिक नीति दस्तावेजों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जब उन्हें विचार के लिए भेजा जाता है। इन समितियों की रिपोर्टों को प्रकाशित किया जाता है और संसद के सदनों को प्रस्तुत किया जाता है।

उनका एक प्रेरक मूल्य है और वे समिति द्वारा संसद को दी गई सलाह हैं। *25.* विभाग से संबंधित स्थायी समितियों के अलावा, एक सामान्य उद्देश्य समिति *(*अध्याय *XXIII)* है जिसका कार्य है -

सभापति द्वारा निर्दिष्ट सदन के मामलों को नियंत्रित करने वाले मामलों पर विचार करें और सलाह दें। अध्याय *XXIV* कल्पना मेहता *v* की देखरेख के लिए नैतिकता पर एक समिति के गठन का प्रावधान करता है।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

"सदस्यों का नैतिक और नैतिक आचरण, एक संहिता तैयार करें

आचरण करना, कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और सदस्यों को नैतिक मानकों से जुड़े प्रश्नों पर सलाह देना। ई संसदीय विशेषाधिकार

ई. *1* ब्रिटेन के निर्णय

26. यू. के. में, कानून का एक निकाय प्रतिरक्षा के इर्द-गिर्द विकसित हुआ है जो कानून की अदालत में नागरिक या आपराधिक दायित्व के खिलाफ संसद को दिए गए बयानों के भीतर या उनके संबंध में आचरण करने के लिए वहन किया जाता है। सामान्य कानून प्रवर समिति की रिपोर्ट की वैधता के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है जिसे अदालत में चुनौती दी जा रही है।

27. अधिकार विधेयक, *1689* का अनुच्छेद *9* घोषित करता है कि:
"*.....*कि संसद में बोलने और बहस या कार्यवाही की स्वतंत्रता पर संसद के बाहर किसी भी अदालत या स्थान पर महाभियोग या सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।

कड़ाई से माने जाने पर, "संसद से बाहर" अभिव्यक्ति संसद की कार्यवाही की किसी भी चर्चा को प्रभावी रूप से दबा देगी। यह लोकतंत्र में शासन के मामलों पर बहस और चर्चा की आवश्यकता से समझौता करेगा। इसलिए, संतुलन की भावना लाने का प्रयास किया गया है: एक ऐसा संतुलन जो संसद के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा लेकिन नागरिकों के बीच विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति देगा। लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए दोनों आवश्यक हैं।

अनुच्छेद *9* ने न्यायिक मिसाल की एक पंक्ति की नींव प्रदान की है।

अंग्रेज़ी अदालतों में। *1884* में इस सिद्धांत को ब्रैडलॉफ बनाम गोसेट *1 2* में तैयार किया गया था।

"हाउस ऑफ कॉमन्स क़ानून के उस हिस्से के प्रशासन में महामहिम के न्यायालयों के नियंत्रण के अधीन नहीं है जिसका संबंध केवल इसकी आंतरिक प्रक्रिया से है। इसकी दीवारों के भीतर क्या कहा या किया जाता है, इसकी अदालत में जांच नहीं की जा सकती है। हाउस ऑफ कॉमन्स का एक प्रस्ताव देश के कानून को नहीं बदल सकता है। लेकिन कानून की अदालत को औचित्य की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है किसी सदस्य को सदन की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा करने से रोकने वाले सदन के प्रस्ताव का जो सामान्य द्वारा

देश का कानून उसे करने का अधिकार था।
डिंगल बनाम एसोसिएटेड न्यूजपेपर्स लिमिटेड *1.3* में, उपरोक्त

सूत्रीकरण "अनन्य की एक स्पष्ट पुष्टि" का गठन करने के लिए आयोजित किया गया था

12 (1884) 12 क्यू. बी. डी. *271* *13 (1960) 2* क्यू. बी. *405 [2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद को अपनी आंतरिक कार्यवाही को विनियमित करने का अधिकार। उस सिद्धांत को लागू करते हुए, क्वींस बेंच डिवीजन ने फैसला सुनाया कि हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति की रिपोर्ट को संसद के बाहर विवादित नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत चर्च ऑफ साइंटोलॉजी ऑफ कैलिफोर्निया बनाम जॉनसन-स्मिथ *1 4* में लागू किया गया था, जब मानहानि के लिए कार्रवाई की गई थी।

एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान दिए गए बयान के लिए एक संसद सदस्य के खिलाफ। प्रतिवादियों की निष्पक्ष टिप्पणी की याचिका का खंडन करने के लिए, वादी ने प्रमुख साक्ष्य द्वारा द्वेष साबित करने की मांग की संसद में क्या हुआ था। इस तरह के प्रयास को खारिज करते हुए अदालत ने

ब्लैकस्टोन में सिद्धांत के निम्नलिखित कथन को स्वीकार किया गया:

"संसद के पूरे कानून और रीति-रिवाज की उत्पत्ति इस एक उक्ति से हुई है, "कि संसद के किसी भी सदन के संबंध में जो भी मामला उत्पन्न होता है, उसकी जांच, चर्चा और निर्णय उस सदन में किया जाना चाहिए जिससे वह संबंधित है, न कि कहीं और।"

उस सिद्धांत को दोहराते हुए अदालत ने कहा:

"..... सदन में किसी भी कार्यवाही के दौरान जो कहा या किया जाता है, उसकी संसद के बाहर कार्रवाई के कारण का समर्थन करने के उद्देश्य से जांच नहीं की जा सकती है, भले ही

कार्रवाई स्वयं सदन के बाहर किए गए किसी कार्य से उत्पन्न होती है।

इस निर्णय में बाहर दिए गए एक बयान के लिए एक संसद सदस्य के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई शामिल थी। अदालत ने प्रतिवादी के खिलाफ द्वेष का मामला स्थापित करने के लिए संसद में जो कहा गया था, उस पर भरोसा करने के प्रयास को खारिज कर दिया।

28. काली मिर्च *(*कर निरीक्षक*)* बनाम हार्ट *1 5*, लॉर्ड ब्राउन

विल्किंसन ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए कहा कि बहिष्करण के पारंपरिक नियम में ढील देने का एक वैध कारण था, जिसके तहत वैधानिक निर्माण के लिए सहायता के रूप में संसदीय सामग्री का संदर्भ अनुमेय नहीं था। विद्वान लॉ लॉर्ड ने कहा:

"मेरे निर्णय में, हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों के प्रश्नों के अधीन, संसदीय सामग्री के संदर्भ को ऐसे विधान के निर्माण में सहायता के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए जो अस्पष्ट या अस्पष्ट है या जिसका शाब्दिक अर्थ बेतुका है। ऐसे मामलों में भी अदालत में संसदीय सामग्री के संदर्भ की अनुमति केवल वहीं दी जानी चाहिए जहां ऐसी सामग्री स्पष्ट रूप से हो।

1 4 (1972) 1 क्यू. बी. *522*

15 1 5 (1992) 3 डब्ल्यू. एल. आर. *1032* कल्पना मेहता बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

लक्ष्यित शरारत या झूठ बोलने वाले विधायी इरादे का खुलासा करता है

अस्पष्ट या अस्पष्ट शब्दों के पीछे।

यह मानते हुए कि इस तरह की छूट में अदालत संसद में जो कहा गया है उसकी आलोचना नहीं करेगी क्योंकि अदालत केवल प्रभाव दे रही थी मंत्री द्वारा उपयोग किए गए शब्दों के लिए, अदालत ने कहा कि संसदीय सामग्री के संदर्भ की अनुमति देने के लिए बहिष्करण नियम में ढील दी जानी चाहिए जहांः

" (क) विधान अस्पष्ट या अस्पष्ट है, या बेतुका की ओर ले जाता है*; (ख)* जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है, उसमें किसी मंत्री या विधेयक के अन्य प्रवर्तक द्वारा एक या एक से अधिक बयान शामिल हैं, यदि आवश्यक हो तो ऐसी अन्य संसदीय सामग्री के साथ जो ऐसे बयानों और उनके प्रभाव को समझने के लिए आवश्यक है*; (ग)* जिन बयानों पर भरोसा किया गया है।

स्पष्ट हैं। "

29. रिचर्ड विलियम प्रीबल बनाम टेलीविजन न्यूजीलैंड *("*प्रीबल*")* में प्रिवी काउंसिल का निर्णय एक ऐसे मामले से उत्पन्न हुआ जहां, प्रतिवादी द्वारा प्रसारित एक टेलीविजन कार्यक्रम में, न्यूजीलैंड सरकार के खिलाफ आरोप लगाए गए थे, जिसमें निजी क्षेत्र को राज्य के स्वामित्व वाली संपत्तियों की बिक्री शामिल थी, जबकि वादी विभाग का मंत्री था। अपने औचित्य में, प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि वादी ने गुमराह करने के लिए सदन में बयान दिए थे। लॉर्ड ब्राउन-विल्किंसन ने माना कि प्रतिवादी को इससे बाहर रखा गया था

सदन के समक्ष वादी द्वारा दिए गए बयान पर सवाल उठाना

संसद। इस सिद्धांत को इस प्रकार तैयार किया गया थाः

" अनुच्छेद *9* के अलावा, प्राधिकरण की एक लंबी रेखा है जो एक व्यापक सिद्धांत का समर्थन करती है, जिसमें से अनुच्छेद *9* केवल एक है।

अभिव्यक्ति, अर्थात। कि अदालतें और संसद दोनों अपनी-अपनी संवैधानिक भूमिकाओं को पहचानने में चतुर हैं। जहाँ तक अदालतों को चिंता है कि वे संसद की दीवारों के भीतर जो कहा या किया जाता है उसे किसी भी तरह की चुनौती नहीं देने देंगे।

इसके विधायी कार्यों का निष्पादन और इसके संरक्षण

स्थापित विशेषाधिकारः बर्डेट वी। एबॉट *(1811) 14* पूर्व *1;* स्टॉकडेल बनाम। हंसार्ड *(1839) 9* ईस्वी। *& ई. आई. 1 ;* ब्रैडलॉफ वी. गोसेट *(1884) 12* क्यू. बी. डी. *271;* पिकिन वी. ब्रिटिश रेलवे बोर्ड *(1974)* ए. सी. *765* काली मिर्च वी। हार्ट *(1993)* ए. सी. *593*। जैसा कि ब्लैकस्टोन ने कहा

इंग्लैंड के कानूनों पर टिप्पणियां, *17* वां संस्करण। *(1830)* , वॉल्यूम। *1* ,

पी। *163 :*

16 (1994) 3 डब्ल्यू. एल. आर. *970 [2018] 4* एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

'संसद के पूरे कानून और रीति-रिवाजों की अपनी उत्पत्ति है

इस एक उक्ति से, 'कि संसद के किसी भी सदन के संबंध में जो भी मामला उत्पन्न होता है, उसकी जांच, चर्चा और निर्णय उस सदन में किया जाना चाहिए जिससे वह संबंधित है, और

कहीं और "।

प्रिवी काउंसिल ने माना कि हंसार्ड पर आधारित प्रतिपरीक्षा अस्वीकार्य थी।

प्रीबल में अपने निर्णय के दौरान, प्रिवी काउंसिल ने न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट के ऑस्ट्रेलियाई फैसले को स्वीकार किया।

रेग. *v* मर्फी *("*मर्फी*") 1 7* जिसने एक गवाह को होने की अनुमति दी थी प्रवर समिति को इस आधार पर दिए गए साक्ष्य के आधार पर प्रतिपरीक्षा की गई कि अनुच्छेद *9* यह दिखाने के लिए प्रतिपरीक्षा को प्रतिबंधित नहीं करता है कि समिति के समक्ष गवाह का बयान गलत था। निर्णय से उत्पन्न स्थिति से उबरने के लिए, ऑस्ट्रेलियाई विधायिका ने संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम, *1987* लागू किया। धारा *16 (3)* में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

" (3) किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण में कार्यवाही के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करना या प्राप्त करना, पूछे गए प्रश्न या बयान, प्रस्तुतियाँ या टिप्पणियां करना वैध नहीं है।

संसद, इसके माध्यम से या इसके उद्देश्य के लिए: *(क)* संसद में उन कार्यवाहियों का हिस्सा बनने वाली किसी भी चीज़ की सच्चाई, उद्देश्य, इरादे या सद्भावना पर सवाल उठाना या उस पर भरोसा करना; *(ख)* अन्यथा

किसी भी व्यक्ति की विश्वसनीयता, उद्देश्य, इरादे या सद्भावना पर सवाल उठाना या स्थापित करना; या *(सी)* किसी भी चीज से पूरी तरह या आंशिक रूप से निष्कर्ष निकालना या निष्कर्ष निकालना।

संसद में उन कार्यवाही का हिस्सा।

प्रेबल में, प्रिवी काउंसिल ने माना कि धारा *16 (3)* में "उनके प्रभुत्व की राय में, लागू किया जाने वाला सच्चा सिद्धांत क्या है"। दप्रिवी काउंसिल ने माना कि मर्फी में ऑस्ट्रेलियाई दृष्टिकोण नहीं था सही है, जहाँ तक शेष राष्ट्रमंडल का संबंध है, क्योंकि यह अधिकार की एक लंबी पंक्ति के साथ संघर्ष में था कि अदालतें संसद में जो कहा या किया जाता है उसे किसी भी चुनौती की अनुमति नहीं देंगी।

मानहानि अधिनियम, *1996 (*यू. के.*)* में धारा *13* में एक प्रावधान था जिसके तहत मानहानि के मामले में एक व्यक्तिगत वादी छूट दे सकता है।

संसदीय विशेषाधिकार। संयुक्त समिति की रिपोर्ट में कहा गया है

कि यह प्रावधान "विशेषाधिकार के आधार को कमजोर करता हैः बोलने की स्वतंत्रता

17 7 (1986) 64 ए. एल. आर. *498* कल्पना मेहता बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

मानहानि अधिनियम, *1996* की धारा *13* के प्रावधानों के प्रभाव को हैमिल्टन बनाम ए. आई. फ़ायद *("*हैमिल्टन*") 1.8* में हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के *2011* के निर्णय में निपटाया गया था। प्रतिवादी ने आरोप लगाया था कि संसद सदस्य के रूप में, वादी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में उनकी ओर से सवाल पूछने के लिए उनसे नकद स्वीकार किया था। वादी ने मानहानि अधिनियम की धारा *13* के अनुसार अपने संसदीय विशेषाधिकारों को माफ करते हुए प्रतिवादी के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई शुरू की। *1996.* लॉर्ड ब्राउन-विल्किंसन ने संसदीय विशेषाधिकारों पर ध्यान दिया, जो अदालत को यह सवाल करने से रोकता है कि क्या संसद के समक्ष एक गवाह ने इसे गुमराह किया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी से इस आशय की जिरह करने का कोई भी प्रयास कि उसने संसदीय समिति से झूठ बोला था, जब उसने कहा था कि उसने प्रश्नों के लिए धन का भुगतान किया था, संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन होगा। हालाँकि, धारा *13* के तहत, वादी संसदीय विशेषाधिकार से अपने स्वयं के संरक्षण को माफ कर सकता है। द.

इसका परिणाम इस प्रकार हुआः

"सदन के विशेषाधिकार बस यही हैं। वे सभी सदन के हैं न कि व्यक्ति के। वे सदन को अपने कार्यों को करने में सक्षम बनाने के लिए मौजूद हैं। इस प्रकार धारा *13 (1)* सटीक रूप से व्यक्तिगत सांसद के विशेषाधिकारों को संदर्भित नहीं करती है, बल्कि "किसी भी अधिनियम या कानून के शासन के संरक्षण" को संदर्भित करती है जो संसद में प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने से रोकती है। व्यक्तिगत सांसद को संसदीय विशेषाधिकारों का संरक्षण प्राप्त है। यदि वह इस तरह के संरक्षण को माफ कर देता है, तो धारा *13 (2)* के तहत संसदीय कार्यवाही की किसी भी पूछताछ *(*यहां तक कि "उसके आचरण के बारे में किए गए निष्कर्षों" को चुनौती देकर भी*)* को संसद के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

धारा *13* का प्रभाव यह था कि यदि कोई संसद सदस्य संरक्षण को माफ कर देता है, तो संसद के समक्ष कार्यवाही के हमले को विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

30. हैमिल्टन में निर्णय सटीक रूप से समझाने के लिए महत्वपूर्ण है।

किसी न्यायालय में संसदीय विशेषाधिकार और कार्यवाहियों के बीच संबंध जो संसदीय कार्यवाहियों में किए गए किसी भी कार्य की सच्चाई या औचित्य को चुनौती देना चाहता है। जैसा कि अदालत ने कहाः

8 (2001) 1 ए. सी. *395 [2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत किसी भी साक्ष्य, प्रतिपरीक्षा या प्रस्तुतियों पर विचार करने से जो किसी भी चीज़ की सत्यता या औचित्य को चुनौती देती है
संसद की कार्यवाही के दौरान किया गया। इस प्रकार, संसदीय समिति को दिए गए साक्ष्य की सत्यता को बाद की कार्रवाई में प्रतिपरीक्षा द्वारा चुनौती देने की अनुमति नहीं है।

लेकिन धारा *13* के प्रावधानों के लिए, हैमिल्टन द्वारा साक्ष्य कि उन्हें प्रश्नों के लिए धन नहीं मिला था, के साथ टकराव में आ जाएगा। ए. आई. फ़ायद द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जिसे ए. आई. फ़ायद द्वारा स्वीकार किया गया था

31. टौसेंट बनाम सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के अटॉर्नी जनरल *("टौसेंट")* में, प्रिवी काउंसिल ने एक ऐसे मामले पर विचार किया जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सरकार के खिलाफ दावा किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि उसकी भूमि का अधिग्रहण गैरकानूनी था। समर्थन में, उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री के एक भाषण और एक टेलीविजन बहस के वीडियो टेप से ली गई प्रतिलिपि का उल्लेख किया। निवेदन में कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण का वास्तविक कारण, जैसा कि प्रधानमंत्री के भाषण से स्पष्ट है, राजनीतिक था। प्रीबल की ओर रुख करते हुए, लॉर्ड मैन्स ने प्रिवी काउंसिल के लिए बोलते हुए कहा कि इसमें तीन सिद्धांत शामिल थेः निर्वाचकों की ओर से विधायिका द्वारा शक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता; न्याय के हित की रक्षा करने की आवश्यकता; और यह सुनिश्चित करने में न्याय का हित कि सभी प्रासंगिक साक्ष्य अदालतों के लिए उपलब्ध हैं। प्रिवी काउंसिल ने माना कि प्रधानमंत्री के भाषण पर भरोसा करने की अनुमति है, हालांकि प्रयास बाहरी उद्देश्यों के लिए शक्ति के अनुचित प्रयोग को प्रदर्शित करने का था। जैसा कि लॉर्ड मैन्स ने कहाः

"ऐसे मामलों में, संसद के बाहर होने वाले आचरण और इसके लिए नीति और प्रेरणा की व्याख्या करने के लिए मंत्री के बयान पर भरोसा किया जाता है। यह आपत्तिजनक नहीं है, हालांकि इसका उद्देश्य और प्रभाव यह दिखाना है कि इस तरह के आचरण में अनुचित कार्य शामिल हैं।
"किसी विदेशी उद्देश्य के लिए या पूरी तरह से अनुचित तरीके से" किसी शक्ति का प्रयोगः पेपर बनाम हार्ट, प्रति लॉर्ड ब्राउन विल्किंसन, पृष्ठ *639* ए. संयुक्त समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि संसद को इस विकास का स्वागत करना चाहिए, जिसके आधार पर

19 (2007) 1 डब्ल्यू. एल. आर. *2825* कल्पना मेहता बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

कि "एक आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में संसदीय जांच और न्यायिक समीक्षा दोनों की अलग और विशिष्ट महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं" *(*पैरा *50)* और इस आधार पर कि "विपरीत दृष्टिकोण के विचित्र परिणाम होंगे", "कार्यपालिका की वैधता" के लिए चुनौतियों में बाधा डालते हैं।

निर्णय. संसद में मंत्रियों ने क्या कहा, और "संसद में घोषित मंत्रिस्तरीय निर्णयों" को घेर कर। अन्य मंत्रिस्तरीय निर्णयों की तुलना में परीक्षा के लिए आसानी से खुला *":* पैरा

51. संयुक्त समिति ने विशेष रूप से कहा कि

"यह अनुच्छेद *9* का एक विडंबनापूर्ण परिणाम होगा। कार्यपालिका से विधायिका की अखंडता की रक्षा करने का इरादा और
न्यायालयों में, अनुच्छेद *9* कार्यपालिका को न्यायालयों से सुरक्षा का स्रोत बन जाएगा। """

सदन में प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाने या चुनौती देने के बजाय उस पर भरोसा किया गया जो वह कहता है। इसकी अनुमति थी। *32.* कानून के विकास में टौसेंट एक महत्वपूर्ण चरण है। एक मंत्री द्वारा संसद में दिए गए बयान पर भरोसा किया जा सकता है, न कि केवल एक कानून के इतिहास की व्याख्या करने के लिए। जहां इस आधार पर सरकारी अधिकार के प्रयोग को चुनौती दी जाती है कि यह बाहरी कारणों से प्रेरित है, वहां संसद में एक मंत्री के बयान का उपयोग संसद के बाहर आचरण के संबंध में अदालत में किया जा सकता है। चुनौती संसद में दिए गए बयान के लिए नहीं है, बल्कि बाहर की सरकारी कार्रवाई के लिए है। यह बयान सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठाने के लिए प्रासंगिक होगा।

33. रेजिना *(*ब्रैडली और अन्य*)* बनाम कार्य और पेंशन के लिए राज्य सचिव *(*अटॉर्नी जनरल हस्तक्षेप*) 20* में, अपील न्यायालय ने प्रेबल में बयान का दौरा किया कि ऑस्ट्रेलिया में संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम, *1987* की धारा *16 (3)* ने सही प्रभाव की घोषणा की। अधिकार विधेयक के अनुच्छेद *9* और उस धारा *16 (3)* में मामले में "लागू किया जाने वाला सही सिद्धांत" शामिल था। यह मानते हुए कि प्रीबल में उक्ति बहुत व्यापक प्रतीत होती है, यह माना गया थाः

"..... लेकिन पैराग्राफ *(*सी*)*, अगर शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए, तो बहुत व्यापक है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस कथन में सन्निहित निर्णय की न्यायिक समीक्षा *(*जिसे आर बनाम गृह विभाग के राज्य सचिव, एक्स पी ब्रिंड *[1991] 1* एसी *696* में अनुमति दी गई थी और जिस पर वर्तमान मामले में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है*)* पर किसी मंत्रिस्तरीय बयान पर निर्भरता या उसे चुनौती देने से इनकार करता है, या जिसमें कोई अस्पष्टता नहीं है।

20 (2007) ईडब्ल्यूएचसी *242 (*प्रशासन*)*

विधान *(*काली मिर्च बनाम हार्ट *[1993]* एसी *593)*, या किसी अधिनियम के नीतिगत उद्देश्यों को स्थापित करने में सहायता करने के लिए *(*विल्सन बनाम फर्स्ट काउंटी ट्रस्ट*)*
लिमिटेड *(*नंबर *2) [2004] 1* एसी *816)*। यह मानवाधिकारों पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर निर्भरता को भी प्रतिबंधित करेगा, जैसा कि श्री लुईस की प्रस्तुतियों में सही कहा गया है, इस अधिकार क्षेत्र में कई अपीलीय मामलों में उद्धृत किया गया हैः एक बहुत ही हालिया उदाहरण आर वी एफ *[2007]* क्यू बी *960* पैरा *11* है। जैसा कि बर्केनहेड के लॉर्ड निकोल्स ने विल्सन के मामले *[2004] 1* एसी *816*, पैरा *60* में कहाः

"ऐसे अवसर भी आते हैं जब अदालतें उचित रूप से सम्मान करती हैं

संसद में जो कहा गया है उस पर किसी भी तरह से 'सवाल' किए बिना संसद में दिए गए मंत्रिस्तरीय और अन्य बयानों के लिए,

ऐसे बयानों को संसद की इच्छा के संकेत के रूप में मानने में निहित कठिनाइयों को जन्म दिए बिना, और किसी अन्य तरीके से विचार और विनियमन के लिए मामलों में उचित रूप से हस्तक्षेप करके

संसदीय विशेषाधिकार का अतिक्रमण किए बिना।
अकेले संसद द्वारा "।

इसलिए मैं ऑस्ट्रेलियाई क़ानून के पैराग्राफ *(सी)* के पाठ को अंग्रेजी कानून का नियम नहीं मानता। "

समिति द्वारा अनुमोदित। इसलिए, यह संभावना नहीं थी कि दीवानी मुकदमेबाजी में किसी पक्ष की प्रस्तुतियों में इस तरह की रिपोर्ट का उपयोग समिति को अपना विचार व्यक्त करने से रोकता। बोलने की स्वतंत्रता में संसद का सिद्धांत प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि उस स्वतंत्रता का कोई अवरोध नहीं होगा।

34. सरकारी वाणिज्य कार्यालय बनाम सूचना आयुक्त में यू. के. में प्रशासनिक न्यायालय का निर्णय *(* महान्यायवादी हस्तक्षेप*) 2 1* में एक ऐसा मामला शामिल था जिसमें सरकार के एक विभाग ने एक पहचान पत्र कार्यक्रम की समीक्षा की थी। इस मामले में सूचना के प्रकटीकरण का दावा शामिल था। न्यायालय ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार का कानून दो सिद्धांतों पर आधारित हैः संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आवश्यकता और दोनों के बीच शक्तियों का पृथक्करण

विधायिका और न्यायपालिकाः

"..... संसदीय विशेषाधिकार का कानून अनिवार्य रूप से दो सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के किसी भी जोखिम से बचने की आवश्यकता है। दूसरा सिद्धांत है

21 (2009) 3 डब्ल्यू. एल. आर. *627* कल्पना मेहता बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

शक्तियों का पृथक्करण, जो हमारे संविधान में सीमित है

सरकार का न्यायिक कार्य और कार्यपालिका और विधायिका को न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप से दूर रहने की आवश्यकता होती है, और इसके विपरीत न्यायपालिका को विधायिका की कार्यवाही में हस्तक्षेप या आलोचना नहीं करने की आवश्यकता होती है। ये बुनियादी सिद्धांत विधायिका की कार्यवाही और निर्णयों के लिए अदालतों द्वारा और अदालतों की कार्यवाही और निर्णयों के लिए विधायिका *(*और कार्यपालिका*)* द्वारा आपसी सम्मान की आवश्यकता को जन्म देते हैं।

संसद और अदालतों के बीच टकराव से बचना चाहिए। उपरोक्त सिद्धांत इस निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि अदालतें अनुचितता या अपर्याप्तता या अपर्याप्तता के आरोपों पर विचार नहीं कर सकती हैं।

संसद की कार्यवाही में सटीकता। इस तरह के आरोपों को संसद को संबोधित करना है, अगर वह उचित समझती है, और अगर कोई आरोप सही है

स्थापित किसी भी मंजूरी का निर्धारण संसद को करना है। द.

संसद की कार्यवाही में संसदीय प्रश्न और उत्तर शामिल हैं। ये ऐसे मामले नहीं हैं जिन पर अदालतों को विचार करना चाहिए।

फिर भी, न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धांतों की सीमा पर भी ध्यान दिया, जब संसद की कार्यवाही पर उतना ही प्रासंगिक भरोसा किया जाता है

तात्विक तथ्य या यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कानून असंगत है

मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए यूरोपीय समझौते के साथ जो यू. के. में मानवाधिकार अधिनियम *1998 ("एच. आर. ए".)* में सन्निहित था। में।

हैट संदर्भ में न्यायालय ने कहाः

" हालाँकि, इन सिद्धांतों की सीमाओं को पहचानना भी महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि अदालतों को संसद की कार्यवाही के साक्ष्य प्राप्त नहीं होने चाहिए, जबकि वे केवल प्रासंगिक ऐतिहासिक तथ्य या घटनाएँ हैं; ऐसे मामले में कोई "पूछताछ" नहीं होती है। इसी तरह, यह न्यायिक कार्य का सार है कि अदालतों को कानून और प्रत्यायोजित कानून से उत्पन्न होने वाले कानून के मुद्दों का निर्धारण करना चाहिए। इस प्रकार, संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन का कोई सुझाव नहीं हो सकता है यदि अदालतें यह तय करती हैं कि कानून संरक्षण के लिए यूरोपीय समझौते के साथ असंगत है।

मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएँः मानवाधिकार अधिनियम *1998* को लागू करके "।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों के कारण कानून बनाया गया था, इस पर अच्छी तरह से भरोसा किया जा सकता है क्योंकि उनके संदर्भ का उद्देश्य या तो ऐतिहासिक है या यह पता लगाने की दृष्टि से किया गया है कि कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था। यदि साक्ष्य एक *[2018] 4* एस. सी. आर. को दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समिति असंतुष्ट है-पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि यह है

सही और सटीक-इसे ध्यान में रखने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। न्यायाधिकरण जो नहीं कर सका वह था संसदीय समिति को दिए गए विवादास्पद साक्ष्य या किसी मुद्दे पर समिति के निष्कर्ष को संदर्भित करना जिसे न्यायाधिकरण को निर्धारित करना था।

35. यह निर्णय एच. आर. ए. के अधिनियमन के अनुरूप संसदीय विशेषाधिकार के लिए एक सुनियोजित दृष्टिकोण का संकेत देता है। का सिद्धांत असंगतता ब्रिटेन में अदालतों के लिए यूरोपीय समझौते के मानकों के संदर्भ में कानून के प्रावधानों की स्थिरता का आकलन करने के लिए एक भूमिका की परिकल्पना करती है। संसदीय सर्वोच्चता अदालत को कानून को रद्द करने की अनुमति नहीं देती है। फिर भी एच. आर. ए. के तहत मानकों के उद्भव ने एक अलग न्यायिक भूमिका की अनुमति दी हैः एच. आर. ए. द्वारा अपनाए गए यूरोपीय सम्मेलन मानकों के संदर्भ में घरेलू कानून की अनुकूलता निर्धारित करना। यह मानना कि इससे संसदीय विधान की तुलना में अदालतों की भूमिका में बदलाव नहीं आया है, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास से चूक जाएगा।

व्हीलर बनाम प्रधानमंत्री कार्यालय *22* एक ऐसा मामला था जिसमें परिषद में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के इरादे की सूचना देने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती दी गई थी।

यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट पर फ्रेमवर्क निर्णय। यह दावा किया गया था कि सरकार को जनमत संग्रह कराए बिना अपने इरादे की अधिसूचना जारी करने से रोक दिया गया था। यह मानते हुए कि याचिका संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन करेगी, न्यायालय ने कहाः

"..... वास्तव में, हालांकि, दावा यह है कि जब तक हाउस ऑफ कॉमन्स अपने व्यवसाय को एक विशेष तरीके से व्यवस्थित नहीं करता है, और व्यवस्था नहीं करता है

एक विशेष रूप में मतदान के लिए, अदालतों को हस्तक्षेप करना चाहिए और या तो एक घोषणा प्रदान करनी चाहिए या एक आदेश जारी करना चाहिए जो सरकार को कुछ कदम उठाने से रोकता है जब तक कि इस तरह के वोट। मेरे फैसले में, इसमें अदालतों को कानूनी से राजनीतिक क्षेत्र में भटकना शामिल होगा।

अदालत ने फैसला सुनाया कि याचिका संसद में की गई चीजों पर सवाल उठाने के समान होगी और संसद की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के बजाय, अदालत इसे हड़प रही होगी।

विल्सन बनाम फर्स्ट काउंटी ट्रस्ट लिमिटेड *2 3* में हाउस ऑफ लॉर्ड्स

यह मत व्यक्त किया कि मानवाधिकार अधिनियम *1998* ने न्यायालय को बाध्य किया था कि

22 (2014) ई. डब्ल्यू. एच. सी. *3815 (*प्रशासन*) 23 (2004) 1* एसी *816* कल्पना मेहता बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

प्राथमिक विधान के संबंध में एक नई भूमिका का प्रयोग करें। न्यायालयों को अधिकारों पर घरेलू कानून के प्रभाव का मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी।

यूरोपीय सम्मेलन द्वारा प्रदान किया गया और जहां आवश्यक हो; असंगतता की घोषणा करने के लिए। ऐसा करते समय, न्यायालय मुख्य रूप से विचाराधीन कानून का अर्थ निकालेगा। फिर भी, एक वैधानिक प्रावधान के व्यावहारिक प्रभाव के लिए अदालत को क़ानून के बाहर देखने की आवश्यकता हो सकती है। कन्वेंशन अधिकार पर एक वैधानिक उपाय के व्यावहारिक प्रभाव को समझने और एक वैधानिक प्रावधान की आनुपातिकता पर निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त पृष्ठभूमि जानकारी को देखने में अदालत उचित होगी। उस संदर्भ में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"यह अतिरिक्त पृष्ठभूमि सामग्री प्रकाशित दस्तावेजों में पाई जा सकती है, जैसे कि सरकारी श्वेत पत्र। यदि प्रासंगिक हो। एक मंत्री या वास्तव में, किसी भी सदन के किसी अन्य सदस्य द्वारा किसी विधेयक पर बहस के दौरान जानकारी प्रदान की जाती है, अदालतों को भी इसे ध्यान में रखने में सक्षम होना चाहिए। अदालतें, इसी तरह,

में निहित जानकारी को ध्यान में रखने में सक्षम होना चाहिए

संबंधित सरकारी विभाग द्वारा तैयार और एक विधेयक के साथ प्रकाशित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ। अदालतें संसद द्वारा उन्हें सौंपी गई नई भूमिका के उचित निर्वहन में विफल होंगी यदि वे

प्रासंगिक पृष्ठभूमि को विचार से बाहर रखा जाना था

जानकारी जिसका एकमात्र स्रोत संसद में एक मंत्रिस्तरीय बयान या उसके विभाग द्वारा तैयार एक व्याख्यात्मक नोट था

जब विधेयक संसद के माध्यम से आगे बढ़ रहा था। इस तरह की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय संसद की कार्यवाही पर "सवाल" नहीं उठाएगा या विधायी प्रक्रिया में अनुचित तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेगा या संसद द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेगा।

मंत्री। अदालत केवल खुद को बेहतर स्थिति में रखेगी।

कानून को समझना।

उस सीमित सीमा तक न्यायालयों के लिए, वैधानिक "अनुकूलता" अभ्यास का संचालन करते समय, संसद में बताए गए मामलों को ध्यान में रखने का अवसर हो सकता है। यह मानवाधिकार अधिनियम का एक परिणाम है। इस परिणाम की संवैधानिक रूप से अप्रत्याशित प्रकृति को संसदीय संयुक्त की सर्वसम्मत रिपोर्ट में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से कुछ पुष्टि मिलती है।

संसदीय विशेषाधिकार समिति *(1999) (*एच. एल. पेपर *43-I,* एच. सी. *214-1),* पृष्ठ *28,* पैरा *86* में कहा गया है कि यह देखना मुश्किल है कि न्यायालय द्वारा संसद में कही गई किसी बात को ध्यान में रखते हुए कोई आपत्ति कैसे हो सकती है।
संसद जब कोई सुझाव नहीं है कि बयान प्रेरित था *[2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुचित उद्देश्यों से या असत्य या भ्रामक था और कानूनी दायित्व का कोई सवाल ही नहीं है।

इस तरह की पृष्ठभूमि की जानकारी का सहारा लेने से अदालत सक्षम होगी

कानून को बेहतर ढंग से समझना और यह संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होगा।

36. ओवेन रॉबर्ट जेनिंग्स में प्रिवी काउंसिल का निर्णय

v रोजर एडवर्ड विन्धमबुचानन *24* न्यूजीलैंड में अपील न्यायालय से उत्पन्न हुआ। निर्णय यह मानता है कि जबकि संरक्षण

अधिकारों के विधेयक के अनुच्छेद *9* द्वारा प्रदत्त अधिकारों को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी जैसा कि संसदीय विशेषाधिकारों पर संयुक्त समिति *(*लार्ड निकोल्स ऑफ बर्केनहेड की अध्यक्षता में*)* ने कहा, संसदीय चर्चा करने की स्वतंत्रता।

लोकतंत्र में कार्यवाही आवश्यक है:

"जनता और मीडिया के लिए संसदीय चर्चा करने की स्वतंत्रता

संसद के बाहर की कार्यवाही स्वस्थ जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है।

सदस्यों की स्वतंत्रता के रूप में लोकतंत्र कि वे क्या चर्चा करते हैं

संसद के भीतर चुनें।
न्यायालय ने कहा कि संसदीय कार्यवाही की मीडिया रिपोर्टिंग,

सार्वजनिक बहस का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। इसलिए संसद सदस्यों की अपने पोर्टल के भीतर स्वतंत्र रूप से चर्चा करने की स्वतंत्रता को जनता की स्वतंत्रता के साथ उनके लिए चिंता के मामलों पर चर्चा और बहस करने के लिए तौला जाना चाहिए:

"जैसा कि है, संसदीय कार्यवाही को टेलीविजन पर प्रसारित और रिकॉर्ड किया जाता है। इन्हें हंसार्ड में लिखा गया है। वे प्रेस में रिपोर्ट किए जाते हैं, कभी-कभी संसद सदस्यों की इच्छा से कम। वे रेडियो पर वर्तमान मामलों और समाचार कार्यक्रमों का एक प्रमुख हिस्सा हैं और

टेलीविजन। वे सार्वजनिक बहस को सूचित और प्रोत्साहित करते हैं। यह सब है।

अत्यधिक वांछनीय है, क्योंकि विधायिका पूरे का प्रतिनिधि है

राष्ट्र। इस प्रकार, जैसा कि संयुक्त समिति ने अपनी कार्यपालिका में कहा है

सारांश *(पृष्ठ 1):*

"यह कानूनी प्रतिरक्षा व्यापक और पूर्ण है। इसलिए अनुच्छेद *9* को इस तरह के उच्च स्तर को उचित ठहराने वाली गतिविधियों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।

सुरक्षा की डिग्री, और इसकी सीमाएँ स्पष्ट होनी चाहिए। *9999 " " " "*

ये अवलोकन सीमाओं को परिभाषित करने के लिए एक चिंता को दर्शाते हैं

स्पष्ट शब्दों में अनुच्छेद *9* के तहत उन्मुक्ति। प्रतिरक्षा की पूर्ण प्रकृति को पहचानते हुए, इसकी सीमाओं को सीमित किया जाना चाहिए

24 (2004) यूकेपीसी *36* कल्पना मेहता बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

ऐसी उच्च स्तर की सुरक्षा को उचित ठहराने वाली गतिविधियाँ "। संसद में अपने मन की बात कहने का संसद सदस्यों का अधिकार

दायित्व वहन करना निरपेक्ष है। हालाँकि, उस अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है यदि कोई सदस्य बोलने और ऐसा करने में किसी अन्य व्यक्ति को बदनाम करने के बाद, संसद के बाहर अपने बयान को दोहराने का विकल्प चुनता है। ऐसी परिस्थितियों में, विशेषाधिकार योग्य हो सकता है। हालांकि यह आवश्यक है कि विधायिका और अदालतें दूसरे के लिए आरक्षित क्षेत्रों में हस्तक्षेप न करें, यह साबित करने के लिए कि कुछ शब्द वास्तव में बोले गए थे, संसदीय अभिलेखों का संदर्भ निषिद्ध नहीं है।

सांसद के रूप में कोई मुद्दा नहीं होगा। न ही उसकी स्थिति
उन्होंने संसद में क्या किया यह कहते समय मन, उद्देश्य या इरादा।

37. यू. के. में कानून का विकास उस तरीके को इंगित करता है जिसमें अधिकार विधेयक के अनुच्छेद *9* के तहत संरक्षण दिया गया है। परिवर्तित हो गया। अनिवार्य रूप से तीन सिद्धांत हैं जो इस पर आधारित हैं -

बहस। पहला संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व है। संसद में संसद सदस्य द्वारा जो किया जाता है या बोला जाता है, उसे जो पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है, वह संसद में बोलने की स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता का एक उद्गम है। दूसरा सिद्धांत जो काम कर रहा है वह है संसद और अदालतों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। यह सिद्धांत इस बात को मान्यता देता है कि संसद में बोले गए झूठ का दायित्व संसद के अनन्य नियंत्रण में है। संसद में कही गई या बोली गई किसी भी बात के लिए संसद सदस्य को अदालत में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। संसद में एक भाषण कानून की अदालत में लागू करने योग्य नागरिक या आपराधिक दायित्व को आकर्षित नहीं करेगा। तीसरा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि संसद में बहस का एक सार्वजनिक तत्व होता है। सार्वजनिक बहस लोकतंत्र के स्वास्थ्य का सार और बैरोमीटर है। हालाँकि संसद में भाषण से जुड़ा विशेषाधिकार निरपेक्ष है, प्रतिरक्षा संसद के भीतर उन गतिविधियों तक फैली हुई है, जो उच्च स्तर की सुरक्षा को उचित ठहराती हैं। जैसे-जैसे संसदीय कार्यवाही को व्यापक रूप से रिपोर्ट, प्रकाशित और टेलीविजन पर प्रसारित किया जाने लगा है, सामान्य कानून यह स्वीकार करने लगा है कि संसद में जो कहा गया है उसका केवल संदर्भ या रिकॉर्ड पेश करना अधिकार विधेयक के अनुच्छेद *9* का उल्लंघन नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, एक ऐतिहासिक तथ्य को साबित करने के लिए संसदीय रिकॉर्ड का संदर्भ कि कुछ शब्द बोले गए थे, निषिद्ध नहीं है। *[2018] 4* एस. सी. आर. की सच्चाई या सच्चाई पर सवाल उठाना अस्वीकार्य है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद के बाहर अदालत सहित किसी भी मंच पर संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न ही संसद के किसी सदस्य से न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में प्रतिपरीक्षा की जा सकती है, जिसमें कहा गया था। संसद। संसद के किसी अधिनियम या संसदीय समिति की कार्यवाही की वैधता पर ब्रिटेन की अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। मानवाधिकार अधिनियम के अधिनियमन ने इस बात को मान्यता दी है कि यह परीक्षण करने में कि क्या कोई वैधानिक प्रावधान किसी कन्वेंशन अधिकार के साथ असंगत है, अदालत के लिए किसी कानून के व्यावहारिक प्रभावों पर निर्णय लेना आवश्यक हो सकता है। ऐसा करने के लिए, न्यायालय के पास वैध रूप से पृष्ठभूमि सामग्री का संदर्भ हो सकता है जो कानून के लिए तर्क, सामाजिक उद्देश्य जिसे उसने प्राप्त करने की कोशिश की है और इसे लागू करने की आनुपातिकता को स्पष्ट करता है। के पहलुओं को समझने के लिए

यूरोपीय समझौते के तहत संरक्षित अधिकारों पर आधारित कानून, अदालत क़ानून के शब्दों में अर्थ खोजने के लिए न्यायसंगत रूप से मंत्रियों के बयानों, नीतिगत दस्तावेजों और श्वेत पत्रों का सहारा ले सकती है। इसलिए यू. के. में कानून यह स्वीकार करने के लिए विकसित किया गया है कि संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण को व्याख्या के एक ऐसे पैमाने पर रखा जाना चाहिए जो नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता से अवगत हो।

ई. *2* भारत

38. भारत में कानून में उल्लेखनीय विकास हुआ है। इस विषय पर भारतीय न्यायशास्त्र ने इसके महत्व को स्वीकार किया है -

और संसद में जो कहा जाता है उसके लिए सदस्यों को उत्तरदायी ठहराए जाने से सहवर्ती सुरक्षा प्रदान की जाती है। ब्रिटेन में सामान्य कानून में आधारित सिद्धांत केवल सामान्य कानून के दायरे में नहीं रहे हैं। संविधान, उन सिद्धांतों में से कई को मान्यता देने में उन्हें इस तरह से पवित्रता प्रदान करता है जो केवल शासन के लिए एक मौलिक लिखित चार्टर का पाठ प्रदान कर सकता है। शक्तियों का पृथक्करण मूल का हिस्सा है संरचना। इस विषय पर हमारी मिसाल ब्रिटेन और भारत में संसदीय लोकतंत्र के बीच गुणात्मक अंतर को नोटिस करती है। द.

मौलिक अंतर भारतीय वर्चस्व से उत्पन्न होता है।

संविधान जो सभी संवैधानिक प्राधिकरणों को एक लिखित संविधान के अधिदेश के अधीन करता है।

39. संसदीय विशेषाधिकारों के विषय पर लोकस क्लासिकस

रे में सात-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय हैः राज्य विधानमंडलों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति *25.* इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था

25 1964 का विशेष संदर्भ सं. *1: (1965) 1* एस. सी. आर. *413* कल्पना मेहता बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

कि अनुच्छेद *194 (3)* का अर्थ लगाने और विशेषाधिकारों, शक्तियों और उन्मुक्तियों की चौड़ाई निर्धारित करने का सदन का विशेषाधिकार सदन को अपनी शक्तियों के अस्तित्व और विस्तार से संबंधित प्रश्नों को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है।

और विशेषाधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के विचारों से अबाधित। मुख्य न्यायाधीश गजेंद्रगडकर ने कहा कि यह निर्धारित करना आवश्यक है कि विशेषाधिकारों के मामले में भी संविधान सदन को एकमात्र और अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है या नहीं। यह निर्णय इस बात को मान्यता देता है कि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, भारतीय संविधान एक संघीय संरचना बनाता है और संविधान की सर्वोच्चता घटक इकाइयों के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए मौलिक हैः

"38. ..... संघीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता को ध्यान में रखना आवश्यक है। इंग्लैंड में, संसद संप्रभु है; और डाइसी के शब्दों में, संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत की तीन विशिष्ट विशेषताएं यह हैं कि संसद को कोई भी कानून बनाने या बनाने का अधिकार है; कि कोई भी व्यक्ति या निकाय संप्रभु नहीं है।

संसद का विस्तार रानी के प्रभुत्व के हर हिस्से तक है। दूसरी ओर, संघवाद की अनिवार्य विशेषता है - "सीमित कार्यकारी, विधायी और न्यायिक प्राधिकरण का वितरण

निकायों के बीच जो एक दूसरे के साथ समन्वित और स्वतंत्र हैं। संविधान की सर्वोच्चता एक संघीय राज्य के अस्तित्व के लिए मौलिक है ताकि किसी को भी रोका जा सके

संघीय इकाई या सदस्य राज्यों की विधायिकाओं को शक्ति के उस नाजुक संतुलन को नष्ट करने या बाधित करने से जो

उन राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना जो संघ के इच्छुक हैं, लेकिन अपनी व्यक्तित्व को एकता में विलय करने के लिए तैयार नहीं हैं। संविधान की यह सर्वोच्चता शक्तियों के वितरण की योजना के दुभाषिया के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय के अधिकार द्वारा संरक्षित है। न ही संघीय या राज्य विधान की सामान्य प्रक्रिया से संविधान में कोई बदलाव संभव है। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं हो सकती है।
हमारे जैसे संघीय संविधान द्वारा दावा किया जाए "।

जबकि हमारे देश में विधानमंडलों के पास पूर्ण शक्तियाँ हैं, वे

लिखित संविधान की सीमाओं के भीतर कार्य करना। नतीजतन, ब्रिटेन में संसद जिस संप्रभुता का दावा कर सकती है, उस पर भारत में कोई भी विधायिका "शाब्दिक पूर्ण अर्थों में" दावा नहीं कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

40. संसद सदस्यों को दी गई प्रतिरक्षा

पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य *(*सी. बी. आई./एस. पी. ई.*) 2 6* में संविधान पीठ के एक फैसले में "संसद में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के दायित्व" *(*अनुच्छेद *105 (2))* पर विचार-विमर्श किया गया था। न्यायमूर्ति जी. एन. रे ने अनुच्छेद *105* के खंड *(2)* और *(3)* के तहत प्रतिरक्षा के दायरे पर न्यायमूर्ति एस. पी. भरुचा के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की। इस प्रकार न्यायमूर्ति भरुचा *(*अपने और न्यायमूर्ति एस. राजेंद्र बाबू के लिए*)* का निर्णय बहुमत के विचार का प्रतिनिधित्व करता है। अल्पमत का विचार न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल और डॉ. ए. एस. आनंद का था। अनुच्छेद *105 (2)* द्वारा प्रदत्त प्रतिरक्षा के दायरे को समझते हुए, न्यायमूर्ति भरुचा ने यूनाइटेड किंगडम में अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों *(*जिनमें पहले *27* में उल्लिखित प्रिवी काउंसिल के निर्णय भी शामिल हैं*)* को स्वीकार किया। अनुच्छेद *105 (2)* की व्याख्या करते हुए न्यायमूर्ति भरुचा ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 133. मोटे तौर पर व्याख्या की जाए तो, जैसा कि हम सोचते हैं कि यह होना चाहिए, अनुच्छेद *105 (2)* संसद सदस्य को अदालत में कार्यवाही से बचाता है।

जो संबंधित है, या संबंधित है, या जिसके साथ कोई संबंध या संबंध है

संसद में उनके द्वारा कुछ भी कहा गया या वोट दिया गया।

उस मामले में, दंड संहिता की धारा *120* बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, *1988* के तहत अपराधों के लिए आपराधिक अभियोजन में आरोप यह था कि कथित रिश्वत देने वालों और रिश्वत लेने वालों *(*जो विधायिका के सदस्य थे*)* के बीच अवैध संतुष्टि प्राप्त करके अविश्वास प्रस्ताव को विफल करने के लिए एक आपराधिक साजिश थी। जिसके अनुसरण में रिश्वत दी गई और स्वीकार की गई। आरोप में उन वोटों का उल्लेख नहीं था जो कथित रिश्वत लेने वालों ने वास्तव में दिए थे

अविश्वास प्रस्ताव नहीं। फिर भी, बहुमत का मानना था कि अनुच्छेद *105 (2)* में "के संबंध में" अभिव्यक्ति को एक 'व्यापक अर्थ' समझना चाहिए। कथित साजिश और समझौते में उन मतों के संबंध में सांठगांठ थी, और आपराधिक कार्यवाही में प्रस्तावित जांच इसकी प्रेरणा के संबंध में थी। भारत के लिए महान्यायवादी का यह

निवेदन कि अनुच्छेद *105 (2)* के तहत संरक्षण अदालती कार्यवाही तक सीमित है और दिए गए भाषण या दिए गए वोट को संविधान पीठ ने निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं कियाः

"136. विद्वान महान्यायवादी से इस बात से सहमत होना मुश्किल है कि हालांकि "के संबंध में" शब्दों का व्यापक अर्थ होना चाहिए, लेकिन अनुच्छेद *105 (2)* के तहत संरक्षण अदालत तक ही सीमित है।

27 ब्रैडलॉफ बनाम गोसेटः *(1884) 12* क्यूबीडी *271: 53* एलजेक्यूबी *290;* प्रीबल बनाम टेलीविजन न्यूजीलैंड लिमिटेडः *(1994) 3* ए. आई. आई. ई. आर. *407,* पी. सी.*;* आर बनाम करीः *(1992)*

कल्पना मेहता बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

ऐसी कार्यवाहियाँ जो दिए गए भाषण या उसके द्वारा डाले गए या उत्पन्न होने वाले मत को आक्षेपित करती हैं या जिससे संरक्षण का उद्देश्य पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। संरक्षण का उद्देश्य सदस्यों को संसद में अपने मन की बात कहने और उसी तरह से मतदान करने में सक्षम बनाना है, जो उस कारण से अदालत में जवाबदेह बनाए जाने के डर से मुक्त हो। यह पर्याप्त नहीं है कि सदस्यों को दीवानी कार्रवाई और आपराधिक कार्यवाही से बचाया जाना चाहिए, जिसकी कार्रवाई का कारण उनका भाषण या उनका वोट है। सदस्यों को संसद की बहसों में निडरता से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए, सदस्यों की आवश्यकता है
उनके भाषण या वोट के साथ संबंध रखने वाली सभी दीवानी और आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ प्रतिरक्षा का व्यापक संरक्षण। यही कारण है कि कोई सदस्य किसी भी मामले में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है।

एक भाषण दिया है या एक वोट डाला है जो उन शक्तियों को पसंद नहीं है जो एक अभियोजन पक्ष द्वारा परेशान किए जा रहे हैं जो आरोप लगाते हैं कि वह
एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समझौते और साजिश का पक्ष रहा था

इसका परिणाम संसद में हुआ और उसे रिश्वत दी गई। *28*

अल्पसंख्यकों का विचार था कि रिश्वत लेने वाले के खिलाफ रिश्वत लेने का अपराध या तो पैसे लेने पर या लेने के लिए सहमत होने पर किया जाता है

मुद्दे पर विचार करें। *41.* राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा मामले में संविधान पीठ के फैसले का वर्तमान संदर्भ में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल ने तीन न्यायाधीशों की ओर से प्रमुख राय देते हुए

28 आईडी, पृष्ठों पर *729-730*

29 (2007) 3 एससीसी *184 [2018] 4* एस. सी. आर.

किसी सदस्य के निष्कासन के संबंध में अनुच्छेद *105* की परिधि और संसद के सदनों का ऐसा निर्णय किस हद तक न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। फैसले में कहा गया है कि "भारत में संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से गुणात्मक रूप से अलग है"। ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की प्रकृति और विस्तार को परिभाषित करते हुए, मुख्य न्यायाधीश सभरवाल ने कहा कि यह जांच करना अदालत का अधिकार क्षेत्र है कि क्या विधायिका द्वारा दावा किया गया कोई विशेष विशेषाधिकार वास्तव में उसके लिए उपलब्ध हैः

" 62. इस न्यायालय की संविधान पीठों द्वारा एक के बाद एक मामले में कानून के उपरोक्त स्पष्ट उच्चारण को देखते हुए, इस बात में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि जब भी संसद या उस मामले के लिए कोई राज्य विधानमंडल, अनुच्छेद *105 (3)* या अनुच्छेद *194 (3)* में निहित प्रावधानों के संदर्भ में किसी भी शक्ति या विशेषाधिकार का दावा करता है, जो भी मामला हो,
यह वह न्यायालय है जिसके पास अधिकार और अधिकार क्षेत्र है

जाँच करें, उसके सामने लाई जा रही शिकायत पर, यह पता लगाने के लिए कि क्या विशेष शक्ति या विशेषाधिकार जिसका दावा किया गया है या दावा किया गया है
विधायिका वह है जिस पर उक्त द्वारा विचार किया गया था

संवैधानिक प्रावधान या, सरल शब्दों में कहें तो, यदि यह ऐसी शक्ति या विशेषाधिकार था जिसे यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में निहित कहा जा सकता है।
भारत के संविधान के प्रारंभ की तारीख ताकि भारतीय विधानमंडलों के लिए उपलब्ध हो सके। *9 3 0*

जबकि संसद के पास अवमानना के लिए किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति है, ब्रिटेन में "अनन्य संज्ञान" का सिद्धांत अपनाया गया है।

भारत में ऐसा कोई अनुप्रयोग नहीं है जो लिखित संविधान द्वारा शासित हो। हालाँकि संसद के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन यह विधायी क्षमता की शर्तों और उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है।

मौलिक अधिकार। अनुच्छेद *21* तब आकर्षित होता है जब किसी संसद सदस्य की स्वतंत्रता को किसी कार्य के निष्पादन में कारावास से खतरा होता है।

संसदीय विशेषाधिकार। मौलिक अधिकारों को दोनों द्वारा लागू किया जा सकता है

सदस्य द्वारा और गैर-सदस्य द्वारा जब संसदीय विशेषाधिकार के प्रयोग का सामना करना पड़ता है। यू. के. और के बीच अंतर निकालना

भारत, मुख्य न्यायाधीश सभरवाल ने कहाः

" 363. ब्रैडलॉ *[(1884) 12* क्यू. बी. डी. *271* सहित संसद के अनन्य संज्ञान के सिद्धांत को निर्धारित करने वाले अंग्रेजी मामलेः *53* एलजेक्यूबी *290: 50* एल. टी. *620],* संसद की संप्रभुता के संवैधानिक सिद्धांत द्वारा नियंत्रित अधिकार क्षेत्र से उत्पन्न नहीं हो सकता है।

30 आईडी, पृष्ठ *259* पर कल्पना मेहता बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

दृष्टि खो दें। इसके विपरीत, भारत में शासन प्रणाली संविधान की सर्वोच्चता के मानदंड पर आधारित है जो है -

संघीय राज्य के अस्तित्व के लिए मौलिक "। *3*

नतीजतन, कार्यवाही जो एक के परिणामस्वरूप दूषित हैं

मौलिक अवैधता या असंवैधानिकता *(*केवल एक के विपरीत*)* अनियमितता*)* न्यायिक समीक्षा से संरक्षित नहीं होगी। अनन्य संज्ञान का सिद्धांत इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता पर आधारित शासन प्रणाली के लिए आकस्मिक रूप से विकसित किया गया था। यह भारत पर लागू नहीं होता है, जहां संविधान द्वारा बनाए गए अंगों में से कोई भी नहीं है।

राजा राम पाल के फैसले में कहा गया है कि अनुच्छेद *122 (1)* वैधता और संवैधानिकता की दोहरी परीक्षा का प्रतीक है। इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस स्थिति को खारिज कर दिया कि विधायिका द्वारा शक्तियों का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं हैः

" 389. ..... एक सामान्य नियम के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि विधायिका द्वारा शक्तियों का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह

यह न तो हमारे संविधान का अक्षर है और न ही आत्मा है। हम यह स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं पाते हैं कि संसदीय कार्यवाहियों से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश सीमित और सीमित है। में।

वास्तव में, यह अनुच्छेद *122 (1)* में निहित प्रावधान सहित संवैधानिक प्रावधानों में स्पष्ट निर्देश द्वारा किया गया है। लेकिन हमारी जांच, जैसा कि पहले कहा गया था, केवल विशेषाधिकार पाए जाने पर नहीं रुक सकती है, खासकर जब अन्य संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा हो।

आरोप लगाया गया है "।

9932

अनुच्छेद *122 (1)*। लेकिन न्यायिक समीक्षा "किसी भी तरह से बाधित" नहीं होती है जहां घोर अवैधता या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है। फैसले के निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए, मुख्य न्यायाधीश सभरवाल ने संवैधानिक एकता की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि संसद एक समन्वित संवैधानिक संस्था है। अनिवार्यता और आवश्यकता विशेषाधिकार की शक्ति का प्रयोग विधायिका को निर्धारित करना है। फिर भी, न्यायिक समीक्षा को यह निर्धारित करने के उद्देश्य से बाहर नहीं रखा गया है कि क्या विधायिका ने अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।

31 आई. डी., पृष्ठ *328* पर *32* आईडी, पृष्ठ *360 [2018] 4* एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्णय के निष्कर्षों में, वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक, निम्नलिखित हैंः

*"431. ..... (*के*)* संसदीय कार्यवाही के लिए अनन्य संज्ञान या पूर्ण प्रतिरक्षा के प्रतिबंध के दावे का कोई आधार नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद *105 (3)* में;

(1) विधायिका द्वारा विशेषाधिकार के प्रवर्तन के तरीके के परिणामस्वरूप न्यायिक जांच हो सकती है, हालांकि यह निहित प्रतिबंधों के अधीन है।
अन्य संवैधानिक प्रावधानों में, उदाहरण के लिए अनुच्छेद *122* या

212 ; और

सदन की आंतरिक कार्यवाही का संज्ञान
अप्रासंगिक मामला-कानून जो उस मामले में अदालतों से निकला था

अधिकार क्षेत्र; क्योंकि इसका प्रणाली पर कोई अनुप्रयोग नहीं है

भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया शासन; *" 9 3 3*

42. राजा राम पाल के मामले में निर्णय को संविधान पीठ के बाद के फैसले में अमरिंदर सिंह बनाम विशेष समिति, पंजाब विधानसभा *3 4.* मुख्य न्यायाधीश

तथ्य यह है कि ब्रिटेन में सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप में संसदीय संप्रभुता ने भारतीय संविधान में, संवैधानिक सर्वोच्चता। संवैधानिक सर्वोच्चता यह आदेश देती है कि शासन की प्रत्येक संस्था संवैधानिक पाठ में सन्निहित मानदंडों के अधीन है। संविधान उन संस्थानों में पूर्ण शक्ति के अस्तित्व की अनुमति नहीं देता है जिन्हें वह बनाता है। न्यायिक समीक्षा के रूप में

33 आईडी, पृष्ठ *372* पर

34 (2010) 6 एससीसी *113* कल्पना मेहता बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

संविधान की बुनियादी विशेषताओं के हिस्से का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक संस्थान अपनी सीमा और सीमाओं के भीतर कार्य करे। नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का आश्वासन और स्वायत्तता की मान्यता है जो प्रत्येक व्यक्ति में निहित है। अतः, संसदीय विशेषाधिकारों के प्रयोग की न्यायिक जांच को बाहर नहीं रखा गया है जहां - मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है या घोर अवैधता होती है। संविधान द्वारा बनाई गई एक समन्वित संस्था के रूप में संसद की स्थिति को मान्यता देते हुए, न्यायिक समीक्षा स्वीकार करती है कि संसद किसी दिए गए मामले में अपने विशेषाधिकारों का दावा करने की समीचीनता तय कर सकती है। न्यायालय इस तरह के दावे का स्थान नहीं लेगा या केवल प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर मध्यस्थता नहीं करेगा। लेकिन जहां संवैधानिक प्रिस्क्रिप्शन का उल्लंघन दिखाया जाता है, वहां न्यायिक समीक्षा को खारिज नहीं किया जा सकता है।

एफ. शक्तियों का पृथक्करणः एक सूक्ष्म आधुनिक सिद्धांत

44. महान्यायवादी का निवेदन है कि सावधानीपूर्वक

यदि न्यायालय संसदीय समितियों की रिपोर्टों की जांच या न्यायिक रूप से समीक्षा करता है तो राज्य की न्यायिक, कार्यपालिका और विधायी शाखाओं के बीच संरचित विभाजन रेखाएं समाप्त हो जाएंगी। पृथक्करण का सिद्धांत, यह प्रस्तुत किया गया है, अदालतों को संसदीय समितियों की रिपोर्टों की जांच या समीक्षा करने से रोकता है। न्यायिक समीक्षा के परिणामस्वरूप राज्य की दो संस्थाओं के बीच टकराव हो सकता है और इसलिए-प्रस्तुतिकरण के अनुसार-इसे छोड़ना सबसे अच्छा है।

45. विधायिका, कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण

और न्यायपालिका में मोंटेस्क्यू और ब्लैकस्टोन के लेखन से लेकर डाइसी और जेनिंग्स के काम तक फैले संवैधानिक इतिहास का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। गेरेंजेलोस *(2009)* विलाप करते हैं कि ब्रिटेन में, संसदीय संप्रभुता ने अलगाव के सिद्धांत को न्यायिक रूप से लागू करने योग्य मानक के रूप में उभरने से रोक दिया है:

"ब्रिटेन का अलिखित संविधान और डाइसियन का प्रभाव
रूढ़िवादिता, संसदीय संप्रभुता और एक संलयन पर जोर देना

ऐसी शक्तियाँ जो विधायी के न्यायिक अमान्यीकरण को स्वीकार नहीं करती थीं

कार्रवाई का मतलब है कि शक्तियों का पृथक्करण एक नहीं बन गया है

न्यायिक रूप से लागू करने योग्य संवैधानिक सीमाओं का स्रोत। द.

इस सिद्धांत की सटीक स्थिति समय-समय पर बदलती रही है और

जिस हद तक सिद्धांत फिर भी कुछ संयम प्रदान करता है

न्यायिक प्रक्रिया में विधायी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है
सटीकता के साथ निर्धारित किया गया। लेकिन यह कहा जा सकता है कि

35 पीटर ए गेरेंजेलोस, न्यायिक प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों और सीमाओं में शक्तियों और कानूनी हस्तक्षेप का विभाजन *(*हार्ट पब्लिशिंग, *2009)*।

[2018] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अलगाव सिद्धांत का संवैधानिक प्रवेश नहीं किया गया है

वेस्टमिंस्टर संविधान परंपरा का हिस्सा; एक परंपरा जो
किसी भी स्थिति में, लिखित संविधानों द्वारा बहुत कुछ नहीं रखा गया है

उनके साथ वैधानिकता और कठोरताएँ। प्रचलित
उस तिमाही का प्रभाव न्यायिक रखरखाव रहा है

के माध्यम से संस्थागत स्वतंत्रता के संदर्भ में स्वतंत्रता

1701 में निपटान अधिनियम में संरक्षण, के विपरीत
कार्यात्मक अर्थ में न्यायिक शक्ति का संरक्षण।

सिद्धांत का प्रभाव संस्थागत के संदर्भ में सबसे अच्छा देखा जाता है

राज्य के अन्य अंगों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कहा जाता है कि इस सिद्धांत को ब्रिटेन में "संसदीय संप्रभुता और कानून के शासन के अधिक प्रमुख संवैधानिक सिद्धांतों" द्वारा प्रभावित किया गया था। उदाहरण के लिए, यू. के. में क्राउन के मंत्री कार्यपालिका के सदस्य और संसद के सदस्य दोनों होते हैं। संवैधानिक सुधार अधिनियम, *2005* तक लॉर्ड चांसलर मंत्रिमंडल के सदस्य थे और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अपीलीय समिति में न्यायाधीश के रूप में बैठने के योग्य थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की न्यायिक समिति सर्वोच्च न्यायालय थी, यहाँ तक कि

हालाँकि सदन ने विधानमंडल के ऊपरी सदन का गठन किया। संसदीय विशेषाधिकारों के प्रवर्तन में, सदन न्यायिक कार्यों का प्रयोग करता है। प्रत्यायोजित विधान कार्यपालिका को विधायी कार्यों का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है।

46. कई समकालीन विद्वानों ने मानक पर मतभेद व्यक्त किया है

पृथक्करण के सिद्धांत का महत्व। एक दृष्टिकोण यह है कि एक अलग

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक मामले के रूप में पहचाना जा सकता है
व्यवहार में, यह अलिखित संविधान का अधिदेश नहीं है। यह कथन कि एक अलगाव है, वर्णनात्मक माना जाता है और नहीं

ब्रिटिश संवैधानिक संरचना *"3 7.* फिर भी, ब्रिटेन में शक्तियों के पृथक्करण के महत्व पर जोर देने वाले विद्वान भी स्वीकार करते हैं कि *36* ए टॉमकिन्स, पब्लिक लॉ *(*ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2003) 37* देखें *(*जैसा कि पेज *274* पर गेरेंजेलोस द्वारा उद्धृत किया गया है*)*।

37 ई. बरेन्ड्ट, 'शक्तियों और संवैधानिक सरकार को अलग करना' *[1995]* सार्वजनिक कानून *599 599-60* पर, सी. मुनरो, संवैधानिक कानून में अध्ययन, दूसरा संस्करण *(*लंदन, बटरवर्थ्स, *1999) 304* पर, टीआरएस एलन, लॉ लिबर्टी एंड जस्टिस, द लीगल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश कांस्टीट्यूशनलिस्म *(*ऑक्सफोर्ड, क्लेरेंडन प्रेस, *1993)* चैक्स *3* और *8*, और टीआरएस एलन, संवैधानिक न्याय, ए लिबरल थ्योरी ऑफ द रूल ऑफ लॉ *(*ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2001)*

कल्पना मेहता बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

संविधान इस तरह के अलगाव का सख्ती से पालन नहीं करता है। यू. के. में न्यायालयों के पास कानून को अमान्य करने के लिए न्यायिक समीक्षा की प्रत्यक्ष शक्ति नहीं है, हालांकि मानवाधिकार अधिनियम के अधिनियमन के साथ, असंगतता का सिद्धांत कानून की एक मजबूत विशेषता बन गया है। गेरेंजेलोस *(*सुप्रा*)* कहते हैं कि "सबसे अधिक जो कहा जा सकता है वह यह है कि शक्तियों का पृथक्करण एक संवैधानिक सिद्धांत के रूप में एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है, लेकिन एक गैर-बाध्यकारी के रूप में। *38* उन्होंने प्रोफेसर रॉबर्ट स्टीवंस *3 9* का हवाला दिया:

" आधुनिक ब्रिटेन में शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा है

धुंधला और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की धारणा बनी हुई है

मुख्य रूप से संवैधानिक बयानबाजी का एक शब्द। निश्चित रूप से इसका पेनम्ब्रा,

और शायद इसका मूल भी अस्पष्ट है। कोई सामान्य सिद्धांत मौजूद नहीं है,

हालाँकि व्यावहारिक रूप से अँग्रेजों ने आश्चर्यजनक रूप से विकास किया है

शक्तियों के पृथक्करण के लिए प्रभावी अनौपचारिक प्रणालियाँ; हालाँकि

यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिम्मेदारों की व्यवस्था

कानून में गायब हैं। " पृथक्करण के सिद्धांत का महत्व अनिवार्य रूप से निहित है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता। निपटान अधिनियम *1701* में सुरक्षा को अब संवैधानिक सुधार अधिनियम, *2005* में मजबूत किया गया है। हालाँकि संसद की सर्वोच्चता मौलिक विशेषताओं में से एक है

यू. के. में और अलिखित संविधान शक्तियों के सख्त पृथक्करण को अनिवार्य नहीं करता है, कानून के शासन पर स्थापित संवैधानिक राज्य के रूप में एक ऐसे राज्य को मानना मुश्किल होगा जिसका विधायी सर्वोच्चता पर कोई नियंत्रण नहीं है। नतीजतन, जहां कानून का शासन और संविधानवाद समाज को नियंत्रित करता है, वहां अभी भी राजनीति की प्रकृति में विरासत में मिले मौलिक सिद्धांत हो सकते हैं, जिन्हें लिखित संविधान के अभाव में न्यायपालिका द्वारा संसद के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, एक अलिखित संविधान के संदर्भ में भी, कानून की एक निश्चित आंतरिक नैतिकता है जिसके एक हिस्से के रूप में यह न्याय और निष्पक्षता की मौलिक धारणाओं को मूर्त रूप देता है।

38 पीटर ए गेरेंजेलोस, न्यायिक प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों और सीमाओं में शक्तियों और विधायी हस्तक्षेप का विभाजन *(*हार्ट पब्लिशिंग, *2009)* *39* आर स्टीवंस, 'ए लॉस ऑफ इनोसेंस*? :* न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों का पृथक्करण *'(1999) 19* ऑक्सफ़ोर्ड जर्नल ऑफ़ लीगल स्टडीज़ *365*।

40 40 एलन, लॉ लिबर्टी एंड जस्टिस *(*ऊपर टिप्पणी *36) 41* गेरेंजेलोस, पृष्ठ *277* पर।

47. शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की व्याख्या है

सीमित अपवादों के साथ "एक शाखा-एक कार्य दृष्टिकोण" *4 2* से विकसित होकर एक ऐसी अवधारणा बनी जिसमें "कार्य विभाजन" और "नियंत्रण और संतुलन" का एकीकरण शामिल है। आज इस सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य लोकतंत्र में सुशासन के लिए प्रत्येक अंग के कार्यों के संबंध में ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए राज्य के प्रत्येक हिस्से की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत समाज की बदलती जरूरतों और इसकी बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित हुआ है। इनमें से कई विचार उन लोगों से काफी अलग हैं जो मोंटेस्क्यू द्वारा मूल रूप से सिद्धांत तैयार करने के समय प्रचलित थे।

48. 1967 में एम. जे. सी. विले ने अपनी पुस्तक 'कॉन्स्टीट्यूशनलिस्म एंड

शक्तियों के पृथक्करण '*44* ने शक्तियों के पृथक्करण के' शुद्ध सिद्धांत 'को इस प्रकार परिभाषित कियाः

" *[a]* शक्तियों के पृथक्करण के 'शुद्ध सिद्धांत' को निम्नलिखित तरीके से तैयार किया जा सकता हैः यह स्थापना के लिए आवश्यक है और
राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखना कि सरकार विभाजित हो

तीन शाखाओं या विभागों में, विधायिका, कार्यपालिका,

और न्यायपालिका। इन तीन शाखाओं में से प्रत्येक के लिए, एक है

सरकार, विधायी का संबंधित पहचान योग्य कार्य,
कार्यकारी, या न्यायिक। सरकार की प्रत्येक शाखा होनी चाहिए

अन्य शाखाओं के कार्यों का अतिक्रमण करना। इसके अलावा,
वे व्यक्ति जो सरकार की इन तीन एजेंसियों का गठन करते हैं

अलग और अलग रखा जाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जा रही है

एक ही समय में एक से अधिक शाखाओं का सदस्य होना। इसमें

वैसे, प्रत्येक शाखा दूसरों के लिए एक चेक होगी और नहीं

लोगों का एकल समूह मशीनरी को नियंत्रित करने में सक्षम होगा

राज्य "। *45*

यह परिभाषा समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।

शक्तियों के पृथक्करण पर पुनर्निर्मित और आधुनिक दृष्टिकोण बनाम

42 42 ऐलीन कवनाघ, शक्तियों का संवैधानिक पृथक्करण, डेविड डाइजेनहॉस और मैल्कम थोरबर्न में अध्याय *11 (*संस्करण)। संवैधानिक कानून की दार्शनिक नींव, *(*ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2016) 221 (*इसके बाद, "संवैधानिक कानून की दार्शनिक नींव"*)*।

43 43 एम. जे. सी. विले, संविधान और शक्तियों का विभाजन *(*ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *1967)* देखें।

44 आईडी.

45 आईडी, पृष्ठ *13* पर कल्पना मेहता बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

इसकी पारंपरिक समझ। विले अनिवार्य रूप से प्रस्तावित करता है कि 'का विभाजन श्रम 'और' नियंत्रण और संतुलन 'शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के लिए आंतरिक हैं। उनके विचार में, नियंत्रण और संतुलन की एक योजना में सरकार की शाखाओं के बीच पारस्परिक पर्यवेक्षण की एक डिग्री शामिल होगी, और

इसलिए इसके परिणामस्वरूप एक शाखा द्वारा दूसरे के कार्यों और कार्यों में एक निश्चित मात्रा में हस्तक्षेप हो सकता है। *46* ऐलीन कवनाघ ने प्रस्तुत किया है

'शक्तियों का संवैधानिक पृथक्करण' शीर्षक वाले अध्याय में शक्तियों के पृथक्करण का विद्वतापूर्ण विश्लेषण। *47* वह एम. जे. सी. विले द्वारा व्यक्त विचार से सहमत हैं कि शक्तियों के पृथक्करण में दो घटक शामिल हैं, 'श्रम विभाजन' और 'नियंत्रण और संतुलन'। ये दोनों घटक सुशासन के हित में सरकार की शाखाओं के बीच समन्वित संस्थागत प्रयास और संयुक्त गतिविधि के गहरे निहित लोकाचार से मजबूत होते हैं। *48* अलग होने के बजाय सरकार की शाखाओं का विभाजन, वह आवश्यक स्वतंत्रता, परस्पर निर्भरता, बातचीत और विकास पर प्रकाश डालती है।

एक जटिल अंतःक्रियात्मक परिवेश में इन शाखाओं के बीच परस्पर संबंध। *49* कवनाघ स्वीकार करते हैं कि शुद्ध के गढ़ को देखते हुए

शक्तियों के पृथक्करण की हमारी समझ पर सिद्धांत, शासन के उद्देश्य से सरकार की शाखाओं के बीच एक सामूहिक उद्यम का विचार परेशान करने वाला लग सकता है। हालाँकि, उनका तर्क है कि यह

शाखाओं के स्वतंत्र और परस्पर निर्भर होने का विचार-विशिष्ट

लेकिन आपस में जुड़े हुए-विहित साहित्य में भी कुछ वंशावली है। कवनाघ इस प्रकार मानते हैं कि कानून बनाने, कानून लागू करने और कानून को लागू करने के कार्य प्रकृति में सहयोगात्मक हैं, जिससे सुशासन के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की शाखाओं के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। कवनाघ इसे इस प्रकार समझाते हैंः

"कुछ संदर्भों में, शाखाओं के बीच बातचीत होगी
पर्यवेक्षी, जहाँ लक्ष्य दूसरे की जाँच, समीक्षा और पकड़ करना है

हिसाब से। अन्य समय पर, बातचीत का एक रूप होगा

46 देखें, एम. जे. सी. विले, संविधान और शक्तियों का विभाजन *(*ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *1967)*।
47 ऐलीन कवनाघ, द कॉन्स्टीट्यूशनल सेपरेशन ऑफ पॉवर्स, चैप्टर *11* इन डेविड डाइजेनहॉस एंड मैल्कम थोरबर्न *(*संस्करण*)*। संवैधानिक कानून की दार्शनिक नींव, *(*ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2016) 221.*

48 देखिए, डी किरित्सिस, 'कानूनी रूढ़िवाद में क्या अच्छा है?' *(2008) 14* कानूनी सिद्धांत *135,154 (*जैसा कि पृष्ठ *235* पर संवैधानिक कानून की दार्शनिक नींव में उद्धृत किया गया है*)*।

49 आईडी.

50 पृष्ठ *236* पर संवैधानिक कानून की दार्शनिक नींव।

सहकारी जुड़ाव जहां शाखाओं को प्रत्येक का समर्थन करना होता है

संयुक्त प्रयास में दूसरे की भूमिका "। *51*

जेरेमी वाल्ड्रन ने अधिकारियों के बीच संबंधों को संभाला है।

या किसी राज्य में संस्थान। उनका प्रस्ताव है कि शक्तियों का पृथक्करण केवल एक सिद्धांत नहीं है जिसमें श्रम का विभाजन और श्रम का वितरण शामिल है।

पारदर्शिता, दक्षता और निष्पक्षता को संरक्षित और सुरक्षित किया जाता है नागरिकों को लाभ। *5 53*

इस प्रकार, एक तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, लेखकों ने दो तत्वों को व्यापक रूप से शामिल करने के लिए शक्तियों के पृथक्करण को स्वीकार किया हैः श्रम विभाजन '

और 'नियंत्रण और संतुलन'। इस विषय पर हाल का साहित्य सुशासन के संयुक्त उद्यम के लिए अंतर-संस्थागत सहायता और सहायता को प्रोत्साहित करता है। के सिद्धांत पर वर्तमान दृष्टिकोण शक्तियों का पृथक्करण आपसी पर्यवेक्षण, परस्पर निर्भरता और समन्वय को भी शामिल करना चाहता है क्योंकि इसका अंतिम उद्देश्य

551 के. मालेसन, एल. डी. ग्रूट-वैन लीउवेन और डब्ल्यू. रॉम्बाउट्स में 'द रिहैबिलिटेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉवर्स इन यूके', सिद्धांत और व्यवहार में शक्तियों का पृथक्करणः एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य *(*निजमेगेनः वुल्फ पब्लिशिंग, *2010) 99-122,115 (*जैसा कि पृष्ठ *237* पर संवैधानिक कानून की दार्शनिक नींव में उद्धृत किया गया है*)*। *52* जे. वाल्ड्रन, एल. मेयर, एस. पॉलसन और टी. पोग *(*संस्करण*)* में 'अधिकारियों के लिए प्राधिकरण', अधिकार, संस्कृति और कानूनः जोसेफ राज़ की कानूनी और राजनीतिक दर्शन के विषय *(*ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2003) 45-70*।

53 जे किंग, 'न्यायिक संयम के लिए संस्थागत दृष्टिकोण' *(2008) 28* ऑक्सफ़ोर्ड जर्नल ऑफ़ लीगल स्टडीज़ *409,428* देखें; यह भी देखें, बकले बनाम। महान्यायवादी *[1950]* आयरिश रिपोर्ट *67,80 (*ओ 'ब्रायन जे के अनुसार*) (*जैसा कि पृष्ठ *235* पर संवैधानिक कानून की दार्शनिक नींव में उद्धृत किया गया है*)*।

कल्पना मेहता बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

49. इयोन कैरोलन की पुस्तक 'द न्यू सेपरेशन ऑफ पॉवर्स'

इस अर्थ में सीमाएँ कि यह संतोषजनक रूप से उद्भव की व्याख्या नहीं करता है और आज हम आधुनिक प्रशासनिक राज्य का विकास देख रहे हैं। लेखक का तर्क है कि शक्तियों के पृथक्करण जैसे संस्थागत सिद्धांत को अब अपने मूल रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है यदि यह 'सरकारी गतिविधि के इस महत्वपूर्ण हिस्से' के लिए जिम्मेदार नहीं है। आधुनिक प्रशासनिक राज्य की विशेषताओं में से एक यह है कि सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग विकेंद्रीकृत तरीके से और लगातार बढ़ते विवेकाधीन आधार पर किया जाता है। *55*

नौकरशाही की प्रशासनिक शक्तियों का साझा विकास

आधुनिक राज्य में त्रिपक्षीय विभाजन की अवहेलना होती है। इसलिए, सिद्धांत का एक यथार्थवादी आधुनिक अनुप्रयोग आवश्यक है। सरकार की आधुनिक प्रणाली उन तरीकों से विकसित हुई है जिन्हें पहले अथाह माना जाता था, और अब इसमें एक चौड़ाई और विविधता शामिल है जो पहले नहीं देखी गई थी। सरकार आज इसकी एजेंसियों की शक्तियों में वृद्धि और संगठनों के तेजी से विकास की विशेषता है जिन्हें न तो वर्गीकृत किया जा सकता है

विशेष रूप से सार्वजनिक या निजी निकाय। सरकार की ये आधुनिक प्रणालियाँ और सुपरनैशनल संगठनों का अस्तित्व और तेजी से उदय

शक्तियों का पारंपरिक तीन-तरफा विभाजन। प्रशासनिक निकायों को एक समान डिजाइन द्वारा परिभाषित नहीं किया जाता है, और संस्थागत तरलता का प्रयोग इस तरह से किया जाता है जो प्रशासनिक राज्य की संगठनात्मक जटिलता को दर्शाता है: एक उदाहरण में, वे शक्तियों का प्रयोग करते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें पहले कार्यकारी, न्यायिक या विधायी प्रकृति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो सकता है। इस दृष्टिकोण से, आधुनिक राज्य लॉक के सत्रहवीं शताब्दी के मॉडल और मोंटेस्क्यू के अठारहवीं शताब्दी के विचारों से स्पष्ट रूप से अलग है:

"राज्य अब अनुशासित, विवेकाधीन और व्यापक रूप से फैला हुआ है। " *57*

50. कैरोलन इस प्रकार प्रस्ताव करते हैं कि उपयुक्त होने के लिए, संस्थागत न्याय का एक सिद्धांत गैर-मनमानेपन के सिद्धांत में निहित होना चाहिए। उनका मानना है कि

54 इयोन कैरोलन, द न्यू सेपरेशन ऑफ पॉवर्स-ए थ्योरी फॉर द मॉडर्न स्टेट *(*ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2009) 253.*

55 आईडी.

56 इयोन कैरोलन, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ समस्याएं ', एसएसआरएन, *(2011) 26*।

57 सुप्रा नोट *53,256 [2018] 4* एस. सी. आर.

कि संस्थानों के वर्गीकरण का एक अधिक उपयुक्त दृष्टिकोण कार्यों द्वारा नहीं, बल्कि निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा होगा, और इस कानूनी ढांचे में एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र व्यक्तिगत नागरिक है। कैरोलन का प्रस्तावित मॉडल अंतर-संस्थागत संवाद के आधार पर शक्ति के प्रयोग पर जोर देता है जो यह सुनिश्चित करता है कि एक संवादात्मक प्रक्रिया हुई है। कैरोलन ने अपने मॉडल का वर्णन इस प्रकार किया है:

"निर्धारित संस्थागत संरचना पृथक्करण के बजाय अंतर-अंग मिश्रण द्वारा संचालित होती है। व्यक्तिगत निर्णय एक बहु संस्थागत प्रक्रिया के अंत में दिए जाते हैं, जिसकी केंद्रीय चिंता सभी प्रासंगिक संस्थागत हितों के निवेश को सुनिश्चित करने के लिए संगठित करना, संरचना, प्रबंधन और महत्वपूर्ण रूप से करना है। इस मॉडल पर, सरकार और अदालतों को एक उन्मुख ढांचा प्रदान करने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसके भीतर प्रशासनिक निर्णय लिया जाएगा।

ये प्रथम श्रेणी के अंग स्थूल-सामाजिक संगठन के स्तर पर कार्य करते हैं, सामान्य उपायों को अपनाते हैं जिनसे उनके घटक सामाजिक हित को आगे बढ़ाने की उम्मीद की जाती है। सरकार निर्दिष्ट करती है

सामूहिक स्थिति को बढ़ाने के लिए आवश्यक *(*या अनुरोधित*)* कार्य किए जाने की आवश्यकता महसूस होती है। अदालतें, अपनी ओर से, व्यक्तिगत सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया सावधानियों पर जोर देती हैं।

सूचनात्मक प्रभावकारिता और गैर-मनमानेपन के मुद्दे यह सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त हैं कि ये प्रावधान विशिष्ट नहीं हैं। *65*

जबकि प्रशासन की स्वायत्तता का एक महत्वपूर्ण संस्थागत प्रक्रिया के रूप में सम्मान किया जाता है, सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता होती है जहां कोई संस्थान अनुमेय परिणामों की सीमा से बाहर भटक गया हो। वह शक्ति के प्रयोग की एक सहयोगी प्रक्रिया की बात करते हैं, जिसमें न्यायपालिका अधिकार के मनमाने प्रयोग पर एक संयमित प्रभाव के रूप में कार्य करती है। *51.* जबकि भारतीय संविधान ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता दी है, यह एक कठोर पृथक्करण को नहीं अपनाता है। राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य *5* के मामले में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

"12. ..... भारतीय संविधान ने वास्तव में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनी पूर्ण कठोरता में मान्यता नहीं दी है, लेकिन सरकार के विभिन्न भागों या शाखाओं के कार्यों में पर्याप्त अंतर किया गया है और इसके परिणामस्वरूप यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि हमारा संविधान किसी एक अंग या राज्य के हिस्से द्वारा उन कार्यों की धारणा पर विचार नहीं करता है जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। दूसरे के हैं। "

58 सुप्रा नोट *53,132*

59 (1955) 2 एससीआर *225* कल्पना मेहता बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अपने मूल तक कम होने पर, अलगाव का अर्थ है कि राज्य का एक अंग या संस्थान दूसरे की शक्तियों को हड़प नहीं सकता है।

इन रे: राज्य की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति

विधायिकाओं, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चाहे संविधान "शक्तियों का विशिष्ट और कठोर पृथक्करण" लाए या न लाए, न्यायिक समीक्षा न्यायिक कार्य का एक अविभाज्य हिस्सा है। क्या विधायी प्राधिकरण ने अपनी संवैधानिक सीमाओं से परे विस्तार किया है या मौलिक

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य *'1* में, शक्तियों के पृथक्करण को भारतीय मूल संरचना की एक विशेषता माना गया था। संविधान। मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने कहा:

"292. विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि प्रत्येक प्रावधान

संविधान आवश्यक है; अन्यथा इसे संविधान में नहीं रखा जाता। यह बात सच है। लेकिन यह हर जगह नहीं है उसी स्थिति में

संविधान का प्रावधान। वास्तविक स्थिति यह है कि संविधान के प्रत्येक प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि परिणामस्वरूप संविधान की मूल नींव और संरचना समान रहे। कहा जा सकता है कि मूल संरचना में शामिल हैं -

निम्नलिखित विशेषताएँ:

(3) संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र;
(4) विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण,

कार्यपालिका और न्यायपालिका;

(5) संविधान का संघीय चरित्र "। *62*

न्यायमूर्ति शेलट और ग्रोवर ने संविधान द्वारा परिकल्पित नियंत्रण और संतुलन के एक भाग के रूप में अलगाव के सिद्धांत पर जोर दिया:

" 577. ..... संविधान में ही इसके लिए पर्याप्त प्रमाण हैं -

यह इंगित करता है कि यह नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली बनाता है जिसके कारण शक्तियाँ इस तरह से वितरित की जाती हैं कि इसके द्वारा स्थापित तीन अंगों में से कोई भी इतना प्रबल नहीं हो सकता है कि दूसरों को अक्षम कर दे।

60 (1965) 1 एससीआर *413* *61 (1973) 4* एससीसी *225*

62 आईडी, पृष्ठ *366 [2018] 4* एस. सी. आर. पर।

उन्हें सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन करने से। यद्यपि संविधान अपनी सभी कठोरता में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को निर्धारित नहीं करता है जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में है, फिर भी यह कुछ हद तक इस तरह के पृथक्करण की परिकल्पना करता है।
इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण *64* में, न्यायमूर्ति वाई. वी.

चंद्रचूड़ ने कहा कि जबकि संविधान में सरकारी शक्तियों का कठोर पृथक्करण शामिल नहीं है, एक न्यायिक कार्य को विधायिका द्वारा हड़पा नहीं जा सकता है:

" 689. ..... विधायिका द्वारा विशुद्ध रूप से और निर्विवाद रूप से एक न्यायिक कार्य का अभ्यास इस संदर्भ में बनाए रखना असंभव है।

यहाँ तक कि हमारे सहकारी संघवाद में भी कोई कठोरता नहीं है

शक्तियों का वितरण लेकिन जो एक प्रणाली प्रदान करता है

नियंत्रण और संतुलन "। *65*

संविधान के *39* वें संशोधन ने ठीक यही किया और इसे मूल संरचना का उल्लंघन माना गया।

आई आर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य "में न्यायालय ने समानता, कानून के शासन, न्यायिक व्यवस्था के बीच कार्यात्मक पूरकता को रेखांकित किया।

शक्तियों की समीक्षा और पृथक्करणः

" *129.* समानता, कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा और शक्तियों का पृथक्करण संविधान की मूल संरचना के अंग हैं। इनमें से प्रत्येक अवधारणा घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। अगर कानून के सामने समानता नहीं है तो कानून का शासन नहीं हो सकता है। यदि उल्लंघन न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं था तो ये अर्थहीन होंगे। यदि विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ एक निकाय में निहित हैं तो ये सभी निरर्थक होंगे। इसलिए, यह तय करना कर्तव्य है कि क्या

सीमा का उल्लंघन किया गया है उस पर रखा गया है

न्यायपालिका "। *67*

तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य *68* में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने एक मजबूत संवैधानिक सिद्धांत के रूप में अलगाव के महत्व पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहाः

63 63 आईडी, पृष्ठ *452* पर।

64 (1975) पूरक एस. सी. सी. *1* *65* आईडी, पृष्ठ *261* पर।

66 (2007) 2 एससीसी *1*

67 आईडी, पृष्ठ *105* पर *68 (2014) 12* एस. सी. सी. *696* कल्पना मेहता बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

" *126.1 .* के पृथक्करण के स्पष्ट प्रावधान के बिना भी

शक्तियाँ, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत एक मजबूत है

भारत के संविधान में सिद्धांत। अलगाव का सिद्धांत

शक्तियों की संख्या भारतीय संवैधानिक संरचना को सूचित करती है और यह एक

कानून के शासन का अनिवार्य घटक। दूसरे शब्दों में, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत हालांकि स्पष्ट रूप से इसमें शामिल नहीं है
संविधान, इसका विस्तार, संचालन और दृश्यता से स्पष्ट हैं

भारतीय संविधान की योजना। संविधान ने बनाया है

तीनों के बीच औपचारिक रेखाएं खींचे बिना सीमांकन

अंग-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस अर्थ में, शक्तियों के पृथक्करण के लिए स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी, विधायिका, कार्यपालिका और संस्थाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण

न्यायपालिका देशों के संविधानों से अलग नहीं है

जिसमें शक्ति के पृथक्करण के लिए स्पष्ट प्रावधान शामिल हैं। *69.* *52.* पृथक्करण का सिद्धांत विधायिका को इससे रोकता है

एक अदालत के फैसले में इंगित किया गया। जबकि विधायिका यह आदेश नहीं दे सकती है कि न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अमान्य है, वह एक कानून लागू करके, निर्णय के आधार को इस तरह से हटा दें कि जिन शर्तों पर यह आधारित है, वे इतनी मौलिक रूप से परिवर्तित हो जाएं कि परिवर्तित परिस्थितियों में निर्णय नहीं दिया जा सकता था। *70*

53. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जीत एस बिष्ट *1 1* में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

किसी संस्था को अपने कर्तव्य के निर्वहन में उसकी कमियों या ज्यादतियों के बारे में बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अदालत ने माना कि मूल रूप से, इस सिद्धांत का उद्देश्य अन्य अंगों की गतिविधियों पर नियंत्रण और संतुलन की एक योजना के रूप में कार्य करना है। न्यायालय ने नोट किया कि शक्तियों के पृथक्करण की आधुनिक अवधारणा की सदस्यता है

69 आईडी, पृष्ठ *771* पर

70 70 आई. एन. सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य *(1976) 4* एस. सी. सी. *750;* भारतीय एल्यूमीनियम कं. *v.* केरल राज्य *(1996) 7* एस. सी. सी. *637;* एस. एस. बोला और अन्य बनाम। बी. डी. सरदाना और अन्य *(1997) 8* एस. सी. सी. *522;* श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम। ब्रोच बरो म्युनिसिपैलिटी *(1969) 2* एस. सी. सी. *283;* सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड-एसोसिएशन और अन्य। वी. भारत संघ *(2016) 5* एससीसी *1*

71 71 (2007) 6 एससीसी *586 [2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह समझते हुए कि इसे न केवल राज्य के विभिन्न अंगों के कार्य करने के क्षेत्र का सीमांकन करना चाहिए, बल्कि कुछ हद तक कार्य करने के उस चित्रित क्षेत्र में न्यूनतम सामग्री को भी परिभाषित करना चाहिए।

न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने इस सिद्धांत को विकसित करने की आवश्यकता को संबोधित किया, क्योंकि प्रशासनिक निकाय सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के वितरण में शामिल हैं। अधिकारः

"83. यदि हम शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विकास को देखते हैं, तो पारंपरिक रूप से नियंत्रण और संतुलन का आयाम केवल था

सरकारी ज्यादतियों और उल्लंघनों से संबंधित। लेकिन आज के सकारात्मक अधिकारों और न्यायोचित सामाजिक और आर्थिक अधिकारों, संकर प्रशासनिक निकायों, सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करने वाले निजी

कार्यकर्ताओं की दुनिया में, हमें अधिक तात्कालिकता के साथ निरीक्षण कार्य करना होगा और सरकारी निष्क्रियता को शामिल करने के लिए नियंत्रण और संतुलन के क्षेत्र को बढ़ाना होगा।

अन्यथा हम कल्पना करते हैं कि देश आराम की स्थिति में बदल जाएगा। सोशल इंजीनियरिंग के साथ-साथ संस्थागत इंजीनियरिंग

इसलिए यह इस दायित्व का हिस्सा है। *72*

54. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास *(*एम. पी. एल. ए. डी.*)* योजना की संवैधानिक वैधता पर विचार किया गया, जो सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए धन आवंटित करती है।

भीम सिंह बनाम भारत संघ *'73* में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने चुनौती दी कि सांसदों को धन सौंपकर, यह योजना सरकारी कार्यों को विधायकों में निहित करती है और शक्तियों के विभाजन का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने कहा कि यद्यपि शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा किसी विशेष संवैधानिक प्रावधान में स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाती है, लेकिन यह "संविधान द्वारा अपनाई गई राजनीति में निहित है"। संविधान पीठ यह माना जाता है कि अलगाव और सरकार की प्रत्येक शाखा की जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बीच एक संबंध है। जबकि संविधान अतिव्यापी कार्यों को प्रतिबंधित नहीं करता है, यह एक शाखा द्वारा कार्यों के प्रयोग को इस तरह से प्रतिबंधित करता है जिसके परिणामस्वरूप "संवैधानिक जवाबदेही के शासन को छीन लिया जाता है"। न्यायालय ने कहा कि संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन आवंटित करने की अनुमति देकर, एम. पी. लैड योजना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है। योजना के प्रशासन की जिला अधिकारियों द्वारा पर्याप्त निगरानी की गई थी।

72 आईडी, पृष्ठ *619* पर

73 (2010) 5 एस. सी. सी. *538* कल्पना मेहता बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

55. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ में, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने कहा कि

शक्तियों में यह परिकल्पना नहीं की गई है कि राज्य के तीन अंगों में से प्रत्येक-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका-एक साथ काम करते हैं। विद्वान न्यायाधीश ने फैसला सुनाया किः

" 678. स्पष्ट रूप से न्यायपालिका पर संसदीय और विधायी जाँचों का एक पूरा समूह है जिसके द्वारा इसके प्रशासनिक कामकाज को नियंत्रित किया जा सकता है और किया जाता है, लेकिन ये आवश्यक रूप से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते हैं या संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता जहाँ तक निर्णय लेने की बात है

चिंतित हैं। जैसा कि बार-बार कहा गया है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को हमारे संविधान में सख्ती से लागू नहीं किया गया है, लेकिन अगर राज्य के एक अंग के एक आवश्यक या बुनियादी कार्य या तत्व

के संदर्भ में एक नियंत्रण के रूप में एक ओवरलैप होता है, तो एक संवैधानिक मुद्दा उत्पन्न होता है। *99* वें संविधान संशोधन अधिनियम को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

चाहे वह किसी मूल या आवश्यक तत्व पर प्रभाव डालता है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अर्थात्, उसके निर्णयात्मक
स्वतंत्रता "। *75*

56. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुरक्षा समिति

57. कॉमन कॉज बनाम भारत संघ में इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के एक और हाल के फैसले में, न्यायालय ने कहाः लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम, *2013* के प्रावधान, जिसके तहत लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक बहु-सदस्यीय चयन समिति में विपक्ष के नेता को शामिल किया जाना है। अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन के लिए एक विधेयक को एक संसदीय समिति को भेजा गया था, जिसने लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था।

चयन समिति में विपक्ष। याचिकाकर्ताओं की शिकायत

74 (2016) 5 एससीसी *1*

75 आईडी, पृष्ठ *583* पर

76 (2010) 3 एस. सी. सी. *571* *77 (2017) 7* एससीसी *158 [2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह था कि कानून के अधिनियमन के बावजूद, इसके प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था। यह आग्रह किया गया कि भले ही लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता न हो, लेकिन सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति के एक हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने इस प्रकार कहाः

संशोधन के माध्यम से किसी मौजूदा कानून में बदलाव की मांग करना विधायिका के अनन्य क्षेत्र में निहित है और इस संबंध में विधायी विशेषाधिकार के प्रयोग पर कोई राय व्यक्त करना न्यायालय का प्रांत नहीं है। संशोधन विधेयक का प्रारूपण; संसदीय स्थायी समिति को उसका निर्देश; उक्त द्वारा उस पर विचार करना। समिति; आगे उठाए
जाने वाले कदमों और उनकी समय-सीमा के साथ तैयार की गई रिपोर्ट आवश्यक विधायी कार्य हैं जो सामान्य रूप से न्यायालय के हस्तक्षेप या हस्तक्षेप के अधीन नहीं होने चाहिए। शक्तियों के पृथक्करण का संवैधानिक सिद्धांत और संवैधानिक ढांचे के तहत कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका के संबंधित अधिकार क्षेत्र का सीमांकन न्यायालय को इस निष्कर्ष पर ले जाएगा कि अधिनियम के संशोधन का अभ्यास, जो वर्तमान में चल रहा है, को न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप के बिना पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस मोड़ पर कोई भी अन्य दृष्टिकोण और कोई भी हस्तक्षेप, इस बुनियादी संवैधानिक सिद्धांत को नकार देगा कि कानून बनाने के क्षेत्र में विधायिका सर्वोच्च है। ऐसी स्थिति में इसे व्यवहार्य बनाने के लिए एक क़ानून को पढ़ें जहाँ

कानून के संशोधन का अभ्यास लंबित है, यह भी उचित नहीं होगा। अधिनियम में निहित कानून की आसन्न आवश्यकता और एक लोकतांत्रिक देश के नागरिकों पर इसके लाभकारी प्रभावों के बारे में एक धारणा, चाहे कितनी भी मजबूत हो, न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र को पार करने की अनुमति नहीं देगी। न्यायिक अनुशासन को इस तरह के दृष्टिकोण के खिलाफ न्यायालय को सावधान करना चाहिए। *78*

58. वर्तमान विवाद पर शक्तियों के पृथक्करण के प्रभाव का आकलन करते समय, कुछ नियमों को तैयार किया जाना चाहिए। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में जो मूल संरचना के भीतर निहित है, यह संशोधन करने के लिए घटक शक्ति की पहुंच से बाहर है। इसे प्रतिस्थापित या निरस्त नहीं किया जा सकता है। जबकि

78 आईडी, पृष्ठ *173* कल्पना मेहता बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

शक्तियों के पृथक्करण को सख्त अर्थों में नहीं अपनाता है। इस सिद्धांत के अपवादों के पाठ्यपुस्तक उदाहरणों में अधीनस्थ कानून बनाने के लिए कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की सजा देने की शक्ति शामिल है। इसके विशेषाधिकारों की अवमानना और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को नियम बनाकर अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करने का अधिकार सौंपा गया है। अधीनस्थ विधान बनाने में, कार्यपालिका को विधायिका द्वारा प्रत्यायोजित विधान बनाने का काम सौंपा जाता है, जो उसके नियंत्रण के अधीन होता है। उच्च न्यायपालिका की नियम बनाने की शक्ति में विधायी चरित्र होता है। अपने विशेषाधिकारों की अवमानना के लिए दंडित करने की विधायिका की शक्ति का एक न्यायिक चरित्र है। ये अपवाद इंगित करते हैं कि अलगाव सिद्धांत को हमारे संविधान में सख्त रूप में नहीं अपनाया गया है। लेकिन इस सिद्धांत का महत्व इसके अभिधारणा में निहित है कि राज्य के एक अंग को सौंपे गए आवश्यक कार्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है।

दूसरे द्वारा प्रयोग किया गया। अन्य अंगों को सौंपी गई संवैधानिक शक्तियों के दुरूपयोग के खिलाफ खड़े होकर, शक्तियों का पृथक्करण कानून के शासन का समर्थन करता है और सत्तावादी ज्यादतियों के खिलाफ रक्षा करता है। संसद और राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। कार्यपालिका नीतियों को तैयार करती है और कानून का प्रशासन करती है। न्यायपालिका विवादों पर निर्णय लेती है और निर्णय लेती है।

जिसके दौरान तथ्यों को साबित किया जाता है और कानून लागू किया जाता है। विधायी कार्य और न्यायिक कार्यों के बीच का अंतर है -

बुनियादी संरचना सिद्धांत द्वारा बढ़ाया गया। विधायिका को संवैधानिक रूप से कानून बनाने की शक्ति सौंपी गई है। न्यायालयों को कानून बनाने की शक्ति नहीं सौंपी गई है। फिर भी, एक संवैधानिक लोकतंत्र में, जो संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित है, यह न्यायशास्त्र का एक स्वीकृत सिद्धांत है कि न्यायपालिका के पास कानून की वैधता का परीक्षण करने का अधिकार है। जहां अधिनियमित करने वाली विधायिका में विधायी क्षमता का अभाव है या जहां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वहां विधान को अमान्य किया जा सकता है। एक कानून जो संवैधानिक रूप से अधिकार से बाहर है, उसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसा घोषित किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा भी वास्तव में संविधान की बुनियादी विशेषताओं का एक हिस्सा है। न्यायपालिका को कानून की वैधता का परीक्षण करने की शक्ति सौंपना एक स्थापित संवैधानिक सिद्धांत है जो शक्तियों के पृथक्करण के साथ मौजूद है। जहां किसी कानून को अधिकार से बाहर माना जाता है, वहां संसद का कोई उल्लंघन नहीं होता है।

इस साधारण कारण के लिए विशेषाधिकार कि संविधान द्वारा बनाए गए सभी संस्थान संवैधानिक सीमाओं के अधीन हैं। विधायिका, यह अच्छी तरह से स्थापित है, केवल यह घोषणा नहीं कर सकती है कि अदालत का निर्णय अमान्य है या यह रद्द कर दिया गया है। यदि विधायिका को ऐसा करने की अनुमति दी गई थी, तो यह

संवैधानिक सौंपने की सीमाओं से परे यात्रा करेंगे।

शक्तियों का पृथक्करण विधायिका को केवल यह घोषणा जारी करने से रोकता है कि कोई निर्णय गलत या अमान्य है, कानून बनाने वाली संस्था को एक ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जो अदालत द्वारा बताए गए दोषों को दूर करता है। एक कानून का अधिनियमन जो निर्णय के आधार को छीन लेता है *(*केवल इसे अमान्य करने के विपरीत*)* अनुमेय है और अलगाव सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। वास्तव में यही वह आधार है जिसके आधार पर कानून को मान्य करने की अनुमति है।

59. यह चर्चा इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि जबकि शक्तियों का पृथक्करण, एक सिद्धांत के रूप में, हमारे लोकतांत्रिक की आधारशिला है संविधान, राजनीति के वास्तविक शासन में इसका अनुप्रयोग सूक्ष्म है। इस सिद्धांत की बारीकियों में यह माना गया है कि राज्य के एक अंग के आवश्यक कार्यों को दूसरे द्वारा नहीं लिया जा सकता है और संस्थागत सौहार्द की भावना को राज्य के काम का मार्गदर्शन करना चाहिए।

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लोकतंत्र के उदय में उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक समस्याओं को मजबूत संवैधानिक माध्यम से हल किया जा सकता है

संस्कृतियाँ और तंत्र। पृथक्करण सिद्धांत को इसकी मानक विशेषताओं से रहित, इसकी वर्णनात्मक सामग्री तक सीमित नहीं किया जा सकता है। जाहिर है, इसमें मानक और वर्णनात्मक दोनों विशेषताएँ हैं। भारतीय संविधान में इसे लागू करने में, ध्यान में रखने योग्य महत्वपूर्ण नियम यह है कि शासन की कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। सत्ता का कोई समर्पण निरपेक्ष नहीं है।

जी ए कार्यात्मक संबंध

60. फिर उपरोक्त विश्लेषण हमें संसदीय समितियों द्वारा किए जाने वाले कार्य के कार्यात्मक संबंध के बारे में क्या बताता है और

विवादों के न्यायनिर्णायक के रूप में न्यायालय की भूमिका*?* इस मुद्दे का आकलन करते समय यह याद रखना चाहिए कि संसदीय समितियों के अस्तित्व का श्रेय संसद को जाता है। वे संसद को रिपोर्ट करते हैं। इनमें संसद के सदस्य शामिल होते हैं। उनके काम में विधायिका को सलाह देना शामिल है। एक संसदीय समिति दोनों के बीच संबंध तय नहीं करती है।

विवाद करने वालों का मुकाबला करना और न ही यह कोई न्यायिक कार्य करता है। सदन द्वारा नियुक्त एक समिति निस्संदेह मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के विशेषज्ञ साक्ष्य सहित साक्ष्य प्राप्त कर सकती है। एक चयन समिति

किसी विधेयक की जांच के लिए सदन द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। जब समिति अपना कार्य करती है, तो उसकी रिपोर्ट सदन में आगे की चर्चा और बहस के अधीन होती है, जिसके दौरान विधायी निकाय यह तय

करेगा कि विधेयक को कानून में अधिनियमित किया जाना चाहिए या नहीं। उस सलाह की वैधता जो एक संसदीय समिति द्वारा इसके प्रारूपण में दी जाती है

कानून के लिए सिफारिशों को कल्पना मेहता बनाम के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है।

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

61. मंत्रालयों/विभागों के कामकाज की निगरानी के लिए संसद द्वारा विभाग संबंधी स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। सरकार। इन समितियों के कार्यों के माध्यम से ही संसद

कार्यपालिका की जवाबदेही तय करता है। इन समितियों के काम के माध्यम से ही संसद यह आकलन करने में सक्षम होती है कि उसने जो कानून बनाए हैं, उन्हें अक्षरशः लागू किया जा रहा है या नहीं और उस समय की समस्याओं से निपटने में सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता का निर्धारण किया जा सकता है। *62.* संसदीय समिति की रिपोर्ट की सामग्री का विभिन्न दृष्टिकोणों पर प्रभाव पड़ सकता है। यह निर्धारित करने के लिए उन्हें स्पष्ट करना आवश्यक है कि क्या, और यदि हां, तो वे अदालत में निर्णय के दौरान किस हद तक विचार का विषय बना सकते हैं। इनमें से कुछ दृष्टिकोण नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं:

((i) संसदीय समिति की रिपोर्ट में नीतिगत मामलों पर सरकार की स्थिति का विवरण हो सकता है।

((ii) रिपोर्ट उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों का संकेत दे सकती है जो

समिति के समक्ष अपदस्थ हुए हैं;

((ग) रिपोर्ट में नीतियों और विधानों को लागू करने में सरकार के प्रदर्शन सहित तथ्यों के निष्कर्ष हो सकते हैं। *((iv)* रिपोर्ट में सार्वजनिक अधिकारियों या निजी व्यक्तियों द्वारा कर्तव्य के उल्लंघन को शामिल करने वाले दुराचार के निष्कर्ष हो सकते हैं या

कानून की चोरी; या

(v) रिपोर्ट किसी कानून के उद्देश्य, उस सामाजिक समस्या पर प्रकाश डाल सकती है जिसे विधायिका ने देखा था और जिस तरह से इसे लागू किया गया था।

जिसे ठीक करने की मांग की गई थी।

63. वैधानिक निर्माण में सहायता के रूप में संसदीय इतिहास का उपयोग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे कम समस्याएं हैं। में।

विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों के सही अर्थ को समझते हुए, न्यायालय ने उन कारणों को ध्यान में रखा होगा जिनके कारण कानून बनाया गया है, जिन समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई थी और *[2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून का उद्देश्य और उद्देश्य। इसे समझने के लिए, न्यायालय इससे जुड़ी पृष्ठभूमि संसदीय सामग्री का सहारा ले सकता है -

कानून का निर्माण। क़ानूनों की व्याख्या पर अपने मौलिक कार्य में, न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने नोट किया कि अंग्रेजी न्यायालयों में बहिष्करण के पारंपरिक नियम को भारत में कुछ समय के लिए हटा दिया गया है और साथ ही अदालत को उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तक पहुंच की अनुमति दी गई है जिसमें कानून लागू किया गया था। न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह टिप्पणी करते हैं:

"उच्चतम न्यायालय ने, आम तौर पर, शुरू में, स्पष्ट किया

संसदीय इतिहास के बहिष्करण का नियम जिस तरह से था
पारंपरिक रूप से अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित, लेकिन कई पर

इस अवसर पर, अदालत ने इस सहायता का उपयोग प्रश्नों को हल करने में किया
निर्माण। अदालत ने अब इस दृष्टिकोण *80* पर रुख किया है कि

चौकस सीमाओं के भीतर विधायी इतिहास से परामर्श किया जा सकता है
अस्पष्टताओं को हल करने में न्यायालय। लेकिन अदालतें अभी भी कभी-कभी, जैसे

अंग्रेजी अदालतें, एक सामग्री के उपयोग के बीच अंतर करती हैं

अधिनियम द्वारा की गई शरारत का पता लगाने और इसका पता लगाने के लिए उपयोग करने के लिए

अधिनियम का अर्थ। जैसा कि पहले प्रस्तुत किया गया है कि यह अंतर है

अवास्तविक और अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा छोड़ दिया गया है।

64. संसदीय समितियों की रिपोर्टों में एक बयान हो सकता है

नीतिगत मामलों पर सरकार की स्थिति। कोई कारण नहीं है

कम से कम इस तथ्य के प्रतिबिंब के रूप में कि ऐसा बयान पहले दिया गया था, समिति की रिपोर्ट के लिए अदालत द्वारा आश्रय को बाहर करने का सिद्धांत समिति। इसी तरह, कि समिति के समक्ष एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में एक बयान दिया गया था-अदालत द्वारा ऐसी स्थिति में ध्यान दिया जा सकता है जहां बयान देना स्वयं एक विवादास्पद मुद्दा नहीं है।

65. जनहित से जुड़े मामलों में जो सामने आते हैं

अदालत में, अक्सर उन व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जाती है जो गरीबी, अज्ञानता या हाशिए की स्थिति के कारण न्याय तक पहुंच प्राप्त करने में असमर्थ हैं। जनहित याचिका को सामाजिक कार्रवाई मुकदमे के रूप में माना गया है क्योंकि स्थायी नियमों में ढील ने संवैधानिक न्यायालयों को उन लोगों तक पहुंचने में सक्षम बनाया है जिन्होंने भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना किया है। इस तरह के

भेदभाव का स्रोत जो भी हो-भारतीय समाज की सामंती और पितृसत्तात्मक संरचनाएँ उनमें से हैं-जनहित याचिकाओं ने अदालतों को सक्षम बनाया है।

79 न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह, सांविधिक हस्तक्षेप के सिद्धांत *(14* वां संस्करण*) 253. 80* केशवानंद भारती बनाम. केरल राज्य *1973 (4)* एस. सी. सी. *225;* टाटा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम। रिलायंस एनर्जी लिमिटेड *(2009) 16* एससीसी *659;* नमित शर्मा बनाम। भारत संघ *(2013) 1* एस. सी. सी. *745*।

कल्पना मेहता बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

निर्णय लेने के लचीले साधनों को विकसित करना और नवीन उपचारों को आगे बढ़ाना। निरंतर मैंडमस का लेखन उनमें से एक है। इस प्रक्रिया में, नागरिकों के उन समूहों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो न्याय तक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है जिसे ठीक करने की मांग की जाती है। हाशिए पर पड़े लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए जनहित याचिका एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी है। जनहित के मुद्दों से जुड़े मामलों में, अदालतों से कानून को लागू करने में राज्य या उसकी एजेंसियों की विफलता की जांच करने और उन लोगों को सामाजिक कल्याण लाभ प्रदान करने के लिए कहा गया है जिनके लिए वे कानून के तहत परिकल्पित हैं। न्यायालयों ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की संरचनात्मक ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया है। कार्यकारी शक्ति को मनमानी *(*अनुच्छेद *14)* और मौलिक स्वतंत्रताओं *(*मुख्य रूप से अनुच्छेद *19* और *21)* के खिलाफ गारंटी के लिए जवाबदेह बनाया गया है।

66. मंत्रालयों/विभागों से जुड़ी संसद की समितियाँ

सरकार अपनी नीतियों और कानून के तहत अपने कर्तव्यों को लागू करने के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने का कार्य करती है। सरकारी एजेंसियों का प्रदर्शन ऐसी रिपोर्ट का विषय बन सकता है। अन्य मामलों में, सामाजिक गलतियों को दूर करने में विधायी ढांचे की कमियां एक मूल्यांकन का विषय हो सकती हैं

संसदीय समिति। एक संसदीय समिति का कार्य समाज कल्याण के क्षेत्र को या तो उस हद तक पार कर सकता है जिस हद तक मौजूदा कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है या इसके ढांचे में खामियों को उजागर कर सकता है। सिद्धांत रूप में ऐसा कोई कारण नहीं है कि अनुच्छेद *226* के तहत या इस न्यायालय के तहत उच्च न्यायालयों का व्यापक अधिकार क्षेत्र क्यों है।

अनुच्छेद *32* का प्रयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में संसदीय समितियों द्वारा किए जाने वाले भारी काम से बेखबर रहें। समिति का काम सरकार की ओर से सतर्कता सुनिश्चित करना है।

सामाजिक न्याय से वंचितता को कम करने और कुशल और जवाबदेह शासन सुनिश्चित करने में। जब अदालतें जनहित के मुद्दों पर हस्तक्षेप करती हैं और उन पर निर्णय देती हैं, तो वे किसी प्रतिकूल कार्य का निर्वहन नहीं करती हैं। लोक हित के मामलों में निर्णय लेने का संवैधानिक कार्य संसदीय समितियों की भूमिका के अनुरूप है जो देश में जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रतिक्रियाशीलता को सुरक्षित करना है।

सरकार। ऐसे क्षेत्रों में, अलगाव का सिद्धांत उग्र नहीं होता है एक संसदीय समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए अदालत के खिलाफ। अदालत रिपोर्ट की वैधता का फैसला नहीं करती है और न ही उस मामले के लिए वह इसकी शुद्धता की जांच शुरू करती है। *[2018] 4* एस. सी. आर. द्वारा जाँच के उद्देश्य के बीच एक कार्यात्मक पूरकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसदीय समिति और न्यायालय द्वारा निर्णय। न्यायालय को संसदीय समिति की मूल्यवान अंतर्दृष्टि से वंचित करना न्यायालय के दायरे से सूचना के एक महत्वपूर्ण स्रोत को बाहर करने के बराबर होगा। इस कथित परिकल्पना के आधार पर ऐसा करना कि यह संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा, संसद के अधिकार से चूक जाना होगा।

पेड़। एक बार संसदीय समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के बाद यह सार्वजनिक हो जाती है। एक बार जब संसद ने इसे सार्वजनिक कर दिया है, तो संसदीय विशेषाधिकार पर भरोसा करने वाली कार्यपालिका के बारे में एक विडंबना है। इसे उस सामग्री के दायरे से बाहर करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है जिसके लिए अदालत उस समस्या को समझने के लिए सहारा लेना चाहती है जिससे उसे निपटना आवश्यक है। अदालत को रिपोर्ट को एक मजबूत सामान्य ज्ञान के साथ देखना चाहिए, इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि यह नहीं है

रिपोर्ट की वैधता निर्धारित करने के लिए कहा गया जो संसद को दी गई सलाह का गठन करती है। जिस हद तक न्यायालय एक पर निर्भर करेगा

परिवीक्षण। उदाहरण के लिए, समिति की रिपोर्ट में सरकारी या निजी व्यक्तियों में से किसी एक के अधिकारी से जुड़े दुराचार का निष्कर्ष हो सकता है जो कानून के उल्लंघन से संबंधित हो। यदि न्यायनिर्णयन के लिए न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या वास्तव में किसी सार्वजनिक अधिकारी या निजी हित द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन या कानून का उल्लंघन किया गया है, तो न्यायालय को स्वतंत्र रूप से इससे निपटना होगा और उसके समक्ष मौजूद सामग्री के आधार पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। जाहिर है कि ऐसे मामले में संसदीय समिति का निष्कर्ष पहले ठोस सबूत नहीं हो सकता है। अदालत। संसदीय समिति को चुनाव लड़ने वाले दलों से जुड़े किसी मुकदमे या विवाद पर निर्णय लेने के लिए नहीं बुलाया जाता है और जब ऐसा करने का कोई अवसर अदालत के समक्ष आता है, तो उसे उस सामग्री के आधार पर अपना निर्धारण करना होता है जो उसके सामने स्वीकार्य है। एक व्यक्ति जिसके आचरण पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है, उसे उस निष्कर्ष के आधार पर उल्लंघन का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ज्योति हर्षद मेहता बनाम द कस्टोडियन *3 1* में, इस न्यायालय ने माना कि

जानकीरमन समिति को विशेष अदालत द्वारा सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अदालत ने कहाः

"*57.* यह एक स्वीकृत तथ्य है कि जानकीरमन समिति, संयुक्त संसदीय समिति और अंतर-संसदीय समिति की रिपोर्ट

81 (2009) 10 एस. सी. सी. *564* कल्पना मेहता बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अनुशासनात्मक समूह *(*आई. डी. जी.*)* केवल अधिनियम के कानूनी इतिहास का पता लगाने के उद्देश्य से स्वीकार्य हैं। इसकी सामग्री

रिपोर्ट का उपयोग विद्वान न्यायाधीश द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था

सबूत के रूप में विशेष अदालत "। *82*

68. भारतीय साक्ष्य अधिनियम *1872* की धारा *57* उन तथ्यों की बात करती है जिनका न्यायालय को न्यायिक संज्ञान लेना चाहिए। धारा *57* में शामिल है -

भाग *II (*शीर्षक 'ऑन प्रूफ')। अध्याय *III* उन तथ्यों से संबंधित है जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। धारा *57 (4)* निम्नलिखित प्रावधान करती हैः

" 57. किन तथ्यों पर न्यायालय को न्यायिक ध्यान देना चाहिए-न्यायालय

निम्नलिखित तथ्यों पर न्यायिक ध्यान देगाः

*****

(4) . संयुक्त राज्य की संसद की कार्यवाही का क्रम
राज्य, भारत की संविधान सभा का, संसद का और किसी प्रांत या राज्य में उस समय लागू किसी कानून के तहत स्थापित विधानमंडलों का।

एकमात्र न्यासी में, लोक शिक्षा न्यास बनाम

आयकर आयुक्त, मैसूर *3 3*, की तीन न्यायाधीशों की पीठ

इस न्यायालय ने धारा *57 (4)* का अर्थ लगाते हुए इस तथ्य के बीच अंतर किया कि संसद में एक विशेष कथन दिया गया है और तथ्य के प्रश्न पर जो कहा गया है उसकी शुद्धता। पूर्व पर भरोसा किया जा सकता है। हालांकि, तथ्य के एक विवादास्पद प्रश्न की सच्चाई को अदालत के समक्ष स्वतंत्र रूप से साबित करना होगा। न्यायमूर्ति एच आर खन्ना ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

संसद में कार्यवाही की प्रक्रिया, यह मानते हुए कि यह प्रासंगिक है। यह सच है कि संसद की कार्यवाही के दौरान तथ्य के सवाल पर जो कहा गया है, उसकी शुद्धता केवल वही व्यक्ति साबित कर सकता है जिसे संसद की कार्यवाही के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी थी।
तथ्य बताया गया है। हालाँकि, इस तथ्य के बीच अंतर है कि एक अधिनियम के उद्देश्य को बताते हुए एक विशेष बयान संसद में दिया गया था, जिसका न्यायिक नोटिस कार्यवाही के हिस्से के रूप में लिया जा सकता है, और कार्यवाही के दौरान बताए गए तथ्य के विवादास्पद मामले की सच्चाई, जिसे फिर से साबित करना होगा,

82 आईडी, पृष्ठ *582* पर

83 (1976) 1 एससीसी *254 [2018] 4* एस. सी. आर.

अर्थात्, इस तथ्य के अलावा कि इसके बारे में एक बयान संसद में कार्यवाही के दौरान दिया गया था *(*देखें - आर टी। माननीय जेराल्ड लॉर्ड स्ट्रिकलैंड बनाम। कार्मेलो मिफुड बोन्नीसी *[*ए. आई. आर. *1935* पी. सी.*]*

34 : 153 आईसी *1];* द इंग्लिशमैन लिमिटेड *v.* लाजपत राय, आई. एल. आर. *37* कैल.

760 : 6 आईसी *81: 14* सीडब्ल्यूएन *945.984*

प्रस्ताव करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिया गया एक बयान

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इसका न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है। न्यायिक नोटिस इस तथ्य का लिया जाए कि "कारण का ऐसा बयान था

इस तरह के भाषण के दौरान "।

ओंकार नाथ बनाम दिल्ली प्रशासन *85* में, एक अन्य पीठ

न्यायाधीशों ने धारा *57 (4)* के बारे में विस्तार से बताया। न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़,

न्यायालय के राजा ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" *6.* हमारे समक्ष आग्रह किए गए बिंदुओं में से एक यह है कि क्या निचली अदालतों को इस तथ्य का न्यायिक नोटिस लेना उचित था कि जिस तारीख को अपीलकर्ताओं ने अपने भाषण दिए थे, उस दिन रेलवे हड़ताल आसन्न थी और वास्तव में ऐसी हड़ताल *8* मई, *1974* को शुरू की गई थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा *56* में प्रावधान है कि ऐसा कोई भी तथ्य साबित करने की आवश्यकता नहीं है जिसका न्यायालय न्यायिक नोटिस लेगा। धारा *57* उन तथ्यों को सूचीबद्ध करती है जिनके बारे में न्यायालय न्यायिक नोटिस लेगा और कहता है कि सार्वजनिक इतिहास, साहित्य, विज्ञान या कला के सभी मामलों पर न्यायालय अपनी सहायता के लिए उपयुक्त पुस्तकों या संदर्भ दस्तावेजों का सहारा ले सकता है। धारा *57* में उल्लिखित तथ्यों की सूची जिसमें से न्यायालय न्यायिक नोटिस ले सकता है, पूरी नहीं है और वास्तव में इस धारा का उद्देश्य यह प्रदान करना है कि -

न्यायालय उन तथ्यों की श्रेणी को समाप्त करने के बजाय कुछ तथ्यों का न्यायिक नोटिस लेगा, जिनके बारे में न्यायालय उचित मामलों में न्यायिक नोटिस ले सकता है। औपचारिक प्रमाण के बिना तथ्यों की मान्यता समीचीनता का विषय है और किसी ने भी उन मामलों के अस्तित्व को स्वीकार करने की आवश्यकता और विवेक पर कभी सवाल नहीं उठाया है जो हैं -

निर्विवाद रूप से सार्वजनिक ज्ञान के भीतर। *(* टेलर, *11* वें संस्करण को देखें। , पीपी। *3-12 ;* विगमोर, सेक्शन *2571,* फुटनोट; स्टीफंस डाइजेस्ट, आर्टिकल *58* को नोट करता है; व्हिटली स्टोक्स का एंग्लो-इंडियन कोड्स, वॉल्यूम। *II,* पी। *887.)* ऐसे तथ्यों के अस्तित्व पर न्यायिक नजर डालना और

मामला एक तरह से सामान्य ज्ञान का अपमान है और यह न्यायिक प्रक्रिया को एक अर्थहीन और व्यर्थ अनुष्ठान तक सीमित कर देगा।

7) 2 एस. सी. सी. *611* कल्पना मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

इसलिए कोई भी अदालत अतीत या वर्तमान के इतिहास के कुख्यात तथ्यों के औपचारिक प्रमाण, साक्ष्य द्वारा, पर जोर नहीं देती है। चुनाव की तारीख, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का निधन और ऐसी घटनाएं जिन्होंने लोगों को हिलाकर रख दिया

राष्ट्र को किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है और न्यायिक रूप से देखा जाता है। न्यायिक नोटिस, ऐसे मामलों में, सबूत की जगह लेता है और समान रूप से प्रभावी होता है। " *86*

बाबूराव उपनाम पी. बी. सामंत बनाम भारत संघ में न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

उनके द्वारा मुद्रित और प्रकाशित किया जाता है। न्यायालय को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का न्यायिक संज्ञान लेना होता है और उम्मीद की जाती है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पर विचार करेगा जैसा कि पत्रिकाओं की प्रतियों या संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही वाली रिपोर्टों के उत्पादन पर साबित होता है। जो उनके
द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। *88*

ये टिप्पणियां धारा *57 (4)* सहित साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में थीं। अदालत ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा की बहसों को प्रस्तुत करना

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, उस समय के बीच की अवधि से संबंधित जब दोनों सदनों में से प्रत्येक में प्रस्ताव पेश किए गए थे और उस समय के बीच जब प्रस्तावों को विधिवत अपनाया गया था, प्रस्तावों का प्रमाण था। अदालत को धारा *57* के तहत न्यायिक नोटिस लेना आवश्यक था।

एच निष्कर्ष

69. जिस मुद्दे को संविधान पीठ को भेजा गया है, वह यह है कि क्या संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट हो सकती है

अनुच्छेद *32* या अनुच्छेद *136* के तहत एक कार्यवाही में भरोसा किया गया संविधान। इसके साथ यह जुड़ा हुआ है कि क्या संसदीय विशेषाधिकार और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत *(*जिसके रंग अक्सर उपयोग किए जाने वाले वाक्यांश 'नाजुक संतुलन' में अभिव्यक्त होते हैं*)* संसदीय रिपोर्टों का सहारा लेने की अदालत की क्षमता पर प्रतिबंध लगाता है।

70. संदर्भ में प्रश्नों का उत्तर खोजने में, इस न्यायालय को अनिवार्य रूप से एक शाब्दिक और शायद सतही दृष्टिकोण से यात्रा करनी चाहिए,

संविधान क्या चाहता है, इसके सार को समझने के लिए

87 1988 (सप.*)* एस. सी. सी. *401* *88* आईडी, पृष्ठ *414 [2018] 4* एस. सी. आर. पर।

हासिल करें। एक स्तर पर, हमारे संविधान ने एक लोकतांत्रिक कानून के तहत एक औपनिवेशिक शासन से एक शासन को राजनीतिक शक्ति के हस्तांतरण की देखरेख की है। गणराज्य। राजनीतिक शक्ति के हस्तांतरण को वैध बनाना एक है, लेकिन संविधान का केवल एक पहलू है। केवल इस पर ध्यान केंद्रित करना संवैधानिक दृष्टि के एक महत्वपूर्ण तत्व से चूक जाना है। यह दृष्टिकोण सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करने के बारे में है। यह परिवर्तन जिसे संविधान प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति को अपने प्रयासों में सबसे आगे रखना है। उस परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण दर्शन को उलटने की आवश्यकता है

औपनिवेशिक शासन, जिसकी स्थापना व्यक्ति के राज्य के अधीनता पर की गई थी। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, गरिमा और स्वायत्तता का अर्थ है क्योंकि यह उस व्यक्ति के लिए है जिसे संविधान मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा का आश्वासन देता है। द.

संविधान सशक्तिकरण के बारे में है। जिस लोकतांत्रिक परिवर्तन की यह आकांक्षा रखता है, वह व्यक्ति को शासन की चिंताओं के केंद्र में रखता है। औपनिवेशिक शासन के लिए, व्यक्ति कानून के अधीन थे। व्यक्ति राज्य के अधिकार के अधीन थे और उनकी भलाई उसकी शक्ति से विवाहित भाग्य की स्वीकृति से नियंत्रित होती थी। वे धारणाएँ जो औपनिवेशिक शासन की नींव पर आधारित थीं, संविधान द्वारा शासित व्यक्तियों के राष्ट्र के लिए एक मौलिक परिवर्तन से गुजरी हैं। संविधान उनके अधिकारों और अधिकारों को मान्यता देता है। अपने अधिकारों के प्रवर्तन के माध्यम से व्यक्तियों का सशक्तिकरण संवैधानिक उद्देश्य का सार है। इसलिए, वर्तमान संदर्भ में न्यायालय के समक्ष उत्पन्न हुए मुद्दों को समझने के लिए, यह याद रखना अच्छा है कि चूंकि संविधान परिवर्तन के बारे में है और इसका दृष्टिकोण सशक्तिकरण के बारे में है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं
संसदीय विशेषाधिकार सहित औपनिवेशिक अतीत से प्राप्त उपदेशों को एक ऐसी बारीकियों के अधीन किया जाना चाहिए जो अधिकारों के प्रतिपादन और न्याय तक पहुंच को सुविधाजनक बनाती है। हम अब राज्य के अधिकार के अधीन व्यक्तियों पर आधारित राजनीतिक संस्कृति में नहीं रहते हैं। संविधान की हमारी व्याख्या में उस बुनियादी परिवर्तन के बारे में जागरूकता की गहरी भावना दिखाई देनी चाहिए जो संविधान ने राज्य व्यवस्था और राज्य में किया है।

71. दक्षिण अफ्रीका के एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश, एल्बी सैक्स ने संवैधानिक मूल्य को समझने के महत्व के बारे में बात की है। परिवर्तन। संवैधानिक न्यायालय की भूमिका को समझाते हुए अपनी पुस्तक 'द स्ट्रेंज अल्केमी ऑफ लाइफ एंड लॉ' *89* में सैक्स ने कहा है कि

कहो:

89 जस्टिस एल्बी सैक्स, द स्ट्रेंज अल्केमी ऑफ लाइफ एंड लॉ *(*ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *2009)* पृष्ठ *32-33*।

कल्पना मेहता बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

"वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं पर अदालती फैसलों के प्रभाव का विश्लेषण करना मुश्किल है। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि दिया गया प्रचार

मामला, और प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों का वास्तविक निर्णय की तुलना में सार्वजनिक जीवन पर अधिक प्रभाव पड़ा। फिर भी किसी भी मात्रा में फोरेंसिक लड़ाई, चाहे वह कितनी भी कड़वी और लंबी क्यों न हो, एक

गोली से बेहतर है। हमारे समय के कठोर संघर्षों को कानूनी जांच के लिए प्रस्तुत करना-पारदर्शी रूप से और निष्पक्षता और न्याय के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्यों के आलोक में-राज्य की ओर से या उसके खिलाफ भाड़े के युद्ध और हिंसा का एक स्पष्ट खंडन था। इसने तत्काल मुद्दों पर व्यावहारिक तरीके से प्रतिक्रिया दी, और साथ ही तीन देशों में सरकारों, न्यायपालिकाओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक-दूसरे के साथ जुड़ने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपनी शक्तियों और जिम्मेदारियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के लिए प्रेरित किया। इसने दक्षिण अफ्रीकी जनता को फिर से पुष्टि की कि हम जी रहे थे
एक संवैधानिक लोकतंत्र में जिसमें शक्ति के सभी प्रयोग संवैधानिक नियंत्रण के अधीन थे। उसने कुछ कहा।

हम किस तरह के देश में रहते थे और सैद्धांतिक और तर्कपूर्ण बहस के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण है। इसने रेखांकित किया कि हम अधिकार की संस्कृति से आगे बढ़ गए हैं और

कानून के समक्ष समर्पण, कानून के तहत औचित्य और अधिकारों में से एक। *(*जोर दिया गया*)*

72. भारत में, कम से कम दक्षिण अफ्रीका में यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि नागरिक एक संवैधानिक लोकतंत्र में रहते हैं जिसमें हर अभ्यास होता है

शक्ति संवैधानिक नियंत्रण के अधीन है। राज्य की प्रत्येक संस्था

संविधान के अधीन है। इसके ऊपर कोई नहीं है। हमारे संविधान के लिए प्रासंगिक सैक्स के दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारतीय समाज को "अधिकार और कानून के प्रति समर्पण की संस्कृति से, कानून के तहत औचित्य और अधिकारों की संस्कृति" की ओर बढ़ना चाहिए। *73.* एक बार जब हम व्यक्तिगत अधिकारों और मानव स्वतंत्रताओं की पूर्ति को संवैधानिक विमर्श में सबसे आगे रखते हैं, तो

वर्तमान मामले में कोई कठिनाई नहीं है। व्यक्ति अन्याय को दूर करने के लिए अदालतों तक पहुँचते हैं। मानव स्वतंत्रता की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के कर्तव्य के निष्पादन के लिए प्रतिबद्ध संस्थानों के रूप में, उच्च न्यायालयों के साथ-साथ यह न्यायालय अन्याय के कारणों पर सभी जानकारी प्राप्त करने और आगे बढ़ाने के लिए बाध्य दायित्व के अधीन है। जहाँ इस मामले में एक समन्वित संवैधानिक संस्था द्वारा किया गया कार्य -

संसदीय समिति, अन्याय की प्रकृति या इसके कारणों और प्रभावों पर प्रकाश डालती है, संवैधानिक सिद्धांत जिसे न्याय में सहायता करनी है, *[2018] 4* एस. सी. आर.

हमें यह ठहराने के लिए प्रेरित करें कि अदालत को रिपोर्ट की सामग्री से बेखबर रहना चाहिए। दुनिया भर में इतिहास और समकालीन घटनाएं एक अनुस्मारक हैं

कि सूचना के ब्लैक-आउट का उपयोग सत्ता की अधिनायकवादी ज्यादतियों के लिए एक इच्छुक सहयोगी के रूप में किया जाता है। लोकतंत्र में उनकी कोई जगह नहीं है। संसदीय समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करना उल्लंघन नहीं है।

74. संसदीय समितियाँ उस प्रक्रिया का एक आंतरिक हिस्सा हैं जिसके द्वारा लोकतंत्र में निर्वाचित विधायिका जवाबदेही तय करती है। सरकार का हिस्सा। विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ जांच की सावधानीपूर्वक कवायद करती हैं

कल्याणकारी कानून और राज्य के विभागों के प्रदर्शन सहित कानून का कार्यान्वयन। कानून का उद्देश्य नागरिकों के लाभ के लिए व्यवस्था को बढ़ावा देना और अधिकारों और अधिकारों की रक्षा करना है।

संविधान और कानून द्वारा गारंटीकृत। मौलिक स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को प्राप्त करने के साधन के रूप में न्याय तक पहुंच राज्य के अन्य अंगों के काम के पूरक है। शक्तियों के पृथक्करण का आधुनिक सिद्धांत 'एक अंग-एक कार्य' दृष्टिकोण से अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण की ओर बढ़ गया है, जो शासन संस्थानों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में पूरकता को पहचानता है। न्यायिक समीक्षा संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को प्राप्त करने के साधन के रूप में कानून के प्रशासन में जवाबदेह शासन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर आधारित है। यदि सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने में न्यायिक समीक्षा के कार्य का अर्थ शक्तियों के पृथक्करण की आधुनिक धारणा के संदर्भ में लगाया जाता है, तो न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता और संसद की प्रकाशित रिपोर्टों पर इसकी निर्भरता के बीच कोई वास्तविक संघर्ष नहीं है।

समितियाँ। अंततः प्रत्येक मामले में न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि मामले में एक रिपोर्ट की प्रासंगिकता और न्याय तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए उस पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है।

कल्पना मेहता बनाम की रिपोर्ट। भारत का संघ

संसदीय समितियाँ राज्य के प्रकाशित अभिलेख का हिस्सा बन जाती हैं। सिद्धांत रूप में, उद्देश्यों के लिए उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के दायरे से बाहर करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है।

जैसे कि किसी कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, समस्या की प्रकृति, सामाजिक बुराई के कारणों और शासन की कठिन समस्याओं के उत्तर प्रदान करने वाले उपचारों को समझना। अदालत एक मामले के तथ्यों में यह निर्धारित करेगी कि पक्षकारों के बीच विवादास्पद मामले पर कब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना होगा।

कानून के अनुसार प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर।

इन परिस्थितियों में, संदर्भ का उत्तर यह मानते हुए दिया जाता है किः

संविधान के अनुच्छेद *32* या अनुच्छेद *136* के तहत कार्यवाही; *((ii)* एक बार संसदीय समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के बाद, न्यायिक कार्यवाही के दौरान इसका संदर्भ संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होगा।

((iii) संसदीय समिति की रिपोर्ट की वैधता पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। कोई संसद सदस्य या व्यक्ति नहीं

संसदीय समिति के समक्ष कार्यवाही के दौरान जो कहा गया है उसके लिए या निविदा या दिए गए वोट के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है; और

((iv) जब न्यायालय के समक्ष कोई मामला विवादास्पद हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा तथ्य का निष्कर्ष न्यायिक कार्यवाही में प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए जैसा कि पैराग्राफ *67* और *73* में समझाया गया है।

75. संदर्भ के लिए बनाए गए मुद्दों का तदनुसार उत्तर दिया जाता है।

76. कार्यवाही अब माननीय प्रमुख के समक्ष रखी जा सकती है।

निपटान के लिए मामले को सौंपने के लिए न्याय।

अशोक भूषण, जे. *1.* इस संविधान पीठ को कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों का जवाब देने की आवश्यकता है जिनमें मुद्दे भी शामिल हैं। संसद और न्यायपालिका के बीच नाजुक संतुलन से संबंधित। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने लॉर्डशिप्स के फैसले को प्रसारित किया है जिसे मैंने ध्यान से पढ़ा है। हालाँकि मैं मेरे प्रभु मुख्य न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत हूँ, लेकिन

इसमें शामिल मुद्दों के महत्व के बारे में मैंने अपने विचार और निष्कर्ष लिखे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. क्या इस न्यायालय द्वारा जनहित याचिका की सुनवाई करते समय संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करना और उस पर भरोसा करना।

याचिका संसद के किसी भी विशेषाधिकार का उल्लंघन है, इस संविधान पीठ को भेजे गए प्रश्नों का योग और सार है। इन रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी संख्या *8 (*एम. एस. डी. फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड*)* के विद्वान वरिष्ठ वकील ने संसदीय समिति की रिपोर्ट की स्वीकार्यता और विचार के बारे में आपत्ति जताई, जिस पर विचार करते हुए निम्नलिखित दो प्रश्नों का उत्तर दिया गया है:

" (i) चाहे भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* या अनुच्छेद *136* के तहत इस न्यायालय के समक्ष दायर मुकदमे में, न्यायालय इस रिपोर्ट का उल्लेख कर सकता है और उस पर भरोसा कर सकता है।

संसदीय स्थायी समिति*?*

((ii) क्या ऐसी रिपोर्ट को संदर्भ के उद्देश्य से देखा जा सकता है और यदि ऐसा है, तो क्या संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा के संबंध में संदर्भ के उद्देश्य के लिए प्रतिबंध हो सकते हैं और दोनों के बीच नाजुक संतुलन हो सकता है।

संवैधानिक संस्थान जो संविधान के अनुच्छेद *105,121* और *122*

संविधान की कल्पना होती है*?*

3. उपरोक्त दो प्रश्नों को जन्म देने वाली दो रिट याचिकाओं द्वारा प्रकट किए गए पृष्ठभूमि तथ्यों पर अब ध्यान देने की आवश्यकता है:

2012 का लिखित याचिका *(*सी*) NO.558*

एक जनहित याचिका के रूप में रिट याचिका तीन याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है, याचिकाकर्ता संख्या। *1* और *2* महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम करने का दावा करते हैं जबकि याचिकाकर्ता संख्या *3* एक पंजीकृत सोसायटी है जो महिला संगठनों के साथ काम कर रही है ताकि उन्हें अपने जीवन और आजीविका में सुधार करने में मदद मिल सके।

(उत्तरदाता संख्या *6),* भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद *(*आई. सी. एम. आर.*)* और आंध्र प्रदेश और गुजरात सरकारों के साथ अमेरिका स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। उपरोक्त परियोजना में *10-14* वर्ष के आयु वर्ग की लगभग *32,000* युवा किशोरियों को एच. पी. वी. *(*मानव*)* दिया जाना था। पैपिलोमा वायरस*)* टीके गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकने में प्रभावी माने जाते हैं। एच. पी. वी. टीका, अर्थात् "गार्डासिल", उत्तरदाता संख्या *7*-ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एशिया प्रा. लि. द्वारा निर्मित है। प्रत्यर्थी संख्या *8* एम. एस. डी. फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिमिटेड और "सर्वेरिक्स", भारत में केवल जुलाई में लाइसेंस प्राप्त, कल्पना मेहता बनाम।

भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

2008 और सितंबर, *2008* क्रमशः भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा।

4. जुलाई *2009* में आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में गार्डासिल का टीका लगाया गया था। कुछ बालिकाओं की मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने लिखा

स्वास्थ्य मंत्रालय को एच. पी. वी. टीके की अनियमितताओं और स्वास्थ्य जोखिम के बारे में चिंता की ओर इशारा करते हुए। महिला संगठन ने ज्ञापन भेजे और एक तथ्य खोज जांच भी की। *15* अप्रैल, *2010* को भारत सरकार ने भारत में पी. ए. टी. एच. द्वारा "ह्यूमन पैपिलोमा वायरस *(*एच. पी. वी.*)* वैक्सीन का उपयोग करके अध्ययन के संचालन में कथित अनियमितताओं" की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

15.02.2011 . जाँच समिति ने कई विसंगतियों का उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की संसदीय स्थायी समिति ने स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अनुदान *(2010-11)* की मांग की जांच करते हुए इस मुद्दे को उठाया आंध्र प्रदेश के खम्मम और गुजरात के वडोदरा जिलों में बच्चों पर एच. पी. वी. टीके का परीक्षण। संसदीय स्थायी समिति

(इसके बाद "पी. एस. सी". के रूप में संदर्भित*)* ने इस विषय पर विचार-विमर्श किया और विभिन्न बैठकें कीं। समिति ने यू. ओ. आई., आई. सी. एम. आर., भारत के औषधि महानियंत्रक विभाग को सुना और मौखिक साक्ष्य भी लिए। विभागीय स्थायी समिति ने *30* अगस्त, *2013* को राज्यसभा को अपनी रिपोर्ट *(72* वीं रिपोर्ट*)* प्रस्तुत की, जिसे *30* अगस्त, *2013* को लोकसभा के पटल पर भी रखा गया था। पी. एस. सी. ने सरकारी विभागों, आई. सी. एम. आर. के साथ-साथ प्रत्यर्थी की ओर से विभिन्न कमियों और खामियों को पाया। समिति द्वारा विभिन्न निर्देश और सिफारिशें जारी की गईं। पुनः एक विस्तृत रिपोर्ट, अर्थात् "सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई" पर *81* वीं रिपोर्ट।

कथित अनियमितताओं पर *72* वीं रिपोर्ट में निहित टिप्पणियाँ

भारत में पी. ए. टी. एच. द्वारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस *(*एच. पी. वी.*)* टीके का उपयोग करके अध्ययन का संचालन *23* दिसंबर, *2014* को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था और *23* दिसंबर, *2014* को लोकसभा के पटल पर भी रखा गया था। दोनों रिपोर्टों को रिकॉर्ड में लाया गया है।

2013 की लिखित याचिका *(*सी*)* संख्या *921*

5. एक जनहित याचिका के रूप में रिट याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता संख्या। *1* और *2* सार्वजनिक न्यास हैं और याचिकाकर्ता सं। *3* और *4* पंजीकृत समितियाँ हैं। याचिकाकर्ताओं ने उन तरीकों पर सवाल उठाया है जिनमें दवाओं के लिए नैदानिक परीक्षण शामिल हैं।

इस देश में गरीब, आदिवासी, महिलाओं और बच्चों सहित समाज के कमजोर समूहों के नुकसान के लिए टीके लगाए जा रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिट याचिका में तथ्य और अभिवचन तथ्यों और अभिवचनों के आधार पर हैं जैसा कि *2012* की रिट याचिका *(सी)* संख्या *558* में निहित है, इसलिए संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं जाता है। याचिकाकर्ताओं ने एच. पी. वी. वैक्सीन अवलोकन अध्ययन की घोषणा सहित विभिन्न राहतों के लिए प्रार्थना की है।

प्रदर्शन परियोजना औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, *1945* में विभिन्न नियमों के अर्थ के भीतर एक चरण *IV* नैदानिक परीक्षण था। याचिकाकर्ताओं ने मुआवजे की मंजूरी के लिए प्रार्थना और प्रतिवादी संख्या द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों की विशेष जांच दल द्वारा जांच के लिए निर्देश सहित कई प्रार्थनाएं की हैं। *2 8* तक।

2013 (पी. आई. एल.-डब्ल्यू.*)*, समाचार पत्रों की रिपोर्ट, लेख, अभ्यावेदन, पत्राचार का उल्लेख किया गया है और उन पर भरोसा किया गया है। अन्य सामग्रियों के अलावा, *30* अगस्त, *2013* को प्रस्तुत *72* वीं रिपोर्ट और *23* दिसंबर, *2014* को राज्य सभा में प्रस्तुत *81* वीं रिपोर्ट पर संदर्भ और निर्भरता भी रखी गई है। *7.* इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कई सवाल उठाए हैं और विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। इस संदर्भ में

न्यायालय ने *12.08.2014,13.01.2015* और *17.11.2015* पर विभिन्न निर्देश पारित किए। *8.* जब दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा *18.11.2015* पर मामले की सुनवाई की गई तो इस न्यायालय ने कहाः यह ध्यान दिया जाए कि इस मामले की सुनवाई के दौरान कानून में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उत्पन्न हुआ है जो न्यायालय के समक्ष संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट दायर करने पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग से संबंधित है। आई. डी. *1* पर पक्षकारों को सुनने के बाद इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने आई. डी. *2* दिनांकित एक विस्तृत आदेश द्वारा दो प्रश्नों को संविधान पीठ द्वारा उत्तर देने के लिए ऊपर उल्लिखित किया है।

प्रस्तुतियाँ

9. हमने रिट याचिका *(सी) No.558/2012* में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कॉलिन गोंजाल्विस और *2013* की रिट याचिका *(सी) No.921* में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद ग्रोवर को सुना है। श्री हरीश साल्वे और श्री गौरव बनर्जी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या *8-* एमएसडी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट की ओर से पेश हुए हैं। सीमित। श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, पी. ए. टी. एच. इंटरनेशनल के लिए उपस्थित हुए हैं। हमने भारत के विद्वान महान्यायवादी श्री *K.K.Venugopal* को भी सुना है।

संसद या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कुछ भी कहा गया या कोई वोट दिया गया। वह आगे प्रस्तुत करता है कि अनुच्छेद *105* उपखंड *(3)* के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, और प्रत्येक सदन के सदस्य और समितियाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के समान हैं जैसा कि *26* नवंबर, *1950* को मौजूद है। अनुच्छेद *105* उपखंड *(4)* उन सभी व्यक्तियों को खंड *(1), (2)* और *(3)* में निर्दिष्ट विशेषाधिकार प्रदान करता है जिन्हें संसद के किसी भी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार है। न्यायालय में दिए गए साक्ष्य की आलोचना नहीं की जा सकती है। संसदीय समिति द्वारा लिए गए साक्ष्य के संबंध में भी यही सिद्धांत लागू हो सकते हैं। संसद की एक समिति संसद का हिस्सा है।

11. श्री साल्वे द्वारा जो मुख्य निवेदन किया गया है, वह यह है कि इसमें किए गए सभी कार्यों का विधायी विशेषाधिकार है।

संसदीय समिति की रिपोर्ट सहित संसद की रिपोर्ट को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वह प्रस्तुत करता है कि एक की निर्भरता

संसदीय समिति की रिपोर्ट में अन्य दलों द्वारा रिपोर्ट को चुनौती देना भी शामिल है। संसदीय समिति की रिपोर्ट के संबंध में इस न्यायालय द्वारा किसी भी निर्णय पर विचार नहीं किया जा सकता है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा संसदीय समिति की रिपोर्ट पर रखी गई निर्भरता गलत है। *12.* अधिकार विधेयक *1688* के अनुच्छेद *IX* पर भरोसा करते हुए, श्री साल्वे ने प्रस्तुत किया कि यह 'संसद की कार्यवाही' से सुरक्षा प्रदान करता है।

'संसद के बाहर किसी भी अदालत या स्थान पर महाभियोग या पूछताछ की गई। वह प्रस्तुत करता है कि भारतीय संसद को वही विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा आनंद लिया जाता है, इसलिए संसदीय समिति की रिपोर्ट पर न तो भरोसा किया जा सकता है और न ही किसी भी न्यायालय में सवाल उठाया जा सकता है। श्री साल्वे ने इस न्यायालय के विभिन्न अंग्रेजी मामलों और कई निर्णयों का उल्लेख किया, जिन्हें प्रस्तुतियों पर विस्तार से विचार करते समय संदर्भित किया जाएगा।

यद्यपि राज्यों के तीनों अंगों में शक्तियों का कोई कठोर विभाजन नहीं है, लेकिन राज्यों का प्रत्येक खंड अपने-अपने क्षेत्र में काम करता है। संसद अपनी कार्यवाही में सर्वोच्च है जिस पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। संसदीय प्रतिवेदनों को न्यायालय की किसी भी कार्यवाही में या जनहित याचिका में भी किसी मुद्दे का विषय नहीं बनाया जा सकता है। वह प्रस्तुत करता है कि राज्यों की सभी शाखाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में काम करना होगा ताकि आवंटित क्षेत्र में प्रवेश न किया जा सके। राज्य की दूसरी शाखा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि संसदीय समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करना न्यायालयों और न्यायालयों के बीच अधिकार क्षेत्र का एक संवेदनशील मुद्दा है।

और उसे संसदीय समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करके शॉर्टकट लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। संसदीय समिति की रिपोर्ट, एक तरह से, एक भाषण है। संविधान का अनुच्छेद *105* उन रिपोर्टों के साथ कोई अंतर नहीं करता है जिन्हें समाज कल्याण रिपोर्ट या अन्य प्रकार की रिपोर्ट कहा जा सकता है। वह प्रस्तुत करता है कि इसमें कुल बार है शक्ति के पृथक्करण के आधार पर संसद की रिपोर्टों को देखना और भारत के संविधान के अनुच्छेद *105 (2)* और *105 (4)* के प्रावधानों को व्यक्त करना। तथ्य यह है कि अध्यक्ष किसी भी संसदीय सामग्री के संबंध में 'नहीं' कह सकते हैं, यह माना जाना चाहिए कि वे सबूत के रूप में संसदीय सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के रूप में काम करते हैं। संसद सदस्य को जो सुरक्षा दी जाती है, वह संसद सदस्य को भी दी जाती है।

संसदीय कार्यवाहियाँ और संसदीय प्रतिवेदन।

कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[अशोक भूषण, जे.]*

ऐसा कुछ भी नहीं जो संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन के किसी भी प्रश्न को जन्म दे। रिट याचिकाकर्ता इस न्यायालय से संसदीय रिपोर्ट में बताए गए किसी भी तथ्य को निर्णायक बनाने के लिए नहीं कह रहा है, सिवाय इसके कि साक्ष्य अधिनियम, *1872* की धारा *57* के तहत अनुज्ञेय। साक्ष्य अधिनियम, *1872* के अनुसार, संसदीय कार्यवाही सार्वजनिक दस्तावेज हैं जो साक्ष्य में स्वीकार्य हैं। याचिकाकर्ता किसी भी जारी करने के लिए नहीं कहता है

संसदीय समिति की रिपोर्ट को लागू करना अनिवार्य है। श्री हरीश साल्वे ने अपनी दलीलों के समर्थन में जो मामले उद्धृत किए हैं, वे संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हैं, जबकि वर्तमान में संसद सदस्य के किसी भी विशेषाधिकार के उल्लंघन से जुड़ा कोई मामला नहीं है। न ही

संसद के किसी भी सदस्य की किसी भी कार्रवाई या आचरण पर सवाल उठाने वाली रिट याचिका में कोई सवाल उठाया जा रहा है और न ही याचिकाकर्ता संसद के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू करने के लिए कह रहा है। वह प्रस्तुत करता है कि तथ्य

संसदीय रिपोर्ट में देखे गए और बताए गए पर बहुत अच्छी तरह से भरोसा किया जा सकता है। संसद अपनी प्रक्रिया द्वारा समिति की रिपोर्ट को न्यायालय में दाखिल करने की अनुमति देती है, इसलिए न्यायालय में संसदीय रिपोर्ट को देखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

15. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, यह है

कार्यपालिका, जो संसदीय विशेषाधिकारों की रक्षा करते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि संसद अपनी रिपोर्टों पर भरोसा करने और उनका उपयोग करने पर आपत्ति या अपराध नहीं लेती है। जब रिपोर्ट संसद द्वारा प्रकाशित की जाती है तो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और उसके बाद रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में दायर करने और सभी संबंधितों द्वारा उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इस अदालत को सत्ता के पृथक्करण और संस्था के संघर्ष के सिद्धांतों पर भरोसा करने के बजाय संस्था के समुदाय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, संसदीय रिपोर्ट सभी संस्थाओं के लिए मांगी जा सकती है और उनका उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान पारदर्शिता का युग है, जिस अवधि में प्रतिवादी को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि रिपोर्ट के लाभों को अदालतों से ब्लैक आउट किया जाना चाहिए।

16. 72 वीं और *81* वीं संसदीय समिति की रिपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि वे गरीब और कुपोषित युवा आदिवासी लड़कियों पर किए गए अवैध टीकाकरण की घटनाओं का पता लगाती हैं

और इसे आगे बढ़ाती हैं। आई. सी. एम. आर. और डी. जी. सी. आई. और आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य जैसी सरकारी एजेंसियों की भूमिका पर प्रतिकूल टिप्पणी की।

अधिकारी संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए थे और उन्होंने कई गलत कामों को स्वीकार किया था।

17. 2013 की रिट याचिका *(सी) No.921* में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद ग्रोवर ने श्री कॉलिन गोंजाल्विस की अधिकांश दलीलों को स्वीकार किया है, लेकिन कुछ अतिरिक्त दलीलें उठाई हैं। श्री ग्रोवर प्रस्तुत करते हैं कि दस्तावेजों की सच्चाई और सामग्री दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं। जब दस्तावेज़ को स्वीकार किया जाता है तो जो साबित होता है वह दस्तावेज़ और सामग्री होती है न कि सच्चाई। वे प्रस्तुत करते हैं कि संसदीय समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती देने का कोई सवाल ही नहीं है और न ही इस अदालत में रिपोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। श्री ग्रोवर ने कई अंग्रेजी मामलों का भी उल्लेख किया है ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के निर्णय। ऑस्ट्रेलियाई संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम *1987* की धारा *16 (3)* का उल्लेख करते हुए, श्री ग्रोवर ने प्रस्तुत किया कि धारा *16 (3)* के आधार पर ऑस्ट्रेलिया में लागू होने वाला कानून भारत में लागू नहीं है और न ही यूनाइटेड किंगडम में लागू होने वाले कानून के रूप में स्वीकार किया गया है। वह प्रस्तुत करता है कि संसद

समिति की रिपोर्ट, जो सामाजिक सुरक्षा का एक उपाय है, पर न्यायालय द्वारा आम आदमी को विशेष रूप से जनहित याचिका में न्याय प्रदान करते समय गौर किया जाना चाहिए।

18. श्री ग्रोवर आगे प्रस्तुत करते हैं कि संसदीय समिति की रिपोर्टों पर तभी भरोसा किया जा सकता है जब वे प्रकाशित हो जाएँ और एक विशेषज्ञ बन जाएँ।

सार्वजनिक दस्तावेज़। वे प्रस्तुत करते हैं कि बयानों को संसदीय समिति की रिपोर्ट से देखा जा सकता है, लेकिन निष्कर्षों और निष्कर्षों से नहीं। संसदीय समिति की रिपोर्ट सदन से प्राप्त की गई है और इसमें किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार शामिल नहीं है।

19. पी. ए. टी. एच. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान प्रस्तुत करते हैं कि पी. ए. टी. एच. स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाला एक गैर-लाभकारी निकाय है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा *57* का उल्लेख करते हुए, श्री दीवान प्रस्तुत करते हैं कि धारा *57* की उप-धारा *(4)* 'कार्यवाही की प्रक्रिया' वाक्यांश का उपयोग करती है। वे प्रस्तुत करते हैं कि 'कार्यवाही की प्रक्रिया' अभिव्यक्ति संसदीय रिपोर्टों को नहीं समझती है। वह प्रस्तुत करता है कि जब इस न्यायालय में कोई किसी संसदीय समिति का पक्ष लेता है या उसका विरोध करता है

रिपोर्ट करें, यह संस्थानों के समुदाय के हित में नहीं है। वे प्रस्तुत करते हैं कि संसदीय कार्यवाही के संदर्भ केवल दो में ही संभव हैं।

क्षेत्र अर्थात किसी मंत्री के विधान और वक्तव्य की व्याख्या करना। वह प्रस्तुत करता है कि पूरी रिपोर्ट की समग्र रूप से जांच की जानी है। *2013* की रिट याचिका *(सी) No.921* में उत्तरदाता ने अपने जवाबी हलफनामे कल्पना मेहता बनाम.

भारत संघ *[अशोक भूषण, जे.]*

उन्होंने संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों की सत्यता को चुनौती दी है। संसदीय समिति संसद का कार्यात्मक अंग है जिसे विशेषाधिकार और छूट भी प्रदान की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद *105 (2)* के तहत। संसदीय समिति की रिपोर्ट न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्टों पर अदालत की कार्यवाही में उतना भरोसा नहीं किया जाना चाहिए जितना कि रिपोर्ट की सामग्री को पार करने या चुनौती देने में, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद *105* और अनुच्छेद *122* के तहत संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। ऐसी रिपोर्टों के लिए चुनौती हो सकती है

विशेषाधिकार हनन के लिए संसद द्वारा अवमानना कार्यवाही आमंत्रित करना। संसदीय रिपोर्ट कानून में किसी भी कार्रवाई के लिए आधार नहीं हो सकती है, दोनों आपराधिक और लिखित याचिका या जनहित याचिका सहित किसी भी न्यायालय में दीवानी।

20. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव बनर्जी ने श्री कॉलिन गोंजाल्विस और श्री आनंद ग्रोवर की दलीलों का जवाब देते हुए कहा,

कि संसदीय समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों और निष्कर्षों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जिस क्षण रिपोर्ट में तथ्य मिल जाता है, उस पर गौर नहीं किया जा सकता है।

21. हमने उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है। इस संविधान पीठ को निर्दिष्ट दो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, ऊपर उल्लिखित, हमें निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है:

ए। चाहे अनुच्छेद *32* या *136* के तहत किसी मामले में इस न्यायालय द्वारा संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में स्वीकार करके, संसद के किसी भी विशेषाधिकार का उल्लंघन किया जाता है।
बी। यदि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, तो इसमें क्या प्रतिबंध हैं?

संसदीय विशेषाधिकारों के अनुसार इसका संदर्भ और उपयोग

इस देश के विधानमंडल द्वारा आनंदित।
सी। चाहे रिपोर्टों को पार करने और पूछताछ करने में,

निजी उत्तरदाता सदन की अवमानना को आमंत्रित कर सकते हैं।

22. उपरोक्त मुद्दे आपस में जुड़े होने के कारण, हम सभी मुद्दों की एक साथ जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त मुद्दों पर विचार करते हुए, हमने

भारतीय विधानमंडल द्वारा प्राप्त संसदीय विशेषाधिकारों की समग्र समझ के लिए हमारी चर्चा को विभिन्न उप-शीर्षकों/विषयों में विभाजित किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. संसदीय अधिकार

23. संसदीय विशेषाधिकार की उत्पत्ति और विकास का पता ब्रिटिश संसद के उच्च न्यायालय से लगाया जा सकता है। अंग्रेजों के प्रारंभिक काल में

इतिहास में, संसद के उच्च न्यायालय ने क्राउन को उनके न्यायिक कार्यों में सहायता की। संसद के उच्च न्यायालय की बैठक दो भागों में शुरू हुई अर्थात हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। धीरे-धीरे दोनों सदनों ने विभिन्न विशेषाधिकारों का दावा किया जिन्हें मान्यता दी गई। कुछ विशेषाधिकारों का दावा दोनों सदनों द्वारा प्राचीन काल से अधिकारों के रूप में किया जाता था और कुछ विशेषाधिकारों को वैधानिक रूप से मान्यता दी गई थी। एक महत्वपूर्ण संसदीय विशेषाधिकार को अनुच्छेद *IX* द्वारा मान्यता दी गई है और घोषित किया गया है। अधिकार विधेयक, *1688* 'संसद की कार्यवाही को संसद के बाहर किसी भी न्यायालय या स्थान पर' महाभियोग 'या' पूछताछ 'से संरक्षण प्रदान करता है। *19* वीं शताब्दी के अंत तक हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिकांश संसदीय विशेषाधिकारों को अदालतों द्वारा भी दृढ़ता से स्थापित और मान्यता दी गई थी।

24. अर्स्किन मे ने अपनी संधियों 'संसदीय अभ्यास', चौबीसवें संस्करण में संसद के विशेषाधिकारों और अन्य सभी संबंधित पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। पुस्तक के बारहवें अध्याय में, एर्स्किन मे ने इस बारे में बताया है कि विशेषाधिकार क्या है:

"संसदीय विशेषाधिकार प्रत्येक सदन द्वारा उच्च सदन के एक घटक भाग के रूप में सामूहिक रूप से प्राप्त कुछ अधिकारों का योग है।

संसद का न्यायालय; और प्रत्येक सदन के सदस्यों द्वारा

व्यक्तिगत रूप से, जिसके बिना वे अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते थे, और जो अन्य निकायों या व्यक्तियों के पास से अधिक था। कुछ विशेषाधिकार पूरी तरह से संसद के कानून और रीति-रिवाजों पर निर्भर हैं, जबकि अन्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया है -

कद "।

25. 'संसदीय विशेषाधिकार' शब्द संसद के प्रत्येक सदन और संसद द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा और शक्तियों को संदर्भित करता है।

संसद के सदस्य, जो उन्हें अपने संसदीय कार्यों को प्रभावी ढंग से करने की अनुमति देते हैं। कुछ अधिकारों और उन्मुक्तिओं की गणना करते हुए एर्स्किन मे कहते हैं:

"गिरफ्तारी या बोलने की स्वतंत्रता जैसे कुछ अधिकार और उन्मुक्ति मुख्य रूप से व्यक्तिगत सदस्यों के हैं।

प्रत्येक सदन का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि सदन अपनी सेवाओं के निर्बाध उपयोग के बिना अपने कार्य नहीं कर सकता है।
सदस्य। अन्य अधिकार और उन्मुक्ति, जैसे कि अधिकार

अवमानना के लिए दंड और अपने स्वयं के कल्पना मेहता को विनियमित करने की शक्ति *v.*

भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

संविधान, अपने सदस्यों की सुरक्षा और समर्थन के लिए एक सामूहिक निकाय के रूप में मुख्य रूप से प्रत्येक सदन से संबंधित है। अपने अधिकार और गरिमा के लिए। मौलिक रूप से, हालांकि, यह केवल सामूहिक के प्रभावी निर्वहन के साधन के रूप में है।

सदन के कार्य जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं

सदस्यों द्वारा आनंद लिया गया। अध्यक्ष ने फैसला सुनाया है कि

संसदीय विशेषाधिकार निरपेक्ष है। जब इनमें से किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना या हमला किया जाता है, तो अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है, और संसद के कानून के तहत दंडनीय होता है। हर घर भी

इसके कार्यों के निष्पादन में बाधा डालना, या इसके अधिकार या गरिमा के खिलाफ अपराध हैं, जैसे कि इसकी अवज्ञा स्वयं पर, उसके सदस्यों या उसके अधिकारियों पर वैध आदेश या मानहानि। अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति को न्यायिक रूप से संसद के प्रत्येक सदन में अंतर्निहित माना गया है न कि

प्राधिकरण और कार्यों की एक आवश्यक घटना

विधायिका *(*जैसा कि कुछ विशेषाधिकारों के संबंध में तर्क दिया जा सकता है*)* लेकिन अविभाजित उच्च न्यायालय से उनके वंश के आधार पर संसद और लेक्स एट कॉन्सूएटुडो के अधिकार में

संसद।

26. द हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, पाँचवाँ संस्करण खंड। *78* , जबकि 'विशेषाधिकारों की उत्पत्ति और दायरा' निम्नलिखित बताता है:

" 1076. अधिकारों और विशेषाधिकारों का दावा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स अपने सदस्यों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ अधिकारों और विशेषाधिकारों का दावा करते हैं जो प्रत्येक सदन के लिए आवश्यक हैं, जिनके बिना वे कर सकते हैं।

अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, और जो उनसे अधिक हैं

अन्य निकायों और व्यक्तियों द्वारा धारण किया गया। *1705* में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने संकल्प लिया कि किसी भी सदन को कोई नया विशेषाधिकार पैदा करने की शक्ति नहीं है और जब इसे सूचित किया गया था

कॉमन्स, उस सदन ने सहमति व्यक्त की। प्रत्येक सदन अपने स्वयं के विशेषाधिकारों का संरक्षक है और किसी भी मामले का एकमात्र न्यायाधीश होने का दावा करता है जो किसी भी तरह से उन पर प्रभाव डालता है, और, यदि यह किसी भी व्यक्ति को दंडित करने के लिए उचित समझता है जिसे वह विशेषाधिकार हनन या अवमानना का दोषी मानता है।

27. भारतीय विधानमंडलों के विशेषाधिकार भी धीरे-धीरे संवैधानिक विकास में प्रगति के साथ विकसित हुए हैं।

देश को। भारत सरकार अधिनियम, *1919* और *1935*

29. भारत के संविधान का अनुच्छेद *105* संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति से संबंधित है। *194* राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति से संबंधित है। दोनों प्रावधान समान हैं। संवैधानिक योजना को समझने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद *105* का उल्लेख करना पर्याप्त है। भारत के संविधान का अनुच्छेद *105* जैसा कि मौजूद है, निम्नानुसार प्रदान करता है:

"105. संसद के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि।
(1) इस संविधान के प्रावधानों और प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन

संसद में बोलने की स्वतंत्रता होगी।

(2) संसद का कोई भी सदस्य किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

संसद या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में, और कोई व्यक्ति नहीं

संसद के किसी भी सदन द्वारा या उसके अधिकार के तहत किसी भी रिपोर्ट, पेपर के प्रकाशन के संबंध में ऐसा उत्तरदायी होगा,

वोट या कार्यवाही। *(*
3) अन्य मामलों में, संसद के प्रत्येक सदन और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद द्वारा समय-समय पर कानून द्वारा परिभाषित की जा सकती हैं, और जब तक इस तरह परिभाषित नहीं किया जाता है, कल्पना मेहता *v.*

[धारा *15* के लागू होने से ठीक पहले उस सदन और उसके सदस्यों और समितियों के सदस्य होंगे।

संविधान *(*चालीसवां संशोधन*)* अधिनियम, *1978)*।

(4) खंड *(1), (2)* और *(3)* के प्रावधान उन व्यक्तियों के संबंध में लागू होंगे जो इस संविधान के आधार पर

बोलने का अधिकार, और अन्यथा भाग लेने का अधिकार

संसद के किसी सदन या किसी समिति की कार्यवाही

जैसा कि वे संसद सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं।

30. अनुच्छेद *105* उपखंड *(3)* में दो संशोधन किए गए थे अर्थात संविधान द्वारा *(*बयालीसवां और चौतालिसवां संशोधन*)*। अनुच्छेद *105* उपखंड *(3)* अपने मूल रूप में इस प्रकार थाः

" अनुच्छेद *105 (3)*। अन्य मामलों में, संसद के प्रत्येक सदन और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो समय-समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा परिभाषित की जा सकती हैं, और इस तरह परिभाषित होने तक "यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स और उसके सदस्यों की और

समितियाँ, इस संविधान के प्रारंभ में।

31. भारत के संविधान के अनुच्छेद *105* का उपखंड *(1)* संसद में 'बोलने की स्वतंत्रता' को संवैधानिक मान्यता देता है। उप.

अनुच्छेद *105* के खंड *(2)* में संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं की गणना की गई है। संसद या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कही गई किसी भी बात या वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के खिलाफ संसद सदस्य को पूर्ण संरक्षण है। वर्तमान मामले में, हमें संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के संबंध में संसदीय विशेषाधिकारों की जांच करने के लिए कहा जाता है। के अनुसार

संसद समिति की रिपोर्ट में कही गई किसी भी बात के लिए संसद के किसी भी सदस्य के खिलाफ।
32. अब हम भारत के संविधान के अनुच्छेद *105* के उपखंड *(3)* की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद *105* का उपखंड *(3)* 'अन्य मामलों में' शब्दों से शुरू होता है। दूसरे शब्दों में

सम्मान स्पष्ट रूप से शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति को संदर्भित करता है जो *[2018] 4* एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद *105* के उपखंड *(1)* और *(2)* में इसका उल्लेख और उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद *105* का उपखंड *(3)* समान शक्तियों को लागू करता है,

भारतीय संसद के लिए विशेषाधिकार और उन्मुक्ति जो भारत के संविधान के प्रवर्तन के समय हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्राप्त किए गए थे। *33.* पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य *(*सी. बी. आई./एस. पी. ई.*), (1998) 4* एस. सी. सी. *626* में संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद *105* पर विस्तार से विचार किया था।

भारत का संविधान। फैसले के पैराग्राफ *28* और पैराग्राफ *29* में निम्नलिखित कहा गया है:

" 28. खंड *(2)* न्यायालयों में कार्यवाही के संबंध में प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग में किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के तहत दायित्व से प्रतिरक्षा संसद सदस्य को संसद या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में प्रदान की जाती है। दूसरे भाग में ऐसी प्रतिरक्षा किसी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन द्वारा या उसके अधिकार के तहत किसी भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या

कार्यवाही। यह प्रतिरक्षा जो खंड *(2)* के तहत संसद या उसकी किसी समिति में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में और उसके संबंध में प्रदान की गई है।

संसद के किसी भी सदन द्वारा या उसके अधिकार के तहत किसी भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही का प्रकाशन यह सुनिश्चित करता है कि अनुच्छेद *105* के खंड *(1)* के तहत दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह से पूर्ण और निरंकुश है। *(* देखिए: विधायी विशेषाधिकार मामला *(1997) 66* डी. एल. टी. *618 (*डी. एल.*)* पीपी. *441 , 442.)*

29. संसद में खंड *(1)* और *(2)* के तहत सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, संविधान, अनुच्छेद *105* के खंड *(3)* में, शक्तियों, विशेषाधिकारों और अधिकारों से संबंधित है।
संसद के सदन और सदस्यों और अन्य मामलों में उनकी समितियों की उन्मुक्ति। उक्त खंड दो भागों में है। पहला भाग संसद को कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सदन और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति को परिभाषित करने का अधिकार देता है। दूसरे भाग में, जिसका इरादा था

यह प्रावधान किया गया था कि जब तक वे कानून द्वारा परिभाषित नहीं किए जाते हैं, तब तक उक्त शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स और उसके सदस्यों और समितियों की कल्पना मेहता *v* के प्रारंभ में होंगी।

भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

संविधान। प्रावधान का यह हिस्सा उसी तर्ज पर था जैसा कि धारा *49* में निहित प्रावधानों में था।

ऑस्ट्रेलियाई संविधान और कनाडाई संविधान की धारा *18* संविधान। संविधान के चालीसवें संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित खंड *(3)* में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

सामग्री और यह केवल यूनाइटेड किंगडम में संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए भविष्य के संदर्भ को छोड़ना चाहता है, जबकि स्थिति को संरक्षित करते हुए जैसा कि आने की तारीख को था।

उक्त संशोधन को लागू करना।

B. हाउस ऑफ कॉमन्स की निजताएँ

34. भारत के संविधान की धारा *105* के उपखंड *(3)* के आधार पर भारतीय संसद को हाउस ऑफ कॉमन्स के क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं, इसका जवाब देने के लिए जांच की जानी चाहिए।

मुकदमे जो वर्तमान मामले में उत्पन्न हुए हैं।

35. संसद के विशेषाधिकारों से निपटने के दौरान एर्स्किन मे के ग्रंथ 'संसदीय अभ्यास' में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया है:

इगेस:

1. बोलने की स्वतंत्रता

2. गिरफ्तारी से मुक्ति

3. पहुँच की स्वतंत्रता

4. अनुकूल निर्माण

5. सदन की सदस्यता के संबंध में विशेषाधिकार

6. विशेषाधिकार या अवमानना के उल्लंघन के लिए प्रतिबद्धता की शक्ति।

36. हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड इन फिफ्थ एडिशन वॉल्यूम। *78*, जबकि दोनों सदनों द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकारों आदि के साथ

इजस *':*

1. कार्यवाहियों का विशेष संज्ञान

3. अवमाननाएँ *4.* गिरफ्तारी से मुक्ति

5. संसद के समक्ष गवाहों और अन्य लोगों का संरक्षण

6. जनता को बहिष्कृत करने की शक्ति।

37. हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जिन मुख्य विशेषाधिकारों का दावा किया जाता है, उन्हें इस न्यायालय की संविधान पीठ ने *1964* के विशेष संदर्भ संख्या *1 (*यूपी विधानसभा मामला*)* ए. आई. आर. *1965* एस. सी. *745* में पैरा *73* और *74* में देखा, जो नीचे उद्धृत किए गए हैं:

" 73. अन्य विशेषाधिकारों में शामिल हैं: अजनबियों को बाहर करने का अधिकार, बहस के प्रकाशन को नियंत्रित करने का अधिकार और

कार्यवाही, संसद में कार्यवाही के अनन्य संज्ञान का अधिकार, प्रत्येक सदन का अपनी कार्यवाही की वैधता का एकमात्र न्यायाधीश होने का अधिकार, और संसद में अपने स्वयं के सदस्यों को उनके आचरण के लिए दंडित करने का अधिकार निहित है।

आई. बी. आई. डी. पी. *52-53 .*

74. इन विशेषाधिकारों के अलावा, संसद के दोनों सदन थे -

गिरफ्तारी से स्वतंत्रता का विशेषाधिकार रखने वाला या

छेड़छाड़, और फंसाने से, जिसका दावा कॉमन्स द्वारा पर्चे के आधार पर किया गया था।

38. एम. एन. कौल और एस. एल. शकधर ने लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित 'प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट', सातवें संस्करण में 'संसद के मुख्य विशेषाधिकारों' को निम्नलिखित प्रभाव से सूचीबद्ध किया है:

"संसद के मुख्य विशेषाधिकार

संसद और उसके सदस्यों और समितियों के कुछ विशेषाधिकार संविधान, कुछ कानूनों और सदन की प्रक्रिया के नियमों में निर्दिष्ट हैं, जबकि अन्य ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के उदाहरणों और परंपराओं पर आधारित हैं जो इस देश में बढ़े हैं।

इनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार इस प्रकार हैं:

(i) संविधान में निर्दिष्ट विशेषाधिकार:

संसद में बोलने की स्वतंत्रता कला। *105 (1) .*

किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही से किसी सदस्य को उन्मुक्ति

उसके द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट का सम्मान

संसद या उसकी कोई भी समिति। *105 (2) .*

किसी व्यक्ति को किसी भी सदन द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रकाशन के संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से प्रतिरक्षा

संसद की किसी भी रिपोर्ट, कागज, मतों या कार्यवाही का आदेश।

कार्यवाहियों की जाँच करने के लिए न्यायालयों पर प्रतिबंध

संसद कला। *122 .*

कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

संसद के किसी भी सदन की किसी भी कार्यवाही की पर्याप्त रूप से सही रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही से किसी व्यक्ति को उन्मुक्ति, जब

तक कि प्रकाशन द्वेष के साथ किया गया साबित न हो जाए। यह प्रतिरक्षा वायरलेस टेलीग्राफी आर्ट के माध्यम से प्रसारित रिपोर्ट या मामलों के संबंध में भी उपलब्ध है। *361* ए.

((ii) क़ानूनों में निर्दिष्ट विशेषाधिकारः सदन के सत्र के जारी रहने के दौरान और इसके प्रारंभ से चालीस दिन पहले और इसके समापन के चालीस दिन बाद दीवानी मामलों में सदस्यों की गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। *135* ए-अधिक जानकारी के लिए, उप-शीर्षक सिविल मामलों में गिरफ्तारी से स्वतंत्रता 'इन्फ्रा देखें।

(iii) प्रक्रिया और आचरण के नियमों में निर्दिष्ट विशेषाधिकार सदन का व्यवसायः

सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई की तत्काल जानकारी प्राप्त करने का सदन का अधिकार नियम *229* और *230*।

सदन नियम *232* और *233* के दायरे में किसी सदस्य को कानूनी प्रक्रिया की सेवा और गिरफ्तारी से छूट। सदन नियम *252* की गुप्त बैठक की कार्यवाही या निर्णयों के प्रकटीकरण का निषेध।

((iv) पूर्ववर्तियों पर आधारित विशेषाधिकारः सदन के सदस्यों या अधिकारियों को सदन आई. आर. *(*सी. पी. आर.-आई. एल. एस.*)* की अनुमति के बिना सदन की कार्यवाही से संबंधित साक्ष्य देने या अदालतों में दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

सदन के सदस्यों या अधिकारियों को मजबूर नहीं किया जा सकता है

सदन की अनुमति के बिना और उस सदस्य की सहमति के बिना जिसकी उपस्थिति *6* आर *(*सीपीआर-*2* एलएस*)* आवश्यक है, दूसरे सदन या उसकी समिति या राज्य विधानमंडल के सदन या उसकी समिति के समक्ष गवाह के रूप में उपस्थित हों।

उपर्युक्त विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं के अलावा, प्रत्येक सदन को कुछ परिणामी शक्तियां भी प्राप्त हैं।

अपने विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक।

ये शक्तियाँ हैं:

व्यक्तियों को प्रतिबद्ध करने के लिए, चाहे वे सदस्य हों या नहीं,

विशेषाधिकार का उल्लंघन या सदन की अवमानना पी. डी., *1961*, खंड।

वी-*2*, पं. *III*, पीपी। *51-52 (* राजस्थान विधानसभा मामला, *10*

अप्रैल *1954) 1974*, खंड। *XIX-2*, पीपी। *42-43* और *1975*, वॉल्यूम। *XX-1*,

पीपी। *78 (* आगंतुकों द्वारा नारे लगाना और हथियार ले जाना

लोकसभा में*)*; होमी डी. मिस्त्री बनाम। नफीसुल हसन-द ब्लिट्ज़

मामला, आई. एल. आर. *1957*, बॉम्बे *218;* द सर्चलाइट केस, ए. आई. आर.

1959 एस. सी. *395* सी. सुब्रमण्यम का मामला, ए. आई. आर. *1968*, मद्रास *10 .*

गवाहों को उपस्थित होने के लिए मजबूर करना और बुलाना

व्यक्ति, कागजात और अभिलेख नियम *269* और *270*, हरेंद्र

नाथ बरुआ बनाम। देव कांत बरुआ, ए. आई. आर. *1958*, असम *160*।

इसकी प्रक्रिया और इसके व्यवसाय के संचालन को विनियमित करना।

कला. *118 (1)*

इसकी बहसों और कार्यवाहियों के प्रकाशन को प्रतिबंधित करना,

सर्चलाइट केस और अजनबियों को बाहर करने के लिए नियम *387 "*।

39. भारतीय संसद के विशेषाधिकार, जो

ऊपर सूचीबद्ध, वे विशेषाधिकार हैं जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्राप्त किए गए थे। ऊपर उल्लिखित संसदीय विशेषाधिकारों से यह स्पष्ट है कि संसद की किसी भी समिति में कही गई किसी भी कार्यवाही के लिए संसद सदस्यों को पूरी छूट है। भारत के संविधान के अनुच्छेद *105* के उपखंड *(2)* के तहत किसी विशेषाधिकार के उल्लंघन से जुड़ी समिति की रिपोर्ट में कही गई किसी भी बात के लिए संसद के किसी भी सदस्य के खिलाफ किसी भी कार्यवाही पर विचार नहीं किया जाता है।

40. विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि क्या कोई

इस न्यायालय द्वारा संसदीय समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने, संदर्भित करने और उस पर भरोसा करने में संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन।

ग. संसद की भूमिका

समितियाँ

41. संसद संघ की विधायी शाखा है। परिषद

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की संख्या सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसद की भूमिका केवल विधायी कार्य के लेन-देन तक ही सीमित नहीं है। प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र में संसद की भूमिका काफी बढ़ गई है और यह देश के शासन के लिए महत्वपूर्ण है।

कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

42. 'इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास' में एफ. डब्ल्यू. मैटलैंड

'संसद का कार्य' पर लिखते हुए निम्नलिखित कहा गया है:

"..... लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संसद के सदन कानून या कानून पारित किए बिना बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करते हैं।
सुनने के कारण। सबसे पहले तो वे सभी सरकारी मामलों की निरंतर निगरानी करते हैं। के मंत्री

राजा से संसद में रहने और प्रश्नों का उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है, और सदन को उनके आचरण की निंदा करने के लिए कहा जा सकता है।

43. डॉ. सुभाष सी. कश्यप ने 'संसदीय प्रक्रिया' के दूसरे संस्करण में संसद के कार्यों पर चर्चा करते हुए कहाः

"वर्षों से संसद के कार्य केवल कानून बनाने तक ही सीमित नहीं रहे हैं। संसद वास्तव में एक बहु-कार्यात्मक संस्थान के रूप में उभरी है जो अपने दायरे में विभिन्न भूमिकाओं को शामिल करती है। विकासात्मक, वित्तीय और

नेतृत्व की भर्ती और प्रशिक्षण, शैक्षिक आदि। संसद के विविध कार्य इसे
जिस आधारशिला पर भारतीय राजनीति की इमारत खड़ी है और कई चौथाई लोगों से प्रशंसा प्राप्त करती है।

44. संसद का कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद *118* के तहत बनाए गए प्रक्रिया के नियमों के अनुसार किया जाता है। संसद के दोनों सदनों ने इसकी प्रक्रिया और इसके कामकाज के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाए हैं। राज्य सभा ने 'राज्य परिषद *(*राज्य सभा*)* में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम' नामक नियम बनाए हैं, जिन्हें डब्ल्यू. ई. एफ*. 01.07.1964* से लागू किया गया था। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम बनाए गए थे और *17.05.1952* पर भारत के राजपत्र में असाधारण रूप से प्रकाशित किए गए थे।

संसद के कार्य। ब्रिटिश सदनों की समितियों का उल्लेख करते हुए 'इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास' में मैटलैंड संसद ने समितियों के कार्यों को निम्नलिखित शब्दों में देखाः

फिर समितियों के माध्यम से सदन अब उस शक्ति का प्रयोग करते हैं जिसे हम जांच की शक्ति कह सकते हैं।

सार्वजनिक मामलों में गलत हो रहा है एक समिति नियुक्त की जा सकती है

मामले की जांच करने के लिए; गवाहों को देने के लिए बुलाया जा सकता है
शपथ पर साक्ष्य, और यदि वे गवाही नहीं देंगे तो वे हो सकते हैं

अवमानना के लिए प्रतिबद्ध। संबंधित विषयों के सभी प्रकार

जनता की हाल ही में संसदीय द्वारा जांच की गई है

कमीशन; इस प्रकार जानकारी प्राप्त की जाती है जिसका उपयोग किया जा सकता है

विधान के लिए या सिफारिश के लिए एक आधार के रूप में

प्रशासनिक सुधार।

46. राज्य सभा नियमों का अध्याय *IX*

विधान में विधेयकों पर चयन समितियों, चयन/संयुक्त समिति की रिपोर्ट के बाद प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का प्रावधान है। नियम हैं। अधीनस्थ विधान समिति, सरकारी आश्वासन समिति और अन्य समितियों सहित विभिन्न समितियों के लिए प्रावधान। अध्याय *XXII* 'विभागीय संबंधित संसदीय स्थायी समितियों' से संबंधित है। नियम *268* जो 'विभागीय चयन समितियों' के लिए प्रावधान करता है, निम्नानुसार हैः

"268. विभाग-संबंधी स्थायी समितियाँ

(1) मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सदनों की संसदीय स्थायी समितियाँ *(*जिन्हें स्थायी समितियाँ कहा जाएगा*)* होंगी।

(2) प्रत्येक स्थायी समिति तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट मंत्रालयों/विभागों से संबंधित होगीः

बशर्ते कि अध्यक्ष और अध्यक्ष, लोकसभा *(*जिसे इसके बाद अध्यक्ष के रूप में संदर्भित किया गया है*)*, उक्त में परिवर्तन कर सकते हैं।
समय-समय पर एक-दूसरे के परामर्श से समय निर्धारित करें।

47. नियम *270* स्थायी समितियों के कार्यों से संबंधित है।

जिनका प्रभाव निम्नलिखित हैः

"270. कार्य

प्रत्येक स्थायी समिति में निम्नलिखित होंगेः

कार्य, अर्थात्ः

*(*क*)* संबंधितों की अनुदान मांगों पर विचार करना।

मंत्रालय/विभाग और उस पर रिपोर्ट करें। रिपोर्ट नहीं होगी

कट गति की प्रकृति का कुछ भी सुझाव दें*;*

*(*ख*)* संबंधित मंत्रालयों/कल्पना मेहता से संबंधित विधेयकों की जांच करना।

अध्यक्ष या अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, द्वारा समिति को भेजे गए विभाग और उन पर रिपोर्ट करें*;*

*(*ग*)* मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करना और उन पर रिपोर्ट देना*;* और

उस पर - बशर्ते कि
स्थायी समितियाँ संबंधित मंत्रालयों के दैनिक प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करेंगी।

विभाग "।

48. नियम *277* में प्रावधान है कि स्थायी समिति की रिपोर्ट का प्रेरक मूल्य होगा। नियमों की अनुसूची *III* से संबंधित है - 'संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का आवंटन। मद संख्या *7* में 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति' है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित है।

49. वर्तमान एक ऐसा मामला है जहाँ संसदीय स्थायी समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसद की स्थायी समिति ने यह रिपोर्ट सौंपी है। एम. एन. कौल और एस. एल. शकधर ने 'संसद की प्रथा और प्रक्रिया' पर अपने ग्रंथ में प्रकाशित किया

लोकसभा सचिवालय द्वारा, समितियों के कार्यों से निपटने के लिए निम्नलिखित कहा गया है:

"संसद अपने अधिकांश कार्यों का संचालन इसके माध्यम से करती है।

समितियाँ। इन समितियों की नियुक्ति उनसे निपटने के लिए की जाती है।

व्यवसाय की विशिष्ट वस्तुओं के लिए विशेषज्ञ या विस्तृत आवश्यकता होती है।

विचार करें। संसदीय समितियों की प्रणाली है -

विशेष रूप से उन मामलों से निपटने में उपयोगी है जिनके कारण

उनकी विशेष या तकनीकी प्रकृति के लिए, बेहतर माना जाता है
सदन के बजाय सदस्यों की एक छोटी संख्या द्वारा विवरण

स्वयं। इसके अलावा, यह प्रणाली सदन का समय बचाती है।
महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा और संसद को बाधित करना।

विवरणों में खो जाने से और इस तरह मामलों पर पकड़ खोने से

नीति और व्यापक सिद्धांत।

50. विभागीय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें

संसदीय स्थायी समितियाँ अध्यक्ष द्वारा संसद द्वारा सौंपे गए मामलों की रिपोर्ट होती हैं। संसद किस मंत्रिपरिषद को *[2018] 4* एस. सी. आर.

जिम्मेदार हैं, विभिन्न द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की देखरेख करते हैं

सरकार के विभाग। पर्यवेक्षण के अलावा, समितियाँ सिफारिशें भी करती हैं और निर्देश भी जारी करती हैं। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा निर्देशों और सिफारिशों को लागू किया जाना है और कार्रवाई की गई रिपोर्टों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

संसद पर विभागीय स्थायी समितियों द्वारा विचार किया जाएगा। इस प्रकार समितियों के कार्य, के कार्यकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

संपूर्ण सरकार जो सीधे तौर पर देश के लोगों के कल्याण से संबंधित है।

घ. संसदीय रिपोर्टों का प्रकाशन

51. संसद की स्थायी समितियों की रिपोर्ट और संसद के अन्य निर्णय और प्रस्तावों को निम्नलिखित रूप में प्रकाशित किया जाता है -

सदन का अधिकार। संसद की कार्यवाही का प्रकाशन सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है। पहले के वर्षों में ब्रिटिश संसद के सदस्यों ने इसकी कार्यवाही के प्रकाशन को विशेषाधिकार हनन माना था। हालाँकि, बाद में, ब्रिटिश संसद के सदस्यों ने हंसार्ड में इसकी कार्यवाही के प्रकाशन की अनुमति दी है। *1868* में सी. जे. कॉक बर्न। वैसन वी। वाल्टर, *1869* क्यू. बी. खंड। *4* पी पर। *73* अभिनिर्धारित किया कि यह सर्वोपरि सार्वजनिक और राष्ट्रीय महत्व का है कि संसद के सदन की कार्यवाही लोगों को सूचित की जाए। कॉक बर्न, सी. जे. ने पृष्ठ *89* पर निम्नलिखित टिप्पणी कीः

'..... हमें इस बात पर संदेह करना असंभव लगता है कि यह सर्वोपरि सार्वजनिक और राष्ट्रीय महत्व का है कि

देश की सरकार या उस विधायिका में विश्वास जिसके द्वारा हमारे कानून बनाए जाते हैं, और जिसके प्रभार के लिए देश के महान हित प्रतिबद्ध हैं,-कहाँ होगा
जिस संविधान के तहत हम रहते हैं, उसके प्रति हमारा लगाव हो-अगर राज्य की महान परिषद की कार्यवाही गोपनीयता में डूबी हुई थी और राष्ट्र के ज्ञान से छिपी हुई थी? जन-प्रतिनिधियों और उनके घटकों के बीच संचार, जो प्रतिनिधि प्रणाली के काम करने के लिए बहुत आवश्यक हैं, कैसे उपयोगी हो सकता है, अगर निर्वाचन क्षेत्रों को इस बात की अज्ञानता में रखा गया कि उनके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? सही कल्पना मेहता बनाम का क्या होगा?

भारत संघ *[अशोक भूषण, जे.]*

संसद में लंबित सभी उपायों पर याचिका दायर करने का,

विषय का निस्संदेह अधिकार, यदि लोगों को इस बात की अज्ञानता में रखा जाना है कि किसी भी सदन में क्या हो रहा है? क्या कोई व्यक्ति इस बात पर संदेह कर सकता है कि संसद में पारित होने के लिए आधुनिक समय में दिया गया प्रचार सरकार के बीच संबंधों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है?

विधायिका, और बड़े पैमाने पर देश? ..... "

52. इसके अलावा, इसे संसदीय चर्चा का 'नहीं' विषय माना गया, जिसे इससे संबंधित जांच से अधिक ज्ञात करने की आवश्यकता है।

मुर्गा बर्न सीजे। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि प्रत्येक सदन स्थायी आदेशों द्वारा अपनी बहस के प्रकाशन को प्रतिबंधित करता है, लेकिन प्रत्येक सदन न केवल अनुमति देता है, बल्कि प्रकाशन को मंजूरी और प्रोत्साहित भी करता हैः

"..... तथ्य, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद का प्रत्येक सदन, अपने स्थायी आदेशों द्वारा, अपनी बहसों के प्रकाशन को प्रतिबंधित करता है।

लेकिन, व्यावहारिक रूप से, प्रत्येक घर न केवल अनुमति देता है, बल्कि
इसकी कार्यवाही के प्रकाशन के लिए प्रतिबंध और प्रोत्साहन, और वास्तव में उन लोगों को हर सुविधा प्रदान करता है जो उन्हें रिपोर्ट करते हैं। व्यक्तिगत सदस्य हंसार्ड या सार्वजनिक पत्रिकाओं में और प्रत्येक बहस रिपोर्ट में प्रकाशन के लिए अपने भाषणों को सही करते हैं।

उसमें निहित पूर्व भाषणों का लगातार उल्लेख किया जाता है। सामूहिक रूप से और साथ ही व्यक्तिगत रूप से, दोनों के सदस्य
सदन बड़े पैमाने पर देश से अपनी बहसों को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय दुर्भाग्य के रूप में खेद व्यक्त करेंगे। व्यावहारिक रूप से,

इसलिए यह कहना बेकार है कि संसद का प्रकाशन

संसद द्वारा कार्यवाही प्रतिबंधित है।

53. लोकसभा के नियम *379* के तहत, महासचिव को अध्यक्ष के निर्देश पर सदन की कार्यवाही की पूरी रिपोर्ट तैयार करने और प्रकाशित करने का अधिकार है। संसद ने एक कानून भी पारित किया है, जिसका नाम है 'संसदीय कार्यवाही *(*प्रकाशन संरक्षण*)* अधिनियम, *1977'* जो प्रदान करता है कि संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टों का प्रकाशन विशेषाधिकार प्राप्त है।

अधिनियम की धारा *3* इस प्रकार हैः - " खंड *3.* संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टों का प्रकाशन

विशेषाधिकार प्राप्तः

(1) उप-धारा *(2)* में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति किसी भी *[2018] 4* एस. सी. आर. में किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक समाचार पत्र में प्रकाशन के संबंध में अदालत

संसद के किसी भी सदन की किसी भी कार्यवाही की पर्याप्त रूप से सही रिपोर्ट जब तक कि प्रकाशन साबित नहीं होता है

दुर्भावना से बनाया गया। *(2)* उप-धारा *(1)* की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे विषय के प्रकाशन का संरक्षण करती है जिसका प्रकाशन नहीं किया गया है।

जनता की भलाई के लिए।

54. संविधान *(*चालीसवां संशोधन*)* अधिनियम, *1978* द्वारा संविधान में अनुच्छेद जोड़ा गया था जिसमें 'संविधान के संरक्षण' का प्रावधान किया गया था।

संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा कार्यवाहियों का गठन। लेख

यह इस प्रकार हैः

"कला. *361* ए. कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण

संसद और राज्य विधानमंडल।

(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, दीवानी या

एक में प्रकाशन के संबंध में किसी भी अदालत में आपराधिक संसद के किसी भी सदन या विधान सभा की किसी भी कार्यवाही की पर्याप्त रूप से सही रिपोर्ट का समाचार पत्र, या,

यथास्थिति, किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदन,

जब तक कि प्रकाशन के साथ किया गया साबित नहीं होता है दुर्भावनाः

बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी लागू नहीं होगा

संसद के किसी भी सदन या विधान सभा या, यथास्थिति, किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन की गुप्त बैठक की कार्यवाही की किसी भी रिपोर्ट का प्रकाशन।

(2) खंड *(1)* किसी भी धारा के भाग के रूप में वायरलेस टेलीग्राफी के माध्यम से प्रसारित रिपोर्ट या मामलों के संबंध में लागू होगा।

मेरे द्वारा प्रदान किया गया कार्यक्रम या सेवा और प्रसारण केंद्र जैसा कि यह प्रकाशित रिपोर्ट या मामलों के संबंध में लागू होता है।

एक अखबार में।

स्पष्टीकरण। इस लेख में "समाचार पत्र" में एक समाचार शामिल है।

एक में प्रकाशन के लिए सामग्री युक्त एजेंसी रिपोर्ट

अखबार "।

55. भारत के संविधान के अनुच्छेद *118* के तहत बनाए गए नियम स्पष्ट रूप से संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन की अनुमति देते हैं। इसके अलावाकल्पना मेहता बनाम रिपोर्ट सहित संसद की कार्यवाही का प्रकाशन।

भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

समितियों में से, अब, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित करने की भी अनुमति है। रिपोर्टों के प्रकाशन की न केवल अनुमति दी जा रही है,

लेकिन संसद द्वारा भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आम जनता संसदीय कार्यवाही के बारे में जानने के लिए उत्सुक है।

जिसमें संसदीय प्रतिवेदन शामिल हैं जो देश के शासन की दिशा में उठाए गए कदम हैं।

56. इस समय यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद *118* के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, लोकसभा और लोकसभा दोनों के लिए। राज्यसभा, संसदीय स्थायी समितियों को समिति के गठन के बाद और अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक प्रक्रिया का पालन करना होता है। बीच की अवधि के दौरान, जब रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है और इसे अभी तक अध्यक्ष को प्रस्तुत और प्रकाशित नहीं किया गया है, तो रिपोर्ट के परिणाम को जानने का कोई अधिकार नहीं है। दोनों याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि रिपोर्टों के बारे में जानने का अधिकार केवल तभी उत्पन्न होता है जब उन्हें आम जनता के उपयोग के लिए प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा संसदीय स्थायी समिति की *72* वीं और *81* वीं रिपोर्ट प्राप्त करने में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

ई. नियम और प्रक्रियाएँ

अदालतों में सबूत देने के लिए अनुमति-संसद में संबंधित प्रक्रियाएं *57.* संसद द्वारा संसद के कागजात और कार्यवाही को न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में देने की अनुमति दी गई है। इस संदर्भ में एम. एन. द्वारा संसद की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

कौल और एस. एल. शकधर, लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित सातवां संस्करण, जिसमें इस विषय पर निम्नलिखित कहा गया हैः

"संसद में कार्यवाही के संबंध में न्यायालयों में साक्ष्य

उस सदन की कार्यवाही के संबंध में न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए सदन की अनुमति आवश्यक है या

उसकी समितियाँ या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए

उसकी समितियों के उस सदन की कार्यवाही से संबंधित, या उस सदन के अधिकारियों की अभिरक्षा में। दूसरी लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की पहली रिपोर्ट के अनुसार, "सदन के किसी भी सदस्य या अधिकारी को किसी भी मामले में न्यायालय में साक्ष्य नहीं देना चाहिए।

सदन या सदन की किसी समिति की कार्यवाही या *[2018] 4* एस. सी. आर. की कार्यवाही से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिना सदन के या महासचिव की अभिरक्षा में

सदन की अनुमति पहले प्राप्त की जा रही है।
जब सदन सत्र में नहीं होता है, तो अध्यक्ष, आकस्मिक मामलों में, न्याय के प्रशासन में देरी को रोकने के लिए अदालतों में प्रासंगिक दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति दे सकता है और सदन को इस तथ्य के बारे में

सूचित कर सकता है कि जब वह फिर से इकट्ठा होता है या बुलेटिन के माध्यम से। तथापि, यदि मामले में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न शामिल है, विशेष रूप से

किसी गवाह का विशेषाधिकार, या यदि दस्तावेज़ पेश करना उसे स्वयं सदन के विवेक के लिए एक विषय प्रतीत होता है, तो अध्यक्ष आवश्यक अनुमति देने से इनकार कर सकता है।

सदन की अनुमति के बिना।

जब भी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही से संबंधित किसी दस्तावेज को न्यायालय में पेश करने की आवश्यकता होती है, तो न्यायालय या कानूनी कार्यवाही के पक्षों को सदन से दस्तावेजों को सटीक रूप से बताने का अनुरोध करना होता है।
जिस उद्देश्य के लिए उनकी आवश्यकता है और

जिस तारीख तक उनकी आवश्यकता होती है। प्रत्येक मामले में यह भी विशेष रूप से कहा जाना चाहिए कि क्या केवल एक प्रमाणित प्रति

दस्तावेज़ भेजा जाना चाहिए या सदन का कोई अधिकारी भेजा जाना चाहिए।

इसे अदालत के समक्ष पेश करें।

सदन की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। कौल और शकधर ने शक्तियों, विशेषाधिकारों से संबंधित अध्याय *11* में उपरोक्त विवरण पर ध्यान दिया था।
और सदनों, उनकी समितियों और सदस्यों की निम्नलिखित प्रभाव से उन्मुक्तिः

"विशेषाधिकार समिति, चौदहवीं लोकसभा ने महसूस किया कि यह समय आ गया है कि सदन, इसकी समितियों आदि की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों के लिए अनुरोधों से निपटने की प्रक्रिया, न्यायालयों से प्राप्त हो और

विशेष रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम, *2005* के प्रावधानों के आलोक में जांच एजेंसियों को एक नया रूप दिया गया। समिति ने अध्यक्ष की अनुमति से मामले की जांच शुरू की। इस मामले में बारहवीं रिपोर्ट *28* कल्पना मेहता बनाम पर लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत की गई थी।

भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

अप्रैल *2008* और *30* अप्रैल को सदन के पटल पर रखा गया

2008. इस रिपोर्ट को सदन ने *23* अक्टूबर को स्वीकार किया था

2008 .

समिति ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित की सिफारिश कीः

प्रक्रियाः

ओ सदन या सदन की किसी समिति की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों के लिए अनुरोध करने की प्रक्रियाः

क. यदि सदन या सदन की किसी समिति की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों के लिए अनुरोध किसी न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय के समक्ष कानूनी कार्यवाही के पक्षकारों द्वारा किया जाता है, तो न्यायालय या कार्यवाही के पक्षकार, जैसा भी मामला हो, आवश्यक दस्तावेजों, जिस उद्देश्य के लिए उनकी आवश्यकता है और उस तारीख को निर्दिष्ट करेंगे।

जिनकी उन्हें आवश्यकता है। प्रत्येक मामले में यह भी विशेष रूप से कहा जाना चाहिए कि क्या केवल प्रमाणित प्रतियां या

दस्तावेजों की फोटोकॉपी भेजी जानी चाहिए या सदन के किसी अधिकारी को इसे अदालत के समक्ष पेश करना चाहिए।

*****

1) सदन या सदन की किसी समिति की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों के अनुरोधों से निपटने की प्रक्रिया।

* ***

I. न्यायालयों के अनुरोधों से निपटने की प्रक्रिया या

इनके अलावा अन्य दस्तावेजों के लिए जांच एजेंसियां

सदन या सदन की किसी समिति की कार्यवाहियों से संबंधित, जो महासचिव की अभिरक्षा में हैं।

*****

I यह प्रश्न कि क्या कोई दस्तावेज सदन की कार्यवाही या सदन की किसी समिति से संबंधित है, तय किया जाएगा।

अध्यक्ष द्वारा और उनका निर्णय अंतिम होगा।

सदन या किसी अन्य सदन की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज।

सदन की समिति जो सार्वजनिक दस्तावेज हैं

न्यायिक नोटिस लिया जाए और प्रमाणित प्रतियों के लिए अनुरोध किया जाए इसे सामान्य रूप से तब तक नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि पर्याप्त न हो।

इस तरह के अनुरोध करने के कारण।

[2018] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

VI. विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट के बाद की प्रक्रिया को सदन के पटल पर प्रस्तुत या रखा गया है।

59. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने अपने संकलन में राज सभा एट वर्क का तीसरा संस्करण *(2017)* दिया है, जिसमें पृष्ठ *257* पर "अदालत के समक्ष दस्तावेजों का उत्पादन" विषय का उल्लेख किया गया है। पृष्ठ *257*

से पृष्ठ *259* तक विभिन्न उदाहरणों का भी उल्लेख किया गया है। जबकि दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय से प्राप्त अनुरोध पर, उचित अनुमति दी गई और न्यायालयों को दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। पृष्ठ *259* पर राज्य सभा के उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति के लिए सत्र न्यायाधीश, कुड्डालोर से प्राप्त अनुरोध का संदर्भ दिया गया था। प्रासंगिक फाइल से उद्धरण उद्धृत किए गए हैं जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैं:

"*1* से उपस्थिति रजिस्टर से प्रमाणित उद्धरण के लिए सत्र न्यायाधीश, कुड्डालोर से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

मार्च *1963* से *15* मार्च *1963* तक, राज्यसभा में, राज्य सभा के सदस्य श्री आर. गोपालकृष्णन की उपस्थिति और उपस्थिति को दर्शाते हुए। चूंकि उक्त अनुरोध प्राप्त होने पर सदन सत्र में नहीं था, इसलिए सभापति ने उपस्थिति रजिस्टर से संबंधित उद्धरणों को विधिवत प्रमाणित करके सत्र न्यायाधीश को भेजने की अनुमति दी। उद्धरण *30* जनवरी *1964* को भेजे गए थे, और उपसभापति

तदनुसार सदन को सूचित किया।

सदन की मुद्रित/प्रकाशित बहसों को पेश करने या अदालत में उनके संदर्भ के संबंध में, एक विचार रखा गया था कि इस उद्देश्य के लिए सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। साक्ष्य अधिनियम, *1872* की धारा *78* के तहत, कार्यवाही
विधानमंडलों की प्रतियों को सरकार के आदेश से मुद्रित करके साबित किया जा सकता है। सदन की अनुमति प्राप्त करने का प्रश्न केवल तभी उत्पन्न होगा जब किसी न्यायालय को इस संबंध में किसी सदस्य या अधिकारी की सहायता की आवश्यकता हो।

सदन की कार्यवाही या सदन में दस्तावेजों का उत्पादन

सदन के महासचिव की अभिरक्षा "।

60. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि वास्तव में रिपोर्टों और अन्य दस्तावेजों सहित संसदीय सामग्री में

समय-समय पर स्वयं संसद की अनुमति से न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में भेजा जाता है।

कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[अशोक भूषण, जे.]*

एफ. भारतीय प्रमाण की प्रयोज्यता

अधिनियम, *1872*, संसदीय प्रक्रियाओं के संदर्भ में। *61.* याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने साक्ष्य अधिनियम की धारा *57* पर भरोसा किया है। धारा *57* "उन तथ्यों के लिए प्रावधान करती है जिनका न्यायालय को न्यायिक नोटिस लेना चाहिए"। धारा *57* उप-धारा *(4)* प्रासंगिक है जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

"धारा *57.* किन तथ्यों पर न्यायालय को न्यायिक नोटिस लेना चाहिए। न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों का न्यायिक संज्ञान लेगा।

(1) भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून;

XXX

XXX

XXX

XXX

(4) संयुक्त राज्य की संसद की कार्यवाही का क्रम

भारत की संविधान सभा का राज्य, संसद का

और किसी भी कानून के तहत स्थापित विधानमंडलों के लिए

किसी प्रांत या राज्यों में लागू होने का समय;

XXX

XXX

XXX

XXX

(13)

XXX

XXX

XXX

XXX

इन सभी मामलों में, और सार्वजनिक इतिहास के सभी मामलों में भी,

साहित्य, विज्ञान या कला, न्यायालय अपनी सहायता के लिए सहारा ले सकता है
उपयुक्त पुस्तकें या संदर्भ दस्तावेज।

यदि न्यायालय को किसी व्यक्ति द्वारा न्यायिक कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है

किसी भी तथ्य की सूचना, यह तब तक ऐसा करने से इनकार कर सकता है जब तक कि ऐसा न हो

व्यक्ति ऐसी कोई पुस्तक या दस्तावेज प्रस्तुत करता है जो वह प्रस्तुत कर सके।

इसे ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक समझते हैं।

62. धारा *57* की उप-धारा *(4)* का एक सादा पाठ इसे स्पष्ट करता है।

कि किसी भी कानून के तहत स्थापित संसद और विधानमंडल की कार्यवाही की प्रक्रिया ऐसे तथ्य हैं जिनकी न्यायिक सूचना न्यायालय द्वारा ली जाएगी।

63. श्री श्याम दीवान धारा *57* के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं कि

संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट "संसद की कार्यवाही की प्रक्रिया" अभिव्यक्ति द्वारा कवर नहीं की जाती है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा इस प्रावधान का कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है। "संसद की कार्यवाही की प्रक्रिया" अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। संसदीय *[2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लोकसभा के नियमों के नियम *2* में समिति को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है:

"संसदीय समिति का अर्थ है एक समिति जो

सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या द्वारा मनोनीत

अध्यक्ष और जो अध्यक्ष के निर्देश के तहत काम करता है और सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और
सचिवालय जिसके लिए लोकसभा द्वारा प्रदान किया जाता है

सचिवालय "।

64. लोकसभा और राज्यसभा में कार्य संचालन के लिए बनाए गए नियमों के साथ पठित अनुच्छेद *118* उपखंड *(1)* यह स्पष्ट करता है कि -

अपनी रिपोर्ट सहित संसदीय स्थायी समिति की कार्यवाहियाँ ऐसी कार्यवाहियाँ हैं जो "संसद की कार्यवाहियों की प्रक्रिया" अभिव्यक्ति द्वारा कवर की जाती हैं। इस प्रकार, हम श्री श्याम दीवान के उपरोक्त समर्पण में कोई सार नहीं पाते हैं।

65. अब धारा *57 (4)* के संदर्भ में विद्वान महान्यायवादी की प्रस्तुति पर विचार करने की आवश्यकता है।

66. राष्ट्रपति अनुच्छेद *372* उपखंड *(2)* के तहत भारत के क्षेत्र में लागू किसी भी कानून को निरस्त या संशोधित करने की शक्ति का प्रयोग करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा जारी अनुकूलन आदेश का संवैधानिक रूप से वही प्रभाव होता है जो संविधान में लागू किसी भी कानून के निरसन या संशोधन का होता है।
भारत का क्षेत्र। अनुच्छेद *372* के उपखंड *(3) (*बी*)* के तहत सक्षम

विधायिका के पास अनुच्छेद *372* के उपखंड *(2)* के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुकूलित या संशोधित किसी भी कानून को निरस्त या संशोधित करने की शक्ति भी है।

67. अनुच्छेद *372* के उपखंड *(2)* के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी अनुकूलन आदेश में इस प्रकार कानून की शक्ति और सक्षम विधानमंडल है -

1950 के अनुकूलन आदेश में कोई संशोधन नहीं किया गया, संविधान के प्रवर्तन के *77* वर्षों के बाद भी यह इंगित करता है कि

राष्ट्रपति के आदेश, *1950* द्वारा अनुकूलित, पूर्ण बल में जारी है। धारा *57 (4)* का प्रभाव किसी भी तरह से इस तथ्य से कम नहीं होता है कि राष्ट्रपति के अनुकूलन आदेश द्वारा धारा *57 (4)* में संशोधन किए गए थे।

68. साक्ष्य अधिनियम का एक और प्रावधान जो ध्यान देने योग्य है वह धारा *74* है जो सार्वजनिक दस्तावेजों से संबंधित है। की धारा *74*

साक्ष्य अधिनियम इस प्रकार हैः

" 74. सार्वजनिक दस्तावेज। निम्नलिखित दस्तावेज सार्वजनिक हैं।

दस्तावेज़ः

(1) अधिनियमों को बनाने वाले दस्तावेज, या अधिनियमों के अभिलेख कल्पना मेहता बनाम।

भारत संघ *[अशोक भूषण, जे.]*

((i) संप्रभु प्राधिकारी का,

((ख) सरकारी निकायों और न्यायाधिकरणों का, और

((ग) भारत के किसी भाग या राष्ट्रमंडल के, या किसी विदेशी देश के, भारत के किसी भाग या राष्ट्रमंडल के, लोक अधिकारियों, विधायी, न्यायिक और कार्यपालिका के, या

किसी विदेशी देश से*;*

(2) निजी दस्तावेजों के किसी भी राज्य में रखे गए सार्वजनिक रिकॉर्ड।

69. धारा *74* के अनुसार भारत के किसी भी हिस्से के विधानमंडल के अधिनियमों या अभिलेखों को बनाने वाले दस्तावेज एक सार्वजनिक दस्तावेज हैं। हम.

ऊपर ध्यान दिया है कि संसद पहले ही विशेषाधिकार की रिपोर्ट को अपना चुकी है

समिति ने कहा कि उन दस्तावेजों के लिए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अर्थ के भीतर सार्वजनिक दस्तावेज हैं, कोई लोकसभा अध्यक्ष की किसी भी अनुमति की आवश्यकता

न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करना। हालाँकि, हम इस तथ्य को जोड़ने के लिए जल्दबाजी कर सकते हैं कि एक दस्तावेज़ सबूत में स्वीकार्य है चाहे कोई सार्वजनिक या निजी दस्तावेज़ किसी भी तथ्य को आकर्षित नहीं करता है। यह धारणा कि दस्तावेजों की सामग्री भी सही और सही है।

70. इस संदर्भ में, राइट ऑनरेबल गेराल्ड लॉर्ड स्ट्रिकलैंड बनाम लॉर्ड स्ट्रिकलैंड में रिपोर्ट किए गए प्रिवी काउंसिल के फैसले का संदर्भ दिया गया है।

कार्मेलो मिफसुद बोनीसी, ए. आई. आर. *1935* पी. सी. *34.* उपरोक्त मामले में विधान सभा में बहस की रिपोर्ट जिसमें उनके भाषण शामिल हैं

अपीलार्थी और प्रकाशन प्रस्तुत किए गए। उपरोक्त संदर्भ में प्रिवी काउंसिल ने राय व्यक्त की है कि बहस केवल विधान सभा में वक्ताओं द्वारा कही गई बातों का प्रमाण हो सकती है, और "भाषणों में निहित किसी भी तथ्य" का प्रमाण नहीं हैं।

71. भारत के संविधान के अनुच्छेद *105* के संदर्भ में साक्ष्य अधिनियम की धारा *74* से संबंधित बॉम्बे उच्च न्यायालय का एक निर्णय

और लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का उल्लेख किया गया है, अर्थात्, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम *A.B.F.S.L* और ओआरएस। , *2001 (4) BOM.LR 520*। उपरोक्त मामले में, संयुक्त की एक रिपोर्ट संसदीय समिति पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के विद्वान वकील ने आपत्ति जताई थी। निर्णय के पैराग्राफ *1* में, मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे को निम्नलिखित प्रभाव से देखा गयाः

" *1.*निर्धारण के लिए दो बिंदु उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले, क्या संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम, *1872* की धारा *74* के तहत परिभाषित एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

दूसरा, भले ही यह एक सार्वजनिक दस्तावेज हो, क्या संयुक्त संसदीय समिति के निष्कर्ष सबूत का गठन करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा *3* के तहत परिभाषित।

72. बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट एक सार्वजनिक दस्तावेज है जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा *74 (1)* में परिभाषित किया गया है। निर्णय के पैराग्राफ *2* में तर्कों पर ध्यान दिया गया है। इस तर्क का दूसरे पक्ष ने विरोध किया। बंबई उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जे. पी. सी. की रिपोर्ट साक्ष्य अधिनियम की धारा *74* के तहत सार्वजनिक दस्तावेज और रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य थी। न्यायमूर्ति एस. एच. कपाडिया *(*जैसा कि वे उस समय थे*)* ने कहा कि जे. पी. सी. में निष्कर्षों की शुद्धता अंततः मामले के पूरे दृष्टिकोण पर निर्भर करेगी। फैसले के पैराग्राफ *5* में निम्नलिखित देखा गया थाः

" *5 .....* जे. पी. सी. की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि

दलालों और बैंकों के बीच व्यवस्था,

मानक चार्टर्ड बैंक सहित, जिसके अंतर्गत
बैंकों को *15* प्रतिशत की वापसी का आश्वासन दिया गया था। यह कुछ था

दलालों द्वारा बैंकों को दी जाने वाली न्यूनतम गारंटीकृत वापसी की तरह। जैसा कि ऊपर बताया गया है, रिपोर्ट में निष्कर्ष दिए गए हैं

कुछ बैंकिंग और बाजार प्रथाओं के कारण

सुरक्षा लेन-देन में वित्तीय अनियमितताएँ। उस संदर्भ में, जे. पी. सी. ने बैंकों के विभिन्न अधिकारियों की जांच की और

दलाल। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपने साक्ष्य दर्ज करने के बाद जे. पी. सी. इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कुछ प्रथाएं थीं।

इसके बाद बैंकों और दलालों जैसे रूटिंग सुविधाएं, मार्जिन ट्रेडिंग और *15* प्रतिशत व्यवस्था शामिल हैं। इस हद तक जे. पी. सी. के निष्कर्षों को वर्तमान मामले में सबूत के रूप में पढ़ा जा सकता है। हालांकि, यह सवाल कि क्या मुकदमा लेनदेन *15* प्रतिशत व्यवस्था का हिस्सा था, जेपीसी द्वारा नहीं पाया गया है। वहाँ

इस प्रभाव का कोई निष्कर्ष नहीं है कि वाद लेनदेन ऐसी व्यवस्था का हिस्सा था। इसलिए, मेरा विचार है कि कैन बैंक म्यूचुअल फंड केवल यह स्थापित करने के लिए जे. पी. सी. की रिपोर्ट देने का हकदार है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एच. पी. डी. के बीच *15* प्रतिशत की व्यवस्था थी। यह मुद्दा कि क्या मुकदमा लेनदेन इस तरह की प्रथा/व्यवस्था का हिस्सा था, कैन बैंक म्यूचुअल फंड द्वारा स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। हालाँकि, उस मुद्दे को साबित करने के लिए, रिपोर्ट सबूत के महत्वपूर्ण टुकड़ों में से एक होगी।

इस कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

इस स्तर पर, मैं स्वीकार्यता से चिंतित हूं। निष्कर्षों की शुद्धता अंततः मामले के पूरे दृष्टिकोण पर निर्भर करेगी। जे. पी. सी. के निष्कर्षों को न्यायालय को क्या महत्व देना चाहिए, यह सवाल अंततः समग्रता पर निर्भर करेगा - अदालत के समक्ष लाई गई परिस्थितियाँ "।

73. परिच्छेद *6* में अंततः न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" *6.*तदनुसार, मेरा मानना है कि जे. पी. सी. की रिपोर्ट साक्ष्य अधिनियम की धारा *74 (1) (iii)* के तहत एक सार्वजनिक दस्तावेज है। दूसरा, कि उक्त रिपोर्ट सबूत के रूप में स्वीकार्य है

मानक के बीच *15* प्रतिशत व्यवस्था का अस्तित्व

चार्टर्ड बैंक और एच. पी. डी. उपरोक्त के अधीन, कैन बैंक म्यूचुअल फंड को यह साबित करना होगा कि क्या मुकदमा लेनदेन किसी अन्य तथ्य के रूप में ऐसी व्यवस्था के तहत हुआ था। श्री कूपर के अनुरोध पर, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्णय *27* जून, *2001* के मेरे पहले के फैसले के अधीन है।

अस्वीकृति पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का तर्क

साक्ष्य अधिनियम की धारा *91* और *92* के तहत दस्तावेज और

बेनामी लेन-देन के प्रावधानों को भी ध्यान में रखते हुए

उन्मूलन अधिनियम।

जी. संसदन की प्रकृति और विस्तार

ब्रिटिश संसद की समितियों की संबंधित निजी रिपोर्ट

74. संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों ने अनुच्छेद *85 (*अब भारत के संविधान का अनुच्छेद *105)* के मसौदे और अनुच्छेद *169 (*अब भारत के संविधान का अनुच्छेद *194)* के मसौदे पर बहस की है।

संशोधन और प्रार्थना की कि संसद के सदन के विशेषाधिकारों की गणना की जाए और संविधान को अपने विशेषाधिकारों का उल्लेख करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स को संदर्भित नहीं करना चाहिए। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में *03.06.1949* पर बहस में अपने जवाब में कहाः

मे 'ज़ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस जो स्रोत पुस्तक है
[2018] 4 एस. सी. आर. की प्रतिरक्षाओं और विशेषाधिकारों के संबंध में ज्ञान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद। मैं मे के संसदीय अभ्यास के सूचकांक पर गया हूँ और मैंने देखा है कि सूचकांक के व्यावहारिक रूप से *8* या *9* स्तंभ संसद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति के लिए समर्पित हैं। ताकि यदि आप इस पर मई के कहने के आधार पर संसद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति की एक पूरी संहिता लागू करें।

विषय, मुझे अपने मन में कोई संदेह नहीं है कि हमें इससे संबंधित बीस या पच्चीस पृष्ठों को जोड़ना होगा

संसद की उन्मुक्ति और विशेषाधिकार। मुझे नहीं पता कि क्या इस सदन के सदस्य चाहते हैं कि संसद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति का इतना बड़ा स्पष्ट बयान बीस या पच्चीस पृष्ठों से अधिक हो। कि मुझे लगता है कि एक है

यही कारण है कि हमने उस मार्ग को क्यों नहीं अपनाया।

जो विशेषाधिकार हमारी संसद और राज्य विधानमंडलों को प्राप्त हैं संविधान के प्रारंभ के समय यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा।

76. ब्रिटिश संसद के इतिहास के प्रारंभिक काल में,

प्रत्येक संसद की शुरुआत, यह प्रथा रही है, अध्यक्ष ने विनम्र याचिका द्वारा अधिकारों और विशेषाधिकारों की मांग की। याचिकाओं को महामहिम द्वारा मांगी गई शक्ति, विशेषाधिकारों को प्रदान करके प्रदान किया गया था। बाद की अवधि में, आम लोगों ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि विशेषाधिकार सदन में निहित हैं। संसदीय विशेषाधिकारों की पहली बड़ी मान्यता और स्वीकृति विधेयक में परिलक्षित होती है

अधिकार, *1688*। अधिकार विधेयक, *1688* एक अधिनियम था जो विषय के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की घोषणा करता था और क्राउन के उत्तराधिकार का निपटारा करता था। अधिकार विधेयक के अनुच्छेद *IX* में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः

"भाषण की स्वतंत्रता-कि संसद में भाषण और बहस या कार्यवाही की स्वतंत्रता पर संसद के बाहर किसी भी अदालत या स्थान पर महाभियोग या सवाल नहीं उठाया जाना चाहिएः

77. इसके बाद बिल ऑफ राइट्स में की गई उपरोक्त घोषणा को मजबूती से स्थापित किया गया है और आज तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसका आनंद लिया जा रहा है। 'पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, *24* वें संस्करण' में एर्स्किन मे ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विशेषाधिकारों के बारे में बताते हुए अधिकारों के विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कहा हैः

"अधिकार विधेयक *1689* का अनुच्छेद *IX* कल्पना मेहता बनाम में 'संसद की कार्यवाही' को 'महाभियोग या पूछताछ' से संरक्षण प्रदान करता है।

भारत संघ *[अशोक भूषण, जे.]*

कार्यवाहियों के अनन्य संज्ञान के विशेषाधिकार पर आग्रह *(ऊपर देखें)* और चिंता है कि न्यायिक व्याख्या को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण को संकुचित नहीं करना चाहिए जो अनुच्छेद *IX* प्रदान करता है "।

78. इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट भी संसदीय कार्यवाही होती है। की भागीदारी

संसद के सदस्य सामान्य रूप से एक भाषण के माध्यम से होते हैं लेकिन संसदीय कार्यवाही में उनकी भागीदारी केवल बोलने तक सीमित नहीं होती है। संसद के सदस्यों की भागीदारी भी विभिन्न अन्य दलों द्वारा की जाती है। मान्यता प्राप्त प्रपत्र जैसे मतदान, प्रस्ताव की सूचना देना, याचिका प्रस्तुत करना या समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, के आधुनिक रूप

अभिव्यक्ति जिसके द्वारा सांसदों की इच्छा और इच्छा व्यक्त की जाती है। संसद की स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी एक अन्य रिपोर्ट है।

अभिव्यक्ति का रूप। इस प्रकार, अनुच्छेद *105* के उपखंड *(2)* में निहित संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत संसदीय सदस्य को भी अनुच्छेद *105* के उपखंड *(3)* के आधार पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में दिए जाते हैं। संसदीय विशेषाधिकार

इस प्रकार अधिकार विधेयक के अनुच्छेद *IX* में निहित संसद की भी रक्षा करता है। स्थायी समिति की रिपोर्ट। इस संदर्भ में, कुछ अंग्रेजी मामलों के संदर्भ प्रासंगिक हैं। स्टॉकडेल बनाम हंसार्ड, *9* ए. डी. और ई. *2* पेज *1112* का मामला संदर्भित है। यह मामला एक प्रकाशन के लिए एक कार्रवाई थी जिसमें वादी के चरित्र को यह आरोप लगाकर बदनाम किया गया था कि उसने एक अश्लील मानहानि प्रकाशित की थी। निम्नलिखित लॉर्ड डेनमेन, सी. जे. द्वारा कहा गया था।

"इस प्रकार अपनी बहस को निर्विवाद रूप से आयोजित करने का विशेषाधिकार, हालांकि तब अस्वीकार कर दिया गया जब सदस्यों ने महारानी एलिजाबेथ के समय में स्वतंत्र रूप से अपने मन की बात कहना शुरू कर दिया था, और उस राजकुमारी और उनके दो उत्तराधिकारियों दोनों द्वारा इसके अभ्यास में दंडित किया गया था, जल्द ही स्पष्ट रूप से समझा गया था।
अपरिहार्य और सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाना। के द्वारा

परिणामस्वरूप, किसी भी सभा की दीवारों के भीतर जो कुछ भी किया जाता है, उसे किसी अन्य स्थान पर बिना किसी प्रश्न के पारित होना चाहिए। संसद में किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए दिए गए भाषणों के लिए, या सार्वजनिक शांति के लिए खतरनाक, उस सदस्य को पूरी तरह से दंड से मुक्त किया जाता है।

79. एक अन्य निर्णय जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है ब्रैडलॉफ वी. गोसेट *(1884) 12* क्यू. बी. डी. *271*। वादी ब्रैडलॉफ एक विधिवत था

हाउस ऑफ कॉमन्स में सेवा करने के लिए निर्वाचित बर्गेस। सदन ने संकल्प लिया कि सार्जेंट-एट-आर्म्स श्री ब्रैडलॉ को सदन से तब तक बाहर रखेंगे जब तक कि वह सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए आगे नहीं जुड़ते। लॉर्ड कॉलरिज, सी. जे. ने इस प्रकार कहाः

..... संसद की दीवारों के भीतर क्या कहा या किया जाता है, इसकी अदालत में जांच नहीं की जा सकती है। इस बिंदु पर दो महान मामलों में सभी न्यायाधीश जो इस विषय पर सीखने को समाप्त कर देते हैं,

बर्डेट वी। एबॉट *14* ईस्ट, *1,148* और स्टॉकडेल बनाम। हंसार्ड *9* एड एंड ई *1;*-सहमत हैं, और जोरदार हैं। अपने सदस्यों पर सदनों का अधिकार क्षेत्र, अपनी दीवारों के भीतर अनुशासन लागू करने का उनका अधिकार, पूर्ण और अनन्य है। लॉर्ड एलेनबरो के शब्दों का उपयोग करने के लिए, "वे पूरी तरह से अवमानना में डूब जाएंगे और

इसके बिना अक्षमता "।

80. एक और मामला जिसमें संसदीय विशेषाधिकार का सवाल है

सदन की एक चयन समिति की संसदीय रिपोर्ट के संबंध में

कॉमन्स शामिल था जो डिंगल बनाम एसोसिएटेड न्यूजपेपर्स लिमिटेड और ओआरएस का मामला था। *(1960) 2* क्यू. बी. *405*। वादी ने डेली मेल अखबार के मुद्दों में दिखाई देने वाले मानहानि के लिए हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया। वादी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने गलत तरीके से और दुर्भावनापूर्ण तरीके से एक लेख छापा और प्रकाशित किया जिसमें उन परिस्थितियों के बारे में बताया गया जिसमें मैनचेस्टर कॉर्पोरेशन द्वारा आर्डविक कब्रिस्तान लिमिटेड के शेयरों का अधिग्रहण किया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स की एक समिति ने भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि निगम ने एकतरफा दृष्टिकोण प्रस्तुत करके शेयर प्राप्त किए, जो टूटने पर कंपनी की वास्तविक स्थिति का खुलासा करने में विफल रहा।

81. पियर्सन, जे. ने बिल ऑफ राइट्स, *1688* और ब्रैडलॉफ वी. गोसेट के मामले का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित कहाः

"..... अधिकारों के विधेयक, *1688* का संदर्भ दिया गया था। *1* , कला। *9* , बोलने की स्वतंत्रता पर, जो प्रदान करता हैः "कि संसद में बोलने और बहस या कार्यवाही की स्वतंत्रता पर संसद के बाहर किसी भी अदालत या स्थान पर महाभियोग या सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।
बार्डलाफ बनाम का भी संदर्भ दिया गया था। गोसेट, और यह हेडनोट के एक छोटे से हिस्से को पढ़ने के लिए पर्याप्त हैः "हाउस ऑफ कॉमन्स क़ानून के उस हिस्से के प्रशासन में महामहिम के न्यायालयों के नियंत्रण के अधीन नहीं है जिसका संबंध केवल इसकी आंतरिक प्रक्रिया से है। इसकी दीवारों के भीतर क्या कहा या किया जाता है कल्पना मेहता *v.*

अदालत में पूछताछ नहीं की जा सकती है। हाउस ऑफ कॉमन्स का एक प्रस्ताव देश के कानून को नहीं बदल सकता है। लेकिन किसी न्यायालय को किसी सदस्य को सदन की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा करने से रोकने वाले सदन के प्रस्ताव के औचित्य की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है जो देश के सामान्य कानून द्वारा किया गया हो। उसे ऐसा करने का अधिकार था। अपनी आंतरिक कार्यवाही को विनियमित करने के लिए संसद के अनन्य अधिकार की स्पष्ट पुष्टि है।

यह सामने रखे गए बिंदुओं में से एक था और मेरे विचार में, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक चयन समिति की रिपोर्ट की वैधता पर संदेह करना।

हाउस ऑफ कॉमन्स, विशेष रूप से एक जो किया गया है

हाउस ऑफ कॉमन्स जर्नल में मुद्रित करके हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इस रूप में स्वीकार किया जाना, बिल ऑफ राइट्स की धारा *1* के विपरीत होगा। बाहर इस तरह के प्रयास ठीक से नहीं किए जा सकते हैं।

संसद "।

82. एक अन्य निर्णय जो कार्यवाही से भी संबंधित था

एमेन्ट चर्च ऑफ साइंटोलॉजी ऑफ कैलिफोर्निया बनाम है। जॉनसन-स्मिथ *2) 1* क्यू. बी. *522*। डिंगल बनाम एसोसिएटेड पेपर्स में पहले के फैसले का उल्लेख करते हुए, जे. ब्राउन ने निम्नलिखित कहाः

उस मामले में दावा एक लेख के संबंध में था जो एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था जिसे उन्होंने अपने लिए मानहानिकारक बताया था। यह था। उस मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय हाउस ऑफ कॉमन्स की एक चयन समिति की वैधता की जांच नहीं कर सकता है, जिसके बारे में शिकायत किया गया लेख स्पष्ट रूप से आंशिक रूप से आधारित था। उस मामले में सुझाई गई अयोग्यता एक सुझाव प्रतीत होती है कि कार्यवाही में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक दोष था

समिति, जो निश्चित रूप से वर्तमान मामले से तथ्यों का एक अलग समूह है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वास्तव में वही सिद्धांत शामिल है जो इस मामले में शामिल है। जैसा कि मैं इसे समझता हूं कि वहां का वादी संसद के बाहर मानहानि के आधार पर अपने मामले का कुछ मामलों में समर्थन करने के लिए संसद में कार्यवाही पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा था और उसे ऐसा करने का हकदार नहीं माना गया था। इस मामले के साथ सादृश्य से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के वादी संसद में जो हुआ उसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाहर प्रकाशित इस मानहानि के संबंध में अपने मामले के एक हिस्से का समर्थन किया जा सके।

टेलीविजन प्रसारण में संसद।

मैं काफी संतुष्ट हूं कि इन कार्यवाही में यह खुला नहीं है

प्रतिवादी या श्री होर्डर्न या तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री या किसी अन्य संसद सदस्य के उद्देश्यों या इरादों के किसी भी प्रश्न में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जाने के लिए।

उन्होंने सदन में कहा या किया।

83. उपरोक्त मामलों में जो निर्णय लिया गया था, वह स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि संसद में की गई कार्यवाहियों में शामिल हैं:

स्थायी समिति की रिपोर्ट को किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। 'चुनौती' शब्द में संसदीय समिति की रिपोर्टों पर 'महाभियोग' और 'सवाल' दोनों शामिल हैं।

84. अधिकार विधेयक *(1688)* के अनुच्छेद *9* की प्रकृति और विस्तार को ध्यान में रखने के बाद, अब हम इस सवाल पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या अदालतों में स्थायी समिति की रिपोर्ट सहित संसदीय सामग्री का उपयोग, अधिकार विधेयक *(1688)* के अनुच्छेद *9* में निहित संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है। उपरोक्त संबंध में ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण निर्णय काली मिर्च *(*कर निरीक्षक*) v* में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय है। हार्ट और संबंधित अपील, *1993 (1)* सभी ई. आर. *42*। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सात सदस्यीय समिति ने उठाए गए मुद्दे के महत्व को देखते हुए मामले की सुनवाई की। लॉर्ड ब्राउन-विल्किंसन द्वारा व्यक्त की गई राय से एक को छोड़कर सभी सहमत थे। द.

लॉर्ड ब्राउन विल्किंसन ने इस मामले में दो सवाल उठाए, जिन्हें निम्नलिखित शब्दों में देखा गया:

"..... हालाँकि, जिन परिस्थितियों का मैं उल्लेख करूँगा, उनमें

अपीलों ने भी बहुत व्यापक दो सवाल उठाए हैं

महत्व। पहला यह है कि क्या अस्पष्ट या अस्पष्ट वैधानिक प्रावधानों को समझने में आपके प्रभुओं को इस ऐतिहासिक नियम में ढील देनी चाहिए कि अदालतों को संसद को नहीं देखना चाहिए।
के उद्देश्य के लिए कानून या हंसार्ड का इतिहास

इस तरह के कानून बनाना। दूसरा यह है कि क्या, यदि ऐसी सामग्रियों का संदर्भ अन्यथा उचित होगा, तो यह

उल्लङ्घन एस. आई., अधिकार विधेयक *(1688)* का अनुच्छेद *9* या

संसदीय विशेषाधिकार *795* "।

85. लॉर्ड विल्किंसन ने बिल ऑफ राइट्स *(1688)* के अनुच्छेद *9* पर भी विचार किया,

इस संदर्भ में कि क्या संसदीय सामग्री का ऐसा उपयोग संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन करेगा। विद्वान महान्यायवादी का यह तर्क कि अदालतों द्वारा संसदीय सामग्री का उपयोग बोलने या बहस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने के बराबर होगा, कल्पना मेहता बनाम को अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया गया था।

भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

अदालत वहाँ जो कहा गया और किया गया उसे प्रभावी बनाएगी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा उपरोक्त निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए कहा गया थाः

"अनुच्छेद *9* उच्चतम संवैधानिक प्रावधान है।

इसका महत्व है और इसे संकीर्ण रूप से नहीं समझा जाना चाहिए। यह लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संसद सदस्यों की क्षमता सुनिश्चित करता है।

चर्चा करने के लिए कि वे क्या करेंगे *(*बहस की स्वतंत्रता*)* और कहने के लिए कि वे क्या करेंगे *(*बोलने की स्वतंत्रता*)*। लेकिन, इस निर्माण के लिए एक उदार दृष्टिकोण को देखते हुए भी, मुझे 'प्रश्न' शब्द के साथ अर्थ की चौड़ाई को जोड़ना असंभव लगता है; जिसका अटॉर्नी जनरल आग्रह करते हैं। यह याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद *9* न केवल किसी भी अदालत में बल्कि संसद के बाहर किसी भी स्थान पर पूछताछ को प्रतिबंधित करता है। यदि महान्यायवादी का निवेदन सही है, तो संसद में जो कहा गया है, उस पर मीडिया या कहीं और कोई भी टिप्पणी 'पूछताछ' का गठन करेगी क्योंकि संसद के सभी सदस्यों को बोलना चाहिए और हस्तक्षेप करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

हिसाब लगाएँ कि राजनीतिक टिप्पणीकार और अन्य क्या कहेंगे।

स्पष्ट रूप से अनुच्छेद *9* का प्रभाव इस तरह से नहीं हो सकता है कि संसद में जो कहा जाता है उस पर टिप्पणी करने की सभी की स्वतंत्रता को दबाया जा सके, भले ही ऐसी टिप्पणी सदस्यों की बातों को प्रभावित कर सकती है।

मेरे निर्णय में, जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसे अधिनियमित किया गया था, उसके खिलाफ देखे जाने वाले अनुच्छेद *9* का स्पष्ट अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि संसद के सदस्यों को किसी भी दंड, दीवानी या आपराधिक के अधीन नहीं किया गया था, जो उन्होंने कहा था और स्टुअर्ट राजशाही के पिछले दावों के विपरीत, इस बात पर चर्चा करने में सक्षम थे कि उन्होंने सम्राट के विपरीत क्या चर्चा करने का विकल्प चुना था। नियम में ढील देने से अदालतें संसद में कही गई बातों की आलोचना नहीं करेंगी। इसका उद्देश्य

संसद और उसकी बहस, अदालतें प्रभावी होंगी वहाँ क्या कहा और किया जाता है "।

86. हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह भी देखा कि हंसार्ड ने अक्सर

न्यायिक समीक्षा के मामलों में उपयोग किया गया और निम्नलिखित में कहा गया था

अगलाः

"इसके अलावा, महान्यायवादी की दलीलें उस प्रथा के साथ असंगत हैं जो अब कई *[2018] 4* एस. सी. आर. पर जारी है।

न्यायिक समीक्षा के मामलों में वर्ष। ऐसे मामलों में, हंसार्ड को अक्सर यह पता लगाने के लिए संदर्भित किया गया है कि क्या किसी विदेशी के लिए किसी वैधानिक शक्ति का अनुचित तरीके से प्रयोग किया गया है।

उद्देश्य या पूरी तरह से अनुचित तरीके से। ब्रिंड वी में

गृह विभाग के राज्य सचिव *[1991] 1* सभी ईआर *720, [1991] 1* एसी *696* यह क्राउन था जिसने अदालत को हंसार्ड को यह दिखाने के लिए आमंत्रित किया कि उस मामले में मंत्री ने सही तरीके से काम किया था *(*देखें *[1991] 1* एसी *696 741* पर*)*। इस सदन ने मंत्री द्वारा कही गई बातों को महत्व दिया *(*देखें *[1991] 1* ऑल ई. आर*. 720 724,729-730, [1991] 1* ए. सी*. 696 749,755,756)*। महान्यायवादी ने स्वीकार किया कि न्यायिक समीक्षा मुकदमे के प्रयोजनों के लिए हंसार्ड ने अनुच्छेद *9* का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी न्यायिक समीक्षा के उद्देश्यों और निर्माण के उद्देश्यों के लिए संदर्भ अप्रभेद्य हैं। दोनों प्रकार के मामलों में, मंत्री के शब्दों पर अदालत द्वारा विचार किया जाता है और ध्यान में रखा जाता है; दोनों में, अदालतों द्वारा ऐसे शब्दों का उपयोग संसद में जो कहा जाता है उसे प्रभावित कर सकता है।

87. अंत में लॉर्ड विल्किंसन ने उस संदर्भ को माना

कानून बनाने के उद्देश्य से पूरक सामग्री अधिकार विधेयक *(1688)* के अनुच्छेद *9* में नहीं है। निम्नलिखित आयोजित किया गया थाः

"..... शुद्ध कानून के रूप में मैंने जो कारण दिए हैं, उनके लिए यह

सदन को हंसार्ड को देखना चाहिए और प्रभाव डालना चाहिए

यह अपील पर निर्णय लेने में संसदीय इरादे का खुलासा करता है। समस्या महान्यायवादी द्वारा दिया गया संकेत है कि, यदि यह सदन ऐसा करता है, तो आपके अधिपत्य उल्लंघन कर सकते हैं।

हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार। उन कारणों के लिए जो मैंने अपने निर्णय में दिए हैं

निर्माण के उद्देश्य से संसदीय सामग्री

कानून अधिकार विधेयक की धारा *1*, अनुच्छेद *9* का उल्लंघन नहीं करता है।

88. प्रेबल *v* में फिर से हाउस ऑफ लॉर्ड्स। टेलीविजन न्यू एंड लिमिटेड प्रिवी काउंसिल, *(1994) 3* ऑल ई. आर*. 407* ने पाया कि हंसार्ड के निर्माण पर अब कोई आपत्ति नहीं है। निम्नलिखित लॉर्ड विल्किंसन द्वारा आयोजितः

*"*चूँकि अब हंसार्ड को पेश करने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए अटॉर्नी जनरल ने स्वीकार किया *(*उनके लॉर्डशिप के विचार में सही*)* कि जो किया गया था उसे साबित करने के लिए हंसार्ड के उपयोग पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है और संसद में कल्पना मेहता बनाम के रूप में कहा गया था।

भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

इतिहास की बात। इसी तरह, उन्होंने स्वीकार किया कि यह तथ्य कि एक क़ानून पारित किया गया था, अदालती कार्यवाही में स्वीकार्य है। इस प्रकार, वर्तमान कार्रवाई में, वादी या प्रधानमंत्री ने जो कहा है, उसे साबित करने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है सदन में *(*विवरण *8.2.10* और *8.2.14)* या कि राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम अधिनियम *1986* पारित किया गया था *(*विवरण *8.4.1)*। यह परीक्षण न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन ऐतिहासिक तथ्यों के प्रमाण का उपयोग यह सुझाव देने के लिए नहीं

किया गया है कि शब्द अनुचित रूप से बोले गए थे या कानून पारित किया गया था ताकि एक लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

अनुचित उद्देश्य।

यह स्पष्ट है कि, वर्तमान में अभिवचनों पर,

प्रतिवादी इन मामलों पर भरोसा करने का इरादा रखते हैं न कि विशुद्ध रूप से एक मामले के रूप में

इतिहास का लेकिन कथित साजिश के हिस्से के रूप में या इसके

कार्यान्वयन। इसलिए, उनके लॉर्डशिप्स के विचार में, स्मेली जे ने उन्हें बाहर करना सही था। लेकिन उनके प्रभु यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि प्रतिवादी मुकदमे में घटनाओं की घटना या कुछ शब्दों के कहने का आरोप लगाना चाहते हैं

बिना किसी आरोप के संसद

अनुचितता या किसी अन्य प्रश्न पर कोई आपत्ति नहीं है

उस पाठ्यक्रम में।

89. आर. वी. मर्फी, *(1986) 5* एन. एस. डब्ल्यू. एल. आर. *18* एक अन्य निर्णय है और अधिकारों के विधेयक के अनुच्छेद *9* पर परामर्श कार्यवाही के संदर्भ में विचार किया गया था। क्यूरियल कार्यवाही में हंसार्ड की निविदा संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन है। हंट जे. ने निम्नलिखित बात कहीः

"जिन मामलों का संदर्भ दिया गया है, उनमें से किसी ने भी मुझे अधिकार विधेयक, अनुच्छेद *9* की व्याख्या को बदलने के लिए प्रेरित नहीं किया है, जिसे मैंने प्रस्तावित किया है। मेरा मानना है कि इस घोषणा का क्या अर्थ है कि "बोलने की स्वतंत्रता"।

संसद पर संसद के बाहर किसी भी अदालत या स्थान पर महाभियोग या सवाल नहीं चलाया जाना चाहिए "यह है कि कोई भी अदालती कार्यवाही *(*या समान प्रकृति की कार्यवाही*)* संसद के किसी सदस्य *(*या संसद के समक्ष गवाह*)* के खिलाफ कानूनी परिणाम नहीं देती है।

संसदीय समिति*)* को अनुमति दी जाती है जो उन कानूनी परिणामों से उस सदस्य *(*या

समिति के गवाह*)* में अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए

संसद *(*या किसी समिति के समक्ष*)* या उसे दंडित करने के लिए

ऐसा करके। *'[2018] 4* एस. सी. आर.

90. अगला निर्णय जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह विल्सन बनाम फर्स्ट कंट्री ट्रस्ट लिमिटेड *(2003)* यूकेएचएल में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय है।

40. उपरोक्त मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने काली मिर्च बनाम हार्ट *(ऊपर)* में उस निर्णय को कानून से हटा दिया है जो एक तर्कहीन अपवाद है। काली मिर्च बनाम हार्ट *(ऊपर)* में निर्णय से पहले एक स्व-अधिरोपित न्यायिक नियम में बाहरी सहायता के रूप में संसदीय सामग्री के उपयोग को बाहर रखा गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय संसद में जो कहा गया है उस पर किसी भी तरह से सवाल उठाए बिना संसद में दिए गए मंत्रिस्तरीय और अन्य बयानों का उचित उपयोग कर सकता है। पैरा *60* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

"..... महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे अवसर होते हैं जब अदालतें संसद में कही गई बातों पर किसी भी तरह से 'सवाल' उठाए बिना, ऐसे बयानों को संसद की इच्छा का संकेत मानने में निहित कठिनाइयों को जन्म दिए बिना, और अकेले संसद द्वारा विचार और विनियमन के लिए मामलों में उचित रूप से हस्तक्षेप करके संसदीय विशेषाधिकार का अतिक्रमण किए बिना, मंत्री और संसद में दिए गए अन्य बयानों को उचित रूप से ध्यान में रख सकती हैं। मंत्रिस्तरीय अदालतों द्वारा उपयोग

काली मिर्च बनाम हार्ट मामले के अनुसार, कानून की पृष्ठभूमि के हिस्से के रूप में अन्य प्रवर्तकों के बयान एक उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण स्थापित प्रथा है जिसके द्वारा अदालतें, जब किसी मंत्रिस्तरीय निर्णय की न्यायिक समीक्षा के लिए एक आवेदन पर निर्णय लेती हैं, तो इसमें दिए गए मंत्रिस्तरीय बयान के संबंध में हो सकती हैं। संसद।
ब्रिंड में आपके लॉर्डशिप्स हाउस का निर्णय बनाम गृह विभाग के लिए राज्य सचिव *[1991] 1* सभी ईआर *720, [1991]*

1 एसी *696* इसका एक उदाहरण है।

91. टाउसेंट बनाम सेंट विंसेंट के महान्यायवादी, *(2007)* यूकेपीसी *48* का मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक और फैसला है जहां

संसदीय बहस के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान के न्यायालय में उपयोग के संदर्भ में अधिकार विधेयक और संसदीय विशेषाधिकारों के अनुच्छेद *IX* पर विचार किया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिकार विधेयक का अनुच्छेद *IX* न्यायालय में या संसद के बाहर भाषण और बहस या कार्यवाही की स्वतंत्रता के महाभियोग या पूछताछ को प्रतिबंधित करता है। संसद। यह माना गया था कि शाब्दिक अर्थ देने से बेतुके परिणाम होंगे। पैरा *10* में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा निम्नलिखित कहा गया था:

"इस पृष्ठभूमि में, बोर्ड विधेयक के अनुच्छेद *9* की ओर मुड़ता है।

प्रीबल मामले में पहचाने गए अधिकारों और व्यापक सामान्य कानून सिद्धांत। अनुच्छेद *9* अदालत में या संसद के बाहर भाषण और बहस की स्वतंत्रता या कल्पना मेहता बनाम के महाभियोग या पूछताछ को रोकता है।

भारत संघ *[अशोक भूषण, जे.]*

संसद, जैसा कि संसदीय विशेषाधिकार पर संयुक्त समिति, पैराग्राफ *91 (*यूनाइटेड किंगडम, सत्र *1998-1999, HL* पेपर *43-I, HC 214-I)* द्वारा इंगित किया गया है। दूसरी ओर, अनुच्छेद *9* आवश्यक रूप से सामान्य कानून

में मान्यता प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार की पूरी सीमा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जैसा कि लॉर्ड ब्राउन-विल्किंसन ने कहा पी पर ग्रीबल केस। *332* , इसके अलावा हैः

"प्राधिकार की एक लंबी रेखा जो एक व्यापक सिद्धांत का समर्थन करती है, जिसका अनुच्छेद *9* केवल एक अभिव्यक्ति है। कि अदालतें और संसद दोनों अपने-अपने को मान्यता देने में चतुर हैं संवैधानिक भूमिकाएँ। जहाँ तक अदालतों का संबंध है, वे संसद के विधायी कार्य के निष्पादन में संसद की दीवारों के भीतर जो कहा या किया जाता है, उसे कोई चुनौती नहीं देने देंगे।

इसके कार्य और इसके स्थापित विशेषाधिकारों का संरक्षण।

92. हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने संयुक्त की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया

निट्टी, जो अदालत में मंत्रिस्तरीय बयान के उपयोग का स्वागत करता है। *17* निर्णय का प्रभाव निम्नलिखित हैः

"ऐसे मामलों में, मंत्री के बयान पर स्पष्टीकरण के लिए भरोसा किया जाता है।

संसद के बाहर होने वाला आचरण और उसके लिए नीति और प्रेरणा। यह आपत्तिजनक नहीं है, हालांकि इसका उद्देश्य और प्रभाव यह दिखाना है कि इस तरह के आचरण में "किसी विदेशी उद्देश्य के लिए या पूरी तरह से" किसी शक्ति का अनुचित प्रयोग शामिल है।

अनुचित तरीके से *":* काली मिर्च वी। हार्ट, लॉर्ड ब्राउन के अनुसार

विल्किंसन पी। *639* ए. संयुक्त समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि संसद को इस विकास का स्वागत करना चाहिए, जिसके आधार पर

कि "संसदीय जांच और न्यायिक समीक्षा दोनों की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं, जो एक आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में अलग और विशिष्ट हैं" *(*पैरा *50)* और इस आधार पर कि "विपरीत दृष्टिकोण के विचित्र परिणाम होंगे", "कार्यपालिका की वैधता" के लिए चुनौतियों में बाधा डालते हैं।

निर्णय. संसद में मंत्रियों ने जो कहा, उस पर घेराबंदी करके और संसद में घोषित मंत्री निर्णयों को कम करके। अन्य मंत्रिस्तरीय निर्णयों की तुलना में परीक्षा के लिए आसानी से खुला *"(*पैरा *[2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

51) . संयुक्त समिति ने विशेष रूप से कहा कि

"यह अनुच्छेद *9* का एक विडंबनापूर्ण परिणाम होगा। कार्यपालिका और न्यायालयों से विधायिका की अखंडता की रक्षा करने के उद्देश्य से, अनुच्छेद *9* कार्यपालिका को न्यायालयों से सुरक्षा का स्रोत बन जाएगा।

93. वाणिज्य सरकार का कार्यालय बनाम सूचना

मिशनर, *(2010)* क्यू. बी. *98*, एक ऐसा मामला था जिसमें स्टेनली बर्नटन, जे. हैट को संसद की कार्यवाही का साक्ष्य प्राप्त करना प्रासंगिक ऐतिहासिक तथ्य या घटनाएँ हैं और यह "पूछताछ" के बराबर नहीं है। में।

49 , निम्नलिखित कहा गया थाः

" *49.* हालाँकि, इन सिद्धांतों की सीमाओं को पहचानना भी महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि न्यायालयों को संसद की कार्यवाही के साक्ष्य प्राप्त नहीं होने चाहिए, जबकि वे केवल प्रासंगिक ऐतिहासिक तथ्य या घटनाएँ हैंः ऐसे मामले में कोई "पूछताछ" नहीं होती हैः ऊपर *[35]* देखें। इसी तरह, यह सार है

न्यायिक कार्य कि न्यायालयों को कानून के मुद्दों का निर्धारण करना चाहिए

अदालतें तय करती हैं कि कानून यूरोपीय संघ के साथ असंगत है। मानवाधिकारों पर समझौताः मानवाधिकार अधिनियम *1998* को लागू करके, संसद ने न्यायालय को अनुकूलता के प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत किया है, भले ही किसी मंत्री ने ऐसा किया हो।

उनके दृष्टिकोण की धारा *19* के तहत एक घोषणा कि

प्रश्न संगत है। न्यायालय इस बात पर विचार कर सकते हैं कि प्रत्यायोजित विधान वैधानिक प्राधिकरण के अनुसार है या नहीं।

उस प्रभाव के विचारों की परवाह किए बिना, अन्यथा गैरकानूनी है

संसद में मंत्रियों या अन्य लोगों द्वारा व्यक्त किया गयाः आर *(*जावेद*)* वी

गृह विभाग के लिए राज्य सचिव *[2001] EWCA Civ*

789 , [2002] क्यूबी *129* पर *[33]:*

विधान संसद का कार्य है, और एक अधिनियम

संसद अदालतों द्वारा जांच से मुक्त है, जब तक कि

यूरोपीय कानून के साथ संघर्ष के आधार पर चुनौती दी गई।

अधीनस्थ विधान अपनी वैधता उस प्राथमिक विधान से प्राप्त करता है जिसके तहत इसे बनाया जाता है। प्राथमिक विधान जिसके लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अधीनस्थ विधान को अनुमोदित करने की आवश्यकता होती है, इस प्रकार न्यायालयों से संसद के दोनों सदनों में स्थानांतरित नहीं होता है, जो अधीनस्थ विधान की वैधता निर्धारित करने की भूमिका है।

कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

94. स्टेनली बर्नटन, जे. द्वारा दिया गया एक और निर्णय

फेडरेशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स बनाम एच. एम. ट्रेजरी, *(2007)* ई. डब्ल्यू. एच. सी. *2062 (*प्रशासन*)* एक ऐसा मामला था जिसमें ट्रेजरी चयन समिति की साक्ष्य रिपोर्ट प्राप्त करने पर आपत्ति जताई गई थी। निर्णय के पैरा *5* में, सदन के अध्यक्ष की ओर से उठाई गई आपत्ति पर ध्यान दिया गया। पैरा *5* का निम्नलिखित प्रभाव हैः

"हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष ने सदन की समितियों को दिए गए साक्ष्य और ट्रेजरी सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर इन कार्यवाही में दावेदारों की निर्भरता के कारण हस्तक्षेप किया। उनकी ओर से यह प्रस्तुत

किया गया था कि इन कार्यवाहियों में इन मामलों पर उनकी निर्भरता में अधिकार विधेयक के *Art.9* और संसदीय कानून के व्यापक सिद्धांत का उल्लंघन शामिल है।

विशेषाधिकार "।

95. हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले का उल्लेख करते समय संसदीय सामग्री की स्वीकार्यता के मुद्दे पर विस्तार से विचार किया गया था।

टौसेंट *(ऊपर)* में। यह अभिनिर्धारित किया गया कि सदन में मंत्री के बयान और प्रवर समिति को दिए गए बयान के बीच अंतर करने का कोई आधार नहीं है। निर्णय के पैरा *117,124* और *125* में निम्नलिखित निर्णय लिया गया थाः

" 117. मेरे विचार में, इनमें से पहले दो प्रस्ताव बहुत व्यापक रूप से बताए गए हैं। एक मंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स *(*या हाउस ऑफ लॉर्ड्स*)* में क्या कहता है, जिस पर न्यायालय द्वारा टौसेंट जैसे मामले में विचार किया जा सकता है और वह प्रवर समिति को क्या कहता है, इसके बीच अंतर करने का मुझे कोई आधार नहीं दिखता है। चाहे क्या

"

यह कहा जाता है कि एक अधिकारी द्वारा साक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए जो परिस्थितियों पर निर्भर करता हैः वह क्या कहता है, उसका अधिकार, और जिस कारण से उस पर भरोसा करने की कोशिश की जाती है। सामान्य तौर पर, संसदीय समिति की राय पहले के मुद्दों के लिए अप्रासंगिक होगी।

124. एक पर्यावरणीय उपाय के रूप में ए. पी. डी. की प्रभावकारिता या अन्यथा भी, मेरे विचार में, एक ऐसा प्रश्न है जो, यदि प्रासंगिक है, तो पहले के साक्ष्य और तर्क के आधार पर निर्धारित किया जाना है। न्यायालय, और किसी ऐसे व्यक्ति की राय के आधार पर नहीं जिसका *[2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं है। हालाँकि, ऐसा कोई कारण नहीं है कि दावेदार अदालत के समक्ष रखे जा सकने वाले प्रवर समिति के बिंदुओं से या जो कहा गया है उससे क्यों नहीं ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, पर्यावरण पर प्रवर समिति के कोषागार के वित्तीय सचिव द्वारा जो कहा गया था वह रॉकेट विज्ञान नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो किसी के लिए भी स्पष्ट होगा

कुछ विचार की बात है। उन्होंने जो अंक बनाए हैं, वे बनाए जा सकते हैं
स्वतंत्र रूप से, उनके बयान के संदर्भ के बिना।

125. इस प्रकार, अंत में, मुझे नहीं लगता कि दावेदारों द्वारा संदर्भित संसदीय सामग्री, जिसे मैंने लाभ के लिए देखा है।

अर्थात्, इस तरह उनके मामले को आगे बढ़ाते हैं।

96. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने आर वी के फैसले पर भरोसा करने का अनुरोध किया है। व्यापार राज्य सचिव और अन्य, पूर्व पक्ष एंडरसन स्ट्रैथक्लाइड पीएलसी, *1983 (2)* ऑल ईआर *233*, डन एलजे जबकि

अपनी राय देते हुए उन्होंने कहा है कि हंसार्ड में एक रिपोर्ट का उपयोग करते समय न्यायालय को इस तथ्य पर ध्यान देने के अलावा और भी बहुत कुछ करना होगा कि सदन में एक निश्चित तिथि पर एक निश्चित बयान दिया गया था। न्यायालय को बयान या बयानों पर विचार करना था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनका सही अर्थ क्या था और उनसे क्या उचित निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। डन एलजे के अनुसार, यह इसके विपरीत होगा

अधिकार विधेयक का अनुच्छेद *9*। न्यायालय ने निम्नलिखित कहाः

"मेरे निर्णय में किसी कारण का समर्थन करने के उद्देश्य से हंसार्ड में एक रिपोर्ट का उपयोग करने के बीच कोई अंतर नहीं है

बाहर हुई किसी चीज़ से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई

सदन, और समर्थन के उद्देश्य से एक रिपोर्ट का उपयोग करना

सदन के बाहर हुई किसी बात के संबंध में न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही में राहत के लिए आधार। दोनों ही मामलों में न्यायालय को इस तथ्य पर ध्यान देने से ज्यादा कुछ करना होगा कि सदन में एक निश्चित तिथि पर एक निश्चित बयान दिया गया था। उसे बयान या बयानों पर विचार करना होगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनका सही अर्थ क्या था और उनसे क्या उचित निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। यह, मेरे विचार में, अधिकार विधेयक के अनुच्छेद *9* के विपरीत होगा। यह वही करना होगा जो ब्लैकस्टोन ने कहा था कि नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात् संसद में विचार किए जा रहे मामले की जांच, चर्चा और निर्णय लेना। इसके अलावा, यह कल्पना मेहता बनाम के प्रत्येक सदस्य के अधिकार की अदालत द्वारा एक आक्रमण होगा।

भारत संघ *[अशोक भूषण, जे.]*

संसद संभावित के साथ सदन में भाषण शुल्क लगाएगी

ब्राउन द्वारा संदर्भित प्रतिकूल प्रभाव।

97. यह ध्यान देने योग्य है कि डन एलजे की उपरोक्त राय को विशेष रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन पेपर *(*इंस्पेक्टर ऑफ पेपर*)* द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

कर*)* वी हार्ट *(*ऊपर*)*। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डन एलजे की उपरोक्त राय का उल्लेख करते हुए कहा था कि उक्त मामले का गलत निर्णय लिया गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निम्नलिखित अवलोकन को निकालना उपयोगी हैः

"आर बनाम व्यापार राज्य सचिव में, पूर्व पी एंडरसन

स्ट्रैथक्लाइड पीएलसी *[1982] 2* सभी ईआर *233* न्यायिक समीक्षा के लिए एक आवेदक ने यह साबित करने के लिए संसदीय सामग्री प्रस्तुत करने की मांग की कि

तथ्य। क्राउन ने सामग्री को देखने वाले डिवीजनल कोर्ट पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अदालत ने खुद इस पर ऐसा करने से इनकार कर दिया।

इस आधार पर कि यह अनुच्छेद *9* का उल्लंघन होगा *(237* पर,

239 प्रति डन एलजे*)*। महान्यायवादी की दृष्टि में
ब्रिंड के मामले में इस सदन की रियायत और निर्णय, मेरे फैसले में एक्स पी एंडरसन स्ट्रैथक्लाइड पीएलसी को इस बिंदु पर गलत तरीके से तय किया गया था।

98. उत्तरदाताओं के लिए एक अन्य केस लर्नड काउंसल सरकारी वाणिज्य कार्यालय बनाम है। सूचना आयुक्त *(* ऊपर*)*। हालांकि, यह स्टेनली बर्नटन जे द्वारा माना गया था कि कोई नहीं है

अदालतों को संसद की कार्यवाही के साक्ष्य क्यों नहीं मिलने चाहिए, जबकि वे केवल प्रासंगिक ऐतिहासिक तथ्य या घटनाएँ हैं; ऐसे मामले में कोई 'पूछताछ' नहीं होती है। हालाँकि, निर्णय के पैराग्राफ *58* में निम्नलिखित कहा गया थाः

" 58. इसके अलावा, मेरे निर्णय में, श्री चेम्बरलेन की आगे की प्रस्तुति में सार है, जिसका सारांश पैरा *23 (*बी*) (*आई*)* में दिया गया है।

ऊपर। यदि किसी न्यायालय *(*या सूचना न्यायाधिकरण*)* के समक्ष कार्यवाही करने वाला कोई पक्ष चयन समिति द्वारा व्यक्त की गई राय पर भरोसा करना चाहता है, तो दूसरे पक्ष को, यदि वह एक अलग परिणाम के लिए तर्क देना चाहता है, तो या तो यह तर्क देना चाहिए कि समिति की राय गलत थी *(*और कारण बताना चाहिए*)*, कम से कम संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन का जोखिम उठाते हुए, यदि वास्तविक उल्लंघन नहीं किया गया है, या उस उल्लंघन के जोखिम के कारण, उस राय को स्वीकार करें, इसके बावजूद कि वह अन्यथा ऐसा नहीं करना चाहेगा। यह उस पार्टी के साथ अन्याय होगा। यह इंगित करता है कि मुकदमेबाजी के लिए एक पक्ष को भरोसा नहीं करना चाहिए

एक संसदीय समिति की राय पर, क्योंकि यह *[2018] 4* एस. सी. आर. रखता है।

अन्य पक्ष अनुचित नुकसान में है और यदि दूसरा पक्ष समिति की राय की शुद्धता पर विवाद करता है, तो न्यायाधिकरण को उल्लंघन करने की स्थिति में डाल देगा।
संसदीय विशेषाधिकार का यदि यह स्वीकार करना था कि

संसदीय समिति की राय गलत थी। जैसा कि लॉर्ड वूल्फ एमआर ने हैमिल्टन बनाम अल फ़ायद *[1999]* आई डब्ल्यूएलआर *1569,1586* जी में कहा था,

अदालतें किसी पर भी निर्णय नहीं दे सकती हैं और न ही उन्हें देना चाहिए।

संसदीय कार्यवाही "।

99. उसी निर्णय में बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि क्या इस तरह के संदर्भ में संसदीय विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन होगा यह उस उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसके लिए संदर्भ दिया गया है। निर्णय के पैराग्राफ *62* में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 62. आम तौर पर, हालांकि, मुझे नहीं लगता कि अदालत द्वारा दिए गए संदर्भों से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं

संसदीय चयन समितियाँ उन मामलों में जहां ऐसा करने पर कोई आपत्ति नहीं ली गई थी। इसके अलावा, जैसा कि मैंने आर *(*फेडरेशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स*)* बनाम एच. एम. ट्रेजरी *[2008]* एस. टी. सी. *547* में कहा कि क्या

ऐसे में संसदीय विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन होता है।

संदर्भ उस उद्देश्य पर निर्भर करेगा जिसके लिए संदर्भ दिया गया है। उदाहरण के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक रिपोर्ट के निष्कर्षों के संदर्भ में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है जो कानून की ओर ले जाती है, क्योंकि ऐसे मामले में

संदर्भ या तो ऐतिहासिक है या एक दृष्टिकोण के साथ बनाया गया है

उस शरारत का पता लगाना जिस पर कानून का उद्देश्य था; संदर्भ रिपोर्ट की तारीख में कानून के बारे में व्यक्त किए गए विचारों पर सवाल उठाने की दृष्टि से नहीं किया गया है।

100. हमारा विचार है कि उपरोक्त मामले के पैराग्राफ *58* में व्यापक रूप से व्यक्त कानून को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। संसदीय कार्यवाहियों और सामग्रियों के सभी संदर्भ संसद की अवमानना को आमंत्रित करने के लिए विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हैं। जब कोई पक्ष किसी घटना या इतिहास को ध्यान में रखने के मामले के रूप में रिपोर्ट में बताए गए किसी भी तथ्य पर भरोसा करता है

ऐसी रिपोर्ट पर भरोसा करने पर अपवाद लिया जा सकता है। हालांकि, किसी भी दल को संसदीय समिति की रिपोर्ट पर 'सवाल' करने या 'महाभियोग' चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। संसद का विशेषाधिकार कि उस पर संसद के बाहर महाभियोग नहीं चलाया जाएगा या उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, अदालत में दावा दायर करने वाले पक्ष और उस पर आपत्ति करने वाले अन्य दोनों पर समान रूप से लागू होगा। दोनों पक्ष रिपोर्ट पर महाभियोग नहीं चला सकते या उस पर सवाल नहीं उठा सकते। जहाँ तक अनुचित कल्पना मेहता बनाम का प्रश्न है।

हानि का संबंध है, दोनों पक्ष अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए शुल्क लेते हैं।

अदालत में साक्ष्य का नेतृत्व करके और अपनी बात को साबित करने के लिए सामग्री लाकर दावा या आपत्ति। अदालत को इस पर 'लिस' तय करने का अधिकार है

पक्षों द्वारा लाई गई सामग्री और साक्ष्य का आधार। समिति की रिपोर्ट या निष्कर्ष में किसी भी अवलोकन को पक्षों के बीच बाध्यकारी नहीं माना जा सकता है या किसी भी पक्ष को अदालत में अपनी स्थिति साबित करने के लिए सबूत पेश करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अनुचित नुकसान को उपरोक्त तरीके से दूर किया जाता है।

101. उपरोक्त निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट सहित संसदीय सामग्री को अदालत द्वारा साक्ष्य में बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन इस दृष्टि से कि अधिकार विधेयक के अनुच्छेद *IX* में निहित संसदीय विशेषाधिकारों के अनुसार, संसद की कार्यवाही पर न तो सवाल उठाया जा सकता है और न ही अदालत में महाभियोग चलाया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा के मामलों को एक अन्य श्रेणी के रूप में मान्यता दी गई है जहां न्यायालय सीमित सीमा तक संसदीय कार्यवाही की जांच करते हैं।

102. इस न्यायालय ने कई मामलों में स्थायी समिति की रिपोर्टों सहित संसदीय कार्यवाही का भी उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है

संसद से। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने दिया है

इस संबंध में कई मामलों का संदर्भ, अर्थात् दक्षिण रेलवे के कैटरिंग क्लीनर्स बनाम भारत संघ और अन्र। , *(1987) 1* एस. सी. सी. *700* जहाँ न्यायालय ने याचिकाओं की स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है। एक अन्य मामला गुजरात विद्युत बोर्ड बनाम हिंद मजदूर सभा और अन्य है। , *(1995) 5* एससीसी *27.* महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद और अन्य के मामले में। , *(2001) 1* एस. सी. सी. *4,* न्यायालय ने एक संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को भेजा है और उस पर भरोसा किया है। फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ, *(2003) 4* एस. सी. सी. *289* के मामले में, न्यायालय ने रेलवे पर संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट भेजी है। सुश्री अरुणा रॉय और अन्य के मामले में। बनाम भारत संघ और अन्य। *, (2002) 7* एस. सी. सी. *368,* एस. बी. चव्हाण समिति नामक एक समिति की रिपोर्ट, जिसे संसद द्वारा नियुक्त किया गया था, पर भरोसा किया गया और भेजा गया। एम. सी मेहता

बनाम भारत संघ, *2017* एस. सी. सी. ऑनलाइन *394* फिर से एक ऐसा मामला था जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट को संदर्भित किया गया है और उस पर भरोसा किया गया है। अन्य निर्णय जहाँ संसदीय समिति की रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है किशन लाल गेरा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। , *(2011) 10* एस. सी. सी. *529;* मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।

, [2018] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2016) 7 एस. सी. सी. *353;* और लाल बाबू प्रियदशी बनाम अमृतपाल सिंह, *(2015) 16* एस. सी. सी. *795।*
103. प्रत्यर्थियों के साथ-साथ विद्वान महान्यायवादी की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि यह सच है कि उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय ने संसदीय समिति की रिपोर्टों का उल्लेख किया है और उन पर भरोसा किया है, लेकिन विशेषाधिकार का मुद्दा न तो उठाया गया था और न ही उस पर विचार किया गया था।

104. हम पहले ही देख चुके हैं कि संसद के नियम, प्रक्रिया

न्यायालय में साक्ष्य के रूप में संसदीय सामग्री प्रस्तुत करने की अनुमति देना। संसदीय सामग्री जो सार्वजनिक दस्तावेज हैं, बिना किसी अनुमति के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं। संसद। इस प्रकार, न्यायालय के समक्ष संसद समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, *1874,* जो न्यायालय में साक्ष्य के प्रवेश को विनियमित करता है, संसद में कार्यवाही को एक

सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में भी संदर्भित करता है, जिसका न्यायालय न्यायिक नोटिस लेगा। ये सभी कारक हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाते हैं कि न्यायालय में संसदीय समिति की रिपोर्टों को स्वीकार करने में किसी भी संसदीय विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

105. अब हम सवाल करते हैं कि जब संसदीय रिपोर्टों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है या अदालत में महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है तो उनका क्या उपयोग है। न्यायालय द्वारा देखा जा सकता है। हम पहले ही पर्याप्त प्राधिकरणों पर ध्यान दे चुके हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि संसद में होने वाली घटनाओं के लिए, संसद या समिति के समक्ष बताए गए तथ्य ऐसे तथ्य हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। इसके अलावा कब

संसदीय रिपोर्टों को कुछ उद्देश्यों के लिए देखा जा सकता है जैसा कि विद्वान अटॉर्नी जनरल के साथ-साथ स्वयं उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार किया गया है, हम किसी भी विशेषाधिकार के उल्लंघन के बिना, अन्य उद्देश्यों के लिए रिपोर्टों के उपयोग के लिए किसी भी निषेध को पढ़ने में कोई औचित्य नहीं पाते हैं जो कानूनी और वैध हैं।

एच. विशिष्ट नियम कितने दूर तक लागू होते हैं

भारतीय पाठ में

106. हम पहले से ही अपवर्जन नियमों से निपटने वाले अंग्रेजी मामलों और अपवर्जन नियमों को कम करने वाले बाद के मामलों को देख चुके हैं। हमने ऊपर देखा है कि बड़ी संख्या में मामलों में इस न्यायालय ने संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्टों को संदर्भित किया है और उन पर भरोसा किया है। अधिकांश कथित मामलों में, संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित आपत्ति

न तो उठाया गया था और न ही इसमें शामिल किया गया था, लेकिन इस न्यायालय कल्पना मेहता बनाम के कुछ मामले हैं।

भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

जहाँ अपवर्जन संबंधी नियमों से संबंधित सिद्धांतों और मामलों पर विचार किया गया और न्यायालय ने उसके बाद संसदीय सामग्री पर विचार किया। *107.* मैसूर राज्य बनाम। आर. वी. बिदप, *1974 (3)* एस. सी. सी. *337,* इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कृष्ण अय्यर, जे.

उन्होंने कहा कि 'एंग्लो-अमेरिकन न्यायशास्त्र, अन्य प्रणालियों के विपरीत, आम तौर पर संसदीय बहसों और प्रेस के उपयोग को नापसंद करता है

वैधानिक प्रावधानों के अर्थ पर प्रकाश डालने के रूप में चर्चा। जस्टी कृष्णा अय्यर ने कहा कि व्हिटलिंग का एक मजबूत मामला है

ब्रिटिश अदालतों में अपवर्जन के नियम का पालन किया गया।

निर्णय के पैरा *5* में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया थाः
"बहिष्करण के नियम की न्यायविदों द्वारा आलोचना की गई है

कृत्रिम। अकादमिक राय की प्रवृत्ति और यूरोपीय प्रणाली में अभ्यास से पता चलता है कि एक क़ानून की व्याख्या अर्थ के निर्धारण में एक अभ्यास है, जो कुछ भी तार्किक रूप से प्रासंगिक है वह स्वीकार्य होना चाहिए। हाल ही में, एक प्रख्यात भारतीय न्यायविद ने कानूनी स्थिति की समीक्षा की है और

जूलियस स्टोन और जस्टिस के साथ अपनी सहमति व्यक्त की

फ्रैंकफर्टर। बेशक, कोई भी यह सुझाव नहीं देता है कि ऐसी बाहरी सामग्री निर्णायक होनी चाहिए लेकिन वे स्वीकार्य होनी चाहिए। लेखकत्व और व्याख्या को परस्पर प्रकाश और अंतःक्रिया करनी चाहिए। इस प्रस्ताव के लिए अधिकार है कि रिसॉर्ट हो सकता है

इन स्रोतों को बहुत सावधानी के साथ और केवल तभी देखना चाहिए जब विसंगतियों और अस्पष्टताओं को हल किया जाना हो? ब्रिटिश अदालतों में अपवर्जन के नियम को कम करने और कम क्षमाप्रार्थी संदर्भ के लिए एक मजबूत मामला है
विधायी कार्यवाही और अर्थ को पढ़ने के लिए सामग्री की तरह

एक क़ानून के शब्दों में से।

33

108. आर. एस. नायक बनाम में एक अन्य संविधान पीठ। ए. आर. अंतुले,

1984 (2) एस. सी. सी. *183* ने इस आपत्ति पर विचार किया कि संसद में बहस या समिति की रिपोर्ट पर 'बहिष्करण नियमों' के अनुसार भरोसा नहीं किया जा सकता है। फैसले के पैराग्राफ *32* में, न्यायमूर्ति देसाई ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए विस्तृत आपत्तियों पर ध्यान दिया। पैराग्राफ *33* में इस अदालत ने कहा कि यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से विपरीत दिशा में प्रतीत होती है।

यह निर्माण के लिए बाहरी सहायता के रूप में समिति की रिपोर्ट का उपयोग है। पैराग्राफ *33* में निम्नलिखित कहा गया थाः

" 33. अस्पष्ट शब्दों *[2018] 4* एस. सी. आर. के सही अर्थ का पता लगाने के लिए प्रवृत्ति निश्चित रूप से विपरीत गियर में प्रतीत होती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक कानून में, की रिपोर्ट और सिफारिशों के संदर्भ में

विधान के अधिनियमन से पहले के आयोग या समिति को निर्माण के लिए वैध बाहरी सहायक माना जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण काफी हद तक नष्ट हो गया है। इंग्लैंड में भी बहिष्कृत नियम "।

109. कुछ अन्य मामलों और बिदप मामले पर विचार करने के बाद *(क)* इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि उन बहिष्करण नियमों को इस न्यायालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। निम्नलिखित से निकालना उपयोगी है।

निर्णय का ग्राफ *34:*

" *34* .....इसके अलावा अपने जन्म की भूमि में भी, बहिष्कृत

शासन को काले रंग में एक गंभीर झटका लगा है-क्लॉसन

"कम से कम, वैधानिक उद्देश्य का निर्धारण अधिनियम की भाषा के कई संभावित अर्थों को तुरंत समाप्त कर सकता है और यदि कोई अस्पष्टता अभी भी बनी हुई है, तो वैधानिक उद्देश्य पर विचार करना इनमें से एक है - इसे हल करने का साधन।

वैधानिक उद्देश्य मुख्य रूप से क़ानून के प्रावधानों से ही एकत्र किया जाना है। इन दिनों, जब दोनों सदनों में लंबे शीर्षक में संशोधन किया जा सकता है, तो मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आता।

केवल एक अस्पष्टता के मामले में इसका सहारा लेना-यह एक क़ानून के सामान्य उद्देश्यों के लिए सभी मार्गदर्शकों में से सबसे स्पष्ट है। लेकिन यह हमेशा विशेष प्रावधानों के बारे में मदद नहीं करेगा। इनके वैधानिक उद्देश्य के बारे में एक रिपोर्ट। अधिनियम की ओर ले जाता है

संभवतः यह सबसे शक्तिशाली सहायता होगी और मेरे विचार में, इसका लाभ न उठाना अधिक अस्पष्टता होगी। यहाँ, वास्तव में स्पष्ट और उच्च प्राधिकरण है कि यह इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध है।

..... हैल्सबरी के इंग्लैंड के नियमों का एक संदर्भ, चौथा संस्करण, खंड। *44* पैराग्राफ *901*, किसी को भी संदेह में नहीं छोड़ेगा कि 'किसी क़ानून के अधिनियमन से पहले आयोगों या समितियों की रिपोर्टों को कानून की शरारत और स्थिति को दर्शाने के रूप में माना जा सकता है जैसा कि क़ानून के पारित होने पर विधायिका द्वारा समझा गया था।' कानूनी मामलों के बयान के तहत फुटनोट में अन्य के बीच उद्धृत आर. वी. हैं। ओलुगबोजा, आर. वी. ब्लॉक्सम, जिसमें आपराधिक कल्पना मेहता बनाम की आठवीं रिपोर्ट है।

भारत संघ *[अशोक भूषण, जे.]*

कानून संशोधन समिति को निर्माण के लिए एक बाहरी सहायता के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए, यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि बहिष्करण नियम अपनी जन्म भूमि में अपने मरते हुए अंगारों में चमक रहा है और इसके द्वारा एक सभ्य दफन दिया गया है।

अदालत। इसलिए,
पहले के अंग्रेजी निर्णयों से हटकर हम

यह राय है कि किसी विधान के अधिनियमन से पहले की समिति की रिपोर्ट, संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट, संग्रह के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट। अधिनियमन की ओर ले जाने वाली जानकारी अनुमत बाहरी है। निर्माण में सहायता।

इसलिए श्री सिंघवी ने इस खंड के विकास के इतिहास को इसके सभी खंडों, मुदिमान समिति और के संथानम समिति की रिपोर्टों और निर्माण के लिए ऐसी अन्य बाहरी सहायताओं के साथ देखने पर आपत्ति जताई है।

खारिज कर दिया "।

110. इस प्रकार, उपरोक्त दो मामलों में, इस न्यायालय ने स्वीकार किया है कि संसदीय सामग्री पर विचार किया जा सकता है, वह भी विचार करने के बाद।

बहिष्करण नियम जो न्यायालयों में संसदीय सामग्री के उपयोग को प्रतिबंधित करते थे। जैसा कि ऊपर देखा गया है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री हरीश साल्वे और विद्वान महान्यायवादी, श्री के. के. वेणुगोपाल ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि संसदीय रिपोर्ट और सामग्री का उपयोग क़ानून की व्याख्या के साथ-साथ एक मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर विचार करने के लिए विधायी इतिहास को ध्यान में रखने के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। जब उपरोक्त दो उद्देश्यों के लिए न्यायालय द्वारा समिति की संसदीय सामग्री और रिपोर्टों पर विचार करने में विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता है, तो हम याचिकाकर्ता की इस दलील को स्वीकार नहीं करने का कोई वैध कारण नहीं देखते हैं कि अदालतों को संसदीय सामग्री और रिपोर्टों को अपने समक्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बशर्ते कि अदालत पक्षों को रिपोर्ट पर सवाल उठाने या उन पर महाभियोग चलाने की अनुमति देने के लिए आगे न बढ़े।

111. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने ज्योति हर्षद मेहता *(*श्रीमती*)* और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया है।

संरक्षक और अन्य, *2009 (10)* एस. सी. सी. *564*।

112. उपरोक्त मामले में, अदालत एक पूछताछ पर विचार कर रही थी

समिति की रिपोर्ट, अर्थात् जानकीरमन समिति की रिपोर्ट। उपरोक्त संदर्भ में अनुच्छेद *57* में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं -

फैसलाः

[2018] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"57. यह स्वीकार किया गया तथ्य है कि जानकीरमन समिति, संयुक्त संसदीय समिति और अंतर-अनुशासनात्मक समूह *(*आई. डी. जी.*)* की रिपोर्ट केवल अधिनियम के कानूनी इतिहास का पता लगाने के उद्देश्य से ही स्वीकार्य हैं। रिपोर्ट की सामग्री का उपयोग विशेष न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा साक्ष्य के रूप में नहीं किया जाना चाहिए था।

113. पैराग्राफ *28 (viii)* में, अपीलार्थियों की दलीलों पर इस प्रभाव से ध्यान दिया गया कि विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने एक गंभीर अपराध किया है। अवैधता जहाँ तक कि उन्होंने जानकीरमन समिति की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जो सबूत में पूरी तरह से अस्वीकार्य थी। विद्वान न्यायाधीश, विशेष न्यायालय ने अभिरक्षक के एक आवेदन पर आदेश पारित किया था जिसे इस न्यायालय ने कुछ निर्देशों के साथ मामले को विशेष न्यायालय को वापस भेजकर रद्द कर दिया था। इसके बाद विशेष न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए आदेश पारित किया। इस संदर्भ में, पैराग्राफ *57* में टिप्पणी की गई थी कि रिपोर्ट केवल अधिनियम के कानूनी इतिहास का पता लगाने के उद्देश्य से ही स्वीकार्य हो सकती है और रिपोर्ट की सामग्री का उपयोग विद्वान न्यायाधीश द्वारा साक्ष्य के रूप में नहीं किया जाना चाहिए था। इस न्यायालय ने यह भी माना कि विभिन्न लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भरोसा किया गया था जिन पर विचार नहीं किया गया था। पैराग्राफ *58* में निम्नलिखित कहा गया थाः

"58. ऐसा प्रतीत नहीं होता कि विशेष न्यायाधीश ने मामले के इस पहलू पर बहुत विस्तार से विचार किया था। विद्वत न्यायाधीश, विशेष न्यायालय को उपरोक्त दो लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना चाहिए

ताकि उनके पास मौजूद देनदारियों और परिसंपत्तियों के संबंध में एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके ताकि -

उचित आदेश पारित करें।

114. विशेष अदालत यह तय कर रही थी कि किस पक्ष ने साक्ष्य दायर किया था। उसी निर्भरता को नजरअंदाज करते हुए रिपोर्ट पर रखा गया था

जिसके संबंध में पैराग्राफ *57* में अवलोकन किया गया था। विशेष न्यायाधीश को अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करना चाहिए था और केवल जानकीरमन समिति की रिपोर्ट के साक्ष्य पर भरोसा करना इस न्यायालय द्वारा उचित रूप से अस्वीकृत किया गया था। उपरोक्त एक ऐसा मामला था जिसमें रिपोर्ट पर एकमात्र निर्भरता रखी गई थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी कि रिपोर्ट का उपयोग विद्वान न्यायाधीश द्वारा साक्ष्य के रूप में नहीं किया जाना चाहिए था, उपरोक्त संदर्भ में किया गया था जिसका अर्थ यह नहीं माना जा सकता है कि रिपोर्ट को न्यायालय द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[अशोक भूषण, जे.]*

115. एक अन्य निर्णय जिस पर उत्तरदाताओं ने भरोसा किया है, वह है भारतीय स्टेट बैंक बनाम राष्ट्रीय आवास बैंक और अन्य, *2013*।*(16)* एससीसी *538*। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

निर्णय के पैराग्राफ *50* में, जिस पर भरोसा किया गया हैः

" 50. न्यायिक प्राधिकरण की एक लंबी पंक्ति द्वारा यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जांच आयोग अधिनियम, *1952* के तहत नियुक्त एक वैधानिक आयोग के निष्कर्ष भी लागू करने योग्य नहीं हैं जैसा कि राम कृष्ण डालमिया बनाम में माना गया है। न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर और अन्य। *:* ए. आई. आर. *1958* एस. सी. *538* और ऐसे आयोग के समक्ष दिए गए बयानों को बाद की किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य बनाया गया है। अग्रणी

न्यायिक घोषणाएँ महाराजा माधव सिंह बनाम।

परिषद में भारत के राज्य सचिव *(1903-04) 31* आई. ए. *239 (*पी. सी.*)*, एम. वी. राजवाडे बनाम। डॉ. एस. एम. हसन मनु/एन. ए./*0131/1953* *:* ए. आई. आर. *1954* नाग *71: 55* श्री एल. जे. *366*, राम कृष्ण डालमिया बनाम। न्यायमूर्ति एस. आर., ए. आई. आर. *1958* एस. सी. *538*, कर्नाटक राज्य बनाम। संघ

भारत सरकार, *(1977) 4* एस. सी. सी. *608*, शाम कांत बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्रः *(1992)* सपं. *(2)* उस प्रश्न पर एस. सी. सी. *521* का इस न्यायालय द्वारा संक्षिप्त विश्लेषण किया गया थाः *(2001) 6* एससीसी *181,* पारस *29-34*। निर्णय के पैरा *34* में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया हैः

34 ..... हमारे विचार में, अदालतें, चाहे दीवानी हों या आपराधिक, बाध्य नहीं हैं।

जांच आयोग की रिपोर्ट या निष्कर्षों द्वारा

उन्हें साक्ष्य के आधार पर अपने निर्णय पर पहुंचना होगा

कानून के अनुसार उनके सामने रखा गया।

116. उपरोक्त मामले में, न्यायालय ने जानकीरमन समिति पर भरोसा किया है जो एक वैधानिक निकाय नहीं थी, जो साक्ष्य एकत्र करने के लिए अधिकृत थी

और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा स्थापित एक निकाय था

अपने प्रशासनिक कार्यों का प्रयोग जो इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ *51* में नोट किया गया है। पैराग्राफ *50* में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी को इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

पैरा *51* जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

51. इसलिए, न्यायालय निष्कर्षों से बाध्य नहीं हैं और

ऐसे आयोगों द्वारा दिए गए निष्कर्ष। ऐसे आयोग के समक्ष दिए गए बयानों का उपयोग किसी दीवानी या आपराधिक अदालत के समक्ष साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है। तार्किक रूप से इसका पालन किया जाना चाहिए कि ऐसे बयानों पर आधारित निष्कर्षों का भी किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जानकीरमन समिति *[2018] 4* एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यहाँ तक कि सबूत एकत्र करने के लिए अधिकृत एक वैधानिक निकाय भी नहीं
कानूनी भावना। यह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा स्पष्ट रूप से अपने प्रशासनिक अभ्यास में स्थापित एक निकाय है।

कार्य,

..... गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने *30* अप्रैल, *1992* को एक समिति का गठन किया

निधियों में संभावित अनियमितताओं की जांच करें
वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रबंधन,

और विशेष रूप से, सरकारी प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बांड और इसी तरह के उपकरणों में उनके लेन-देन के संबंध में। समिति को एस. बी. आई. और अन्य वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ लेनदेन के विभिन्न पहलुओं की जांच करने की आवश्यकता थी।

इस संबंध में वित्तीय संस्थान "।

117. उपरोक्त निर्णय को इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है कि संसदीय समिति की रिपोर्टों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने जांच आयोग अधिनियम, *1952* का उल्लेख किया है। ये टिप्पणियां जांच आयोग अधिनियम, *1952* की धारा *6* में निहित कानून के आलोक में की गई थीं। अगला मामला जिस पर निर्भर था

प्रतिवादी सामान्य कारण में इस न्यायालय का निर्णय हैः ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम भारत संघ, *2017 (7)* एस. सी. सी. *158*। *118.* उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ *14* और *16* में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। अनुच्छेद *21* में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संसदीय स्थायी समिति की राय पवित्र नहीं होगी। पैराग्राफ *21* में निम्नलिखित

अवलोकन किया गया थाः

"21 ..... खोज/चयन समिति की उपयोगिता के संबंध में संसदीय स्थायी समिति का दृष्टिकोण

जब रिक्तियां/रिक्तियां मौजूद हों/मौजूद हों तो निर्णय लेना केवल एक राय है जिस पर कार्यपालिका को पहले विचार करना होता है और उसके बाद विधायिका को मंजूरी देनी होती है। अतः संसदीय स्थायी समिति की उक्त राय पवित्र नहीं होगी। उसी, किसी भी मामले में, मौजूदा की वैधता पर कोई सामग्री असर नहीं है

अधिनियम के प्रावधान "।

119. उपरोक्त निर्णय उत्तरदाताओं के इस कथन का समर्थन नहीं करते हैं कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ऐसा नहीं कर सकती है।

न्यायालय में साक्ष्य के रूप में लिया जाए या इसे न्यायालय द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं देखा जा सकता है।

कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

I. शक्तियों का विभाजन और रखरखाव

120. संघ की अनिवार्य विशेषता सीमित कार्यकारी, विधायी और न्यायिक प्राधिकरण और सर्वोच्चता का वितरण है। संविधान का। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी ने राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. *1955* एस. सी. *549* मामले में भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण की आवश्यक विशेषताओं का उल्लेख किया। पैरा *12* में निम्नलिखित आयोजित किया गया हैः

"..... भारतीय संविधान ने वास्तव में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनी पूर्ण कठोरता में मान्यता नहीं दी है, बल्कि इसके कार्यों को मान्यता दी है -

सरकार के विभिन्न भागों या शाखाओं को पर्याप्त रूप से अलग किया गया है और इसके परिणामस्वरूप यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि हमारा संविधान निम्नलिखित धारणाओं पर विचार नहीं करता हैः

राज्य का एक अंग या भाग, उन कार्यों का जो अनिवार्य रूप से संबंधित हैं

किसी और के लिए।

121. विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण को हमारे संविधान की मूल विशेषता माना गया है।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ए. आई. आर *1973* एस. सी. *1461*। द. संविधान में तीन अंगों में से किसी की सर्वोच्चता की परिकल्पना नहीं की गई है -

राज्य। लेकिन, तीनों अंगों की कार्यप्रणाली संविधान द्वारा नियंत्रित होती है। जहां भी, तीनों अंगों के बीच बातचीत और विचार-विमर्श की परिकल्पना की गई है, एक नाजुक संतुलन और आपसी सम्मान पर विचार किया जाता है। तीनों अंगों को इसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है 'हम लोग' के लिए संवैधानिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिस संविधान के तहत हम सभी रहते हैं, उसकी सेवा के लिए तीनों अंगों को आपसी सद्भाव और सम्मान बनाए रखना होगा। इन विचारों को व्यक्त किया गया था

यह न्यायालय बार-बार। यह *1964* की विशेष संदर्भ संख्या *1* में इस न्यायालय की संविधान पीठ को संदर्भित करने के लिए पर्याप्त है, जहां गजेंद्रगडकर,

सीजे। , निम्नलिखित को निर्धारित कियाः

"इस संबंध में यह याद रखना आवश्यक है कि इन दोनों संबंधित संस्थानों की स्थिति, गरिमा और महत्व,

विधानमंडल और न्यायपालिका, मुख्य रूप से संविधान द्वारा उनके प्रभार को सौंपे गए संबंधित कारणों की स्थिति, गरिमा और महत्व से प्राप्त होते हैं। इन दो प्रतिष्ठित निकायों के साथ-साथ कार्यपालिका जो एक अन्य निकाय है

एक लोकतांत्रिक राज्य का महत्वपूर्ण घटक, कार्य नहीं करना चाहिए *[2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिद्वंद्विता में और न ही शत्रुता की भावना में, लेकिन तर्कसंगत रूप से, सामंजस्यपूर्ण रूप से और अपने-अपने क्षेत्रों में समझ की भावना से, क्योंकि अकेले लोकतांत्रिक राज्य के तीन घटकों के इस तरह के सामंजस्यपूर्ण काम करने से मदद मिलेगी

शांतिपूर्ण विकास, विकास और स्थिरीकरण

इस देश में जीवन का लोकतांत्रिक तरीका।

संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार करना। जैसा कि ऊपर देखा गया है, ऐसा कोई संसदीय विशेषाधिकार नहीं है कि संसदीय समिति की रिपोर्ट या अन्य संसदीय सामग्री किसी भी अदालत में साक्ष्य के रूप में नहीं दी जा सकती है। संसदीय रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने से किसी भी संसदीय विशेषाधिकार का हनन नहीं होता है। यह उल्लेख करना भी अनुचित नहीं है कि इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता और इस देश में संवैधानिक सर्वोच्चता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि संसद द्वारा बनाया गया

कोई भी कानून, जो संविधान के भाग *III* के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, इस न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए खारिज किया जा सकता है जो संविधान द्वारा इस न्यायालय को दिया गया है। संसदीय संप्रभुता, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्राप्त किया जाता है, इस देश में विभिन्न अंगों के कामकाज के संदर्भ में एक समानांतर उदाहरण नहीं है, जैसा कि भारत के संविधान द्वारा नियंत्रित है। गारंटी के अनुसार संसदीय विशेषाधिकार

अधिकार विधेयक *(1688)* के अनुच्छेद *9* के तहत कि संसद की किसी भी कार्यवाही पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है और इस प्रकार भारत के संविधान में निहित व्यक्त संवैधानिक प्रावधानों के अधीन लागू किया जाना चाहिए। *123.* इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हालांकि, भारत के संविधान के तहत शक्तियों का कोई कठोर पृथक्करण नहीं है, बल्कि तीनों के कार्य हैं।

पंखों को पर्याप्त रूप से अलग किया गया है और प्रत्येक को राज्य के किसी भी अन्य विंग द्वारा बिना किसी बाधा के अपने कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। हालाँकि, तीनों अंगों के कार्यकरण में, एक नाजुक संतुलन, आपसी सद्भाव और सम्मान बनाए रखना होगा ताकि शरीर के सही तरीके से काम कर सके। संविधान।

जे. का अनुच्छेद *121* और अनुच्छेद *122 122*

भारत का संविधान

124. भारत के संविधान के अनुच्छेद *121* और अनुच्छेद *122* पर भरोसा करते हुए, विद्वान महान्यायवादी के साथ-साथ उत्तरदाताओं की ओर से पेश अन्य विद्वान वकीलों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सिद्धांत कल्पना मेहता बनाम।

भारत संघ *[अशोक भूषण, जे.]*

उपर्युक्त लेखों में निहित सुझाव देते हैं कि न्यायालय को किसी भी संसदीय चुनौती पर विचार करने से बचना चाहिए।

संसदीय समिति की रिपोर्ट सहित कार्यवाही।

125. हालांकि, अनुच्छेद *122* के शीर्ष में कहा गया है कि 'अदालतों को संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करनी चाहिए' लेकिन इसका ठोस प्रावधान है -

संविधान, जैसा कि अनुच्छेद *122* के उपखंड *(1)* में निहित है, न्यायालय को किसी भी कथित अनियमितता या प्रक्रिया के आधार पर किसी भी संसदीय कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने से रोकता है। इस प्रकार कार्यवाही पर सवाल उठाने के लिए न्यायालय पर प्रतिबंध केवल उपरोक्त आधार पर ही सीमित है। यदि कार्यवाही स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में है तो कार्यवाही की वैधता की जांच करने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

या अन्य संवैधानिक प्रावधान। संविधान पीठ ने *1964* की विशेष संदर्भ संख्या *1 (*उपर्युक्त*)* में संविधान के अनुच्छेद *194* के दायरे पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्धारित किया:

"हमारे विधानमंडलों के पास निस्संदेह पूर्ण शक्तियाँ हैं, लेकिन

इन शक्तियों को स्वयं लिखित संविधान की बुनियादी अवधारणाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है और सातवीं अनुसूची के तहत तीन सूचियों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र को आवंटित विधायी क्षेत्रों के भीतर प्रयोग किया जा सकता है; लेकिन सूचियों से परे, विधान मंडल यात्रा नहीं कर सकते हैं। वे निस्संदेह अपने पूर्ण विधायी अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर अपने विधायी कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं।

शक्ति स्वयं संविधान है। इसके अलावा, विधायी

संसद सहित हमारे विधानमंडलों की सर्वोच्चता है

आम तौर पर संविधान के भाग *III* में निहित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित। यदि विधायिकाएं विधायी से परे कदम उठाती हैं

उन्हें सौंपे गए क्षेत्र, या उनके संबंधित क्षेत्रों के भीतर कार्य करते हुए, वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का इस तरह से उल्लंघन करते हैं जो संबंधित लेखों द्वारा उचित नहीं है।

कहा कि मौलिक अधिकार, उनके विधायी कार्यों को भारत में अदालतों द्वारा निरस्त किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि

यह याद रखने के लिए कि यद्यपि हमारे विधानमंडलों में पूर्ण अधिवेशन होते हैं

शक्तियाँ, वे द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करती हैं

संविधान के भौतिक और प्रासंगिक प्रावधान।

126. जैसा कि ऊपर देखा गया है, भारत का संविधान इसे सशक्त बनाता है।

न्यायालय संसद के विधान को निरस्त करने के लिए न्यायिक समीक्षा का अभ्यास करता है यदि यह *[2018] 4* एस. सी. आर. के भाग *III* के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

संविधान। इस प्रकार, वे विशेषाधिकार जो भारतीयों को प्राप्त हैं भारतीय संविधान के प्रावधानों के आलोक में विधानमंडल पर विचार किया जाना चाहिए। ये संसद के स्पष्ट अपवाद हैं।

विशेषाधिकार, जैसा कि अधिकार विधेयक, *1688* के अनुच्छेद *IX* के बल पर हाउस ऑफ कॉमन्स में लागू होता है। इस न्यायालय ने *1964* के विशेष संदर्भ संख्या *1 (*सुप्रा*)* में विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विशेषाधिकारों का उल्लेख किया, जो हालांकि संसद द्वारा प्राप्त किए गए थे।

कॉमन्स, लेकिन अब भारतीय विधानमंडल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

127. विधान और कुछ संसदीय कार्यवाहियों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा प्राप्त न्यायिक समीक्षा की शक्ति को मान्यता दी गई है।

अपवाद, जब यह न्यायालय संसदीय क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। अन्य सभी मामलों में, इसकी कार्यवाही के संबंध में संसदीय सर्वोच्चता, अपनाई गई प्रक्रिया को स्वीकार करना होगा।

128. उपरोक्त पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अनुच्छेद *122* के बल पर, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्टों को न तो न्यायालय में साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है और न ही उक्त रिपोर्टों का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

के. संसद की रिपोर्टों पर टिप्पणियां

निजता का एक साथ ब्रेक लेने के लिए समिति *129.* बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत और सुरक्षित सबसे पोषित मौलिक अधिकारों में से एक है। *1950* में पतंजलि शास्त्री, जे., रोमेश थापर बनाम में। मद्रास राज्य, *1950* एस. सी. आर. *594* ने कहाः

"बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता की नींव रखी गई थी

सभी लोकतांत्रिक संगठन, स्वतंत्र राजनीतिक संगठनों के बिना

चर्चा कोई सार्वजनिक शिक्षा नहीं है, इसलिए उचित के लिए आवश्यक है

लोकप्रिय सरकार की प्रक्रियाओं का कार्यकरण, है

संभव है।

130. बेनेट कोलमैन एंड कंपनी और ओआरएस में फिर से यह अदालत। बनाम भारत संघ *(*यू. ओ. आई.*)* और अन्य। , ए. आई. आर. *1973* एस. सी. *106 (150)* ने अभिनिर्धारित कियाः

"प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की वाचा का सन्दूक है क्योंकि इसके काम करने के लिए सार्वजनिक आलोचना आवश्यक है। संस्थाएं "। राज्य का कोई भी अंग, चाहे वह न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधानमंडल, सार्वजनिक आलोचना से अछूता नहीं है; सार्वजनिक आलोचना लोकतंत्र में सभी संस्थानों की निगरानी और जांच करने का एक साधन है।

कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

131. वैसन वी. वाल्टर *(*ऊपर*)* कॉकबर्न सी. जे. , कहा गयाः

"..... इसका आगे यह उत्तर दिया जा सकता है कि शायद ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें जनता की रुचि इन सब में गहरी हो।

राज्य के लोक सेवकों के आचरण से संबंधित है-नहीं

संसदीय चर्चा का विषय जिसकी और अधिक आवश्यकता है -

उससे संबंधित जाँच से अधिक ज्ञात किया जाए। "

132. इस बात पर भी जोर दिया गया कि किसी लोक सेवक के आचरण या किसी भी जांच को सार्वजनिक करने में गहन लोक हित की सेवा की जाती है।

कॉकबर्न सी. जे. , उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक लेखकों को सार्वजनिक पुरुषों के आचरण और उद्देश्यों पर टिप्पणी करने की पूरी स्वतंत्रता है। आचरण पर टिप्पणी करने की मान्यता हाल के मूल के रूप में देखी गई थी। यह आगे स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों पर भी टिप्पणियां की जा सकती हैं, जिन टिप्पणियों से जनता लाभान्वित होती है। निम्नलिखित भारी अवलोकन कॉकबर्न सी. जे. द्वारा किए गए थे। *:*

'..... सार्वजनिक पुरुषों के आचरण और उद्देश्यों पर टिप्पणी करने के लिए सार्वजनिक लेखकों की पूर्ण स्वतंत्रता को हाल के दिनों में ही मान्यता दी गई है। सरकार पर, मंत्रियों और राज्य के अधिकारियों पर, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों पर, न्यायाधीशों और अन्य सार्वजनिक अधिकारियों पर टिप्पणियां अब हर दिन की जाती हैं, जो आधी सदी पहले कार्रवाई या पदेन जानकारी का विषय होता और प्रकाशकों और लेखकों पर जुर्माना और कारावास को कम करता। फिर भी कौन संदेह कर सकता है कि जनता परिवर्तन से लाभान्वित होती है, और यह कि, हालांकि अन्याय अक्सर किया जा सकता है, और हालांकि सार्वजनिक लोगों को अक्सर शत्रुतापूर्ण आलोचना द्वारा लगाए गए गलत की गहरी भावना के तहत चतुर होना पड़ सकता है, जनमत द्वारा राष्ट्र का लाभ इस प्रकार स्वतंत्र रूप से जनता के निर्वहन को सहन करने के लिए लाया जाता है।

सार्वजनिक कर्तव्य*?* .....

133. 'संसदीय विशेषाधिकार' के संदर्भ में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पेपर *v* में अधिकार *1888* के बिलों के अनुच्छेद *9* पर उचित विचार करने के बाद।

हार्ट *(*हाउस ऑफ लॉर्ड्स*) 1993* एसी *593,* निर्धारित किया गयाः *'* अनुच्छेद *9* ऐसा नहीं कर सकता।

प्रभाव पड़ता है, ताकि संसद में जो कहा जाता है उस पर टिप्पणी करने की सभी की स्वतंत्रता को दबाया जा सके, भले ही इस तरह की टिप्पणी सदस्यों को उनकी बातों में प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार संसद में जो कहा जाता है वह स्पष्ट रूप से प्रेस सहित सभी की निष्पक्ष टिप्पणियों के अधीन है।

134. एम. एस. एम. शर्मा बनाम मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। श्री कृष्ण सिन्हा और अन्य, ए. आई. आर. *1959* एस. सी. *395* को यह अवसर मिला कि बिहार विधान सभा के सदस्य द्वारा दिए गए भाषण के प्रकाशन के संदर्भ में संसदीय विशेषाधिकारों पर विचार करें, जिसे आमतौर पर सर्च लाइट केस के रूप में जाना जाता है। बिहार विधान सभा के सदस्य ने अपने भाषण में बिहार के एक पूर्व मंत्री का आलोचनात्मक संदर्भ दिया। अध्यक्ष ने एक अन्य सदस्य द्वारा उठाए गए आदेश के एक बिंदु पर हटाने का निर्देश दिया

अनुच्छेद *19 (1) (ए)* और अनुच्छेद *194 (1)* और अनुच्छेद *194* के उपखंड *(3)* का अंतिम भाग। न्यायालय ने आगे कहा कि द्वारा भाषण का प्रकाशन सर्च लाइट इन लॉ को विश्वासघाती रिपोर्ट माना जाना चाहिए, प्रथम

पैराग्राफ *32* में विशेषाधिकार हनन को देखते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं:

" 32 ..... अध्यक्ष द्वारा हटाए जाने के आदेश का कानून में प्रभाव

किसी सदस्य के भाषण का एक हिस्सा ऐसा हो सकता है जैसे कि वह हिस्सा नहीं बोला गया हो। ऐसी परिस्थितियों में पूरे भाषण की रिपोर्ट, हालांकि तथ्यात्मक रूप से सही है, कानून में, विकृत और विश्वासघाती रिपोर्ट के रूप में मानी जा सकती है और

इस तरह की विकृत और विश्वासघाती रिपोर्ट का प्रकाशन

भाषण, अर्थात, सदन में पारित अध्यक्ष के आदेशों के अपमान में निष्कासित भाग सहित, प्रथम दृष्टया, अपमानजनक समाचार के प्रकाशन से उत्पन्न सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है और यह ठीक वही आरोप है जिस पर समिति के प्रस्ताव द्वारा विचार किया गया है और जिसका जवाब देने के लिए बुलाए गए नोटिस द्वारा याचिकाकर्ता है। हम कोई राय व्यक्त नहीं करना पसंद करते हैं।

कि क्या वास्तव में कल्पना मेहता बनाम का कोई उल्लंघन हुआ है।

भारत संघ *[अशोक भूषण, जे.]*

सदन का विशेषाधिकार, इसके लिए सदन के साथ है

न्यायाधीश "।

135. अनुच्छेद *19 (1) (ए)* के तहत गारंटी के अनुसार बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक नागरिक को अपनी राय व्यक्त करने के लिए उपलब्ध है और टिप्पणी जो अदालती कार्यवाही के संबंध में भी उपलब्ध है

ठीक है। संसदीय कार्यवाहियों के संबंध में, उक्त अधिकार को तब तक नहीं दबाया जाता है जब तक कि टिप्पणी संसद के व्यक्तिगत सदस्य या सामान्य रूप से सदन पर प्रतिबिंब या व्यक्तिगत हमले के बराबर न हो। इस संदर्भ में एडम बनाम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले का भी उल्लेख किया गया है। वार्ड, *1917* ए. सी. *309,* जहाँ संसद की कार्यवाही प्रकाशित की गई थी, जिसमें क्राउन के एक सेवक पर एक निंदात्मक टिप्पणी थी। आरोप के संबंध में एक जांच की गई और नौकर के सम्मान की पुष्टि के लिए रिपोर्ट प्रकाशित की गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लॉर्ड एटकिंसन ने निम्नलिखित निर्धारित किया थाः

"मुझे लगता है कि यह एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित किया जा सकता है कि जहां कोई व्यक्ति, संसद में कार्यवाही के बारे में हंसार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से, क्राउन के किसी नागरिक, नौसेना या सैन्य सेवक द्वारा अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में दुनिया के सामने अपमानजनक अपशब्दों को प्रकाशित करता है, तो वह दुनिया को अपने श्रोता के रूप में चुनता है, और यह उस सेवा के प्रमुखों का कर्तव्य है जिससे वह संबंधित है।

जांच में वे उनके खिलाफ लगाए गए आरोप को निराधार पाते हैं, ताकि उनके समर्थन को उन्हीं दर्शकों के सामने प्रकाशित किया जा सके जिन पर उनके अनुवादक ने खुद को संबोधित किया है। मेरे विचार में सेना परिषद व्यक्तिगत रूप से जनरल स्कोबेल और महान सेवा के प्रति अपने कर्तव्य में विफल हो जाती, जिसे वे एक निश्चित अर्थ में शासन और नियंत्रण करते हैं, अगर उन्होंने जनरल के समर्थन की घोषणा को व्यापक प्रसार नहीं दिया होता।

136. आर वी में। मर्फी, *1986 (5)* एन. एस. डब्ल्यू. एल. आर. *18,* हंट, जे. ने अभिनिर्धारित किया कि संसद में जो कहा और किया जाता है वह बिना किसी उल्लंघन के हो सकता है।

आम नागरिकों द्वारा उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करके संसदीय विशेषाधिकार पर महाभियोग चलाया जाए और उस पर सवाल उठाया जाए। निम्नलिखित आयोजित किया गया थाः

"मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें क्या कहा और किया जाता है।

संसद पर संसदीय विशेषाधिकार के किसी भी उल्लंघन के बिना महाभियोग चलाया जा सकता है और आम नागरिकों द्वारा उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता *(*चाहे मीडिया में हो या नहीं*)* का प्रयोग करके सवाल उठाया जा सकता है, इस डर के बावजूद कि ऐसा आचरण *[2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद के सदस्यों *(*और समिति के गवाहों*)*

वे जो कहते हैं या करते हैं उसके परिणामों के बारे में। इनमें

परिस्थितियों में, यह न तो आवश्यक हो सकता है और न ही वांछनीय

सिद्धांत कि संसद में जो कहा या किया जाता है वह नहीं होना चाहिए

अदालतों या इसी तरह के मामलों में *(*व्यापक अर्थों में*)* पूछताछ की जाए

न्यायाधिकरण जहाँ कोई कानूनी परिणाम नहीं देखे जाने हैं

विचाराधीन कार्यवाही द्वारा ऐसे सदस्य *(*या गवाह*)*।

137. लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने भी

निम्नलिखित शब्दों में निष्पक्ष टिप्पणी का अधिकार प्राप्त कियाः

"कोई भी सदस्य या वास्तव में, किसी भी नागरिक को निष्पक्ष टिप्पणी के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। लेकिन अगर टिप्पणियाँ

संसद के अलग-अलग सदस्यों पर व्यक्तिगत हमले शामिल करें

(जैसा कि ए. एन. ग्रोवर द्वारा "प्रेस और संसद" में उद्धृत किया गया है *J.C.P.S.VXIII 1984* पी पर। *141 .)*

138. 'संसदीय अभ्यास' में एर्स्किन मे *(*चौबीसवाँ*)*

ऑन*)* अवमानना को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता हैः

"आम तौर पर, कोई भी कार्य या चूक जो बाधा डालती है या

संसद के किसी भी सदन के प्रदर्शन में बाधा डालता है

कार्य, या जो किसी सदस्य को बाधित या बाधित करता है या

अपने कर्तव्य के निर्वहन में ऐसे सदन का अधिकारी, या जो

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह के परिणाम देने की प्रवृत्ति है, इसे अवमानना के रूप में माना जा सकता है, भले ही कोई मिसाल न हो।

अपराध "।

139. एक मामले का उल्लेख करते हुए, बर्डेट बनाम। एबॉट, *(1811) 104* ई. आर. *559,*

इस न्यायालय ने *1964* की विशेष संदर्भ संख्या *1 (1965) 1* एस. सी. आर. मेंनिम्नलिखित रूप में वर्णित है:

"इस संबंध में यह याद रखना आवश्यक है कि स्थिति,

इन दोनों संबंधित संस्थानों की गरिमा और महत्व,

विधायिका और न्यायपालिका, मुख्य रूप से व्युत्पन्न हैं

संबंधित कारणों की स्थिति, गरिमा और महत्व

जिन्हें संविधान द्वारा उनके प्रभार के लिए सौंपा गया है। ये

दो अगस्त निकायों के साथ-साथ कार्यकारी जो एक और कल्पना मेहता बनाम है।

भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

एक लोकतांत्रिक राज्य का महत्वपूर्ण घटक, कार्य नहीं करना चाहिए

विरोधी भावना में और न ही शत्रुता की भावना में, लेकिन तर्कसंगत रूप से,

सामंजस्यपूर्ण रूप से और उनके भीतर समझ की भावना में संबंधित क्षेत्र, तीनों के इस तरह के सामंजस्यपूर्ण काम के लिए

लोकतांत्रिक राज्य के घटक अकेले आयोजित करेंगे

शांतिपूर्ण विकास, विकास और स्थिरीकरण

इस देश में जीवन का लोकतांत्रिक तरीका।

140. विशेष संदर्भ मामले में इस न्यायालय ने यह भी कहा था कि अदालतों द्वारा जो सावधानी और सिद्धांत ध्यान में रखे जाते हैं, जबकि अवमानना के लिए वे विधानमंडलों के लिए भी समान रूप से सही हैं। इसके बाद

इस न्यायालय द्वारा आश्वासन दिए गए थे:

"इस विषय से अलग होने से पहले, हम एक का उल्लेख करना चाहेंगे।

शक्ति के प्रयोग से संबंधित प्रश्न का पहलू

अवमानना के लिए दंड। जहाँ तक न्यायालयों का संबंध है,

न्यायाधीश हमेशा उन्हें संबोधित चेतावनी को ध्यान में रखते हैं।

आंद्रे पॉल बनाम में लॉर्ड एटकिन द्वारा। अटॉर्नी-त्रिनिदाद के जनरल, ए. आई. आर. *1936* पी. सी. *141*। लॉर्ड एटकिन ने कहा था, "न्याय एक क्लॉस्टर्ड नहीं है।

पुरुषों "। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति का प्रयोग हमेशा सावधानी, बुद्धिमानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। बार-बार या अंधाधुंध क्रोध या जलन में इस शक्ति का उपयोग करने से मदद नहीं मिलेगी

न्यायालय की गरिमा या स्थिति को बनाए रखना, लेकिन कभी-कभी इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। बुद्धिमान न्यायाधीश यह कभी नहीं भूलते कि सबसे अच्छा तरीका है

उनके पद की गरिमा और स्थिति को बनाए रखने के लिए यह योग्य है उनकी गुणवत्ता से बड़े पैमाने पर जनता से सम्मान

उनके निर्णय, निर्भीकता, निष्पक्षता और निष्पक्षता

वे अपने न्यायिक आचरण का पालन करते हैं। हम सोचने का साहस करते हैं कि न्यायपालिका के बारे में जो सच है वह समान रूप से सच है

विधायिकाएँ।

141. अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति संसद के लिए उपलब्ध एक विशेषाधिकार है जिसे 'संसदीय विशेषाधिकारों के मुख्य' के रूप में परिभाषित किया गया है।

142. ऊपर जो कहा गया है, उससे हमारा विचार है कि संसदीय समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणियां पूरी तरह से हैं।अनुच्छेद *19 (1) (ए)* के तहत गारंटीकृत अधिकारों के तहत।

हालाँकि, *[2018] 4* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब टिप्पणियां संसद या सदन के व्यक्तिगत सदस्य पर व्यक्तिगत हमले में बदल जाती हैं या सदस्य या सदन की छवि को धूमिल करने वाली अश्लील या अपमानजनक भाषा में की जाती हैं, तो उक्त टिप्पणियां सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन के बराबर होती हैं।

143. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि इस स्थिति में, वे संसद के संबंध में आपत्तियां उठाते हैं समिति की रिपोर्ट जिसमें उनकी भूमिका पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है, वे सदन की अवमानना करने के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे, इसलिए, यह न्यायालय न तो संसदीय समिति की रिपोर्ट को साक्ष्य में लेने की अनुमति दे सकता है और न ही याचिकाकर्ताओं को रिपोर्ट पर भरोसा करने की अनुमति दे सकता है। नहीं।

टिप्पणी करता है और निष्पक्ष टिप्पणियों के लिए निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता है। संसदीय समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने पर प्रेस को निष्पक्ष टिप्पणी करने का अधिकार होता है। हम निषेध करने का कोई कारण नहीं देखते हैं जिन दलों को संसदीय समिति की रिपोर्ट में विशेषाधिकार हनन के बिना कानून के तहत अनुज्ञेय रिपोर्ट की ऐसी निष्पक्ष टिप्पणियां या आलोचना करने के लिए संदर्भित किया गया था।

L.ADJUDICATION अदालतों और संसदीय समिति की रिपोर्ट में

144. 'न्यायनिर्णयन 'न्यायालय की निर्णय लेने और निर्णय सुनाने की शक्ति है और इसे उन व्यक्तियों और पक्षों के बीच प्रभावी बनाने की शक्ति है जो

निर्णय के लिए उसके सामने एक कारण लाएं। दीवानी और आपराधिक मामलों दोनों के लिए लोग न्याय के लिए अदालतों की प्रतीक्षा करते हैं। अपने विषय के बीच विवाद का निर्णय करना हमेशा संप्रभु कार्यों का एक हिस्सा माना जाता रहा है। संवैधानिक कानून के विकास ने शक्तियों के पृथक्करण पर जोर दिया

लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए सरकारी कार्य। *145.* शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के आधुनिक प्रतिपादक, ल 'एस्प्रिट डेस लोइस, *1748* में मोंटेस्क्यू कहते हैं:

"जब विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में, या एक ही निकाय या मजिस्ट्रेट पर एकजुट होती हैं, तो कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। पुनः, यदि न्यायिक शक्ति को विधायी और कार्यकारी शक्तियों से अलग नहीं किया जाता है तो कोई स्वतंत्रता नहीं है। यदि इसे विधायी शक्ति के साथ जोड़ा जाता है, तो विषय का जीवन और स्वतंत्रता मनमाने नियंत्रण के लिए उजागर हो जाएगी; क्योंकि न्यायाधीश तब विधायक होगा। यदि इसे कार्यकारी शक्ति के साथ जोड़ा जाता है, तो न्यायाधीश हिंसा और उत्पीड़न के साथ व्यवहार कर सकता है।

कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ *[अशोक भूषण, जे.]*

सब कुछ का अंत एक ही आदमी था या

इन तीनों शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक ही शरीर।

146. यद्यपि हमारे संविधान में तीन शाखाओं-विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिका-का कोई सख्त पृथक्करण नहीं है, संवैधानिक प्रावधान प्रत्येक निकाय के अलग-अलग कार्य सौंपते हैं।

स्पष्टता जो यह स्पष्ट करती है कि हमारा संविधान नहीं करता है

एक अंग कार्य द्वारा एमप्लेट धारणा जो दूसरे से संबंधित है

राज्य से। आई. आर. कोएल्हो डी. में एल. आर. द्वारा नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ। वी. तमिलनाडु राज्य, *2007 (2)* एस. सी. सी. *1,* पैराग्राफ *64,65* में निम्नलिखित शक्तियों के पृथक्करण पर विचार करते हुए और

"64. वास्तव में, यह सदियों पहले तय किया गया था कि स्वतंत्रता के संरक्षण और अत्याचार की रोकथाम के लिए तीन अलग-अलग अंगों में अलग-अलग शक्तियां निहित करना बिल्कुल आवश्यक है। फेडरलिस्ट *47,48* और *51* में जेम्स मैडिसन बताते हैं कि कैसे शक्तियों का पृथक्करण स्वतंत्रता को संरक्षित करता है और अत्याचार को रोकता है। द में

संघवादी *47*, मैडिसन ने मोंटेस्क्यू के उपचार पर चर्चा की कानून की भावना में शक्तियों का पृथक्करण *(*पुस्तक *XI*, अध्याय *6)*। वहाँ मोंटेस्क्यू लिखते हैं,

"जब विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में, या मजिस्ट्रेटों के एक ही निकाय में एकजुट होती हैं, तो कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। फिर, कोई स्वतंत्रता नहीं है, अगर न्यायिक शक्ति को विधायी और कार्यपालिका से अलग नहीं किया जाता है।

मैडिसन बताती हैं कि मोंटेस्क्यू ने यह महसूस नहीं किया कि विभिन्न शाखाओं में अतिव्यापी कार्य नहीं हो सकते हैं, बल्कि यह कि सरकार के एक विभाग की शक्ति पूरी तरह से सरकार के दूसरे विभाग के हाथों में नहीं होनी चाहिए।

65. अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने द फेडरलिस्ट *78* में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व पर टिप्पणी की शक्तियों और लोगों के अधिकारों का पृथक्करणः

"एक सीमित संविधान में न्याय की अदालतों की पूर्ण स्वतंत्रता विशेष रूप से आवश्यक है। एक सीमित संविधान द्वारा, मैं एक को समझता हूं जिसमें कुछ शामिल हैं

विधायी प्राधिकारी के लिए विनिर्दिष्ट अपवाद; उदाहरण के लिए, कि वह प्राप्तकर्ता के किसी भी विधेयक को पारित नहीं करेगा, कोई पूर्व कार्योत्तर कानून नहीं, और इसी तरह। इस तरह की सीमाएँ *[2018] 4* एस. सी. आर. हो सकती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्याय के न्यायालयों के माध्यम के अलावा व्यवहार में किसी अन्य तरीके से संरक्षित नहीं किया गया है, जिसका कर्तव्य संविधान के प्रकट सिद्धांत के विपरीत सभी कार्यों को शून्य घोषित करना होना चाहिए। इसके बिना, विशेष अधिकारों या विशेषाधिकारों के सभी आरक्षण

यह कुछ भी नहीं होगा। " *(434)*

67. उच्चतम न्यायालय ने लंबे समय से माना है कि शक्तियों का पृथक्करण संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। यहां तक कि

इससे पहले कि बुनियादी संरचना सिद्धांत का हिस्सा बन गया

संवैधानिक कानून, हमारी शासन प्रणाली पर शक्तियों के पृथक्करण के महत्व को इस न्यायालय द्वारा *1964* की विशेष संदर्भ संख्या *1 (1965) 1* एस. सी. आर. *413* में मान्यता दी गई थी।

147. लोगों के अधिकारों का न्यायनिर्णयन एक ऐसा कार्य है जो देश के विधानमंडल को नहीं सौंपा गया है। कानून के अलावा हमारी संसद विभिन्न भूमिकाएँ निभाने वाला बहु-कार्यात्मक संस्थान बन गया है, जैसे कि पूछताछ, वित्तीय और प्रशासनिक निगरानी, शिकायत निवारण और विकास। हालाँकि, संसद किसी भी न्यायिक क्षेत्राधिकार के साथ निहित नहीं है जो इसके तहत न्यायपालिका से संबंधित है।

संवैधानिक योजना। कर्नाटक राज्य बनाम में यह न्यायालय। भारत संघ, *1977 (4)* एस. सी. सी. *608,* भारत के संविधान के अनुच्छेद *105* और *194* पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्धारित करता हैः

"हमारा संविधान संसद के साथ-साथ राज्य विधानमंडलों में भी केवल विधायी शक्ति निहित करता है। संसद या राज्य विधानमंडल का एक सदन किसी पर या किसी भी मामले की सीधे सुनवाई नहीं कर सकता है, जैसा कि न्याय न्यायालय कर सकता है, लेकिन यह अर्ध-न्यायिक रूप से आगे बढ़ सकता है।
इसके अधिकार की अवमानना के मामले और प्रस्ताव लेना

इसके "विशेषाधिकारों" और "उन्मुक्तिओं" के बारे में क्योंकि ऐसा करने में, यह केवल देय के लिए बाधाओं को हटाने का प्रयास करता है।

अपने विधायी कार्यों का निष्पादन। लेकिन, यदि क्षेत्राधिकार का कोई भी सवाल उठता है कि कोई मामला यहां आता है या नहीं, तो इसका फैसला सामान्य अदालतों द्वारा उचित रूप से किया जाना चाहिए।

कार्यवाही। उदाहरण के लिए, हत्या जैसे आपराधिक अपराध का मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र, जो किसी सदन के भीतर भी किया जाता है, सामान्य आपराधिक अदालतों में निहित होता है न कि संसद के किसी सदन में।

या किसी राज्य विधानमंडल में।

148. पक्षकारों के अधिकारों पर निर्णय लेने का कार्य संवैधानिक योजना के अनुसार गठित न्यायालयों को सौंपा गया है, जो कल्पना मेहता बनाम।

भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को देखने के बाद निर्णय लिया जाना चाहिए जिसमें सुनवाई का अधिकार और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार शामिल है।

149. डिंगल वी. एसोसिएटेड न्यूजपेपर्स लिमिटेड और अन्य *(*ऊपर*)* मानहानि के लिए हर्जाने के मामले में जहां प्रतिवादियों ने भरोसा किया था

पीयरसन, जे. द्वारा प्रकाशित संसदीय समिति की रिपोर्ट इस प्रकार हैः

"..... मेरे विचार में, इस न्यायालय को प्रस्तुत साक्ष्य और इस न्यायालय में प्रस्तुत तर्कों के आधार पर अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने चाहिए, और यह उनके द्वारा किए गए किसी भी निर्णय या व्यक्त की गई राय या निष्कर्षों को ध्यान में रखे बिना किया जाना चाहिए।
एक अलग न्यायाधिकरण जिसका एक अलग कार्य है, और, शायद, उसके सामने अलग-अलग मुद्दे हैं, और जिसे अलग-अलग प्राप्त हुए हैं।

साक्ष्य और मामले की एक अलग प्रस्तुति।

150. प्रतिवादियों की आशंका कि यदि यह न्यायालय संसदीय समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करता है तो उनका मामला पूर्वाग्रहपूर्ण होगा।

सबूत, हमारी राय में गलत है। साक्ष्य में संसदीय समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि रिपोर्ट में बताए गए तथ्य साबित हो गए हैं। जब मुद्दे होते हैं, तो तथ्य न्यायालय के समक्ष आते हैं

न्यायनिर्णयन के लिए, न्यायालय को अपने समक्ष लाए गए साक्ष्य और सामग्रियों के आधार पर मुद्दों का निर्णय करना है और जिसमें निर्णय संसदीय समिति की रिपोर्ट केवल सामग्री में से एक हो सकती है, एक या अन्य साक्ष्य को कितना महत्व दिया जाना है, यह न्यायालय का न्यायनिर्णायक कार्य है जो मामले-दर-मामले अलग हो सकता है। संसदीय समिति की रिपोर्टों को रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकाला गया है, उसके निर्णायक या बाध्यकारी के रूप में नहीं माना जा सकता है। जब किसी व्यक्ति पर किसी नागरिक या आपराधिक दायित्व को निर्धारित करने वाले किसी भी दावे का निर्णय किसी न्यायालय में होता है, तो किसी पक्ष के लिए उन सभी साक्ष्यों और सामग्रियों पर भरोसा करना खुला होता है जो उसकी शक्ति में हैं और न्यायालय को अपने समक्ष लाई गई पूरी सामग्री पर विचार करने पर मुद्दों का फैसला करना होता है। जब संसदीय समिति की रिपोर्ट निजी उत्तरदाताओं के किसी भी नागरिक या आपराधिक दायित्व का निर्णय नहीं करती है, तो उनका डर है कि रिपोर्ट की स्वीकृति उनके मामले को प्रभावित करेगी, यह निराधार है। इस प्रकार, हमारी राय है कि इस मामले में अभिलेख पर संसदीय समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने और इस न्यायालय की रिपोर्ट पर विचार करने से, उत्तरदाताओं का रिपोर्ट में निष्कर्ष और निष्कर्षों को दूर करने का अधिकार नहीं खोया जाता है और वे कानून के अनुसार अपने मामले को साबित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

151. हमारे निर्णय

(i) संविधान के अनुच्छेद *105* के उपखंड *(2)* के अनुसार

भारत में किसी भी संसद सदस्य को संसद या किसी भी समिति में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी पूरी तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद *105* के उपखंड *(2)* के तहत विस्तारित संरक्षण द्वारा कवर की जाती है।

((ii) प्रतिवेदनों के प्रकाशन की न केवल अनुमति दी जा रही है, बल्कि संसद द्वारा भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आम जनता संसदीय कार्यवाहियों के बारे में जानने में गहरी रुचि रखती है, जिसमें संसदीय रिपोर्ट भी शामिल हैं जो कदम हैं।

देश के शासन की ओर। रिपोर्ट के बारे में जानने का अधिकार केवल तभी उत्पन्न होता है जब उन्हें उपयोग के लिए प्रकाशित किया जाता है।

आम जनता के लिए।

(iii) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, *1872* की धारा *57 (4)* यह स्पष्ट करती है कि किसी भी कानून के तहत स्थापित संसद और विधानमंडल की कार्यवाही के पाठ्यक्रम ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में न्यायिक नोटिस दिया जाता है।

न्यायालय द्वारा लिया जाएगा।

(iv) संसद ने पहले ही "विशेषाधिकार समिति" की एक रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, कि उन दस्तावेजों के लिए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अर्थ के भीतर सार्वजनिक दस्तावेज हैं, लोकसभा अध्यक्ष की किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए।

(v) केवल यह तथ्य कि दस्तावेज़ सबूत के रूप में स्वीकार्य है, चाहे कोई सार्वजनिक या निजी दस्तावेज़ कोई निष्कर्ष नहीं निकालता है।

यह धारणा कि दस्तावेजों की सामग्री भी सही है

और सही।

((vi) जब कोई दल किसी घटना या इतिहास को ध्यान में रखने के मामले के रूप में संसदीय समिति की रिपोर्ट में बताए गए किसी भी तथ्य पर भरोसा करता है, तो रिपोर्ट के इस तरह के विश्वास पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

हालांकि, किसी भी दल को संसदीय समिति की रिपोर्ट पर 'सवाल' करने या 'महाभियोग' चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। संसद

विशेषाधिकार, कि संसद के बाहर इस पर महाभियोग नहीं चलाया जाएगा या सवाल नहीं उठाया जाएगा, अदालत में दावा दायर करने वाले पक्ष और उस पर आपत्ति करने वाले अन्य दोनों पर समान रूप से लागू होगा। समिति की रिपोर्ट या निष्कर्ष में कोई भी अवलोकन कल्पना मेहता बनाम को नहीं माना जा सकता है।

भारत संघ *[अशोक भूषण, जे.]*

पक्षों के बीच बाध्यकारी होना। पक्षकार न्यायालय में अपना पक्ष साबित करने के लिए स्वतंत्र रूप से साक्ष्य देने के लिए स्वतंत्र हैं।

कानून।

(ii) दोनों दलों ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि संसदीय रिपोर्ट का उपयोग क़ानून के विधायी इतिहास के उद्देश्यों के साथ-साथ एक मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर विचार करने के लिए किया जा सकता है। जब विचार करने में विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता है

उपरोक्त दो उद्देश्यों के लिए न्यायालय द्वारा समिति की संसदीय सामग्री और रिपोर्ट, हम किसी भी वैध को देखने में विफल रहते हैं

याचिकाकर्ता के निवेदन को स्वीकार नहीं करने का कारण कि

न्यायालयों को संसद को स्वीकार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। उसके समक्ष अभिलेख पर सामग्री और रिपोर्ट, बशर्ते कि न्यायालय पक्षों को सवाल करने और महाभियोग चलाने की अनुमति देने के लिए आगे न बढ़े

रिपोर्टों।

(iii) संविधान में राज्य के तीनों अंगों में से किसी की सर्वोच्चता की परिकल्पना नहीं की गई है। लेकिन, तीनों अंगों की कार्यप्रणाली संविधान द्वारा नियंत्रित होती है। जहाँ कहीं भी, बातचीत और

तीनों अंगों के बीच विचार-विमर्श की परिकल्पना की गई है, एक नाजुक संतुलन और आपसी सम्मान पर विचार किया गया है। तीनों अंगों को संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा

'हम लोग' के लिए निर्धारित। संविधान की सेवा के लिए तीनों अंगों को आपसी सद्भाव और सम्मान बनाए रखना होगा

जिसके नीचे हम सभी रहते हैं।

<) हमारा विचार है कि संसदीय समिति की रिपोर्ट पर निष्पक्ष टिप्पणियां अधिकारों के तहत पूरी तरह से संरक्षित हैं।

अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* के तहत गारंटी। हालाँकि, टिप्पणियां जब संसद या सदन के व्यक्तिगत सदस्य पर व्यक्तिगत हमले में बदल जाती हैं या अश्लील या अपमानजनक भाषा में की जाती हैं सदस्य या सदन की छवि को धूमिल करने वाली उक्त टिप्पणियां सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन के समान हैं।

) पक्षकारों के अधिकारों का न्यायनिर्णयन करने का कार्य संवैधानिक योजना के अनुसार गठित न्यायालयों को सौंपा गया है, जिनका निर्णय प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को देखने के बाद किया जाना है जिसमें सुनवाई का अधिकार और पेश करने का अधिकार शामिल है।

सबूत। हालाँकि, संसद के पास कोई अधिकार नहीं है। न्यायनिर्णायक अधिकारिता जो न्यायपालिका से संबंधित है

संवैधानिक योजना।

[2018]

ओ. ई. एस. में संसदीय समिति की रिपोर्ट की स्वीकार्यता का मतलब यह नहीं है कि रिपोर्ट में बताए गए तथ्य जब तथ्यों के मुद्दे न्यायालय के समक्ष आते हैं।निर्णय लेते हुए, न्यायालय को मुद्दों पर निर्णय लेना है

साक्ष्य और उसके सामने लाई गई सामग्री। उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर दिए जाने के बाद, उन्हें सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

संदर्भित मुद्दा